योदश माला, खंड 32, अंक 12

मंगलवार, 4 मार्च, 2003
13 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

No. 55
Date 20/10/03

(खण्ड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 32, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)]

अंक 12, मंगलवार, 4 मार्च, 2003/13 फाल्गुन, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के उपयोग में कथित अनियमितताओं तथा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री द्वारा इस निधि में से पार्टी कोष के लिए अंशदान करने के संबंध में कथित निदेश के बारे में	2-8
(दो) उर्वरक और डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में किसानों को हो रही कठिनाइयों के बारे में . . .	280-284
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 181, 182 और 184	8-37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 183 और 185 से 200	37-78
अतारांकित प्रश्न संख्या 1894 से 2058 .	78-273
सभा पटल पर रखे गए पत्र	273-277
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
विवरण	277-278
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
बत्तीसवां से सैंतीसवां प्रतिवेदन .	278
कार्य मंत्रणा समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	279
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) झारखंड में लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० दुखा भगत	290
(दो) किसानों विशेषकर दक्षिणी हरियाणा के किसानों, जिनकी फसलें सूखे से प्रभावित हुई हैं, को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
डा० (श्रीमती) सुधा यादव .	292

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कॉलम

(तीन) उत्तर प्रदेश में लुम्बिनी-दुद्धी राज्य राजमार्ग के उचित रखरखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्मयानन्द स्वामी . . . 293

(चार) सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार तथा मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय . . . 293

(पांच) उड़ीसा के क्योंझर जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को शीघ्रता से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत नायक . . . 294

(छह) कर्नाटक में उदूवी तथा कौंडागू के आसपास के वन क्षेत्रों में रह रहे किसानों को उस क्षेत्र से हटाए जाने संबंधी अभियान को बंद किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके . . . 296

(सात) केरल में सहकारिता क्षेत्र के बैंकों में जमाकर्त्ताओं द्वारा जमा की गई धनराशि के बारे में ब्यौरा देने के संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी किए जा रहे नोटिसों को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री एस० अजय कुमार . . . 297

(आठ) आंध्र प्रदेश राज्य में सूखा प्रभावित लोगों को रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के उद्देश्य से काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत चावल की अतिरिक्त मात्रा दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए० ब्रह्मनैया . . . 297

(नौ) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में भूमिगत जल का पता लगाने के उद्देश्य से उस क्षेत्र में नलकूप खनन पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन . . . 298

रेल बजट, 2003-2004

लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2003-2004

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2002-2003

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2000-2001

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी . . . 310

विषय	कॉलम
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	325
श्री मोइनुल हसन	337
श्री कालवा श्रीनिवासुलु	344
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	348
श्री चन्द्रभूषण सिंह	348
डा० रंजीत कुमार पांजा	353
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल.	353
श्री उत्तमराव ढिकले.	355
श्रीमती श्यामा सिंह	357
डा० जसवन्तसिंह यादव	363
श्री राम सजीवन	368
श्री ए० कृष्णास्वामी	372
श्री के०एच० मुनियप्पा	377
श्री प्रभुनाथ सिंह.	382
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय. .	387
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	390
श्री भर्तृहरि महताब	392
श्री रामदास आठवले	398-400

लोक सभा

मंगवार, 4 मार्च, 2003/13 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी, श्री जे०एम० विश्वास के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री जे०एम० विश्वास, 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने पश्चिमी बंगाल के बांकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ''श्री विश्वास 1970 में लोक लेखा समिति के सदस्य थे।'' श्री विश्वास 'ऑल बंगाल रिफ्यूजी काउंसिल ऑफ एक्शन' के संस्थापक थे, जिसने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अथक कार्य किया।

श्री विश्वास एक प्रख्यात मजदूर नेता थे और उन्होंने मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए महान कार्य किया। उन्होंने भिन्न-भिन्न मजदूर संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने कलकत्ता में गार्डन रीच में जे०पी० इंस्टीट्यूट आफ ट्रेड यूनियन एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मजदूर संगठनों के कामगारों को शिक्षा प्रदान करना था। उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन,, लंदन में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया।

श्री विश्वास, ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन, नई दिल्ली के वाइस प्रेज़ीडेंट भी थे। उन्होंने साउथ ईस्टर्न रेवलेमेन्स यूनियन के प्रेज़ीडेंट के रूप में भी कार्य किया।

श्री विश्वास एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, वह स्वामी शिवानंद (ऋषिकेश) द्वारा स्थापित डिवाइन लाइफ सोसायटी के सदस्य थे और वह पश्चिमी बंगाल डिवाइन लाइफ सोसायटी के प्रेज़ीडेंट भी थे।

श्री जे०एम० विश्वास का निधन 77 वर्ष की आयु में पश्चिमी बंगाल में कोलकाता में 30 जनवरी, 2003 को हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के उपयोग में कथित अनियमितताओं तथा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री द्वारा इस निधि में से पार्टी कोष के लिए अंशदान करने के संबंध में कथित निदेश के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे श्री रामजीलाल सुमन, कुंवर अखिलेश सिंह और श्री रघुराज सिंह शाक्य से दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। प्रश्नकाल के निलम्बन के संबंध में भी मुझे श्री रामजीलाल सुमन, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, कुंवर अखिलेश सिंह और श्री रघुराज सिंह शाक्य से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अब मैं कुवर अखिलेश सिंह से आग्रह करूंगा कि वे प्रश्नकाल के निलंबन के कारणों पर बोलें। अन्य सदस्य कृपया अपनी सीट पर बैठें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई है तब से इसके द्वारा और इसके सहयोगियों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। तहलका कांड से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परिचित है। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी ने *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, कृपया आप बैठिए। पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल में कोई पाइंट आफ ऑर्डर नहीं होता। यह बहुत गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती जी ने *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए, उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि आपके साथ जो बैठक हुई, उसमें डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने प्रस्ताव किया था कि सदन से बाहर के किसी आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले सदस्य आपको लिखकर देंगे और संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराएंगे और यदि आप संतुष्ट हों, तो मंत्री जी को उन्हें भेज दिया जाएगा। इस बारे में श्री शिवराज वि० पाटिल ने भी कहा था और आपने अपनी सहमति व्यक्त की थी और कहा था कि सदन के बाहर के किसी भी व्यक्ति पर सदन में आरोप नहीं लगाया जाए। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुंवर अखिलेश सिंह जी को अपनी बात कहने के लिए अवसर दिया है। कृपया आप बैठिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, सांसदों के खिलाफ चीफ मिनिस्टर का बयान है कि हरेक एम०पी० को एम०पी० लैड योजना में हिस्सा मिलता है। *(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : स्पीकर साहब, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने सभी मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट पर आरोप लगाया है। *(व्यवधान)*

[**جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر)**: اسپیکر صاحب، اتر پردیش کی چیف منسٹر نے سبھی ممبرس آف پارلیمنٹ پر الزام لگایا ہے...(مداخلت)]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, यह बेबुनियादी बात है। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, आपने अखिलेश कुमार जी को बोलने की अनुमति दी है। वे अपनी बात कह रहे हैं, फिर बीच-बीच में राशिद अल्वी जी क्यों बोल रहे हैं। यदि राशिद अलवी जी को कुछ कहना है, तो उन्हें बाद में समय दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुंवर अखिलेश सिंह को बोलने की अनुमति दी है क्योंकि उन्होंने मुझे प्रश्नकाल के निलम्बन की सूचना दी है। वे सिर्फ इस विषय पर बोलेंगे कि वे प्रश्नकाल का निलम्बन क्यों चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : वे केवल इस बारे में नहीं बोल रहे। वे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कुंवर अखिलेश सिंह से कहूंगा कि वे केवल इस विषय पर बोलें कि प्रश्नकाल का निलम्बन क्यों होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्नकाल का निलम्बन नहीं किया है और न ही किसी अन्य विषय पर बहस की अनुमति ही दी है। पहले उन्हें बोलने दीजिए। अखिलेश जी आप अपनी बात कहिए। पहले मुझे उन्हें सुनने तो दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : सर, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप उन्हें सुन लीजिए। मेरी इतनी गुजारिश है कि उन्हें सुनने के बाद आप मुझे अपनी बात कहने के लिए समय दीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, आप एक शिष्ट सदस्य हैं। कृपया बैठिए।

[हिन्दी]

यहां शोर-शराबा करने की जरूरत नहीं है।

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, यहां स्टेट मैटर नहीं उठा सकते हैं, फिर यह मैटर यहां कैसे उठाया जा सकता है। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने सांसदों से दो-दो लाख रुपए देने को कहा है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने *(व्यवधान)* इसकी जांच होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, कॉल एंड शकधर के अनुसार बिना नोटिस के भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करने की इजाजत दी जा सकती है। यहां भी सांसदों से दो-दो लाख रुपए पार्टी फंड में देने को कहा गया है। यह सांसदों के अपमान का मामला है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आपका नोटिस मेरे सामने है। मैं आपको भी इजाजत दे रहा हूं। जब मैं आपको इजाजत देना चाहता हूं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। कृपया बैठिए। पहले मुझे अखिलेश जी की बात सुनने दीजिए।

उसके बाद जिनके नोटिस मुझे मिले हैं और जिनके नाम मैंने लिए हैं, मैं उनको इजाजत दूंगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती जी ने सांसदों पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत उन्हें 5 से 10 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है और कहीं-कहीं और किसी-किसी को 50 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है। इस प्रकार उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद लोग, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की धनराशि को बड़े पैमाने पर हड़प रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि प्रत्येक सांसद दो-दो लाख रुपए पार्टी फंड में देने का काम करे।

अध्यक्ष महोदय, यह केवल सांसदों के अपमान का मामला नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का मामला है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री इस प्रकार से सांसदों को अपमानित कर के खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं।

सांसद विकास निधि में लूट को आमंत्रित किया जा रहा है। *(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि भारत सरकार सी०बी०आई० से इसकी जांच कराए। *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार के दल-दल में लिप्त है। *(व्यवधान)* ये बातें उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। *(व्यवधान)* बाराबंकी में जब हमारे दल का विधायक जीता तो वहां के जिलाधिकारी और एस०पी० को हटा दिया गया। *(व्यवधान)* गौरीगंज में ये बेईमानी करके जीते हैं। *(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार उग्र रूप धारण कर चुका है। *(व्यवधान)* इसकी सी०बी०आई० से जांच कराई जाए, यह हमारी मांग है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दे रहा हूं उससे ज्यादा नहीं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : सांसदों पर लगा कलंक मिटाया जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, कृपा कर आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अपमानजनक है। इसे सहन नहीं किया जा सकता। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में चर्चा हुई थी कि खाद और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, सरकार उन्हें वापस ले। यह एक महत्वपूर्ण मामला हमारे सामने है। अखिलेश जी ने जो सवाल आपके सामने उठाया, वह अत्यधिक गंभीर है। यह सवाल सांसदों की प्रतिष्ठा और गरिमा से जुड़ा हुआ है। श्री विजय कुमार मल्होत्रा और अलवी जी जैसा फरमा रहे हैं कि यह राज्य का विषय है, यह राज्य का विषय नहीं है। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने ऐसा नहीं कहा।

कुंवर अखिलेश सिंह : उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई और उसमें कहा कि एक लाख रुपए प्रति विधायक और दो लाख रुपए प्रति सांसद पार्टी फंड में दें। *(व्यवधान)*

आप इसे पढ़ो इसमें क्या लिखा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : हमारी पार्टी ने पूरे साक्ष्यों के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात की है। सीडी और वीडीओ टेप दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। हम आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज और लूट हो रही है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई विषय नहीं है, कृपा कर आप बैठ जाइए।

कुंवर अलिखेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है, इस पर सरकार जवाब दे। *(व्यवधान)* यह भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है।

श्री सईदुज्जमा : महोदय, यह सांसदों को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। *(व्यवधान)* यह किसी पार्टी का विषय नहीं है। *(व्यवधान)*

[**جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر):** اسپیکر صاحب، یہ سانسدوں کا اپمان کرنے کا پریاس کیا گیا ہے...(مداخلت) یہ کسی پارٹی کا موضوع نہیں ہے...(مداخلت)]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपका प्रश्न-काल सस्पेंड करने का नोटिस मिला था। प्रश्न-काल सस्पेंशन का नोटिस मेरे पास है। मैंने उसे देखा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आपका नोटिस है, आपको जो कहना था, वह आपने कहा है। मैं जीरो आँवर में इस विषय पर आपको बोलने की इजाजत दूंगा। मैंने केवल उन्हें ही बोलने की अनुमति दी है जिन्होंने मुझे इसकी सूचना दी है।

मैं प्रश्नकाल के निलम्बन की सूचना स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं जीरो आँवर में आपको इजाजत दूंगा, उस समय आप बोल सकते हैं। अब हमें प्रश्नकाल शुरू करना है। चलिए प्रश्नकाल प्रारम्भ करें।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.14 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : आप यह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सभा के बीचो-बीच में मत आइये। आप अपनी जगहों पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्नकाल जारी रखना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा शुरू है। वहां आपके सदस्य यह प्रश्न उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नकाल शुरू करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, मैं आपको चर्चा की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

[हिन्दी]

आपका बिहेवियर बहुत इन-डीसेंट है। आप अपनी जगहों पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश की विधान सभा चल रही है, वहां आप यह प्रश्न उठाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल पूरा किया जायेगा। प्रश्न संख्या 181 — श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.16 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता

*181. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 'शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की और अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने' के संबंध में राष्ट्रीय नीति को लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है;

(ग) नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) उक्त नीति के अन्तर्गत अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालयों के चयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ङ) अनुदान देने के लिये किन-किन विश्वविद्यालयों के नामों पर विचार किया जा रहा है अथवा अंतिम रूप से उनकी पहचान कर ली गयी है।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

महिला अधिकारिता और विकास संबंधी सरकार की नीति में महिला निरक्षरता उन्मूलन तथा प्रारंभिक शिक्षा तक उनकी पहुंच एवं इसमें बने रहने से जुड़ी बाधाओं को दूर करने, विभिन्न स्तरों पर व्यावसायोन्मुख, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा में उनकी भागीदारी पर बल दिया गया है। इसके अलावा, इसमें व्यावसायोन्मुख एवं संव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने के लिए भेद-भाव रहित नीति अपनाने, विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में महिला अध्ययनों को बढ़ावा देने तथा महिला विकास को गति देने एवं गैर परंपरागत व्यवसायों और मौजूदा एवं उभरती प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने हेतु शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है:

इस नीति के अनुसरण में सरकार ने महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारिता के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सर्व शिक्षा अभियान : इस कार्यक्रम का लक्ष्य लड़कियों एवं अन्य वंचित वर्गों पर विशेष बल देते हुए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन योजना से भी प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन और अवधारण में वृद्धि हुई है।

बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय संबंधी प्रस्तावित योजना "कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय" से भी बालिकाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में सहायता मिलेगी।

महिला समाख्या : यह महिलाओं की शिक्षा तथा अधिकारिता की एक परियोजना है। जिसे लगभग 9000 गांवों में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की रणनीति 'संघों में महिलाओं को संगठित करना है तथा शिक्षा के माध्यम से उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी बहुत कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल तथा बालिकाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजनाएं चला रहा है।

सरकार द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप महिलाओं की साक्षरता दर 1991 के 39.3% से बढ़कर 2001 में 54.16% हो गई है। वस्तुत: महिला साक्षरता में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि ने पुरूष साक्षरता में 11.7 प्रतिशत को वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह पुरूष-महिला साक्षरता में अंतर 19941 के 24.84 प्रतिशत से घटकर 2001 में 21.70 प्रतिशत रह गया है। महिलाओं के बीच ग्रामीण शहरी साक्षरता अंतराल में भी ऐसी ही कमी आई है। यह 1991 में 33.43 प्रतिशत था जबकि 2001 में यह 26.41 प्रतिशत मापा गया है।

जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद पहली बार निरक्षरों की कुल संख्या में गिरावट आई है। 1991 में निरक्षरों की संख्या 32.8 करोड़ थी जो 2001 में 29.6 करोड़ रह गई। महिला साक्षरता दर 1997 में 50 प्रतिशत (एन०एस०एस०ओ० सर्वेक्षण के अनुसार) थी जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गई है।

महिलाओं की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं

- महिला अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रों एवं प्रकोष्ठों की स्थापना,
- इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए महिला विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम की योजना.
- महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोसिएटशिप,
- महिला छात्रावास निर्माण की विशेष योजना
- पुस्तकों, पत्रिकाओं और उपस्करों की खरीद के लिए (50 वर्ष पुराने) महिला कालेजों को वित्तीय सहायता,
- विश्वविद्यालयों में स्थापित दिवा देख-रेख केंद्र।

इस समय विश्वविद्यालय/कालेजों में महिला नामांकन 39.84% है। इसके अलावा देश में महिलाओं के लिए अनन्य रूप से 5 महिला विश्वविद्यालय और 1578 महिला कालेज हैं जिसमें से 219 पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए हैं।

इग्नू के कार्यक्रमों और परियोजनाओं में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा पर मुख्य ध्यान दिया जाना जारी रखा गया है।

हाल ही में शुरू की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की महिला वैज्ञानिक योजना का लक्ष्य विज्ञान एवं इंजीनियरी के अग्रणी क्षेत्रों तथा समाज से जुड़ी वैज्ञानिक समस्याओं में महिला वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को कैरियर में, टुकड़ों में या लगातार अनुसंधान करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित स्वरोजगार में प्रशिक्षण हासिल करने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला जैव

वैज्ञानिक एवार्ड नामक एक अन्य योजना है जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1999 में आरंभ किया गया है। पिछले वर्ष इस योजना के तहत महिलाओं को 5 एवार्ड दिए गए।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की बालिकाओं के लिए बोर्डिंग एवं छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना : इस योजना के तहत कक्षा VI से XII में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए बोर्डिंग एवं छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों को वरीयता दी जाती है।

महिलाओं के लिए सामुदायिक पालिटेकनिक : महिलाओं के लिए सामुदायिक पालिटेकनिक योजना का लक्ष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से तथा कौशल उन्मुख अनौपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से समुदाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है।

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत महिलाओं को बुनियादी, उन्नत एवं उन्नतोत्तर कौशलों में संस्थानीकृत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय से संबद्ध 323 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए 25% सीटों का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार उच्च शिक्षा में महिलाओं की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है। इस योजना के घटकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के द्वारा जो सूचना सभापटल पर रखी गई है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। अखिलेश जी, आप अपनी कुर्सी पर जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, यह सदन में व्यवहार करने का उचित तरीका नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुरली मनोहर जोशी जी, जो उत्तर आप देना चाहें, थोड़े में उत्तर दीजिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी : एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 182.

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय मेरा तो क्वैश्चन ही पूरा नहीं हुआ है। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.17 बजे

(इस समय श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, क्या आप अपने स्थान पर वापस जाएंगें?

(व्यवधान)

पूर्वाह्न बजे 11.18 बजे

(इस समय, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर देने के लिए उनको कहें। वे खुद ही सुन रहे हैं। प्रश्न और उत्तर रिकार्ड पर आ गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि० मिनिस्टर, आप एक मिनट रुकिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चर्चा के लिए जीरो ऑवर में मांग करिये। मैं समझता हूं कि यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आपको पहले अपनी सीट पर जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये। मैं आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन आप वहां जाकर बोलिये, यहां से मत बोलिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी मैं बोल रहा हूं।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

(इस समय, कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : यह बहुत गंभीर मामला है।... *(व्यवधान)* सांसदों की प्रतिष्ठा का सवाल है। इससे ज्यादा गंभीर सवाल और कोई दूसरा नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समाजवादी पार्टी के सदस्यों से सहमत हूं कि यह एक गम्भीर मामला है। यह मामला प्रैस में भी गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी बहुत गम्भीर मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं इसलिए आप सुनिए।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, हंगामा करने से कोई बात सच नहीं हो सकती ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे को हल करना चाहता हूं। मैं यहां पर मामले का समाधान करने के लिए हूं। मैंने कुंवर अखिलेश सिंह से पूछा है कि उनकी वास्तविक मांग क्या है। कुंवर अखिलेश सिंह इस मामले की जांच कराना चाहते हैं। अब यह निर्णय सरकार को लेना है कि इस मामले की जांच करायी जाए या नहीं। इसका निर्णय सरकार द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष के रूप में सभा का कार्य संचालन मेरा कर्त्तव्य है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह हम इसे पूरी तरह समझते हैं। श्री रामजीलाल सुमन आपने भी यह मामता उठाया है।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, आपने भी यह मामला उठाया है। मेरे विचार से इस मामले पर बहस की जा सकती है। आपने 'शून्यकाल' में भी यही मामला उठाया था। आप अपनी मांग रख सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस मामले को सुलझाने में आपकी मदद करने के लिए यहां बैठा हूं। कुंवर अखिलेश सिंह, आपको समझना होगा कि मामला उस तरीके से नहीं उठाया जा सकता जैसे आप इसे सभा के समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मामला सुलझाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो कुछ भी उस पर बोलना चाहते हैं 'शून्यकाल' के दौरान बोल सकते हैं। इसी बीच मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले में वक्तव्य देना चाहती है। मुझे आप कुछ समय दें और सभा की अन्य कार्यवाही अवश्य जारी रहनी चाहिए। मेरा आपसे केवल यही निवेदन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी जैसा कि आपने कहा है कि आप बोलना चाहते हैं मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। अगर हमें बोलने नहीं दिया गया तो हम भी यह काम करेंगे।...*(व्यवधान)* हमारे भी एम०पीज० हैं। हम भी वेल में आ सकते हैं अगर हमें बोलने की इजाजत मिली।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की इजाजत जरूर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : हमें भी अपना प्वाइंट ऑफ व्यू रखने की इजाजत होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* यहां हंगामा करने से कोई बात सच साबित नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह मुझे आशा है कि आप सहयोग करेंगे सभा की कार्यवाही जारी रहने दीजिए। कृपया बैठ जाइए। सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह दरख्वास्त है कि ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह ता धमकी हो गयी। यह बहुत गंभीर मामला है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ कहना है, उसके लिए मैं आपको इजाजत दूंगा लेकिन अभी मैं एडजर्नमैंट मोशन पर बोलने के लिए आपको इजाजत नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, ये अपनी बात रख चुके हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उचित समय पर बोल सकते हैं तब तक सदन का बाकी बिजनेस आगे चले।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सभी सांसदों का अपमान है। *(व्यवधान)* ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, अन्य सदस्य भी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : अध्यक्ष महोदय, ये दलितों का शोषण कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह को बोलने की अनुमति दी है इसलिए जो वह बोलेंगे वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा इसके अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं कौल और शकधर की पुस्तक से कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूं। यह विशेषाधिकार प्रश्न से निपटने की प्रक्रिया से संबंधित हैं *(व्यवधान)* मैं उद्धृत करता हूं :

> "जहां मामला तत्काल प्रकृति का हो और सूचना देने का समय न हो, तो तब अध्यक्ष महोदय ने एक सदस्य को विशेषाधिकार का प्रश्न बिना लिखित पूर्व सूचना के उठाने की अनुमति दी है।"

[हिन्दी]

महोदय, नियम कहता है कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति हो और नोटिस देने का समय न रहा हो तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि वे मैम्बर्स की बात को सुनें। यह विशेष परिस्थिति है। अखबार में यू०पी० की चीफ मिनिस्टर का बयान छपा है। वे स्वयं इस सदन की सदस्य रह चुकी हैं। एम०पी० लैड मामले के संबंध में कहा गया है कि जो ईमानदान एम०पी० भी है, वह भी पांच लाख रुपये इसमें से आमद करता है, वह उसमें से एक या दो लाख रुपये हमको दे दे। *(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह वह बोल रहे हैं जिनके शासन काल में भ्रष्टाचार है। *(व्यवधान)* कोई और बोले तो बोले लेकिन ये बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, एम०पी० लैड को हटाया जाये। *(व्यवधान)* एम०पी० लैड को खत्म किया जाये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : एम०पी० लैड को खत्म करो। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री दासमुंशी जी को इजाजत दी है। वह बोलेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने प्रश्न-काल के निलंबन से संबंधित एक सूचना भी दी थी। परंतु यहां उठाया गया मामला उस विषय से भिन्न है। यह विषय जिसे माननीय सदस्य श्री कुंवर अखिलेश सिंह ने उठाया है महज किसी पार्टी या सरकार का मुद्दा नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह प्रयास संसद, आपके समेत सभी संसद सदस्यों की समूची छवि को कलंकित करने का प्रयास है। महोदय, एक संसद सदस्य के रूप में भी आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हैं। इसलिए यह मामला किसी व्यक्ति, सरकार पर आरोप लगाने या लाभ उठाने जितना हलका नहीं है। संस्थान का सम्मान दाव पर लगा हुआ है और इसलिए, मेरे विचार से आपने शून्य-काल के दौरान सरकार को वक्तव्य देने के निर्देश दिए है या यह पता लगाने के लिए कहा है कि क्या जांच की जाएगी या नहीं।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि आप इस मामले में अधिक संज्ञान दें। यह सिर्फ सरकार से जुड़ा हुआ मामला नहीं है परंतु संसद सदस्यों का प्राधिकार, सम्मान, गौरव इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए, उस भावना से आपको मामले का संज्ञान लेना चाहिए।

मैंने प्रश्न-काल के निलंबन की सूचना दी थी कि मंत्री मंडल अपने सामूहिक उत्तरदायित्व में सभा के प्रति जवाबदेह है न कि व्यक्तिगत रूप से। मंत्रि-मंडल द्वारा प्रस्तुत बजट मंत्रिमंडल का सामूहिक निर्णय है। बजट प्रस्तुती के तुरंत बाद माननीय कृषि मंत्री ने डीजल और उर्वरक की मूल्यवृद्धि पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के अध्यक्ष प्रतिदिन नाटक कर रहे हैं और किसानों के भविष्य से खेल रहे हैं। इसलिए, हम निवेदन करते हैं कि सरकार 'शून्य-काल' के दौरान अपने सामूहिक उत्तरदायित्व पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें; या अन्यथा, आज ही सभी निर्णयों को वापस लें। अन्यथा, कांग्रेस पार्टी कम से कम इस मामले पर तो समझौता नहीं करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना मुद्दा 'शून्य-काल' में उठा सकते हैं।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग यह जानते हैं कि

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, श्री पांडियन, कृपया बैठ जाइए।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, 'एमपीलैड्स' समिति के सभापति के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, 'एमपीलैड्स' समिति के सभापति के रूप में मैं आपको 'शून्य-काल' में बोलने की अनुमति दूंगा अभी नहीं। कृपया बैठ जाइए। केवल उन्हीं सदस्यों को, जिन्होंने सूचनाएं दी है, बोलने की अनुमति दी जाएगी।

मैंने प्रश्न-काल निलंबित नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि प्रश्न-काल के कार्य को आरंभ किया जाए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मुझे कृपया एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य कुंवर अखिलेश सिंह को आश्वस्त किया है और मैं इस मामले की तहकीकात व्यक्तिगत रूप से करूंगा क्योंकि जो आरोप सभा के समक्ष लाए गये हैं वे समाचारपत्रों से है। उनको देखने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आप इसे 'शून्य-काल' में उठा सकते हैं। मुझे खेद है। श्री पांडियन, कृपया बैठ जाइए।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, 'एमपीलैड्स' के समिति के सभापति के रूप में मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अब प्रश्न काल लेते हैं श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। तारांकित प्रश्न संख्या 181 के आलोक में मैं पूरक प्रश्न करना चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार उच्च शिक्षा में महिलाओं की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो योजना तैयार कर रही है। *(व्यवधान)* उसको कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना से विशेषकर झारखंड तथा बिहार राज्यों में प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन और अवधारण में कितनी वृद्धि हुई है तथा महिला समाख्या के अन्तर्गत महिलाओं की शिक्षा तथा अधिकारिता की जो परियोजना है। *(व्यवधान)* तथा जो देश के 9000 ग्रामों में चलायी जा रही है, उसमें प्रत्येक राज्य में विशेषकर झारखंड तथा बिहार राज्य के ग्रामों की संख्या कितनी है तथा महिला अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जिन केन्द्रों एवं प्रकोष्ठों की स्थापना की गयी है, वे कहां-कहां पर गई हैं *(व्यवधान)* तथा जिन 17 विश्वविद्यालयों में दिवा देख-रेख केन्द्र स्थापित किए गए हैं, देश में विशेषकर झारखंड तथा बिहार राज्य में अलग-अलग उनकी संख्या क्या है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, एमपीलैड्स समिति के सभापति के रूप में मैं अध्यक्षपीठ की मदद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ की सहायता करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूरा होने के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, 'एमपीलैड्स' समिति के सभापति के रूप में मैं अध्यक्षपीठ की सहायता करना चाहता हूं। मैं केवल एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको बोलने की अनुमति केवल 'शून्य-काल' में ही दूंगा अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है। मुझे खेद है।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, मुझे केवल एक वाक्य बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : एक पंक्ति भी नहीं बोलनी है कृपया बैठ जाइए। आपने कोई सूचना नहीं दी है।

श्री पी०एच० पांडियन : मैं अध्यक्षपीठ की सहायता करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी मदद 'शून्य-काल' के दौरान कर सकते हैं अभी नहीं। कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, हम माननीय अध्यक्ष महोदय के नियंत्रणके अधीन आते हैं। हमारी समिति का कार्यकरण *(व्यवधान)* महोदय, मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न समाप्त होने दीजिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : जोशी जी, आपके ही कर्मों का फल उत्तर प्रदेश भोग रहा है। *(व्यवधान)* दो मिनट शांति से बैठ जाइए। *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में सब बातें स्पष्ट बता दी हैं कि सरकार की नीति महिलाओं को भागीदार बनाने की है और यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, आपने कहा था कि आप मुझे बोलने के लिए कहेंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, मैंने आपसे बार-बार कहा है कि यह प्रश्न पूरा होने दीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। क्या आप पांच मिनट इंतजार नहीं कर सकते? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न-काल समाप्त होने पर बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : हमेशा विभिन्न स्तरों पर व्यवसायी और तकनीकी शिक्षा चलाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। *(व्यवधान)* जो मलिाओं के सेंटर्स 21 स्थानों पर हैं जिसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है और वूमन स्टडी सेंटर 13-14 स्थानों पर है। *(व्यवधान)* उसकी भी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जानकारी दी गई है, उसमें बिहार का कोई स्थान नहीं है। *(व्यवधान)* ऐसे सेंटर्स बिहार और झारखंड के कितने ग्रामों में हैं, इसकी पृथक-पृथक जानकारी माननीय सदस्य महोदय को भेज दी जाएगी, इस समय मेरे पास वह उपलब्ध नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के संदर्भ में जो बातें हो रही हैं, वही रिकार्ड पर जाएंगी। बाकी दूसरी बातें नहीं जाएंगी।

*(व्यवधान)**

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, 2001 के सैन्सेस ऑफ इंडिया में भारत के पुरुषों में साक्षरता दर 75.85 रही जबकि महिलाओं का साक्षरता दर 54.16 रही है, यानी 21.70 का गेप रहा है। *(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को महिलाओं के अधिकार संबंधी राष्ट्रीय नीति पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये हैं तथा उन्हें कहा गया है कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। *(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए महिला उत्थान से संबंधित योजना में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक की है अथवा किए जाने का विचार है? यदि कार्रवाई की गई है, तो तत्संबंधी राज्यवार, खासकर झारखण्ड एवं बिहार का ब्यौरा क्या है? *(व्यवधान)* एक तरफ शिक्षा के स्तर में सुधार की बात हो रही है और दूसरी तरफ हमारे यहां का विद्यालय बंद हो रहा है। *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : जिन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, वह वहां की राज्य सरकारों के द्वारा बंद किया जा रहा है। *(व्यवधान)* उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर है। केन्द्र सरकार न कोई विद्यालय चलाती है और न कोई बंद करती है। (विद्यालय) जहां तक विद्यालयों के चलाने, खोलने और बंद करने का प्रश्न है, यह मूलत राज्य सरकार का ही दायित्व है। *(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : हमारे यहां सैन्ट्रल स्कूल बंद हो रहा है और मंत्री जी का जवाब है कि राज्य सरकार का मामला है जबकि भारत सरकार विद्या के स्तर में सुधार करना चाहती है। *(व्यवधान)* लेकिन इस संबंध में पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, उन पर भारत सरकार के द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, कृपया मेरा नाम पुकारिये *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारने वाला हूं। थोड़ा सा इंतजार करें। यह क्या है? मैं आपका नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, एमपीलैड्स (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति) के सभापति के रूप में *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 'शून्यकाल' में बोलने का मौका दूंगा। कृपया अभी अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके मामले में रूचि लेने को तैयार हूं बशर्ते आप मुझे सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री पी०एच पांडियन : अध्यक्ष महोदय, कल हमने जिस विषय पर चर्चा की थी *(व्यवधान)* एमपीलैड्स (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) संबंधी समिति के सभापति के रूप में मैं केवल एक वाक्य ही कहना चाहूंगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : जिन विद्यालयों के बंद होने की सूचना हमें दी जाएगी तभी उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम विद्यालय बंद नहीं करते। *(व्यवधान)* अगर कोई केन्द्रीय विद्यालय बंद हो रहा है तो उसकी सूचना हमें दीजिए। *(व्यवधान)* बहुत से विद्यालय इसलिए बंद होते हैं कि वे किसी प्रोजेक्ट के द्वारा चलाये जाते हैं और जब प्रोजेक्ट समाप्त हो जाता है तो वे विद्यालय बंद हो जाते हैं। *(व्यवधान)* कौन सा विद्यालय बंद हो रहा है, इसकी निश्चित सूचना हमें दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूरा होने के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने का मौका दें। मैं यह बताना चाहूंगा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के सभापति के रूप में *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती श्यामा सिंह।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : पूरी सभा यह चाहती है कि प्रश्न काल जारी रहे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य यही चाहता है। इसलिए प्रश्न काल पूरा होने दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती श्यामा सिंह।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में आज जो सबसे बड़ी समस्या है वह है जनसंख्याकी समस्या मैं बिहार जैसे राज्य से चुनकर आयी हूं जहां की जनसंख्या *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की एक राय उभर कर आ रही है कि एम०पी० लैड को समाप्त कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके अंदर रिश्वत ली जा रही है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए। श्यामा सिंह जी को प्रश्न पूछने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अशिलेश सिंह : आप सरकार को निर्देशित करें कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

श्री जे०एस० बराड़ : स्वीकार साहब, आप तो पहले से ही कह चुके हैं कि यह मामला शून्यकाल में उठाने की परमीशन देंगे इसलिए उनको बैठने के लिए कहें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : मैं इस बात को केवल कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कराना चाहती थी कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को सुना है। ये आरोप बहुत ही गंभीर हैं। मैं जानता हूं कि आपको राज्य सरकार से सूचना एकत्र करनी पड़ेगी क्योंकि यह मुद्दा मुख्यतया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित है। 'शून्य काल' के दौरान जब सदस्य इस मुद्दे को उठायेंगे तब तक संसदीय कार्य मंत्री इस मुद्दे से संबंधित सूचना एकत्रित करने का प्रयास करें। आपके पास इस विषय से संबंधित जो भी सूचना हो उसे 'शून्य काल' के दौरान दें, अभी नहीं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के विरुद्ध अनेक आरोप हैं। जब तक इनकी जांच नहीं हो जाती, इस योजना को रोक दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम 'शून्यकाल' के दौरान इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये, मैं 'शून्यकाल' में आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : एमपीलैड पर पुनर्विचार होना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसी विषय पर हम बाद में बात करेंगे। अब आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम चर्चा के दौरान इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने लंबे सयम तक सदस्यों को बर्दाश्त किया है, लेकिन अब हद हो चुकी है।

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश में महिलाओं की दशा की ओर देखिये।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल है, जिस पर विस्तार से चर्चा किये जाने की आवश्यकता है। लेकिन, मैं मुख्य बात पर आती हूं। माननीय मंत्री जी ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में हुई प्रगति से संबंधित बहुत सारे आंकड़े पेश किये हैं। वास्तव में, जनसंख्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और वह हमारे देश के अधिकतर संसाधनों को चट किये जा रही है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि क्या यह तथ्य कभी उनके संज्ञान में लाया गया है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में 0 से 4 तथा 4 से 16 वर्ष की उम्र के बालक बालिकाओं की शिक्षा लगभग न के बराबर है, जो कि जनसंख्या वृद्धि के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। इसके अलावा, मैं मंत्री जी से एक

बात और जानना चाहूंगी कि क्या यह संभव नहीं है कि यहां पर शिक्षकों की भर्ती में कम से कम 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जायें, क्योंकि महिलाएं अपने कार्य के प्रति ज्यादा गंभीर होंगी और वह बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : श्रीमान्, जहां तक बिहार का प्रश्न, केन्द्र सरकार की ओर से वहां महिला शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की तरफ बराबर ध्यान देने के लिए बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है। हमारे अधिकारी वहां जाकर उनसे आग्रह करते हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि वहां से प्रकल्प बहुत देर में आते हैं। हमें कई बार प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। वहां के मुख्य मंत्री से, सांसदों से और पूर्व मुख्य मंत्री से, इन सभी से बार-बार अनुरोध करते हैं कि हमारे इन कार्यक्रमों में वे सहयोग करें और जल्दी प्रकल्प बनाकर भेजें। सम्मानित सदस्या स्वयं बिहार से आती हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने राज्य की तरफ से लोगों को प्रोत्साहित करें। जहां तक इनका सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान में महिलाओं और विशेषकर ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम है, उसमें 50 प्रतिशत सीट्स इनके लिए आरक्षित हैं, 33 प्रतिशत का सवाल नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती थी कि 'सर्व शिक्षा अभियान' परियोजना ने वास्तव में गत तीन वर्षों में कहीं भी कार्य करना शुरू नहीं किया है इसकी जांच के लिए वह अपनी स्वयं की कोई शीर्ष(नोडल) एजेंसी स्थापित कर सकते हैं और यह दिखवा सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान योजना वास्तव में कहीं काम कर भी रही है अथवा नहीं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, माननीय सदस्या बिल्कुल असत्य बात कह रही हैं। अनेक राज्यों में सर्व-शिक्षा-अभियान बहुत गहराई तक गया हुआ है। *(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। यहां से धन भेजा गया है। राज्य सरकारें इसके लिए उत्तरदायी हैं। यदि आपके राज्य की सरकार इसे लागू नहीं करती है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। हमने पैसा दिया है, हमने अधिकारी भेजे हैं और हमने नोडल एजेन्सीज रखी हैं। ऐसे राज्य भी हैं जहां सर्व-शिक्षा-अभियान आपको गांव-गांव में मिलेगा। आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। कृपया केवल ऊपरी बात मत कीजिए। इसमें राजनीति मत लाइये। यह देश की शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें सहयोग कीजिए।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटिल : महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

शिक्षा के कुछ क्षेत्र हैं जैसे अपंगों, विकलांगों और गूंगे बहरे बच्चों के लिए शिक्षा। शिक्षा के इस क्षेत्र में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार महिला शिक्षक छोटे बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा अच्छा कार्य करती हैं। क्या भारत सरकार कुछ ऐसे स्कूल और कालेज खोलने का विचार कर रही है जहां महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये तथा बाद में ये महिलाएं अपंगों, विकलांगों और गूंगे-बहरे बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान दें।

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : जहां तक विकलांग बच्चों का प्रश्न है, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, सरकार की योजना है क्योंकि यह प्रश्न सीधे-सीधे महिला शिक्षा से संबंधित है। उनके कहां विद्यालय हैं और कहां क्या हो रहा है, इस सब की जानकारी आपको भेज दी जाएगी।

[अनुवाद]

वायरल रोधी दवाओं और टीकों का विकास

***182. श्री किरीट सोमैया :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने "एंटी रेट्रो वायरल" दवाओं और टीकों के अनुसंधान और विकास में सफलता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में चालू अनुसंधान अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र की भेषज अनुसंधान संस्थान संबंधी किसी एजेन्सी के साथ कोई सहयोग या समझौता हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय औषधियों के संबंध में ऐसी कोई अनुसंधान गतिविधि चलायी गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) बायोटेक्नोलाजी विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत ''नई पीढ़ी के टीकों के विकास'' के संबंध मे अनुसंधान कार्यों को सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें एच०आई०वी०-1 क्लेड ''सी'' के देश में प्रचलित प्रभेद के लिए कैंडिडेट टीके शामिल हैं। मुख्य प्रोत्साहन कार्यनीति के रूप में डी०एन०ए० तथा पुनर्योगज टीके ने छोटे प्रयोगात्मक पशुओं में उत्साह-वर्धक परिणाम दर्शाए हैं और गैर-मानव प्राइमेटों में इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। चालू अनुसंधान परियोजनाओं की विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है और जहां आवश्यक होता है, वहां मध्यावधि में ही उसमें संशोधन भी किए जाते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एन०ए० आर०आई) पूणे अनुसंधान व विकास कार्यों तथा एच०आई०वी० के लिए रेट्रोवायरल रोधी औषधियों के नैदानिक परीक्षणों में कार्यरत है।

इस समय दो प्रमुख भारतीय औषध कंपनियां अर्थात् सिपला, मुंबई तथा रैनबैक्सी, नई दिल्ली कई रेट्रोवायरल-रोधी औषधों अर्थात् स्टेवूडीन, डिडानोसीन, इफैवीरेंज, सैक्वीनावीर, इंडिनावीर, रिटोनावीर, नेल्फीनावीर और जीडोवूडीन की प्रजातिगत किस्म का निर्माण कर रही हैं। सिपला कंपनी प्रजातिगत किस्म को बनाकर ट्रिपल ड्रग काकटेल की लागत को 10,000-15,000 अमरीकी डालर (भारतीय रुपए 5.0 लाख से 7.5 लाख) प्रति वर्ष प्रति रोगी से घटाकर 350 अमरीकी डालर (भारतीय रुपए 17,500) प्रति वर्ष प्रति रोगी तक लाने में सफल रही है। सरकार ने भी इन औषधियों को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया है ताकि ये औषधियां जनता को आसानी से तथा उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके। कुछ औषधियों, नामत: रिटोनावीर, सैक्वीनावीर, जैलसीटाबीन को सीमा शुल्क से भी मुक्त कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन०ए०पी०ओ०) तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत हैं, ने भारतीय एच०आई०वी० प्रभेद के संबंधित एंटीजनों का प्रतिनिधित्व करने वाली 6 जीनों का प्रयोग करके टीके का विकास करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल एड्स वेक्सीन इनिशिएटिव, यू०एस०ए० के साथ त्रिपक्षीय भागीदारी की है। इन जीनों का संशोधित वेक्सीनिया अंकारा में प्रवेश कराया गया है। इस प्रोटोटाइप टीके को निदान-पूर्व विषक्तता अध्ययन के लिए रखा गया है। एमोरी वैक्सीन सेन्टर, यू०एस०ए० के सहयोग से क्लेड ''सी'' के लिए एच०आई०वी०/एड्स टीके के विकास हेतु एक और प्रस्ताव बायोटेक्नोलाजी विभाग के भारत-यू०एस० टीका कार्यक्रम के अंतर्गत सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(च) और (छ) कई राष्ट्रीय संस्थाओं ने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध तथा होम्योपैथी में अनुसंधान किए हैं ताकि एच०आई०वी०-रोधी गुणों के लिए पुराने तथा पारंपरिक यौगिकों की जांच-परख हो सके। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास मैडिकल कालेज, जिसका विस्तारण 1993 में सरकारी थोरोसिक मैडिसियन अस्पताल में किया गया था, में एक सिद्ध रिसर्च यूनिट सृजित की है। एक डबल ब्लाइंड रेंडम प्लेसबो नियन्त्रित अध्ययन में एच०आई०वी०/एड्स के कई सौ रोगियों का उपचार सिद्ध औषधियों से किया गया था, जिनके नाम हैं :– रसगंधी मेझुगू, अमुकरा सुरानाम तथा नेल्लिकई लेहियाम/ नैदानिक रूप से तथा सी०डी०-4 की दृष्टि से भी सुधार नोट किए गए थे। दो पादप निस्सारणों अर्थात् पी०एस०-01 तथा पी०एस०-02 ने इन-विट्रो स्थितियों में एच०आई०वी०-1 रिवर्स ट्रांसक्रीपोटेस पर निरोधी प्रभाव दर्शाएं हैं। इसी प्रकार, प्रथम तिमाही के प्लासेंटा निस्सारण के लिए दो प्रोटीनों ने एच०आई०वी० फील्ड विलगकों के विरूद्ध एच०आई० वी०-रोधी गतिविधि प्रदर्शित की है। राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एन०आई०आर०आर०एच०), मुंबई ने भी अनुसंधान मोड में माइक्रोबीसाइड्स का विकास किया है तथा उनमें से दो के नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं।

श्री किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के दो भाग हैं। एक वैक्सीन के बारे में और दूसरा ''एंटी रेट्रो ड्रग्स'' के बारे में। मैं सबसे पहले हिन्दुस्तान की दो भेषज फर्मों ने जो कमाल किया है उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। उत्तर में भी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक साल का 15 लाख रुपया खर्चा आता है। हिन्दुस्तान की कंपनियों ने कमाल करके उस खर्चे को साढ़े सत्तरह हजार रुपये पर ले आये हैं। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो एंटी वायरल मैडीसिन्स हैं क्या आप उनके बारे में अधिक जानकारी देंगे। उसका क्या स्टेट्स है और उसकी उपयोगिता क्या है? आपने उत्तर में कहा है कि सी०डी०-4 काउंट (बी) उसमें पोजीटिव आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी सालाना कीमत कितनी आती है? इस ड्रग को अफोरडेबल बनाने के लिए शासन क्या किसी भेषज कंपनी या उसकी रिसर्च को मदद करना चाहेगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे सिद्धा की जो दवाइयां हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तमिलनाडु में एक संस्था एडस कंट्रोल सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु बनाई गयी है। वह इस रूप में बहुत सक्रिय है कि भारतीय दवाइयों का इसमें किस प्रकार से प्रयोग किया जाए और भारतीय दवाइयों से कैसे अधिक लाभ उठाया जाए। उनकी तरफ से एक पायलट स्टडी की गयी है जिसमें बहुत सारे मरीजों के ऊपर प्रयोग हुए और जो परिणाम आये, उनसे पता लगा कि यह काम आगे बढ़ाया जा सकता है। जितने भी एच०आई०वी० इंफेक्शन के केसेज थे, जिनमें शंका थी कि इनमें एच०आई०वी० पोजीटिव हो सकता है, उनका परीक्षण किया गया। उसके बाद देखा गया कि दो सलीजा

टैस्ट्स में भी यह पोजीटिव पाए गए थे। दुबारा डायगनोसेज कंफर्म किया गया। वह वैस्टर्न ब्लॉट टैस्ट से भी कंफर्म हुआ। उसके बाद एम०जी०आर० मैडीसिन यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु में भी यह स्टडी आगे ली गयी है। वहां रसगंधी, मुझुगू, अमुकरा, सुरानाम तथा नेल्लिकई लेहियाम दवाइयों का प्रयोग किया गया है। देखा गया है कि इनसे क्लिनिकली भी लाभ होता है और सी०डी०-4 काउंट भी उससे नियंत्रित रहता है। तत्कालीन संक्रमण वाली औषधियों के साथ सिद्ध औषधियों का उपयोग भी किया गया है। यह भी देखा गया है कि उससे मरीज को लाभ पहुंचता है और उसकी स्थिति में सुधार होता है। इसी प्रकार से जो फ्लोरा और फोना है, उसमें एन०सी०सी०एस० नाम की संस्था ने यह एनीशिएट लिया – भारतीय तट के समुद्री जीव विज्ञान तथा पश्चिमी क्षेत्र में औषधीय महत्व के पौधों तथा वृक्षों में एच०आई०वी०-रोधी गतिविधि। इन कुछ समुदी नमूनों में प्रारंभिक तौर पर एच०आई०वी० रोधी गतिविधि की उपस्थिति का पता चला है। चूंकि अब इसमें रिसर्च का काम होता है, इसलिए हमारे बायो-टैक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से काम करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको हम दस करोड़ रुपया वार्षिक अनसुंधान के लिए दे रहे हैं, जिसमें वैक्सनी और ये दवाइयां दोनों शामिल हैं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन के मामले में इंडियन फार्मास्युटिकल एसोसिएशन और अनेक रिसर्च इन्स्टीचूट ने आपसे तथा वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट की है कि रिसर्च के बारे में, खास तौर से एच०आई०वी० वैक्सीन के विकास पर जो राशि वे खर्च करते हैं, उसको वेटेज बेसेस पर इनकम टैक्स में रिलीफ या वैक्सीन रिसर्च के लिए सहायता करें? जैसा आपने बताया है कि हिन्दुस्तान में जो रिसर्च हुई है, वह एन्क्रेजिंग है। स्माल एक्सपैरिमेंटल बेसेज पर जानवरों के ऊपर जिन दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उसका स्टेटस क्या है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने साल में यह वैक्सीन डवेलप हो जाएगा?

डा० मुरली मनोहर जोशी : जहां तक सुविधाओं का सवाल है, जैसे बहुत से चिकित्सीय उपकरण आदि हैं, उनके लिए पहले से ही ड्यूटी में काफी राहत मिलती है। जैसा वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि वे इस संबंध में काफी कुछ सुविधायें देना चाहते हैं। जब इस विषय पर विचार किया जाएगा, उस समय इन बातों पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल सुविधा यह है कि अगर वे सौ रुपए खर्च करते हैं, तो 150 रुपए हम उनको राहत देते हैं। इसके अलावा दस दवाइयां ऐसी हैं, जिन पर एक्साइज ड्यूटी हटाई गई है। तीन दवायें जो बाहर से आती है, उन पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसके अलावा इन-हाउस रिसर्च के बारे में हमारी सरकारी की ओर से सहायता बराबर उनको मिलती रहती है।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, वैक्सीन के बारे में मंत्री जी ने नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी वैक्सीन के बारे में उनको लिख कर भेज दीजिएगा।

[हिन्दी]

आतंकवादी संगठन

+

***184. श्री नवल किशोर राय :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की संख्या और उनके नाम क्या है;

(ख) उक्त आतंकवादी संगठनों में से उन संगठनों के नाम क्या हैं जो सीमा पार से संचालित हो रहे हैं;

(ग) देश में सक्रिय प्रत्येक आतंकवादी संगठन में गैर-भारतीय आतंकवादियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में कितनी सफलता प्राप्त हुई?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों की एक सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है। इन संगठनों में से अधिकांश ने दूसरे देशों में अड्डे/सम्पर्क सूत्र बना रखे हैं। इनमें से कुछेक संगठनों ने काफी संख्या में भाड़े के विदेशी सैनिकों को अपना सदस्य बना रखा है।

(घ) आतंकवाद के खतरे से निपटने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने एक सुसमन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, आसूचना पर आधारित सुसमन्वित कार्रवाई करके आई०एस०आई० की योजनाओं को निष्क्रिय करना और राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सीमा पार अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कूटनीतिक पहलें भी की गई हैं।

केन्द्रीय/राज्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई समन्वित कार्रवाई के फलस्वरूप, देश के विभिन्न भागों में बहुत से पाक समर्थित आतंकवादी गुप्तचर माड्यूलों का पता लगाया गया है/उन्हें निष्क्रिय किया गया है।

अनुबंध

संगठनों की सूची

(1) बब्बर खालसा इंटरनेशनल

(2) खालिस्तान कमांडो फोर्स

(3) खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स

(4) इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन

(5) लश्कर-ए-तैयबा/पासबान-ए-अहले हदीस

(6) जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फुरकान

(7) हरकत-उल-मुजाहिदीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी

(8) हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन/हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाब रेजिमेंट

(9) अल-उमर-मुजाहिद्दीन

(10) जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट

(11) यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)

(12) नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन०डी०एफ०बी०)

(13) पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी०एल०ए०)

(14) यूनाईटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू०एन०एल०एफ०)

(15) पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पी०आर०ई० पी०ए०के०)

(16) कांग्लेईपाक कॉम्यूनिस्ट पार्टी (के०सी०पी०)

(17) कांग्लई याओल कान्बा लुप (के०वाई०के०एल०)

(18) मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम०पी०एल०एफ०)

(19) आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स

(20) नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा

(21) लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल०टी०टी०ई०)

(22) स्टूडेन्टस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया

(23) दीनदार अंजुमन

(24) कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) — पीपल्स वार, इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन

(25) माओवादी कॉम्यूनिस्ट सेंटर (एम०सी०सी०), इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन

(26) अल बदर

(27) जमायत-उल-मुजाहिदीन

(28) अल-कायदा

(29) दुखतरान-ए-मिल्लत (डी०ई०एम०)

(30) तमिलनाडु लिब्रेशन आर्मी (टी०एन०एल०ए०)

(31) तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रुप्स (टी०एन०आर०टी०)

(32) अखिल भारत नेपाली एकता समाज (ए०बी०एन०ई०एस०)

(33) रियोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर०पी०एफ०), मणिपुर

(34) हाइनन्यूट्रेप नेशनल लिब्रेशन काऊंसिल (एच०एन०एल०सी०)

(35) अचिक नेशनल वालंटियर काऊंसिल (ए०एन०वी०सी०), मेघालय

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट बताया है कि अपने देश में 35 आतंकी संगठन हैं। विदेशी मदद और भाड़े के विदेशी सैनिक सहायता की बात भी उन्होंने स्वीकार की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आतंकी संगठनों में साम्प्रदायिक आधार पर, जातीय आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर और नक्सलवाद के आधार पर कौन-कौन से संगठन देश में काम कर रहे हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन आतंकी संगठनों में जहां कहीं साम्प्रदायिक, जातीय, क्षेत्रवाद और नक्सलवाद के आधार पर जो भी संगठन काम करते हैं, क्या उन्हें स्थानीय लोगों की सहानुभूति प्राप्त है? यदि सहानुभूति प्राप्त है, तो किन-किन क्षेत्रों में प्राप्त है? स्थानीय लोगों द्वारा जिन संगठनों को सहानुभूति प्राप्त है, उसको समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या इसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई कारगर योजना है? मेरे प्रश्न का 'ख' भाग है — विदेशों से इन संगठनों को अगर आर्थिक सहायता मिलती है, तो किन-किन संगठनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है?

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, कोई संगठन आतंकी संगठन है या नहीं, इसकी एक प्रक्रिया है। राज्य और केन्द्रीय सरकार के इन्टैलीजैंस ब्युरो इन संगठनों की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं। इन संगठनों के कारण हमारे देश की सम्प्रभुता, हमारे देश की एकता,

हमारे देश की आजादी और हमारे संविधान के जो मूल तत्व हैं, उनको खतरा है। वे विदेशों से सहायता लेकर हिंसा के माध्यम से हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां करते हैं और निर्दोष लोगों को मार डालते हैं। उनकी गतिविधियों के आधार पर ही इन संगठनों को आतंकी संगठन करार दिया जाता है।

राज्य सरकार की जैसे जैसे सिफारिशें आती है, उसके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं।

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे पहले पूरक प्रश्न का जो जवाब दिया है, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं। सम्प्रदायवाद, जातिवाद, नक्सलवाद और क्षेत्रवाद की ओर क्या इन 35 संगठनों में से किसी संगठन का लगाव है और क्या स्थानीय लोगों की उनके साथ सहानुभूति है? यदि हां तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? इसके संबंध में मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है जबकि मैं इनका उत्तर चाहता हूं।

मैं दूसरे पूरक प्रश्न के रूप में कहना चाहता हूं कि मैं बिहार से आता हूं। नेपाल के रास्ते बॉर्डर पर आई०एस०आई० की गति-विधियां हमारे यहां काफी सक्रिय हो गई है। जहां तक मुझे जानकारी है वहां पिछले तीन बरसों से काफी पैमाने पर जाली करेंसी का कारोबार और माओवादियों का खतरा बढ़ गया है। मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले से आता हूं। वहां माओवादी अक्सर पुलिस शिविर को हथियार सहित लूट लेते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने एक शिविर उसे लूट लिया। क्या यह मंत्री जी के संज्ञान में है? क्या उत्तर बिहार में नेपाल के रास्ते आई०एस०आई० और माओवादियों का खतरा बढ़ गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संक्षेप में पूछिए। आपने लम्बा प्रश्न पूछा है। लम्बा प्रश्न मत पूछिए।

श्री नवल किशोर राय : सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कोई कार्य योजना बनायी है और वह इस दिशा में क्या करने जा रही है?

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद के खतरे से निपटने संबंधी आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। जैसा आपने कहा कि 35 संगठनों का बेस कहां है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 35 संगठनों में से 32 संगठन पोटा के अन्तर्गत नोटिफाइड हुए हैं और बाकी तीन संगठन अनलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवैंशन) एक्ट, 1967 के अन्तर्गत आते हैं। सरकार ने आतंकवादी प्रवृत्तियों से निपटने के लिए, राज्यों के साथ समन्वय करके एक सुनियोजित, सुआयोजित और समन्वित योजना बना कर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसके फलस्वरूप देश में सीमा प्रबन्धन हुआ है। जैसा आपने बताया कि आई०एस०आई० की गतिविधियों के कई फैक्टर्स हैं। सरकार ने इस दिशा में जो बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें बॉर्डर मैनेजमैंट और कोस्टल सिक्योरिटी आते हैं। हमने इंटैलिजैंस मशीनरी को सुदृढ़ बनाया है। केन्द्र सरकार का जो सूचना तंत्र है और राज्यों की जो स्पैशल ब्रांचिज हैं, वे इन सभी संगठनों पर अपना ध्यान रखती हैं उन दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। *(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में माओवादियों का खतरा है। नेपाल के माओवादियों द्वारा हमारे यहां थाना लूटा गया। शिवहर जिले के दोसियां में एक घर पर हमला किया गया। मैंने आई०एस०आई० की गतिविधियों के बारे में पूछा है।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा था कि राज्यों को खुफिया एजेंसियों के जरिए जो सूचनाएं हमें मिलती हैं, हम उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। हमने बहुत से संगठनों के खिलाफ कार्रवाई भी की है और उसी के आधार पर कई संगठनों को नोटिफाइड करके बैन किया है। हमने उन संगठनों को इसलिए बैन किया कि उनकी गतिविधियां देश के हित और सम्प्रभुता के खिलाफ हैं। हम सारी कार्रवाई इसी आधार पर कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्रियों और डयरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की दो कॉन्फ्रेंसेज भी बुलायी हैं। इन दोनों कॉन्फ्रेंसेज में राज्य सरकारों को इस बारे में सूचित किया गया। हमारे पास जो भी सूचनाएं आती हैं, हम उन्हें राज्य सरकारों के साथ शेयर करते हैं। राज्य सरकारें उसके आधार पर कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ करके, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करते हैं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वे इस बात से भिज्ञ हैं कि पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। यह पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल और भूटान का भी प्रवेश द्वार है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में आतंकवाद विशेषकर सीमापार आंतकवाद से निपटने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। यहां तक कि हमने देखा है कभी-कभी यह भी कहा गया है कि सरकार 165 बांग्लादेशियों को सीमा पर 'जीरो प्वाइंट' बांगला देश में वापस भेज देगी। लेकिन प्रश्न यह नहीं है। अब वे भारत के नये नागरिक बन गये हैं। लेकिन मैं इस सबके बारे में कुछ नहीं कहती।

मेरे राज्य में गत 25 वर्षों के मार्क्सवादी शासन के दौरान, विश्व के विभिन्न भागों, विशेषकर बांगला देश, पाकिस्तान तथा भूटान से एक करोड़ से भी अधिक लोग वहां आये हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने उनके नाम मतदाता सूची से निकाल दिये हैं। इनकी कुल संख्या 60-70 लाख के लगभग है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 66 लाख फर्जी

राशन कार्ड हैं। अब बहुत से भारतीय नागरिक बनकर रह रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। मैं केवल कुछ आई०एस०आई० एजेंटों के बारे में बता रही हूं।

इनके पास फर्ज़ी राशन कार्ड है। सरकार इनके बारे में क्या कार्रवाई कर रही है? कभी-कभी हमको इस बारे में मात्र इतनी जानकारी दी जाती है कि वह पुलिस बल इत्यादि के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार को कुछ धन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन यह तो कोई बात न हुई। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। उत्तरी बंगाल में विदेशी मुद्रा प्रचलन में है। यह बहुत ही गंभीर बात है। विदेशी मुद्रा प्रचलन में होने के कारण वहां भारतीय अर्थव्यवस्था के समानान्तर एक और अर्थव्यवस्था कार्य कर रही है। उत्तरी बिहार में जो हो रहा है वह भी एक गंभीर मामला है। आप यदि 150-200 बांगलादेशी वापस भेज रहे हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। घुसपैठ विशेषकर सीमापार से हो रही घुसपैठ एक गंभीर मामला है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : यह उचित समय है कि आप सरकार से समर्थन वापस ले लें।

कुमारी ममता बनर्जी : यह हंसी मजाक की बात नहीं, यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा न पहुंचायें।

कुमारी ममता बनर्जी : सरकार से मैं यह जानना चाहती हूं कि वह इस बारे में क्या कार्रवाई करने जा रही है? मैं यह भी कहना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार केवल राज्य सरकार के भरोसे न रहे क्योंकि वह स्वयं राजनीति कर रही है और इस तरह की गति-विधियों में शामिल है तथा इसको बढ़ावा दे रही है। आप लोगों को कब तक बांगला देश वापस भेजेंगे, इसका यह मतलब नहीं कि सभी बांगलादेशी आतंकवादी हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

कुमारी ममता बनर्जी : भारतीय नागरिक तो भारतीय नागरिक हैं और वे संदेह से परे हैं। लेकिन जहां तक घुसपैठियों का संबंध है वे आई०एस०आई० के एजेंट हैं और अलकायदा की गतिविधियों में भी लिप्त हैं। अब तो उन्होंने अपने सूचना केन्द्र भी स्थापित कर लिए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ममता जी आप प्रश्न पूरा कीजिये।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : बंगाल, बिहार, त्रिपुरा अथवा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह की समस्या है। इसलिए, सरकार की इस बारे में कार्य योजना क्या है? मैं सरकार से यह भी जानना चाहती हूं कि क्या वह सामानान्तर अर्थव्यवस्था और आतंकवाद को कुचलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा दूसरी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम इन स्थलों पर भेजेगी?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि० मिनिस्टर, आप उत्तर दीजिये।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय ममता जी की बात से सहमत हूं कि जिस तरह सीमाओं के पार से आतंकवादी गति-विधियों का समर्थन करने वाले लोग आते रहते हैं या वहां गति-विधियां होती हैं, मगर आज प्रश्न आतंकवादियों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। जहां तक इनफिल्ट्रेशन का सवाल है, इस प्रश्न पर इस सदन में चर्चा हुई है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आज पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और कई सीमान्त राज्यों की सीमाओं पर बड़ी मात्रा में इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। जो वहां आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उन्हें रोकने के लिये, जैसा मैंने कहा, राज्य सरकारों का महत्तम दायित्व है। केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को जो सहायता चाहिये या अगर खुफिया एजेंसी को इस बारे में कुछ पता चलता है *(व्यवधान)* हम राज्य सरकारों के साथ खुफिया सूचनाओं का आदान- प्रदान करते हैं और राज्य सरकारों को वहां की कानून व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। मेरा कहना है कि इस हिसाब से हमने राज्य सरकारों को मदद भी दी है। इनमें केन्द्र सरकार के सुरक्षा बलों को माडर्नाइज करना और राज्य सरकारों के पुलिस बल को माडर्नाइज करना शामिल है। हमने पश्चिमी बंगाल सरकार को भी पैसा दिया है। पश्चिमी बंगाल सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा जिन राज्य सरकारों को पैसा दिया जाता है या खुफिया एजेंसी द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, उस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करके, वे राज्य सरकारें उस पर अमल करें। हमने पश्चिमी बंगाल को वर्ष 2000-01 में 60.475 करोड़ रुपया पुलिस फोर्सेज को माडर्नाइज करने के लिये दिया है। वर्ष 2001-02 में 56.50 करोड़ रुपया माडर्नाइजेशन के लिये दिया है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि केन्द्र सरकार की ओर से जो सहायता मिलती है, उस सहायता का उपयोग करके अपने राज्य में कानून और व्यवस्था के साथ-साथ ऐसी गति-विधियां रोकने के लिये प्रयास करे। केन्द्र सरकार की ओर से जो भी सहायता होती है, वह हम करते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री महोदय ने बताया कि पोटा कानून के अंतर्गत 32 संगठनों को टैररिस्ट संगठन का दर्जा दिया गया है और 3 संगठनों को अनलॉफुल एक्टीविटीज करने वाले संगठनों के अंतर्गत रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश हित के खिलाफ जो संगठन काम कर रहे हैं, उन्हें इस दायरे में लाने का प्रयत्न किया गया। क्या मंत्री जी को जानकारी है कि कुछ दिन

पहले कानपुर और हिन्दुस्तान के कई और जगहों में त्रिशूल के नाम से बल्ले बांटे गये, बन्दूक की ट्रेनिंग दी गई जहां उस संस्था ने पोटा के खिलाफ, लिखित रूप से, बजरंग दल का वह काम है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह पूरी तरह से पोटा के उपबन्धों का उल्लंघन है। मैं मंत्री जी का जवाब जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

आप पोटा के उपबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री जी को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि क्या बजरंगदल ने सार्वजनिक स्थल पर अस्त्रों तथा भालों का वितरण कर क्या पोटा के मूल्य सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है या नहीं।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

व्यावसायिक कॉलेजों की फीस में वृद्धि

*183. **श्री एन०एन० कृष्णदास** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार व्यावसायिक कॉलेजों को उच्च शिक्षा हेतु शुल्क निर्धारित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से व्यावसायिक कॉलेजों में शुल्क अत्यधिक बढ़ जायेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिये मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि को रोकने के लिए कोई तंत्र तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी०एम०ए० पाई फाउन्डेशन तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक 31 अक्तूबर, 2002 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रख्यापित किया है कि गैर सहायता-प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंधन को तर्कसंगत फीस संरचना लागू करनी चाहिए। प्रबंधन को केपिटेशन फीस लेने का कोई अधिकारी नहीं होगा। राज्य अथवा विश्वविद्यालय ऐसा समुचित तंत्र विकसित कर सकता है जिससे यह सुनिश्चित हो कि कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जा रही है तथा यह कि संस्थाएं कोई मुनाफाखोरी नहीं कर रही है, हालांकि शिक्षा के संवर्धन के लिये शैक्षिक संस्थाओं को अपने व्यय की तुलना में कुछ औचित्यपूर्ण अधिशेष रखने की अनुमति हो सकती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिमत दिया था कि जिन विद्यार्थियों ने प्रबंधन द्वारा अथवा राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीरर्ण कर ली हो और संबंधित कालेज में प्रवेश हेतु आवेदन किया हो उनमें से ही प्रबन्ध कोटा द्वारा प्रवेश के लिए कुल स्थानों का कतिपय प्रतिशत आरक्षित किया जा सकता है। शेष स्थानों को राज्य अभिकरण से परामर्श करके भरा जा सकता है। इससे समाज के निर्धन और पिछड़े वर्गों का भी हित होगा।

इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए तंत्र विकसित करने हेतु राज्य/संघ राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधितों के साथ परामर्श की प्रक्रिया मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्तर पर चल रही है। निर्णय के निहितार्थों की जांच करने के लिए मंत्रालय ने एक समिति का भी गठन किया है जिसके निर्णयों के परिपेक्ष्य में निर्धन एवं मेधावी छात्रों के हितों का संरक्षण किया जायेगा।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को शिक्षण फीस तथा अन्य फीस संबंधी मानदंड एवं दिशानिर्देश तैयार करने; तकनीकी शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने संबंधी सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार प्रदान करता है, के तहत प्रदत्त अपने सांविधिक दायित्वों को पूरा करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम तैयार कर रही है ताकि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए उचित फीस संरचना तैयार करना सुविधाजनक हो सके।

[हिन्दी]

पिछड़े राज्यों को शिक्षा के लिए अनुदान

***185. श्री मानसिंह पटेल :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों को शिक्षा के लिए शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 से इस संबंध में कोई योजना क्रियान्वित की है ताकि ये राज्य वर्ष 2005 के अंत तक सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) पिछड़े राज्यों को उनके शैक्षिक विकास के लिए शत-प्रतिशत अनुदान देने संबंधी कोई योजना नहीं है तथापि कुछेक ऐसी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनके तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम/उत्तर साक्षरता कार्यक्रम/सतत शिक्षा कार्यक्रम 587 जिलों में कार्यान्वित जा रहा है। सरकार ने देश में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 8 वर्ष की नि:शुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम भी शुरू किया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2000-2001 में 76 करोड़ रुपये, वर्ष 2001-2002 में 1106/- करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया था, और परियोजना पूर्व और वार्षिक योजनाओं हेतु वर्ष 2002-2003 में 5441/- करोड़ रुपये हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें देश के 576 जिलों हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम घटक भी शामिल है।

विशिष्ट मानदंडों के आधार पर समय-समय पर विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों/ब्लाकों की शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों/ब्लाकों के रूप में पहचान की गई है। सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम तैयार और इन्हें कार्यान्वित करते समय इन जिलों/ब्लाकों को प्राथमिकता दी जाती है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों और महिला समाख्या संबंधी स्कीमें शत-प्रतिशत अनुदान स्कीमें हैं। दसवीं योजनावधि में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक स्तर पर 'राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम' को और बालिका आवासीय विद्यालयों से संबंधित कस्तूरबा स्वतंत्रता विद्याल स्कीम को इन जिलों/ब्लाकों में कार्यरूप देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, महिला समाख्या कार्यक्रम को इन पिछड़े जिलों में लागू करने का भी प्रस्ताव है।

उच्च शिक्षा

***186. श्री रामचन्द्र पासवान :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु राज्यों को राज्य-वार कितनी सहायता-अनुदान प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) उच्चतर शिक्षा में सुधार एक सतत प्रक्रिया के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा का व्यापक कायाकल्प इस रीति से करना है ताकि देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चतर शिक्षा सतत मानव विकास की प्रभावी प्रवर्तक बन सके और साथ ही कार्य जगत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हुए अपनी प्रासंगिकता को बेहतर बना सके और इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षण, अनुसंधान तथा व्यवसाय और सामुदायिक विस्तार संबंधी दायित्वों में गुणवत्ता ला सके। उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर सुधार प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक विनियम, निदेश और परिपत्र इत्यादि जारी किए जाते हैं।

उच्चतर अध्ययन संस्थाओं में शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद द्वारा 82 विश्वविद्यालयों और 233 कालेजों/संस्थाओं को प्रत्यायित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 5 विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय" के रूप में अभिनिर्धारित किया है। "उत्कृष्टता केन्द्र" योजना के अंतर्गत 12 विश्वविद्यालयों को अभिनिर्धारित किया गया है। आयोग ने "उत्कृष्टता

की संभावना वाले कालेजों" के रूप में समूचे देश में 100 कालेजों को अभिनिर्धारित करने हेतु दसवीं योजना के दौरान एक स्कीम शुरू करने का भी निर्णय लिया है। प्रमुख विषयों में मॉड्ल पाठ्यचर्या देश के सभी विश्वविद्यालयों को इस सलाह के साथ भेजी है कि वे एक समयबद्ध तरीके से अपनी पाठ्यचर्या को अद्यतन बना लें। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जैसी अग्रणी अनुसंधान संस्थाएं सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में फेलोशिप और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही हैं।

तकनीकी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में की गई पहल इस प्रकार है:– तकनीकी शिक्षा में क्रेडिट आधारित प्रणाली लागू करने संबंधी निर्णय, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का दर्जा देना, अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा शुरू करना, तकनीकी शिक्षा को पूर्णत: समर्पित चैनल शुरू करना, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करना, गैर-सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, उदीयमान क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों का विकास तथा तकनीकी विकास मिशनों के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरणों को उन्हें अन्तरित करना, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र की उत्पादकता को बेहतर बनाने के निमित सामुदायिक पालिटेक्निकों के विस्तार के माध्यम से ग्रामीण जनता को तकनीकी शिक्षा में प्रौद्योगिक-आर्थिक प्रगति तथा समुचित प्रौद्योगिकियों को अन्तरित करना।

राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य अधिनियमों के अधीन की जाती है और उनके रखरखाव संबंधी व्यय का वहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार राज्य विश्वविद्यालयों के कालेजों के रखरखाव को वहन करने का दायित्व ऐसे कालेजों की स्थापना करने तथा उनका संचालन करने वाले अभिकरणों का है।

केन्द्र सरकार ने उन 23 राज्य सरकारों को 1725.85 करोड़ रु० की (जो 1.1.96 से 31.3.2000 तक की अवधि के लिये अतिरिक्त व्यय के 80 प्रतिशत तक की पूर्ति हेतु है) कुल वित्तीय सहायता दी है जिन्होंने विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करने की भारत सरकार की स्कीम को अपनाया है। इस संबंध में राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इसी प्रकार डिग्री स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली में कार्यरत शिक्षकों के लिए 77.78 करोड़ रु० (लगभग) की राशि 15 राज्य सरकारों को दी गई थी। जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

केन्द्र सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को सीधे निधियां नहीं देती है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अपनी योजनागत स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी पात्र केन्द्रीय, राज्य तथा समविश्वविद्यालयों और संबद्ध कालेजों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत योजनागत अनुदान प्रदान करता है।

विवरण-I

विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के संशोधित वेतनमानों की योजना के तहत राज्य सरकारों को जारी किया गया अनुदान

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य	I जारी की गई राशि 1998-99	II जारी की गई राशि 1999-00	III जारी की गई राशि 2000-01	IV जारी की गई राशि 2001-02	V अब तक जारी की गई कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	–	80.00	50.00	2.73	132.73
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	1.83	–	1.83
3.	असम	–	–	42.50	25.00	67.50
4.	बिहार*	–	–	–	–	–
5.	गोवा	–	–	7.50	–	7.50
6.	गुजरात	–	45.00	30.00	–	75.00
7.	हरियाणा	–	–	61.23	–	61.23

1	2	3	4	5	6	7
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	6.00	6.01	12.01
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	25.04	—	25.04
10.	कर्नाटक	—	80.00	54.93	—	134.93
11.	केरल	—	79.15	53.85	—	133.00
12.	मध्य प्रदेश	—	70.00	—	15.77	85.77
13.	महाराष्ट्र	—	159.00	102.94	2.73	264.67
14.	मणिपुर	—	5.00	7.92	—	12.92
15.	मेघालय	—	3.80	2.58	—	6.38
16.	मिजोरम	—	2.98	0.64	—	3.62
17.	नागालैंड*	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	68.19	—	68.19
19.	पंजाब	—	40.00	30.17	—	70.17
20.	राजस्थान	—	50.00	23.42	—	73.42
21.	सिक्किम	—	—	0.52	—	0.52
22.	तमिलनाडु	—	100.00	78.55	—	178.55
23.	त्रिपुरा	—	8.00	3.60	—	11.60
24.	उत्तर प्रदेश	74.88	16.00	61.84	—	152.72
25.	पश्चिम बंगाल	100.00	—	46.55	—	146.55
	कुल योग	174.88	738.93	759.80	52.24	1725.85

*नोट : इन राज्यों से अपेक्षित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-II

डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमानों को संशोधित करने की योजना के तहत राज्यों को दिए गए अनुदान

(राशि रु० में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	संस्वीकृत राशि			
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	4,21,08,250	4,21,08,250

1	2	3	4	5	6
2.	असम	50,00,000	90,00,000	37,96,434	1,77,96,434
3.	गुजरात	2,49,00,000	—	5,06,08,529	7,55,08,529
4.	हरियाणा	—	70,00,000	26,00,391	96,00,391
5.	कर्नाटक	10,00,000	—	11,06,89,160	11,16,89,160
6.	मध्य प्रदेश	2,00,00,000	4,00,00,000	1,66,47,506	7,66,47,506
7.	महाराष्ट्र	3,25,00,000	3,25,00,000	1,41,71,380	7,91,71,380
8.	पंजाब	—	—	2,36,17,027	2,36,17,027
9.	राजस्थान	1,25,00,000	80,00,000	35,21,725	2,40,21,725
10.	तमिलनाडु	2,00,00,000	7,35,00,000	3,17,12,354	12,52,12,354
11.	त्रिपुरा	15,00,000	15,00,000	5,26,106	35,26,106
12.	उत्तर प्रदेश	3,00,00,000	1,15,00,000	38,33,326	453,33,326
13.	पश्चिम बंगाल	65,00,000	1,70,00,000	61,13,946	2,96,13,946
14.	केरल	—	—	9,11,26,480	9,11,26,480
15.	उड़ीसा	—	—	2,27,78,870	2,27,78,870
	कुल	15,39,00,000	20,00,00,000	42,38,51,484	77,77,51,484

शहरी बस्तियों में पर्यावरण सुधार के लिये वित्तीय सहायता

*187. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरण में सुधार के लिए विदेशी सहायता से चलायी जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनायें कब से चलायी जा रही है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जहां वास्तविक कार्य अभी शुरू किया जाना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राप्त विदेशी सहायता का देशभर में एक समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधारने के लिए कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय ऐसी कोई भी परियोजना नहीं है।

(ग) भारत सरकार को सहायता की पेशकश करने वाली विदेशी दाता एजेन्सी से जब भी कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, इसे सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्ताव मंगाते हुए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परिचालित कर दिया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की जांच करता है तथा सम्बद्ध दाता एजेन्सी के साथ मामला उठाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को अपनी सिफारिशें भेजता है। तथापि, अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार, परियोजना प्रस्तावों का चयन करना/अनुमोदन करना अन्तिम रूप से संबंधित दाता एजेन्सी पर निर्भर करता है।

विवरण

विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही मलिन बस्ती सुधार परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	परियोजना की अवधि	परियोजनाओं की अनुमोदित लागत (करोड़ रु० में)
1.	आंध्र प्रदेश में गरीबों के लिए शहरी सेवाएं	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग (डीएमआईडी) यू०के०	3.6.1999 से 31.5.2006 तक	745.39 करोड़
2.	कोचीन शहरी गरीबी कम करने की परियोजना	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग (डीएफआईडी) यू०के०	1.4.1998 से 31.3.2003 तक	70.76 करोड़
3.	कटक शहरी सेवा सुधार परियोजना*	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग (डीएफआईडी) यू०के०	1.4.1998 से 31.3.2002 तक	67.91 करोड़
4.	कोलकाता मलिन बस्ती सुधार परियोजना (चरण-I सी)*	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग (डीएफआईडी) यू०के०	1.4.1998 से 30.9.2002 तक	12.10 करोड़
5.	नागपुर मलिन बस्ती सुधार परियोजना (चरण-II)**	जर्मन सरकार	1.7.1999 से 30.6.2003 तक	**

*राज्य सरकार द्वारा परियोजना को पूरा करने की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

**इस परियोजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

[अनुवाद]

पनधारा (वाटरशैड) विकास परियोजनाएं

***188. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**
श्री गुथा सुकेन्दर रैड्डी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में पनधारा विकास परियोजनाओं का कृषि वित्त निगमों द्वारा मूल्यांकन अध्ययन कराया था;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी और परियोजनाओं को मंजूरी देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस परियोजना के अंतर्गत विदेशी सहायता हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सहित देश में अपने वाटरशेड कार्यक्रमों का शीघ्र मूल्यांकन अध्ययन कराने का कार्य वर्ष 1999-2000 में कृषि वित्त निगम को सौंपा था। ये कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०), समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) हैं। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार थे :—

(i) जहां पर वाटरशेड कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया था वहां पर मुख्य फसलों की उत्पादकता में समग्र वृद्धि हुई है।

(ii) पारिवारिक औसत वार्षिक आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(iii) सिंचाई की कवरेज में समग्र वृद्धि हुई है तथा भूमि के कटाव में कमी आई है।

(iv) कार्यक्रम के अंतर्गत नालों के बांधों को मजबूत बनाने, वानस्पतिक बांड़ लगाकर खड्डों के बहाव को स्थिर करने, रिसने वाले (परलोकेशन) टैंकों तथा नर्सरियां तैयार करने जैसी सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित की गई हैं।

(v) कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में 6.47 लाख श्रम दिवस के लगभग रोजगार के अवसर सृजित किए गए जिससे ग्रामीण गरीबों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता मिली है।

(घ) सूखा प्रवण् क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)/समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्य०डी०पी०)/मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) के तहत परियोजनाएं भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के समग्र बजटीय आवंटन के अन्तर्गत, चल रही (पिछले वर्षों में स्वीकृत की गईं) परियोजनाओं के लिए निधियों की आवश्यकताओं, राज्य में बंजरभूमि के क्षेत्रफल, चल रही परियोजनाओं में हुई प्रगति तथा निधियों के उपयोग, गरीबी के प्रभाव, पिछड़ेपन तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की जाती हैं। 1.4.2000 से 31.1.2003 तक की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 400.00 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 6.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जो पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएंगी। 1.4.2000 से 31.1.2003 तक की अवधि के दौरान राज्य-वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण-I से III में दी गई हैं।

(ङ) और (च) विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार से भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) को तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

(i) डच सहायता से वाटरशेड कार्यक्रम।

(ii) डच सहायता से आंध्र प्रदेश परिवेधन कूप (बोरवैल) भू-जल सिंचाई योजना (ए०पी० वेल प्रोजेक्ट)।

(iii) जर्मनी की सहायता से वाटरशेंड परियोजना हेतु तकनीकी सहयोग संघटक के लिए परियोजना प्रस्ताव।

मंत्रालय ने प्रस्तावों का समर्थन किया है और इन पर दाता एजेंसियों के साथ आगे कार्रवाई हेतु आर्थिक कार्य विभाग से सिफारिश की है।

विवरण-I

1.4.2000 से 31.1.2003 तक की अवधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या

क्रम संख्या	राज्य	2000-01		2001-02		2002-03		योग	
		परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7	0.87	10	0.59	2	0.12	19	1.58
2.	बिहार			1	0.08			1	0.08
3.	अरूणाचल प्रदेश			1	0.08			1	0.08
4.	असम	11	1.07	10	0.58	5	0.31	26	1.96
5.	छत्तीसगढ़	4	0.46	6	0.42			10	0.88
6.	गुजरात	6	0.73	6	0.38			12	1.11
7.	हरियाणा	1	0.09	3	0.22			4	0.31
8.	हिमाचल प्रदेश	8	0.97	7	0.47			15	1.44
9.	जम्मू और कश्मीर			4	0.31			4	0.31
10.	झारखण्ड	2	0.12	1	0.06			3	0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	कर्नाटक			8	0.55	1	0.06	9	0.61
12.	केरल	2	0.19					2	0.19
13.	महाराष्ट्र	7	0.84	4	0.27			11	1.11
14.	मध्य प्रदेश	9	1.01	10	0.61	1	0.08	20	1.70
15.	मणिपुर			1	0.08			1	0.08
16.	मेघालय	5	0.24					5	0.24
17.	मिजोरम	7	0.75	5	0.38			12	1.13
18.	नागालैण्ड	5	0.62	5	0.41			10	1.03
19.	उड़ीसा	6	0.47	9	0.59			15	1.06
20.	पंजाब			3	0.14			3	0.14
21.	राजस्थान	9	0.98	7	0.42			16	1.40
22.	सिक्किम	1	0.11	2	0.12			3	0.23
23.	तमिलनाडु	9	0.81	4	0.23			13	1.04
24	त्रिपुरा			4	0.19			4	0.19
25.	उत्तर प्रदेश	3	0.25	7	0.41			10	0.66
26.	उत्तरांचल	4	0.46	6	0.33	4	0.22	14	1.01
27.	पश्चिम बंगाल			1	0.05			1	0.05
	कुल योग	106	11.03	125	7.98	13	0.80	244	19.81

विवरण-II

1.4.2000 से 31.1.2003 तक की अवधि के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या

क्र० संख्या	राज्य	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या			
		2000-2001	2001-2002	2002-2003	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	314	166	291	771
2.	बिहार	28	46	60	134
3.	छत्तीसगढ़	197	106	116	419
4.	गुजरात	329	110	241	680
5.	हिमाचल प्रदेश	77	40	50	167
6.	जम्मू और कश्मीर	132	44	68	242
7.	झारखंड	200	173	164	537
8.	कर्नाटक	266	245	221	732
9.	मध्य प्रदेश	657	238	265	1160
10.	महाराष्ट्र	578	296	300	1174

1	2	3	4	5	6
11.	उड़ीसा	111	221	160	492
12.	राजस्थान	271	96	113	480
13.	तमिलनाडु	0	61	144	205
14.	उत्तर प्रदेश	93	92	158	343
15.	उत्तरांचल	58	90	97	245
16.	पश्चिम बंगाल	60	28	32	120
	योग	3371	2052	2478	7901

टिप्पणी : सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अंतर्गत एक परियोजना में सामान्यत: 500 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल होता है।

विवरण-III

1.4.2000 से 31.1.2003 तक की अवधि के दौरान मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०पी०पी०) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	2000-2001	2001-2002	2002-2003	योग
1.	आंध्र प्रदेश	60	80	110	250
2.	गुजरात	400	304	277	981
3.	हरियाणा	144	100	121	365
4.	हिमाचल प्रदेश	75	95	73	243
5.	जम्मू और कश्मीर	73	111	77	261
6.	कर्नाटक	226	160	165	551
7.	राजस्थान	681 #	509 $	779 ^	1969
	योग	1659	1359	1602	4620

टिप्पणी : मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) के अंतर्गत एक परियोजना में सामान्यत: 500 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल होता है।

#इनमें वर्ष 2000-2001 के दौरान रेत के टीलों के स्थिरीकरण, शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण, आदि के लिए 293 विशेष परियोजनाएं शामिल हैं।

$इनमें वर्ष 2001-2002 के दौरान रेत के टीलों के स्थिरीकरण, शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण, आदि के लिए 264 विशेष परियोजनाएं शामिल हैं।

^इनमें वर्ष 2002-2003 के दौरान रेत के टीलों के स्थिरीकरण, शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण, आदि के लिए 362 विशेष परियोजनाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

कुपोषण के शिकार बच्चे

***189. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकार महिलाओं और बच्चों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत महिलायें और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (च) जी, हां। कुपोषण की बहु-आयामी समस्या का उपशमन करने और पोषण की इष्टतम स्थिति को हासिल करने के लिए एक व्यापक, समेकित व अंतर-क्षेत्रक कार्यनीति का समर्थन करते हुए सरकार ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषाहार नीति अंगीकार की। परिणामों को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रकों की नीतियों व कार्यक्रमों में पोषाहारीय उद्देश्य व घटक शामिल करने की बाबत् उनको दिशा-निर्देश करने के लिए वर्ष 1995 में एक राष्ट्रीय पोषाहार कार्य योजना तैयार की गयी।

कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं :-

- समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) स्कीम का सतत् कार्यान्वयन, यह स्कीम 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती शिशुवती माताओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम है;
- 0 से 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोष्टिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना का पोषाहार घटक;

– अल्प पोषित किशोरियों तथा गर्भवती व शिशुवती माताओं को निःशुल्क खाद्यन्न उपलबध कराने के लिए 51 जिलों में प्रायोगिक परियोजनाएं;

– प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम;

– राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनतम विकृति नियंत्रण कार्यक्रम;

– विटामिन 'ए' की कमी से होने वाले अंधेपन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग-निरोधन कार्यक्रम;

– राष्ट्रीय पोषाहारीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम;

– राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहारीय समर्थन कार्यक्रम;

– लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाल;

– निर्धनता उपशमन कार्यक्रम; तथा

– खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड के पोषाहार शिक्षा कार्यक्रम।

विभिन्न सर्वेक्षण कराए गए हैं, जिनमें, अन्य के साथ-साथ, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-। (1992-93) एवं 2 (1998-99) शामिल हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार, महिलाओं में ऊर्जा की चिरकालिक कमी तथा (0-3) वर्ष के बच्चों के अल्प वजन द्वारा यथा परिलक्षित, कुपोषण की राज्य-वार व्यापकता संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार कुपोषण से ग्रस्त महिलाओं व बच्चों का राज्य-वार प्रतिशत

क्र० सं०	राज्य	महिलाएं (ए०सी०ई०डी०)	अल्प-वजनी बच्चे (0 से 3 वर्ष की आयु वर्ग के)	
			मध्यम एवं भीषण	भीषण
1	2	3	4	5
	भारत	358	47.0	18.0
1.	दिल्ली	12.0	34.7	10.1
2.	हरियाणा	25.9	34.6	10.1
3.	हिमाचल प्रदेश	29.7	43.6	12.1
4.	जम्मू व कश्मीर	26.4	34.5	8.3
5.	पंजाब	16.9	28.7	8.8
6.	राजस्थान	36.1	50.6	20.8
7.	मध्य प्रदेश	38.2	55.1	24.3
8.	उत्तर प्रदेश	35.8	51.7	21.9
9.	बिहार	39.3	54.4	25.5
10.	उड़ीसा	48.0	54.4	20.7
11.	पश्चिम बंगाल	43.7	48.7	16.3
12.	अरूणाचल प्रदेश	10.7	24.3	7.8
13.	असम	27.1	36.0	13.3
14.	मणिपुर	18.8	27.5	5.3
15.	मेघालय	25.8	37.9	11.3
16.	मिजोरम	22.6	27.7	5.0
17.	नागालैंड	18.4	24.1	7.4
18.	सिक्किम	11.2	20.06	4.2
19.	गोवा	27.1	28.6	4.7
20.	गुजरात	37.0	45.1	16.2
21.	महाराष्ट्र	39.7	49.6	17.6
22.	आन्ध्र प्रदेश	37.4	37.7	10.3
23.	कर्नाटक	38.8	43.9	16.5
24.	केरल	18.7	26.9 •	4.7
25.	तमिलनाडु	29.0	36.7	10.6

* इनमें वे महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो गर्भवती थीं और दो माह पूर्व बच्चे को जन्म दिया गया।

* **ऊर्जा के चिरकालिक कमी (सी०ई०डी०) :** सी०ई०डी० आमतौर पर 18.5 से कम के वजन सूचकांक द्वारा दर्शाया जाता है। वजन सूचकांक को वजन (कि०ग्रा० में) बटा ऊंचाई (वर्ग मीटर में) द्वारा परिभाषित किया गया है।

* **मध्यम एवं भीषण :** ऐसे बच्चों को, जो किसी भी सूचकांक पर संदर्भ माध्यिका के नीचे दो मानक विचलन से अधिक की श्रेणी में हैं, अल्प पोषित माना गया है।

* **भीषण :** ऐसे बच्चों को, जो संदर्भ माध्यिका के नीचे तीन मानक विचलन से अधिक की श्रेणी में हैं, भीषण रूप से कुपोषित माना गया है।

[अनुवाद]

नई पेट्रो-रसायन कंपनियों की स्थापना

*190. **श्री ए० नरेन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में तीन नई पेट्रो-रसायन कंपनियों की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने ऐसी कंपनियों की स्थापना में रूचि दिखाई है; और

(घ) इन संयुक्त उपक्रमों में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के किस सीमा तक सम्मिलित होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना

*191. **श्री ए० वैंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि के उपयोग में अत्यधिक देरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि के उपयोग के संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक इस योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग न करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत प्राथमिक स्कूलों तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री की खरीद हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां प्रदान की जाती थी। योजनागत अवधि के लिए ये निधियां एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए नवसृजित अतिरिक्त शिक्षकों के सभी पदों, 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों में तृतीय शिक्षक के पदों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों हेतु वेतन के भुगतान के लिए भी प्रदान की जाती थी। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्कूल भवन के निर्माण हेतु हिस्सेदारी के आधार पर व्यवस्था कीं जाती थी।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शिक्षकों के वेतन हेतु निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता था। तथापि, अध्ययन-अध्यापन सामग्री के लिए जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति धीमी थी। राज्यों को स्थानीय स्थितियों के अनुसार खरीदी जाने वाली वस्तुओं के विषय में निर्णय लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी और उन्हें इस खरीद प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता था। इस योजना की राज्य तथा केंद्र स्तर पर नियमित मानीटरिंग तथा समीक्षा की जाती थी। इससे अनेक राज्यों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जारी की गई निधियों के उपयोग की स्थिति में सुधार हुआ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत निधियां जारी की जाती थी। 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 2002-03 से सर्व शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया है। अत: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फरवरी, 2002 तक शिक्षकों के शेष वेतन के भुगतान के लिए निधियां जारी की जा रही हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	1.4.2002 को आरंभिक शेष	2000-01 और 2001-02 के दौरान जारी निधियां	कुल राशि (3+4)	उपयोग की गई निधियां	अव्ययित निधियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3526.36	13319.60	16845.96	16845.96	0.00

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	54.46	219.98	274.44	274.44	0.00
3.	असम	2692.99	3829.04	6522.03	3829.04	2692.99
4.	बिहार	5147.33	0.00	5147.33	0.67	5146.66
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.50*
6.	गोवा	0.00	000	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1132.58	0.00	1132.58	1104.10	28.48
8.	हरियाणा	481.60	0.00	481.60	481.60	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	372.15	0.00	372.15	235.42	136.73
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	4566.54	25896.62	30463.16	30369.27	93.89
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	4866.82	15610.50	20477.32	20437.32	40.00
15.	महाराष्ट्र	2305.21	0.00	2305.21	2213.33	91.88
16.	मणिपुर	180.20	0.00	180.20	0.00	180.20
17.	मेघालय	72.00	0.00	72.00	67.20	4.80
18.	मिजोरम	0.00	237.41	237.41	237.41	0.00
19.	नागालैंड	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00
20.	उड़ीसा	5955.66	1060.92	7016.58	7016.58	0.00
21.	पंजाब	468.66	3319.11	3787.77	3787.49	0.28
22.	राजस्थान	1885.42	3701.16	5586.58	5202.37	384.21
23.	सिक्किम	12.15	0.00	12.15	11.59	0.56
24.	तमिलनाडु	1261.14	3168.90	4430.04	4209.04	221.00
25.	त्रिपुरा	26.87	549.75	576.62	576.62	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	15159.25	15159.25	15159.25	0.00
27.	उत्तरांचल	0.00	2566.34	2566.34	2566.34	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	1806.87	4740.74	6547.61	6298.31	249.30
29.	अंदमान और निकोबार	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00

1	2	3	4	5	6	7
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नागर	18.50	0.00	18.50	0.00	18.50
32.	दमन और दीव	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76
33.	दिल्ली	53.99	0.00	53.99	0.00	53.99
34.	लक्षद्वीप	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
35.	पांडिचेरी	0.35	74.39	74.74	74.39	0.35
	कुल	36936.63	93453.71	130390.34	121026.76	10416.08

*मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को 1052.50 लाख रु० स्थानांतरित किया है।

उर्वरक उद्योग की बकाया राज सहायता

*192. **श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक उद्योग को वर्ष 2002 के अंत तक देय राज सहायता के रूप में बकाया कुल धनराशि कम्पनी-वार कितनी है;

(ख) बकाया धनराशि के इकट्ठा होने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त का उर्वरक उद्योग के कार्यनिष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) देयों के भुगतान और स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) दिनांक 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार 19 उर्वरक उत्पादक कम्पनियों/ सहकारी समितियों नामत: ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि०, चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि०, फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकौर लि०, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि०, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि०, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोपरेटिव, इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स लि०, कृषक भारती कोपरेटिव लि०, मंगलौर कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लि०, ओसवाल कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०, राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०, श्रीराम फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि०, सदर्न पैट्रो कैमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि०, टाटा कैमिकल्स लि० और जुआरी इंडस्ट्रीज लि० को लगभग 1432 करोड़ रु० की राशि देय है। इन यूरिया इकाईयों को देय सही धनराशि निकालने के लिये कुछ तकनीकी मानकों तथा वृद्धि/कमी के प्रभाव का भी सत्यापन/ उन्नयन किया जा रहा है। इसी प्रकार, सातवीं तथा आठवीं मूल्य-निर्धारण अवधियों के लिये नीति मानकों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण दिनांक 31.12.2002 को यूरिया इकाईयों से बकाया वसूली की राशि का अनुमान उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा 424 करोड़ रु० होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) से (घ) वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में 6499.00 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है। अनुपूरक मांगों में 1000 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। बकाया अदायगी मुख्यत: 1.7.1997 से 31.3.2003 तक की अवधि को शामिल करते हुये सातवीं तथा आठवीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिये सरकार द्वारा 16.5.2002 को अनुमोदित किये गये नीति मानकों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण हैं। सातवीं तथा आठवीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिये अनुमोदित मानकों के आधार पर इकाई-वार अदायगियों व वसूलियों के अनुमान लगाये गये हैं। यूरिया कम्पनियों के शेष बकाया देयों को बजट में प्रावधान करके समायोजित किया जायेगा।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय

*193. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में देश में वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये जाने वाले व्यय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इस मद के अंतर्गत राज्यवार कितना व्यय किया गया;

(घ) राज्य सरकारों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु कितने प्रस्ताव भेजे गये और तत्संबंधी राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई; और

(च) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को पेटेंट के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय 1996-97 में 8913.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 12901.54 करोड़ रुपये हो गया है तथा इसका प्राक्कलन 2001-2002 में 20679.06 करोड़ रुपये किया गया है।

(ग) नवीनतम उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1994-95 से 1998-99 की अवधि के लिए राज्यों के अनुसंधान एवं विकास व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 14.7 प्रतिशत है। 1998-99 के लिए राज्यवार अनुसंधान एवं विकास व्यय दर्शाते हुए विवरण-I संलग्न है। वर्ष 2000-2001 तथा 20C1-2002 के लिए राज्यों में अनुसंधान एवं विकास का कुल व्यय क्रमश: 1554.72 करोड़ रुपये तथा 1820.49 करोड़ रुपये प्राक्कलित किया गया है।

(घ) और (ङ) विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों का ब्यौरों सहित विवरण (राज्य-वार, योजना-वार) तथा जारी की गई निधियों का विवरण-II संलग्न है।

(च) वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त पेटेंट हेतु आवेदनों की संख्या क्रमश: 8503 और 10592 है।

विवरण-I

राज्य सरकारों द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय

(रुपये लाखों में)

राज्य	विकास एवं अनुसंधान व्यय 1998-99
1	2
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00
आंध्र प्रदेश	8136.91
अरूणाचल प्रदेश	28.48
असम	465.98
बिहार*	4668.98
चण्डीगढ़	0.00
दिल्ली	0.00
दादर एण्ड नागर हवेली	0.00
दमन व दीव	0.00
गोवा	0.00
गुजरत	14733.00
हरियाणा	6329.35
हिमाचल प्रदेश	3858.81
जम्मू और कश्मीर	1994.52
कर्नाटक	6333.80
केरल	6515.96
लक्षद्वीप	0.00
मध्य प्रदेश'	5134.39
महाराष्ट्र	12916.94
मणिपुर	0.00
मेघालय	18.05
मिजोरम	0.00
नागालैण्ड	0.00
उड़ीसा	2824.64
पांडिचेरी	0.00
पंजाब	6319.27
राजस्थान	2006.35
सिक्किम	0.00
तमिलनाडु	8072.29
त्रिपुरा	10.53
उत्तर प्रदेश*	9772.98
पश्चिम बंगाल	2512.44
कुल	102653.67

स्रोत : आंकड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकत्रित एवं समेकित किए गए हैं।

नोट : *बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में क्रमश: झारखण्ड छत्तसीगढ़ तथा उत्तरांचल शामिल है।

विवरण-II

वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव तथा राज्य-वार और योजना-वार जारी की गई निधियां

योजनाएं	भूकंपनीयता कार्यक्रम		जैव प्रौद्योगिकी पार्क/इंक्यूबेटर		राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद	
राज्य	प्रस्तावों की संख्या	जारी की गई निधि (रु० में) (2002-03)	प्रस्तावों की संख्या	जारी की गई निधि (रु० में) (2002-03)	प्रस्तावों की संख्या	जारी की गई निधि (रु० में) (2002-03)
तमिलनाडु	1	5,00,000	1	@	0	लागू नहीं
केरल	1	@	1	@	0	लागू नहीं
आंध्र प्रदेश	0	लागू नहीं	1	@	0	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	0	लागू नहीं	1	@	0	लागू नहीं
कर्नाटक	0	लागू नहीं	1	@	3	*00.00
महाराष्ट्र	0	लागू नहीं	1	@	0	लागू नहीं
हिमाचल प्रदेश	0	लागू नहीं	1	@	0	लागू नहीं

@ — प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर

* — सहायता के लिए प्रस्ताव योजना के अंतर्गत उपर्युक्त नहीं पाए गए।

[अनुवाद]

जैव-ईंधन परियोजनाओं के लिए 'हडको' द्वारा सहायता

*194. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर में जैव ईंधन के बारे में अनसुंधान चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'हडको' जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिये 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस' द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं को सिद्धांत रूप में सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस' ने इस संबंध में सहायता के लिये 'हडको' के पास कोई परियोजना भेजी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) 'हडको' द्वारा इस पर क्या कार्यवाई की गई है और इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी सहायता उपलब्ध करायी गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) जैव-ईंधन के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस बंगलूर द्वारा अनुसंधान हेतु आवास एंव नगर विकास निगम लि० (हडको) द्वारा सहायता का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अन्तर्गत आवासीय इकाइयों का निर्माण

*195. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिये वर्ष 1998 में राष्ट्रीय ग्रामीण आवास में पर्यावास नीति की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक राज्यवार कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या इस नीति की कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) से (ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 13 लाख अतिरिक्त आवास मुहैया कराने के लिए 1998 में राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति की घोषणा की गयी थी।

मंत्रालय के 1998 से लेकर अब तक के ग्रामीण आवास संबंधी प्रमुख कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना एवं अन्य ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत बनाए गए आवासों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है। वर्ष 1998-99 से 2001-2002 की अवधि के दौरान आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से वित्तपोषण प्राप्त करके भी क्रमश: 10.73 लाख और 6.13 लाख आवास बनाए गए थे।

ग्रामीण आवास की कमी से संबंधित 2001 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर नीति की समीक्षा का कार्य शुरू किया जा सकता है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से लेकर फरवरी, 2003 तक मंत्रालय की इन्दिरा आवास योजना तथा अन्य ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत बनाए गए आवासों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बनाए गए आवास
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	425931
2.	अरूणाचल प्रदेश	14824
3.	असम	186192
4.	बिहार	730349
5.	छत्तीसगढ़*	44887
6.	गोवा	1643
7.	गुजरात	116451
8.	हरियाणा	49410
9.	हिमाचल प्रदेश	16742
10.	जम्मू और कश्मीर	25783
11.	झारखंड*	123815
12.	कर्नाटक	190256
13.	केरल	92678
14.	मध्य प्रदेश	336109
15.	महाराष्ट्र	324456
16.	मणिपुर	4332
17.	मेघालय	11157
18.	मिजोरम	6497
19.	नागालैंड	26085
20.	उड़ीसा	741445
21.	पंजाब	22933
22.	राजस्थान	163661
23.	सिक्किम	5505
24.	तमिलनाडु	257416
25.	त्रिपुरा	38038
26.	उत्तर प्रदेश	747596
27.	उत्तरांचल*	31494
28.	पश्चिम बंगाल	319558
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1111
30.	दादर व नगर हवेली	260
31.	दमन व दीव	70
32.	लक्षद्वीप	116
33.	पाण्डिचेरी	1654
	कुल	5058454

*नवसृजित राज्य

कोयले पर रायल्टी

***196. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :**
श्री जय प्रकाश :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कोयले पर रायल्टी को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच चल रहे विवाद के संबंध में आम सहमति बनाने की दिशा में उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस मुद्दे का कब तक समाधान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार राज्यों के समक्ष वित्तीय कठिनाइयों के मद्देनजर कोयला और लिग्नाइट पर लंबित रायल्टी के तत्काल भुगतान हेतु कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) कोयला उत्पादक राज्य कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने के लिए अनुरोध करते रहे हैं क्योंकि इसमें पिछली वृद्धि 1994 में की गई थी। परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने कोयले पर रायल्टी की दरों में 16.8.2002 से वृद्धि की है। नियम के अनुसार रायल्टी दरों में अगली वृद्धि केवल तीन वर्ष अर्थात 15.8.2005 के बाद ही की जा सकती है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लिमिटेड (सी०आई०एल०) की सहायक कोयला कंपनियों द्वारा तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० (एन०एल०सी०) द्वारा रायल्टी का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। तथापि, सी०आई०एल० की अनुषंगियों भारत कोकिंग कोल लि० (बी०सी०सी०एल०) तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (डब्ल्यू०सी०एल०) के मामले में 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत राशि बकाया थी जिसे यथा -- समय अदा किया जाएगा।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इंटरनेट सुविधा

***197. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर के लगभग 5,000 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निःशुल्क और असीमित (फ्री एण्ड अनलिमिटेड) इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ग) इससे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इंटरनेट और कम्प्यूटर आधारित अकादमिक अवसंरचना में वृद्धि संबंधी आवश्यकता अकादमिक अवसंरचना में वृद्धि संबंधी आवश्यकता किस सीमा तक पूरी की जा सकेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दसवीं योजनावधि के दौरान इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए उन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को सहायता देने का प्रस्ताव है जो विश्वविद्याल अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

आशा है इंटरनेट सुविधा से शिक्षकों को व्याख्यानों के लिए सहायता मिलेगी, जरनल तथा डेटाबेस उपलब्ध हो पाएंगे, अनुसंधान के लिए सहायता मिलेगी और समूचे देश तथा विश्व में संस्थाओं तथा व्यक्तियों में परस्पर सम्पर्क स्थापित हो सकेगा।

ग्रामीण विकास के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय/ विदेशी सहायता

***198. श्री पी०एस० गढ़वी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्र, विश्व बैंक/किसी अन्य विदेशी एजेंसी से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक मंजूर किये गये प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध कराई गयी;

(ङ) प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई और प्रत्येक राज्य द्वारा योजना-वार और राज्य-वार वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(च) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई विदेशी सहायता की पुनर्अदायगी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय को, विश्व बैंक एवं अन्य बाहरी एजेन्सियों से सहायता चाहने वाले राज्यों से 49 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं में से, 29 प्रस्ताव ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, 9 वाटरशेड कार्यक्रमों के अन्तर्गत तथा शेष 11 प्रस्ताव विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यकलाप शुरू करने के लिए प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान, बाहरी एजेन्सियों ने ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए 67.37 करोड़ रु० की सहायता प्रदान की, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(रुपये करोड़ में)

परियोजना/राज्य	अनुदान की राशि/परियोजना की लागत	संचित निकासी/ रिलीज की गयी राशि
जिला गरीबी पहल परियोजना, आंध्र प्रदेश	72.480	11.156
आंध्र प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना	320	42.46
जिला गरीबी पहल परियोजना, मध्य प्रदेश	84.200	4.678
पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना	230	4.87
जिला गरीबी पहल परियोजना, राजस्थान	75.000	4.206

पूर्व में प्रस्तावित 45,137 आवासों की तुलना में 60,456 आवासों का पुन: निर्माण करने के लिए हाल में ही गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को वर्षवार रिलीज की गयी अतिरिक्त केन्द्रीय निधि संलग्न विवरण-II से IV में दर्शाई गई है।

बाहरी एजेन्सियों से शीघ्र प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के प्रतिपूर्ति दावों पर कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की सं०	आर्थिक कार्य विभाग को अग्रसारित/ स्वीकृत/वित्तपोषित परियोजना की सं०
1	2	3	4
ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम			
1.	आंध्र प्रदेश	4	1
2.	गुजरात	6	5
3.	हिमाचल प्रदेश	1	1
4.	कर्नाटक	2	1
5.	केरल	1	—
6.	लक्षद्वीप	1	—
7.	मध्य प्रदेश	1	—
8.	महाराष्ट्र	4	3
9.	नागालैण्ड	1	—
10.	पंजाब	1	—
11.	तमिलनाडु	2	—
12.	त्रिपुरा	1	—
13.	उत्तर प्रदेश	1	—
14.	उत्तरांचल	1	—
15.	पश्चिम बंगाल	2	—
	कुल	29	11
गरीबी उन्मूलन एवं अन्य ग्रामीण विकास कार्यकलाप			
1.	आंध्र प्रदेश	1	1
2.	छत्तीसगढ़	1	—
3.	मध्य प्रदेश	1	1
4.	राजस्थान	1	1
5.	कर्नाटक	1	—

1	2	3	4
6.	तमिलनाडु	1	–
7.	उत्तर प्रदेश	1	–
8.	पश्चिम बंगाल	2	–
9.	उत्तरांचल	1	–
10.	हिमाचल प्रदेश	1	–
	कुल	11	3

वाटरशेड कार्यक्रम

1.	आंध्र प्रदेश	4	4
2.	हरियाणा	1	1
3.	केरल	1	1
4.	मध्य प्रदेश	2	2
5.	उड़ीसा	1	1
	कुल	9	9
	कुल योग	49	23

विवरण-II

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-I

अतिरिक्त निधियां
(लाख रुपए में)

राज्य	2000-01	2001-02
1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	406.15	
छत्तीसगढ़		966.67
गुजरात	1300.00	
हरियाणा	548.63	700.00
जम्मू व कश्मीर	1491.21	300.00
कर्नाटक	603.30	
मध्य प्रदेश		1347.56
मिजोरम		100.00
उड़ीसा	3333.53	966.68
पंजाब		1333.66
सिक्किम	200.00	
तमिलनाडु	1500.00	
उत्तर प्रदेश		367.63
कुल	9382.82	6082.2

1999-2000 के दौरान आबंटन से अलग कोई अतिरिक्त निधि नहीं दी गयी थी।

विवरण-III

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-II

अतिरिक्त निधियां
(लाख रुपए में)

राज्य	1999-2000	2001-02
1	2	3
आंध्र प्रदेश		138.91
अरूणाचल प्रदेश	29.20	42.40
बिहार	6691.30	418.16
छत्तीसगढ़		114.62
गोवा	43.72	
गुजरात	316.07	
हरियाणा	494.50	596.52
हिमाचल प्रदेश	186.33	
जम्मू व कश्मीर	232.77	266.56
झारखण्ड		578.37
कर्नाटक	831.72	
केरल	233.80	
मध्य प्रदेश	1346.80	

1	2	3
महाराष्ट्र	2902.89	308.09
मिजोरम		70.36
नागालैण्ड		123.69
उड़ीसा	3767.70	
पंजाब	135.76	
राजस्थान	1543.91	
सिक्किम		77.90
तमिलनाडु	60.45	1195.10
त्रिपुरा		448.17
उत्तर प्रदेश	5656.62	1257.26
उत्तरांचल		84.39
पश्चिम बंगाल	3132.64	
कुल	27606.18	5720.50

2000-01 के दौरान आबंटन से अलग कोई अतिरिक्त निधि नहीं दी गयी थी।

विवरण-IV

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगर योजना

राज्य	अतिरिक्त निधि (लाख रुपए में)	
	1999-2000	2000-2001
हरियाणा	406.82	
उड़ीसा	108.77	
तमिलनाडु	1500.02	
त्रिपुरा	58.04	103.88
कुल	2073.65	103.88

2001-02 के दौरान आबंटन से अलग कोई अतिरिक्त निधि नहीं दी गयी थी।

आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमले

***199. श्री प्रबोध पण्डा : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आत्मघाती आतंकवादी समूहों द्वारा बार-बार किये जा रहे हमलों से निपटने के लिये कोई नई रणनीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस बात का उल्लेख किया है कि सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद हमले किये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन राज्यों को वित्तीय और अन्य सहायता उपलब्ध कराई गयी है जहां ऐसे आतंकवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर हमले अब भी किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने, देश में विभिन्न आत्मघाती हमलों में इस्लामिक उग्रवादी ग्रुपों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों और कार्यप्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है और राज्यों को भविष्य में सम्भावित आत्मघाती हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंधों की पुनरीक्षा करने और हमले की स्थिति में क्षति को कम से कम करने की सलाह दी है। राज्यों को अति संवेदनशील लक्ष्यों की सुरक्षा में लगे अपने पुलिस और आसूचना अधिकारियों के लिए यथोचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी गई है।

(ग) से (ङ) राज्यों को उग्रवाद से लड़ने के लिए कारगर कदम उठाने में मदद देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने आतंकवाद-प्रतिरोध के क्षेत्र में केन्द्रीय एजेन्सियों तथा राज्य पुलिस बलों के आसूचना प्रयासों को सहक्रियाशील बनाने और उनका समन्वय करने के लिए नए तंत्र स्थापित किए हैं।

राज्य सरकारों को आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य में बढ़ते खतरों के प्रति नियमित रूप से सुग्राही बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जब कभी राज्य सरकारों को आवश्यकता होती है तो केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल भी तैनात किए जाते हैं।

न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन

***200. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने विद्यालयों में एवं उच्च शिक्षा स्तर पर मानवाधिकार एवं कर्त्तव्यों को अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है और इस संबंध में कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अनुवर्ती कार्रवाई हेतु केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को रिपार्ट परिचालित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने यह अनुशंसा की है कि विद्यालयों तथा शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में मौलिक कर्त्तव्यों की शिक्षा देने संबंधी पाठ्यचर्याओं के संदर्भ में दिशा तथा दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। इस समिति ने उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में मौलिक कर्त्तव्यों को शामिल करने की भी अनुशंसा की है। सरकार ने समिति की इस रिपोर्ट की जांच की है और इस संबंध में की गई कार्रवाई इस प्रकार है :

- संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 51 क को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रकाशनों में मुद्रित किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित नई पाठ्यचर्या संरचना में अभी स्तरों पर विद्यार्थियों को मानवाधिकारों तथा कर्त्तव्यों की शिक्षा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मानवाधिकार शिक्षा स्कीम का नाम बदलकर ''मानवाधिकार और कर्त्तव्य शिक्षा'' रख दिया जाए।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यचर्या विकास समिति का गठन किया गया है जिसका कार्य मानवाधिकारों और कर्त्तव्यों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों में आदर्श पाठ्यचर्या तैयार करना है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानवाधिकार तथा कर्त्तव्य शिक्षा से संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए 29 विश्वविद्यालयों और 3 कॉलेजों को अभिनिर्धारित किया है।

- मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय मूल्यों के मोड्यूल शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को उपलब्ध कराए गए हैं।

- अनुवर्ती कार्रवाई हेतु इस रिपोर्ट को केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा सभी राज्य सरकारों के पास भेजा गया है। अधिकतर मंत्रालयों ने इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है और इनका कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है।

केन्द्रीय भंडार के साथ पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण रद्द करना

1894. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार ने अपने आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकारण इस आधार पर रद्द कर दिया है कि उन आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण सुपर बाजार द्वारा भी रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सुपर बाजार द्वारा जिन आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण रद्द किया गया था उन सभी आपूर्तिकर्ताओं का केन्द्रीय भंडार द्वारा पंजीकरण रद्द न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उनका पंजीकरण भी रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या प्रबंधन ने इस मामले में भेदभाव किया है और कुछ मामलों में आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण उन्हें बिना कोई उचित अवसर दिए रद्द कर दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और प्राधिकारियों द्वारा की गई गलतियों को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) केन्द्रीय भंडार, किसी आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण, इस कारण से ही समाप्त नहीं कर देता कि सुपर बाजार ने उसका पंजीकरण समाप्त कर दिया है। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के मामले की गुणावगुणों के आधार पर जांच-पड़ताल की जाती है। केन्द्रीय भंडार, किसी आपूर्तिकर्ता से व्यापार करना/लेन-देन करना तभी बंद करता है, जब सुपर बाजार द्वारा किसी आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण समाप्त कर दिए जाने के कारण, उससे (केन्द्रीय भंडार से) भी सरोकार रखता हो।

[हिन्दी]

नैस्कोम द्वारा किया गया सर्वेक्षण

1895. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एशोसिएशन ऑफ साफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज (नैस्कोम) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2008 तक 22 लाख साफ्टवेयर विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी और बेरोजगार व्यक्तियों को साफ्टवेयर क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे;

(ख) यदि हां, तो संबंधित ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करने की मांग को पूरा करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम और स्थान क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) नैसकॉम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 87 बिलियन अमरीकी डॉलर, जिसमें 50 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात भी शामिल है, के कुल सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2008 तक 22 लाख सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों की आवश्यकता होगी। सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सेवाओं के लिए 1.1 मिलियन व्यावसायिकों की आवश्यकता होगी (सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात के लिए 0.46 मिलियन, घरेलू बाजार के लिए 0.52 मिलियन तथा उत्पादों और प्रौद्योगिकीय सेवाओं के लिए 0.14 मिलियन)। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के लिए शेष 1.1 मिलियन व्यावसायिकों की आवश्यकता होगी।

(ग) विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को उनके कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी प्रस्तावित संशोधित योजना में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रम भी शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों हेतु इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा डिग्री दोनों स्तरों पर दाखिले में वृद्धि की गई है।

(घ) संस्थाओं का चयन योजना के मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

फ्लाई ऐश ईंट/ब्लाक/टाइलों का उपयोग

1896. **श्री वरकला राधाकृष्णन :**
श्री एन०एन० कृष्णदास :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार का विचार मौजूदा नियमों को बदलने का है ताकि फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटों या ब्लाकों या टाइलों का उपयोग भवन निर्माण में शामिल सभी एजेंसियों के लिए आवश्यक बना दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यों में फ्लाई ऐश के उपयोग के बारे में वर्तमान नियम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों में निर्माण, सड़क बनाने और भूमि सुधार सहित बुनियादी विकास की गतिविधियों के लिए पुनरीक्षित नियमों को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में वर्ष 1999 की अधिसूचना में क्या संशोधन किए गए?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14 सितंबर, 1999 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों (थर्मल पावर प्लांट) से पचास किलोमीटर के व्यास के भीतर ईंटों के विनिर्माण और अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों में फ्लाई-एश, बॉटम-एश या पोंड एश का उपयोग करने की बात कही गयी। दिनांक 14.09.1999 की संबंधित सूचना की एक प्रति संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ऊपर उद्धृत दिनांक 14.9.1999 की अपनी अधिसूचना को संशोधित करने के लिए अब दिनांक 5 नवंबर, 2002 को एक ड्राफ्ट अधिसूचना प्रकाशित की है। इस अधिसूचना में ''पचास किलोमीटर'' शब्दों के स्थान पर ''एक सौ किलोमीटर'' शब्द रखने का प्रस्ताव है।

जनता के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित आमंत्रित करते हुए ड्राफ्ट अधिसूचना प्रकाशित की गयी है। इस अधिसूचना की एक प्रति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

[सं० 563] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 1999/भाद्र 23, 1921

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1999

का०आ० 763(अ) — पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा यथाअपेक्षित एक प्रारूप अधिसूचना जिसमें कतिपय निदेश अंतर्विष्ट हैं, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 453(अ), तारीख 22 मई, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन व्यक्तियों से। जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्रित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उसी तारीख को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझायों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

और पर्यावरण का संरक्षण, उपरिमृदा संरक्षण और भूमि पर कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से निस्सारित फ्लाई एश का संन्निक्षेपण और व्ययन करने का निवारण करना आवश्यक है;

और ईंटों के विनिर्माण के लिए उपरिमृदा के उत्खनन को निर्बंधित करने की तथा कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से पचास किलोमीटर के विनिर्दिष्ट व्यास के भीतर भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण में और सन्निर्माण क्रिया कलापों में फ्लाई एश के उपयोग को सम्प्रवर्तित करने की आवश्यकता है;

और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंटर फार पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन दिल्ली बनाम युनियन आफ इंडिया की सिविल रिट याचिका संख्यांक 2145/99 में अपने 25 अगस्त, 1999 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को फ्लाई एश की बाबत अन्तिम अधिसूचना 26 अक्तूबर, 1999 को या उससे पूर्व प्रकाशित करने का निदेश दिया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (V) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरिकथित आदेशों के अनुसरण में निम्नलिखित निर्देश जारी करती है जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

1. **ईंटों के विनिर्माण और अन्य सन्निर्माण क्रिया कलापों के फ्लाई एश, बोटम एश या पौंड एश का उपयोग :—**

(1) कोई व्यक्ति, कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से पचास किलोमीटर के व्यास के भीतर सन्निर्माण क्रिया कलापों में उपयोग के लिए मृदा में भार दर भार के आधार पर (फ्लाई एश, बोटम एश या पोंड एश) के कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत मिश्रण के बिना मिट्टी, ईंटों या टाइलों या ब्लोकों का विनिर्माण नहीं करेगा।

(2) ऊपर पैरा (1) के अनुसार एश की विनिर्दिष्ट मात्रा के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, यथास्थिति सम्बद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का क्षेत्रीय अधिकारी प्राधिकारी होगा। इसका अनुपालन न किए जाने की दशा में उक्त प्राधिकारी ईंट भट्टा की स्थापना के लिए जारी अनुमति आदेश को रद्द करने के अतिरिक्त उक्त खनन पट्टा रद्द किए जाने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध करेगा। उक्त खनन पट्टा रद्द करने का विनिश्चय सम्यक् सुनवाई के पश्चात् किया जाएगा। उक्त प्राधिकारी को वास्तविक एश के उपयोग का सत्यापन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए तापीय विद्युत संयंत्र प्रत्येक ईंट भट्टे को उपलब्ध कराई गई एश का मासिक अभिलेख बनाए रखेगा।

(3) उक्त विद्युत संयंत्र द्वारा यथा प्रमाणित पर्याप्त मात्रा में तापीय विद्युत संयंत्र से एश की अनुपलब्धता की दशा में सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ऊपर पैरा (1) के अधीन अनुबंध को समुचित रूप से उपान्तरित (त्यजन/शिथिल) करेगा।

(4) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र एक विवाद निपटारा समिति का गठन करेगा जिसमें तापीय विद्युत संयत्र का महाप्रबंधक और अखिल भारतीय ईंट और टाईल विनिर्माण संघ का प्रतिनिधि होगा। ऐसी समिति बिना कोई समय गंवाए एश की अबाध लदाई और परिवहन सुनिश्चित करेगी। किसी अनसुलझे विवाद की बाबत कार्रवाई

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि और अखिल भारतीय ईंट तथा टाइल विनिर्माण संघ के प्रतिनिधि होंगे।

2. तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा एश का उपयोग :

सभी कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र नीचे दिए गए विद्युत संयंत्रों में उत्पादित एश का उपयोग करेंगे, अर्थात् :—

(1) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम-से-कम दस वर्ष के लिए एश आधारित भवन सामग्री जैसे सीमेंट, कंक्रीट, ब्लाक, ईंटों, पैनल या किसी अन्य सामग्री के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए या सड़कों, तटबंधों, बांधों, नहरों के सन्निर्माण के लिए या किसी अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों के लिए बिना किसी संदाय या किसी अन्य प्रतिफल के एश उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र जिसे ऐसी पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों के अधीन आरंभ किया गया है, जिसमें संपूर्ण फ्लाई एश का उपयोग करने के लिए कार्य योजना अनुबद्ध की गई हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन से नौ वर्ष की अवधि के भीतर योजना के अनुसार भूमि पर फ्लाई एश के सन्निक्षेपण और व्ययन को बंद कर देगा। ऐसी कार्य योजना में विद्युत संयंत्र में उत्पादित सम्पूर्ण एश का नवें वर्ष की समाप्ति तक उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीन वर्ष के भीतर तीस प्रतिशत फ्लाई एश के उपयोग के साथ आगामी छह वर्षों में उपयोग में उत्तरोत्तर प्रति वर्ष कम-से- कम दस प्रतिशत की और वृद्धि की व्यवस्था होगी। इस संबंध में पांच वर्ष के पश्चात् प्रगति का पुनरावलोकन किया जाएगा।

(3) ऊपर पैरा (2) के अंतर्गत न आने वाले प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के भीतर विद्युत संयंत्रों द्वारा तैयार की जाने वाली कार्य योजना के अनुसार फ्लाई एश के उपयोग को बंद कर देंगे। ऐसी कार्य योजना में विद्युत संयंत्र में उत्पादित संपूर्ण फ्लाई एश का उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर फ्लाई एश के बीस प्रतिशत के उपयोग के साथ आगामी बाहर वर्षों के लिए उत्तरोत्तर प्रति वर्ष उपयोग में वृद्धि की व्यवस्था होगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 2 के उपपैरा (2) और (3) के अधीन कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा तैयार की गई सभी कार्य योजनाएं, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएंगी।

(5) केन्द्रीय और राज्य सरकार अभिकरण, राज्य विद्युत बोर्ड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और तापीय विद्युत संयंत्रों के प्रबंधक, उत्पादन क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए भूमि, विद्युत और जल की व्यवस्था करेंगे और उस क्षेत्र के समीप जहां विद्युत संयंत्र में फ्लाई एश का उत्पादन होता है, एश आधारित उत्पादन एककों की स्थापना और संवर्धन करने के लिए एश उत्थापन क्षेत्र तक पहुंचने की व्यवस्था करेंगे।

(6) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा इस अधिसूचना के उपबंधों की अनुपालना के बारे में जानकारी देने वाली क्रियान्वयन रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय की प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी।

3. एश आधारित उत्पादों के उपयोग के लिए विनिर्देश :

(1) एश आधारित उत्पादों जैसे सीमेंट, कंक्रीट ब्लॉक, ईंटों, पैनल या किसी अन्य सामग्री का विनिर्माण या सन्निर्माण क्रियाकलापों जैसे सड़कें बिछाना, तटबंधों में एश का उपयोग या ढलाऊं क्षेत्रों को उपयोगी बनाने के लिए भूमिभरण के रूप में उपयोग जिसके अंतर्गत खाली पड़ी खानों या गड्ढों की पृष्टभूमि भरना भी है या कोई अन्य उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी सवर्धन परिषद्, नई दिल्ली, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग और अन्य केन्द्रीय तथा राज्य अभिकरणों द्वारा अधिकथित विनिर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण,

आवासन बोर्ड, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य सन्निर्माण अभिकरण, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो प्राइवेट सैक्टर में हैं, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर अपने-अपने विनिर्देशों और सन्निर्माण उपयोजनाओं की अनुसूचियों में, जिसके अंतर्गत समुचित मानक और आचार संहिता है, एश और एश आधारित उत्पादों का उपयोग विहित करेंगे।

(3) सभी स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, अपनी-अपनी भवन उपविधियों और विनियमों में, भवन सामग्री, सड़कों, तटबंधों में या किसी अन्य उपयोग के लिए एश और एश आधारित उत्पादों का उपयोग और सन्निर्माण तकनीकें विहित करेंगे।

[फा०सं० 16-2/95-एच०एस०एम०डी०]
वी० राजगोपाल, संयुक्त सचिव

विवरण-II

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

[सं० 948] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2002/ कार्तिक 15, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2002

का०आ० 1164(अ) — ईंटों के विनिर्माण के लिए उपरिमृदा के उत्खनन को निर्बंधित करने तथा कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के विनिर्दिष्ट अर्धव्यास के भीतर भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण में और संनिर्माण क्रियाकलापों में फ्लाई ऐश के उपयोग को संप्रवर्तित करने के संबंध में, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालीय की अधिसूचना सं० का०आ० 763(अ), तारीख 14 सितंबर, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय, सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करना चाहती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन के अवसान के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रस्तावित प्रारूप संशोधन के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव फाइल करने में हितबद्ध है, वह ऐसा साठ दिन की अवधि के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को लिखित कर सकेगा।

प्रारूप संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में, ''पचास किलोमीटर'' शब्दों के स्थान पर, ''एक सौ किलोमीटर'' शब्द रखे जाएंगे।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में,—

(क) उपपैरा (1) में, ''पचास किलोमीटर'' शब्दों के स्थान पर, ''एक सौ किलोमीटर'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपपैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

''(1अ) ऐसा प्रत्येक संनिर्माण अभिकरण, जो कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से एक सौ किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर भवन संनिर्माण में लगा है, वह ऐसे संनिर्माण में फ्लाई ऐश ईंटें या ब्लाक या टाइलें या चिकनी मिट्टी की फ्लाई ऐश ईंटे या सीमेंट फ्लाई ऐश ईंटे या ब्लाक या उनका समुच्चय या उनके कुल योग का उपयोग प्रत्येक संनिर्माण परियोजना में यथास्थिति, कुल ईंटों, ब्लाक और टाइलों की निम्नलिखित न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार (परिमाण द्वारा करेगा, अर्थात् :—

(i) 31 मार्च, 2003 तक 25 प्रतिशत;

(ii) 31 दिसंबर, 2003 तक 50 प्रतिशत;

(iii) 31 दिसंबर, 2004 तक 75 प्रतिशत; और

(iv) 31 दिसंबर, 2005 तक 100 प्रतिशत।

(1आ) उपपैरा (1अ) के उपाबंध सभी संनिर्माण अभिकरणों जैसे आवास बोर्डों और उनका, जो निजी क्षेत्र में अपार्टमेंट, होटलों,

रिजोर्ट्स और काटेजों के निर्माणकर्ता और वैसे ही हैं, को लागू होंगे। संनिर्माण अभिकरणों का चाहे वे संनिर्माण कर रहे हैं या डिजाइन का या दोनों का अनुमोदन कर रहे हैं, यह दायित्व होगा कि वे उपपैरा (1अ) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करें और राज्य सरकार को ऐसी विवरणियां और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।'';

(ग) उपपैरा (2) में, ''ऊपर पैरा (1) के अनुसार'' शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपपैरा (1) के अनुसार'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(घ) उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– ''2(अ) संबद्ध राज्य सरकार उपपैरा (1अ) के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन और मानीटरी प्राधिकारी होगी।'';

(ङ) उपपैरा (3) में, ''पैरा (1) के अधीन'' शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपपैरा (1) के अधीन'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(च) उपपैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''(3अ) फ्लाई ऐश ईंटों/ब्लाक/टाइलों और वैसे ही अन्य फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवेदन पर विनिश्चय सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किया जाएगा। ईंट भट्टा की स्थापना करने के लिए सहमति के संबंध में कोई विनिश्चय, यथास्थिति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3आ) सक्षम प्राधिकारी, पैरा 1 के उपपैरा (1) के उपबंधों के अननुपालन की दशा में, ईंट भट्टा स्थापित किए जाने के लिए जारी किए गए सहमति आदेश के निरस्त करने के अतिरिक्त जिला प्रशासन को खनन पट्टा को निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा।

(3इ) सभी प्राधिकारी, जो किसी भूमि, मृदा या मृत्तिका खनन पट्टे को मंजूरी देते हैं या नवीकरण करते हैं कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से एक सौ किलोमीटर के व्यास के भीतर मृत्तिका, ईंट, ब्लाक या टाइल विनिर्माण-कारी यूनिट के लिए ऐसा पट्टा या पट्टे का विस्तारण या नवीकरण की मंजूरी उस दशा में नहीं देंगे, जहां विनिर्माता ईंटों, ब्लाकों या टाइला के विनिर्माण में फ्लाई ऐश या पौंड ऐश का भार के आधार पर न्यूनतम 25 प्रतिशत तक मिश्रण नहीं करता है। खनन पट्टे का रद्दकरण का विनिश्चय जिला प्रशासन द्वारा सुनवाई के पश्चात् किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी को ऐश का वास्तविक उपयोग सत्यापित करने के लिए समर्थ बनाने हेतु तापीय विद्युत संयंत्र प्रत्येक, ईंट भट्टे में उपलब्ध ऐश का अभिलेख मासवार रखेगा।

(3ई) यह इस अधिसूचना का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि 1 अप्रैल, 2003 से बारह मास के भीतर कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से सौ किलोमीटर के व्यास के भीतर अवस्थित मृत्तिका ईंटों, ब्लाकों, टाइलों के विनिर्माता उपपैरा (1) या उपपैरा (2) के उपबंधों का अनुपालन करते हैं''।

(छ) उपपैरा (4) के पशत् निम्नलिखित उपपैरा अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''(5) कोई अभिकरण, व्यक्ति या संगठन किसी तापीय विद्युत संयंत्र से सौ किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर भारतीय सड़क कांग्रेस (भा०स०का०) द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों/विनिर्देशों, जो भारतीय सड़क कांग्रेस (भा०स०का०) विनिर्देश सं० 2001 का एस०पी० 58 में यथा अंतर्विष्ट है, के उल्लंघन में कोई संनिर्माण नहीं करेगा या सड़क या फ्लाईओवर तटबंधों के संनिर्माण के लिए डिजाइन का अनुमोदन नहीं करेगा। इस निदेश के विचलन पर सहमति केवल तकनीकी कारणें से ही की जा सकेगी, यदि उसका संबद्ध अभिकरण या संगठन के मुख्य इंजीनियर (डिजाइन) या इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है या संनिर्माण के स्थल से सौ किलोमीटर के भीतर अवस्थित तापीय विद्युत संयंत्र(त्रों) से 'पोंड ऐश उपलब्ध नहीं है' संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है। यह प्रमाणपत्र ता०वि०सं० द्वारा ऐश के लिए अनुरोध किए जाने की तारीख से दो कार्यदिवसों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(6) सड़क या फ्लाईओवरों के तटबंधों के उपरि या किनारे के कोनों के लिए अपेक्षित मृदा का उत्खनन तटबंध स्थल से किया जाएगा और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित मृदा की केवल न्यूनतम मात्रा का उत्खनन मृदा उधार क्षेत्र से किया जाएगा और मृदा उधार क्षेत्र की भराई पौंड ऐश से संरचनात्मक भराई के लिए यथाअपेक्षित समुचित सघनता के साथ की जाएगी। यह तटबंध परियोजना के किसी अभिन्न भाग के रूप में परियोजना की नियत समयावधि के भीतर किया जाएगा।

(7) किसी अभिकरण, व्यक्ति या संगठन को कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से सौ किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर नीचे क्षेत्रों की भराई पोंड ऐश से भिन्न किसी सामग्री से करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी भराई पैरा 3 के उपपैरा (3) में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा अधिकथित उप-विधियों, विनियमों और विनिर्देशों के अनुसार की गई है।''।

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के उपपैरा (1) में, ''सामग्री जैसे सीमेंट, कंक्रीट ब्लाक, ईंटें, पैनल'' शब्दों के पश्चात्, ''या उनका संयोजन'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''2अ. समुद्र की भराई के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग,–

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन समुद्र की भराई फ्लाई ऐश के उपयोग की अनुज्ञेय पद्धति होगी।

5. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

(3) वे सभी अभिकरण, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा राज्य सरकार अभिकरण, जो संनिर्माण प्रयोजन के लिए फ्लाई ऐश के उपयोग से संबद्ध हैं, सम्मिलित हैं, तारीख ..., 2002 से (संशोधनकारी अधिसूचना की तारीख यहां समुचित समय पर भरी जाएगी) तीन मास के भीतर,–

अनुमोदित सामग्रियों और दरों की अनुसूची में फ्लाई ऐश और फ्लाई ऐश आधारित ईंटें, ब्लाक या टाइलों या उनके योग के उपयोग के लिए उपबंध करेंगे।

(4) वे सभी अभिकरण, जो सड़क या फ्लाइओवर पुलों के संनिर्माण में लगे हैं जिनके अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (स०प०रा०मं०), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा०रा० रा०प्रा०), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के०लो०नि०वि०), राज्य लोक निर्माण विभाग और अन्य सरकारी अभिकरण भी हैं, तारीख ...., 2002 से (संशोधनकारी अधिसूचना की तारीख यहां समुचित समय पर भरी जाएगी) तीन मास के भीतर,–

(क) अपने निविदा दस्तावेजों में अनुमोदित सामग्री की अनुसूची और दरें तथा तकनीकी अभिलेखों में जिसके अंतर्गत वे भी हैं, जो पैरा 1 के उपपैरा (7) के अनुसार मृदा उधार क्षेत्र या पिट से संबंधित हैं, उपबंध करेंगे; और

(ख) उन सड़कों या फ्लाईओवर तटबंधों के लिए, जो भारतीय सड़क कांग्रेस (भा०स०का०) द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अंतर्गत नहीं आते हैं, आवश्यक विनिर्देश/मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएंगे।''

6. पैरा 3 के विद्यमान उपपैरा (3) को उपपैरा (5) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा।

[फा०सं० 16-2/95-एच०एस०एम०डी०]
डॉ० वी० राजगोपाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण, — मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का०आ० संख्या 763(अ) दिनांक 14.9.1999 को प्रकाशित हुए थे।

डिजीटल पी०टी०एस० इकाई की खरीद

1897. श्री अधीर चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डार्क रूम हेतु प्रोसेसर सहित डिजीटल पी०टी०एस० इकाई को 1988 में 16 लाख रुपए की लागत से खरीदा गया था जिसे अगस्त, 1990 में फरीदाबाद प्रेस में लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मशीन को सी०बी०आई० रिकार्ड में दर्ज दागी कम्पनी से खरीदा गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त कम्पनी का नाम क्या है और इसका क्या कारण है;

(घ) क्या विनिर्माता पुस्तिका के अनुसार यह क्षमता 3.37 करोड़ पंक्तियां प्रतिवर्ष है और लेजन प्रिंटर की क्षमता 0.19 करोड़ पृष्ठ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट की टिप्पणी में यह निर्देश दिया है कि पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी वाली मशीनों को खरीदने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या प्रेस अधिकारी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के जांच दल के समक्ष क्षमता उपयोग की प्रशितता की जानकारी देने में विफल रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो उक्त खरीद के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1988 में डी०जी०एस० एंड डी० के माध्यम से खरीदी गई मशीन मैसर्स आईटैक ग्राफिक्स कार्पो वेलथेम मेसाचुसेट्स् – अमरीकी कंपनी द्वारा निर्मित थी। निर्माता के भारतीय एजेंट मैसर्स जे० महावीर एण्ड कं० थे। सी०बी०आई० रिकार्ड में संदेहास्पद कंपनी होने के कारण इस फर्म से संबंधित कोई सूचना मुद्रण निदेशालय में उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) लेखा परीक्षा के एक विशेष जांच दल ने टिप्पणी की थी कि पुरानी व अप्रचलित तकनीक की मशीनों को खरीदने के मामले की जांच करना और उसके लिए उत्तरदायित्व निश्चित करना आवश्यक है। अप्रैल, 2001 में मुद्रण निदेशालय ने लेखा परीक्षा को जानकारी दी थी कि ये मशीने पुरानी और अप्रचालित हो गई हैं। लेखा परीक्षा ने अपनी रिपोर्ट में मुद्रण निदेशालय की टिप्पणियों को सिर्फ दोहराया है ये मशीने इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटरीकृत उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों का मूल्य ह्रास अपेक्षाकृत जल्दी होता है और थोड़े ही समय में प्रौद्योगिकी पुरानी और अप्रचलित हो जाती है। लेखा परीक्षा की यह जानकारी दिनांक 7.8.2001 को दी गई थी और अब तक इस संबंध में लेखा परीक्षा से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(छ) और (ज) भारत सरकार मुद्रणालयों में केवल मुख्य मुद्रण मशीन के संबंध में मूल्यांकित क्षमता निर्धारित की जा रही है और क्षमता उपयोग की जांच की जाती है सहायक मशीनों की नहीं। चूंकि कथित मशीने सहायक मशीनें हैं अत: इनके क्षमता उपयोग से संबंधित सूचना लेखा परीक्षा को नहीं दी जा सकी। तथापि उत्पादन संबंधी आंकड़े लेखा परीक्षा को दिनांक 7.8.2001 को भेजे गए थे। अब तक लेखा परीक्षा से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

[हिन्दी]

कच्छ विकास बोर्ड

1898. श्री हरिभाई चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कच्छ विकास बोर्ड की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई विस्तृत प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस बोर्ड को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) कच्छ के लिए एक पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के साथ विचार किया गया जिसके परिणामस्वरूप इस पर सहमति हुई कि राज्य सरकार अधिकारियों के एक दल को महाराष्ट्र में विकास बोडो के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए भेजने के बाद मामले की पुनरीक्षा करेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में भारत सरकार को अभी तक उत्तर नहीं दिया।

[अनुवाद]

भारत में जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियां

1899. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा बायोटेक कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) कृषि में वाणिज्यिक अनुसंधान करने वाली ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश में 'बायो-टेक ड्रग्स' संबंधी कार्यक्रम का कितना विस्तार होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्राल में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में रह रहे झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के लिए वैकल्पिक स्थान

1900. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि दिल्ली में 31 दिसम्बर, 1990 तक रह रहे झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को ही वैकल्पिक स्थान प्रदान किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त तिथि के बाद दिल्ली में रह रहे झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों की संख्या के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार झुग्गी-झोंपड़ी में रह रहे लोगों की संख्या और इन झुग्गियों से उन्हें हटाए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्या के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (च) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओखला फैक्टरी आनर्स एसोसिएशन बनाम दिल्ली सरकार व अन्य तथा वजीरपुर बर्तन निर्माता संघ बनाम भारत संघ व अन्य नामक सीविल रिट याचिका सं० 4441/1994 तथा 2112/2002 में पारित दिनांक 29.11.2002 के एक आदेश में दिल्ली में स्लम/झुग्गी वासियों को वैकल्पिक स्थल मुहैया कराने की सरकार की वर्तमान नीति को अलग रखा है। केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। मामला न्यायाधीन है।

स्लम एवं जे०जे० विभाग (दि०न०नि०) ने सूचित किया है कि मार्च, 1994 में उसके द्वारा किए गए आकलन के अनुसार दिल्ली में करीब 1080 झुग्गी समूह थे। 31.1.1990 के बाद के स्लम वासियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई आकलन/सर्वेक्षण नहीं किया है।

डी०पी०ई०पी० के अंतर्गत विदेशी सहायता का उपयोग

1901. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी सहायता के उचित उपयोग के लिए कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनीसेफ और अन्य विदेशी वित्त पोषक एजेंसियों ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में आपत्ति जताई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में परियोजना शुरू होने से पूर्व व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना पैरामीटरों के आधार पर राज्य कार्यान्वयन समितियां द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग किया जाता है तथा आकलित की गई वार्षिक कार्य योजना एवं कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्रस्तुत बजट के माध्यम से प्रत्येक परियोजना वर्ष के दौरान निधियां अनुमोदित की जाती हैं। मंत्रालय परियोजना को कार्यान्वित करने वाली सभी राज्य कार्यान्वयन समितियों को निरंतर सलाह देता आ रहा है तथा इसने विभिन्न घटकों पर व्यय करने संबंधी परियोजना पैरामीटरों/मानदंडों का पालन करने एवं इस प्रयोजनार्थ जारी की गई निधियों का समुचित उपयोग करने संबंधी आवश्यकता को दोहराते हुए उन्हें अनुदेश भी जारी किए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार न तो यूनिसेफ ने और न ही किसी अन्य विदेशी निधियन एजेंसी ने डी०पी० ई०पी० के तहत निधियों के दुरूपयोग के संबंध में आपत्ति उठाई है।

कोयला कंपनियों में कामगार

1902. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान से आज तक विभिन्न कोयला कंपनियों में कंपनी-वार कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों में मानवीय और मशीनी रोजगारों में पृथक-पृथक लगे कामगारों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान मानवीय और मशीनी तौर पर पृथक-पृथक उत्पादित कोयला की मात्रा कितनी है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा अद्यतन तिथि को कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न कोयला कंपनियों में पर्यवेक्षीय स्टाफ के अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या नीचे दी गयी है :—

कंपनी	वर्ष			2002-03
	1999-00	2000-01	2001-02	1.1.03 तक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	122497	117025	104823	105083
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि०	108466	102399	96956	93619
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	73237	70374	67574	66294
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	72481	70083	67145	65185
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	86376	85308	83243	81539
महानदी कोलफील्ड्स लि०	19692	19338	18949	18362
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	14068	14014	14070	13937

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा अद्यतन तिथि तक विभिन्न कोयला कंपनियों में हाथ वाले (मैनुअल) कार्यों के लिए नियोजित किए गए पीस रेटिड श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है :—

कंपनी	वर्ष			2002-03
	1999-00	2000-01	2001-02	1.1.03 तक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	35191	32698	30283	28485
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि०	30436	28425	27367	26682
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	17857	17159	15809	15421
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	11703	9998	8732	7730
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	9837	8788	8026	7492
महानदी कोलफील्ड्स लि०	2450	2307	2127	1703
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	—	—	—	—

गत तीन वर्षों के दौरान तथा अद्यतन तिथि तक विभिन्न कोयला कंपनियों में दक्ष श्रमिकों (मशीनी/तकनीकी) की संख्या निम्नानुसार है :—

कंपनी	वर्ष			2002-03
	1999-00	2000-01	2001-02	1.1.03 तक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	28376	27109	31503	34875
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि०	35169	33330	31381	30083
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	20153	19710	19412	18835
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	29274	29940	30328	30807
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	28498	28928	29448	29452
महानदी कोलफील्ड्स लि०	6579	6579	6647	6416
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	7912	8152	8216	8085

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सी०आई०एल० में हाथ से तथा मशीन से उत्पादित किए गए कोयले की मात्रा निम्नानुसार है :–

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03 दिसंबर, 2002 तक (अनंतिम)
हाथ से उत्पादन (ला०ट०) पारम्परिक बोरड एंड पिलर तथा अन्य	284.71	249.58	223.40	146.43
मशीनी उत्पादन (ला०ट०)				
भूमिगत	238.53	255.96	268.95	205.71
ओपन कास्ट	2082.59	2175.85	2304.22	1704.97
कुल	2321.12	2431.81	2573.17	1910.68
समग्र (ला०ट०)	2605.83	2681.39	2796.57	2057.11

केन्द्रीय भंडार में स्टाक का वास्तविक सत्यापन

1903. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री 12.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3683 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रणाली की समीक्षा कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या मामले की जांच के लिए पहले नियुक्त जांच अधिकारी ने प्रणाली में कई कमियां मौजूद होने का उल्लेख किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वास्तविक सत्यापन के समय भंडार में कितनी कमी-पेशी पाई गई;

(ङ) क्या स्टाक में कमी के संबंध में कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और कितने मूल्य का स्टाक कम पाया गया और इस कम सामग्री में कितने मूल्य की सामग्री बरामद की गई;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) पहले नियुक्त किए गए जांच-अधिकारी ने सामान (स्टॉक) के रख-रखाव की प्रणाली में कुछ कमियां इंगित की हैं। सामान (स्टॉक) के हिसाब-किताब में विसंगतियां नहीं होने देने का कारगर उपाय करने की दृष्टि से लेखन-सामग्री-प्रभाग से संबंधित वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव कम्प्यूटरीकृत करने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

(घ) से (छ) दिनांक 30.09.2002 को दिल्ली के किराना-उपभोक्ता-भंडारों के सामान (स्टॉक) का भौतिक सत्यापन किया गया। सामान (स्टॉक) में कमी और अधिकता पाए जाने के पकड़े गए मामलों की संख्या, संलग्न विवरण में दर्शाई जा रही है। सामान (स्टॉक) में पाई गई निवल कमी की, संबंधित कर्मचारियों के वेतन से, मासिक किस्तों में ब्याज सहित वसूली की जा रही है।

विवरण

सामान (स्टॉक) में कमी/अधिकता से युक्त पाए गए भंडारों की संख्या

	विवरण	संख्या
1.	निवल कमी	45
2.	निवल अधिकता	18
3.	किसी भी कमी/अधिकता से युक्त नहीं पाए गए भंडार	–
	योग	63

हिन्दी और संस्कृत को विषय के रूप में अपनाने वाले विद्यार्थी

1904. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि माध्यमिक के बाद हिंदी और संस्कृत को विषय के रूप में अपनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान डिग्री पाठ्यक्रमों के पहले वर्ष में हिन्दी और संस्कृत को विषय के रूप में लिया है; और

(घ) देश में उच्च शिक्षा में हिन्दी और संस्कृत को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में कोई आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय होते हैं और ये मांग के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में अनेक विश्वविद्यालय हिन्दी तथा संस्कृत में भी पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

अंदमान और निकोबार प्रशासन में नियुक्ति

1905. **श्री ए०सी० जोस :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा अस्थायी और ठेके पर कुल कितनी नियुक्तियां की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कोई नियमित नियुक्ति भी की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न विभागों के विभिन्न श्रेणियों में पिछले तीन वर्षों से कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में तदर्थ और ठेके पर की गयी नियुक्तियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :–

ग्रुप क		34
ग्रुप ख		89
ग्रुप ग		570
ग्रुप घ	:	117

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमित आधार पर की गयी नियुक्तियां निम्न प्रकार से हैं :–

ग्रुप क		10
ग्रुप ख		11
ग्रुप ग		1036
ग्रुप घ	:	313

(घ) अंदमान और निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों की कुल संख्या नीचे दी गई है :–

ग्रुप क	:	90
ग्रुप ख		94
ग्रुप ग		764
ग्रुप घ		308

शवदाह गृह का निर्माण

1906. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम पिछले पांच वर्षों के बाद भी दिल्ली के ग्रीन पार्क में विद्युत शवदाह गृह के लिए भवन का निर्माण करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और शवदाह गृह का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु लकड़ी की कमी और खत्म होने जा रहे वनों की रक्षा के मद्देनजर दिल्ली में अन्य दूसरी जगहों पर कितने शवदाह गृह निर्मित किए जाने की योजना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों के लिए अतिथि गृहों का उपयोग

1907. **श्री वाई०वी० राव :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवादी और अन्य अपराधी दिल्ली में कई अतिथि गृहों का उपयोग अपने छिपने की जगह के रूप में करते हैं;

(ख) क्या इनमें से कई अतिथि गृह अवैध है;

(ग) यदि हां, तो अवैध अतिथि गृहों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) राजधानी में उनकी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) कुछ इक्की-दुक्की घटनाओं में, दिल्ली पुलिस द्वारा होटलों/अतिथि गृहों से उग्रवादी या अन्य अपराधी गिरफ्तार किए गए।

(ख) इनमें से कुछेक अतिथि गृह दिल्ली में वैध लाइसेंसों के बगैर चलते हुए पाए गए।

(ग) वैध लाइसेंसों के बगैर चलते हुए पाए गए अतिथि गृहों/होटलों के दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 में उपबंधों के अनुसार चालान किए जाते हैं।

(घ) उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, संदिग्ध अतिथि गृहों और होटलों का नियमित रूप से निरीक्षण; इन अतिथि गृहों से चलाई जा रही अवैध गति-विधियों के संबंध में आसूचना का संग्रहण; और अपराधियों/उग्रवादियों द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए अतिथि गृहों पर कड़ी नजर रखना शामिल है।

ब्रिटेन द्वारा आन्ध्र प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता

1908. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि आन्ध्र प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के लिए ब्रिटेन ने 94.4 मिलियन पौंड की वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत वित्तीय सहायता में से अब तक कुल कितनी राशि जारी की गई;

(घ) क्या परियोजना को 2006 में पूरा किया जाना है और इसका कार्य योजना अनुसार चल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) आन्ध्र प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी०एफ०आई०डी०), यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के साथ 94.4 मिलियन पौंड की राशि के लिए एक समझौता हुआ है।

(ख) परियोजना का प्रयोजन यह है कि आंध्र प्रदेश के विद्यमान 32 श्रेणी-I कस्बों में गरीब लोग अधिक संगत तथा सतत सेवाओं तक उन्नत पहुंच से लाभान्वित होंगे। अनुमान है कि इससे 2.2 मिलियन मलिन बस्ती वासी लाभान्वित होंगे।

(ग) 31.1.2003 तक 2.896 मिलियन पौंड की राशि वितरित की जा चुकी है।

(घ) से (च) करार के अनुसार परियोजना 2006 में पूरी की जानी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना शुरू होने और गरीबी कमी करने संबंधी दिशा-निर्देशों के लिए नगरपालिका कार्रवाई योजना (एम०ए०पी०पी०) को अंतिम रूप देने में हुए विलम्ब को इसके कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों के रूप में सूचित किया है।

केन्द्रीय सरकार की परिसम्पत्तियों और जायदाद पर कर का भुगतान न किया जाना

1909. श्री एस० अजय कुमार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकारी परिसंपत्तियों और जायदाद पर कर का भुगतान न किए जाने से स्थानीय निकायों के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकारी संस्थानों की भवन योजना स्वीकृत हेतु स्थानीय निकायों को नहीं सौंपी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 285(1) के अनुसार केन्द्र की संपत्तियां, बशर्ते कि संसद कानून बनाकर कोई अन्य प्रावधान न करे, राज्य द्वारा अथवा राज्य में किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट प्राप्त होंगी। तथापि, उन संपत्तियों पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रभार लिया जाएगा। यह कर निजी संपत्तियों के संबंध में देय कर के 33-1/3% से लेकर 75% तक है। इस प्रकार केन्द्र सरकार की संपत्तियों पर प्रचलित निदेशों के अनुसार सेवा प्रभारों का भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए सभी भवनों के नक्शे स्थानीय निकायों को उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, यदि इस प्रकार का अनुमोदन लेना अनिवार्य हो तो प्रस्तुत किए जाते हैं।

"आई०सी०आई०सी०आई० नॉलेज पार्क" और "बायो-टैक पार्क"

1910. **श्री सी० श्रीनिवासन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आई०सी०आई०सी०आई० नॉलेज पार्कों, बायो-टैक पार्कों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य-वार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन पार्कों की स्थापना हेतु स्वीकृति जारी करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) महोदय, अभी तक बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डी०बी०टी०) भारत सरकार को राज्य सरकारों द्वारा स्थापित बायोटेक पार्कों में जैवप्रौद्योगिकी विकास तथा इनक्यूबेटर केन्द्र, ऊतक संवर्धन हार्डनिंग सुविधाएं, केन्द्रीकृत प्रायोगिक सुविधाएं आदि स्थापित करने हेतु तथा रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०सी०टी०), मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा अपने कैम्पस में बायोटेक किणवन तथा डाउन स्ट्रीम सुविधाओं की स्थापना करने हेतु आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केरल राज्यों से वित्तीय सहायता के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आई०सी०आई०सी०आई० नॉलेज पार्कों को स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु किसी भी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। विभिन्न राज्यों तथा अन्य संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने, मूल्यांकन करने तथा वित्तीय/संभार तंत्र संबंधी सहायता हेतु सिफारिश करने के लिए डी०बी०टी० ने एक "विशेषज्ञ समिति" का गठन किया है।

(ग) से (ङ) इस समय राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बायोटेक उत्पादों की स्वीकृति के लिए जैव सुरक्षा तथा अन्य पहलुओं से कोई मंत्रालय तथा विभाग संबंधित हैं। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि विभिन्न उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए आई०सी०आई०सी०आई० नॉलेज पार्क तथा बायोटेक पार्क के प्रबन्धकों को विभिन्न नियमों तथा अधिनियमों के अन्तर्गत स्वीकृति/ मंजूरी जारी करने के अधिकार प्रदान किए जाएं। भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया है कि बायोटेक पार्क में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रियात्मक स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रदान करने में वह उन्हें सभी संभव सहायता देगी। विनियामक स्वीकृति को सुविधाजनक बनाने के लिए डी०बी०टी० में आवेदनों पर कार्रवाई के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली कार्य कर रही है।

झुग्गियों का सुधार

1911. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान से आज तक विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक सरकार से झुग्गियों के सुधार और नगरों एवं शहरों में मूलभूत सेवाओं का प्रावधान करने के लिए प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्य सरकारों द्वारा योजना-वार और राज्य-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई/का अनुरोध किया गया;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार योजना-वार और राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई;

(घ) ऐसे अन्य प्रस्तावों में देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों को निपटाने में कितना समय लगने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

सरकारी आवास का खाली करना

1912. **श्रीमती रीना चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइप-I और टाइप-II के क्वार्टर खाली करने की निर्धारित समय सीमा सात दिन ही है जबकि सरकारी आवास खाली करते समय डेसु/दिल्ली विद्युत बोर्ड/एनडीएमसी और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से मकान खाली करने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करने में लगभग 15-20 दिन का समय लगता है और आवंटियों को दोनों प्रकार से परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आवंटियों के सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए निर्धारित सीमा का विस्तार करने का विचार/प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं। सरकारी मकानों का आबंटन (दिल्ली में सामान्य पुल) नियमावली, 1963 के तहत एस०आर०-317-बी-12 के उपबंधों के अनुसार पहले से सरकारी मकान में रह रहे किसी अधिकारी को जब दूसरा मकान आबंटित किया जाए और वह नए मकान में दखल कर ले तो पिछले मकान का आबंटन नए मकान में दखलदारी की तारीख से रद्द माना जाएगा। आबंटिति मकान बदलने के लिए नए मकान में दखलदारी की तारीख से 15 दिनों तक पिछला मकान अपने कब्जे में रख सकता है। यदि पिछला मकान 15 दिनों के भीतर खाली नहीं किया जाता है तो नए मकान में दखलदारी की तारीख के 16वें दिन से अधिकारी को जुर्माना भरना पड़ेगा। आबंटन नियमों में यह प्रावधान 23.6.2001 से किए गए हैं।

(ख) और (ग) चूंकि मौजूदा प्रावधान हाल ही में किए गए है और आबंटित के लिए नए मकान में जाने और पुराना मकान खाली करने हेतु 15 दिनों की अवधि पर्याप्त हैं। अत: 15 दिनों की निर्धारित सीमा में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुवर्ती शिक्षा योजना

1913. **श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों की ओर से अनुवर्ती शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर बिहार से कितने प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राप्त हुए हैं;

(ख) राज्य-वार कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा शेष परियोजनाओं का अनुमोदन करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) राज्यवार ब्यौरे संलग्न हैं।

(घ) सतत शिक्षा परियोजनाएं पहले जारी की गई निधियों के लेखों के समायोजन के आधार पर निधियों की उपलब्धता पर अनुमोदित की जाती है।

विवरण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	26.2.2003 तक राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण से प्राप्त कुल प्रस्ताव	अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की कुल संख्या	26.2.2003 तक जारी की गई कुल राशि*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	21	3165.9
2.	बिहार	5	2	490.22
3.	चंडीगढ़	1	1	171.25
4.	छत्तीसगढ़	1	1	161.73
5.	गुजरात	27	18	3540.93
6.	हरियाणा	1	1	74.1
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1	300.55
8.	झारखंड	2	2	134.75
9.	कर्नाटक	28	23	4212.89
10.	केरल	14	14	2049.05
11.	मध्य प्रदेश	45	19	3632.85
12.	मिजोरम	8	8	317.46
13.	महाराष्ट्र	25	16	2363.54
14.	उड़ीसा	3	3	627.17
15.	पांडिचेरी	4	4	50.18
16.	पंजाब	1	1	129.21
17.	राजस्थान	32	19	3974.31
18.	तमिलनाडु	27	20	2822.77
19.	त्रिपुरा	4	4	490.56
20.	उत्तर प्रदेश	22	12	1125.33
21.	उत्तरांचल	2	2	237.1

1	2	3	4	5
22.	पश्चिमी बंगाल	13	9	3910.34
23.	असम	—	—	20.00
24.	मणिपुर	—	—	7.50
25.	मेघालय	—	—	15.00
	कुल	287	201	34024.69

*राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को जारी किए गए अनुदान शामिल हैं।

[अनुवाद]

करगिल के शहीदों के परिवारों को मुआवजा

1914. **श्री मधुसूदन मिस्त्री :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा करगिल के शहीदों के परिवारों के कल्याण हेतु मुआवजा देने के लिए कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ख) कितने सैनिकों अथवा उनके आश्रितों को मुआवजा दिया गया और राज्य-वार कितनी मुआवजा धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या इस धनराशि का उपयोग भारत की सीमा की रक्षा करते समय शहीद होने वाले किसी सैनिक को मुआवजा देने हेतु किया जाता है भले ही उनका संबंध सेना, सीमा सुरक्षा बल और किसी अन्य सुरक्षा बल से हो;

(घ) क्या पूर्ण धनराशि अथवा इस धनराशि का भाग सहकारी बैंकों में जमा किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या किसी ऐसे सहकारी बैंक ने चूक की है;

(छ) यदि हां, तो ऐसे बैंकों में संलिप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) मुआवजे का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बी०सी०सी०एल० के कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के लंबित मामले

1915. **प्रो० रीता वर्मा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और इसके विशेष न्यायालयों में लंबित हैं;

(ख) कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सतर्कता विभाग में लंबित हैं;

(ग) भ्रष्टाचार के इन मामलों का स्वरूप क्या है;

(घ) क्या भ्रष्टाचार के आरोपी कर्मचारी संवेदनशील विभागों में कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) दिनांक 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार बी०सी०सी०एल० के कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के सी०बी०आई० में लम्बित मामलों की संख्या नीचे दी गयी है :—

मामले जिनकी जांच चल रही है।	—	17
सी०बी०आई० के विशेष न्यायालय के मामले	—	97

(ख) कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के बी०सी०सी०एल० के सतर्कता विभाग में लम्बित मामलों की संख्या नीचे दी गयी है :—

मामले जिनकी जांच चल रही है।	—	36
मामले जिनकी विभागीय जांच चल रही है।	—	30

(ग) इन मामलों में आरोप निम्नलिखित मुद्दों से सम्बन्धित हैं :—

(i) अवैध आनुतोषिक की मांगना तथा स्वीकार करना।

(ii) आय के ज्ञात स्त्रोतों की तुलना में गैर-अनुपातिक सम्पत्ति रखना।

(iii) कोयला बिक्री में कदाचार।

(iv) रेत तथा कोयला परिवहन में अनियमितताएं।

(v) क्रय (खरीद) में कदाचार।

(vi) सिविल निर्माण तथा अन्य संविदाकारी कार्यों में अनियमितताएं।

(घ) और (ङ) संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों के नियमित स्थानांतरण के लिए एक नीति है। भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों को तत्काल संवेदनशील पदों से हटा दिया जाता है।

[अनुवाद]

बच्चों के अधिकार

1916. **डा० वी० सरोजा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के अधिकार हेतु गैर-सरकारी संगठन हक सेन्टर द्वारा भारतीय बच्चों पर वैश्वीकरण का प्रभाव संबंधी प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक के दबाव में आकर प्रारम्भिक शिक्षा का समयावधि आठ वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की रिपोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और स्थिति को सुधारने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) यह पुस्तक आज भारत में बच्चों के जीवन के प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों, जैसे कानूनी व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, छोटे बच्चे, अपंग बच्चे, किशोर अपराध न्याय, आदि पर निबन्धों का एक संकलन है।

(ग) से (ङ) यह कथन सर्वथा गलत है कि विश्व बैंक के दबाव के कारण, प्रारम्भिक शिक्षा की अवधि को 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके विपरीत, 12.12.2002 को अधिसूचित 86वें संविधान संशोधन विधेयक, 2002 में 16-14 वर्ष की आयु-वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है।

वैल्थ ऑफ इंडिया (सी०एस०आई०आर०) में संशोधन

1917. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान वैल्थ ऑफ इंडिया, कच्ची सामग्री श्रृंखला, जो एन०आई०एस०सी०ए०आई०आर० (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) (सी०एस०आई०आर०) का विश्वकोषीय प्रकाशन है, में संशोधन कार्य को पुनः शुरू करने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। एन०आई०एस०सी०ए०आई०आर० (निस्केयर) ने गत तीन वर्षों में वैल्थ ऑफ इंडिया रॉ मेटिरियल्स सिरीज़ के तीन परिशिष्टों का प्रकाशन किया है। इसमें खण्ड 1 (ए०-सी०आई०), खण्ड 2 (सी०आई०-सी०वाई०) और खण्ड 3 (डी०-आई०) शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिक्षकों हेतु शैक्षणिक अर्हता

1918. **श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का विचार डी०एड० कालेज के शिक्षकों के लिए शैक्षणिक अर्हता को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे शिक्षकों को उनकी शैक्षणिक अर्हता के अनुसार वेतनमान प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र राज्य को आदेश जारी न करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने 13.11.02 को जारी की गइ अपनी अधिसूचना में शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित की है। व्याख्याता पद के लिए अधिसूचना में एम०एड०/एम०ए० के साथ अच्छा शैक्षिक रिकार्ड, अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता विहित किया गया है या संगत स्कूल विषयों में मास्टर डिग्री स्तर पर 55% अंक के साथ अच्छा शैक्षिक रिकार्ड हो और पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ प्रारंभिक शिक्षा स्नातक या बी०एड० हो। प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष पद के लिए, व्याख्याता हेतु निर्धारित शैक्षिक

एवं व्यावसायिक योग्यता के अलावा प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव निर्धारित किया गया है। अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के लिए योग्यता वही होगी जो संबंधित राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक एवं अन्य कर्मचारियों (अंशकालिक कर्मचारियों सहित) को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए वेतन का भुगतान किया जाना होता है।

[अनुवाद]

भूमि रिकार्डों हेतु निगरानी प्रकोष्ठ

1919. **श्री अम्बरीश : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जहां भूमि रिकार्डों की निगरानी करने हेतु निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक राज्य सरकार ने अक्तूबर 2001 में निगरानी प्रकोष्ठ की मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) देश में भूमि अभिलेखों की निगरानी के लिए किसी भी राज्य में निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) से (घ) कर्नाटक की राज्य सरकार ने निगरानी प्रकोष्ठ के लिए अक्तूबर, 2001 के दौरान 32.00 लाख रुपये जारी करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तथापि, भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रावधान नहीं है, अत: इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था।

कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति, वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति और अनुसंधान सहायक अध्येतावृत्ति

1920. **श्री अधीर चौधरी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोडल मंत्रालय होने के कारण 1 अप्रैल, 2002 से अपनी अध्येता-वृत्तियों में वृद्धि की है जबकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने रिसर्च फैलो के लिए 1 अगस्त, 2002 से लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने केन्द्रीय रूप से प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को दी जा रही अध्येतावृत्तियों एवं अनुदानों में 1.4.2002 से वृद्धि कर दी है। एक स्वायत्तशासी पंजीकृत सोसाइटी होने के नाते सी०एस०आई० शासी निकाय के निर्देशों के अनुसार नीति परिवर्तनों का कार्यान्वियन करता है। अतिरिक्त वित्तीय भार को देखते हुए सी०एस०आई०आर० के शासी निकाय ने बढ़ी हुई अध्येतावृत्ति को 1.8.2002 से मान्यता देने का निर्णय लिया है।

शोधकर्त्ताओं को अध्येतावृत्तियां

1921. **श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अनेक संस्थओं द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से अनुदान न मिलने के तर्क पर कुछ अपने शोधकर्त्ताओं को पिछले पांच से छह माह से अध्येतावृत्तियों का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने शोधकर्त्ताओं विशेषकर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्त्ताओं को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अनुदान जारी नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शोधकर्त्ताओं को अध्येतावृत्तियों का भुगतान करने के लिए संस्थाओं को किस तारीख तक अनुदान जारी किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के बीस रिसर्च फैलो/एसोशिएटों को अनुदान जारी नहीं किया गया क्योंकि सी०एस०आई०आर० को उनकी प्रगति रिपोर्टें/दावा बिल/लेखा विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए। दिनांक 05.02.2003 को

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ने 10 रिसर्च फैलों के लेखा विवरण और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए, उनके दावा बिलों के संबंध में भुगतान दिनांक 25.2.2003 को जारी कर दिया गया। शेष रिसर्च फैलो का भुगतान, प्रगति रिपोर्टों/दावा बिलों/लेखा विवरणों/उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्राप्त होते ही जारी कर दिया जाएगा।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक

1922. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक में क्या चर्चा की गई थी;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत कुछ परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा अभी तक कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2003-2004 के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मिजोरम से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया था और इन्हें 17.2.2003 को मंजूर करने की सिफारिश की गई थी।

(ग) से (च) अधिकार प्राप्त समिति सभी तरह से पूर्ण परियोजना प्रस्ताव पर विचार करती है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 17.2.2003 तक प्राप्त सभी परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया गया। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा परियोजना प्रस्तावों के विस्तृत अनुमानों की समीक्षा कर लेने के बाद कोर नेटवर्क पर आधारित अपने प्रस्तावों को शीघ्र तेज दें। 25.2.2003 को राजस्थान से ही केवल एक और प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

उड़ीसा में उर्वरक संयंत्र

1923. सरदार सिमरनजीत सिंह मान : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उड़ीसा में एक उर्वरक संयंत्र का निजीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते में ऐसा कोई खंड है जिसके अंतर्गत सरकार को कंपनी को 150 करोड़ रुपए लौटाने पड़ सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पारादीप फास्फेट्स लि० में अपनी 74 प्रतिशत साम्य पूंजी का विनिवेश नीतिपरक क्रेता मैसर्स जुआरी मैक्रो फास्फेट्स प्राइवेट लि० के पक्ष में किया है।

(ग) और (घ) बिक्री अनुबन्ध में पश्च अन्त टीप (पोस्ट क्लोजिंग) समायोजन की शर्त शामिल है जिसके तहत नीतिपरक क्रेता ने 151.55 करोड़ रु० का दावा प्रस्तुत किया है।

नौकरशाहों में रोष

1924. श्रीमती प्रभा राव : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में नौकरशाहों की बार-बार अदला-बदली के बारे में अपनाई जा रही नीतियों के कारण उनमें बहुत अधिक रोष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने इस मामले में प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने इस मामले पर चर्चा करने और वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानान्तर/निलंबन हेतु मानदंड निर्धारित करने हेतु राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई बैठक की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या प्रधान मंत्री का विचार इस समस्या को सुलझाने हेतु ऐसी बैठक करने का है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) ऐसा कोई भी दृष्टांत इस विभाग के ध्यान में नहीं आया है। भारतीय प्रशासनिक-सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 7 में यह

प्रावधान है कि किसी राज्य-संवर्ग के मामले में, उसके संवर्ग के पदों पर सभी नियुक्तियां, उस राज्य-सरकार द्वारा ही की जाएं।

(ग) इस बारे में कोई भी संदर्भ इस विभाग के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय

1925. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में स्कूलों का उचित रूप से पर्यवेक्षण करने के लिए मौजूदा प्रबंधन की असमर्थता को देखते हुए मौजूदा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को चार पृथक निकायों में विभाजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कुछ क्षेत्रीय पर्यवेक्षी केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालयों में पर्यवेक्षण और मानकों में सुधार करने हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालय

1926. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर पंजाब में नवोदय विद्यालय के कुछ छात्रों के पढ़ाई छोड़कर भाग जाने के संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इन प्रतिष्ठित विद्यालयों के कार्यकरण में आई कमी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) जी, हां। जवाहर नवोदय विद्यालयों से छात्रों के भागने की घटनाओं की विस्तृत जांच की गई थी। जांच के परिणामों से पता चला कि छात्रों के भागने के मुख्य कारण पानी एवं विद्युत से संबंधित समस्याएं, शिक्षकों द्वारा दण्ड दिया जाना और शिक्षकों द्वारा छात्रों के कठिन परिश्रम किए जाने पर अत्यधिक बल देना था। इन सभी मामलों में छात्रों को परामर्श देकर तथा यथा संभव सुविधाएं प्रदान करके समस्याओं को हल कर दिया गया है। कुछ मामलों में, जहां पर स्टाफ की लापरवाही पाई गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण

1927. **श्री थावर चंद गेहलोत :** क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष, 2000-2001 के दौरान आरक्षण पर प्रतिबंध हटाकर अन्य आरक्षण-सुविधाएं बहाल कर पचास प्रतिशत से अधिक पड़े रिक्त पदों के साथ-साथ तथा रिक्त पद भरने के लिए नौकरियों में अनुसूचित-जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पुनः आरक्षण देने के बारे में कार्यालय-आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं और विभागों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है;

(ग) उन विभागों और संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्तियां दिसम्बर, 2002 तक इन आदेशों के अनुपालन में की गईं थीं;

(घ) श्रेणीवार कितने पदों पर नियुक्तियां की गई;

(ङ) 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विभाग-वार कितने पद रिक्त हैं; और

(च) उपर्युक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) वर्ष 2000 में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित और पहले के वर्षों में भरी नहीं जा सकीं रिक्तियों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माने जाने और उन्हें, मौजूदा वर्ष की कुल रिक्तियों के संबंध में अधिकतम 50% तक के आरक्षण की सीमा निश्चित करते समय, मौजूदा वर्ष की आरक्षित रिक्तियों में नहीं जोड़े जाने के अनुदेश जारी कर दिए गए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

के उम्मीदवारों को पदोन्नति में, आरक्षण के मामलों में, अपेक्षाकृत कम अर्हक अंक रखे जाने, मूल्यांकन के अपेक्षाकृत कम मानक रखे जाने जैसी पहले दी जा रहीं और बाद में दी जानी समाप्त कर दी गई ढीलें/रियायतें बहाल किए जाने के अनुदेश भी उपर्युक्त वर्ष में ही जारी कर दिए गए।

(ख) उपर्युक्त अनुदेश, सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध सहित जारी किए गए थे कि वे उन्हें अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा अपने नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में ला दें।

(ग) उपर्युक्त अनुदेशों का, सभी मंत्रालयों/विभागों और भारत-सरकार के अधीन संस्थाओं द्वारा पालन किया जाता है।

(घ) और (ङ) इस बारे में जानकारी, केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(च) रिक्त चले आ रहे आरक्षित पद भरने की समय-सीमा तय कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाने की वजह से कुछ पद रिक्त बने रह सकते हैं।

चीन द्वारा घुसपैठ का प्रयास

1928. **कुंवर अखिलेश सिंह :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन तिब्बतियों, नेपालियों और चीनियों को जासूसों के रूप में भेजकर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है जैसाकि 11, दिसम्बर, 2002 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घूमते रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने जासूस पकड़े गए और उनसे क्या सामग्री पकड़ी गई और क्या सूचना एकत्र की गई; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों की निगरानी करने और उनके आवर्तन को स्थायी रूप से रोकने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में कोई विशेष बात नहीं आयी है।

(ग) और (घ) समझी गई वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार पूर्वी, पश्चिमी और मध्य सैक्टरों के क्षेत्रों के भागों में घुसपैठ की छुट-पुट घटनाएं सूचित की गई हैं।

(ङ) भारत-चीन सीमा की चौकसी भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा की जाती है और सीमा पर लगातार चौकसी और निगरानी रखी जाती है। स्थिति पर निगरानी रखने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त रूप से गश्त भी लगाई जाती है।

[अनुवाद]

खानों का विनिवेश

1929. **श्री सुनील खां :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खानों के आरक्षित मूल्यों की अनदेखी करते हुए कुछ खानों विशेषकर जिंक, अल्मुनियम का बहुत सस्ते मूल्यों पर विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं और उनका विक्रय मूल्य क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, नहीं। खनिज रियायतें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधानों के तहत् प्रदान की जाती हैं। खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 37 के तहत् पट्टाधारक केन्द्र अथवा राज्य सरकार (जैसा भी संगत हो) के पूर्व अनुमोदन के बाद पट्टे का अंतरण कर सकता है बशर्ते कि पट्टाधारक अंतरिती पर, पट्टा प्राप्त करने और पट्टा क्षेत्र पर खनन प्रचालन संचालित करने हेतु व्यय की गई राशि के अतिरिक्त, अन्य कोई प्रीमियम न तो प्रभारित करेगा और न ही स्वीकार करेगा।

(ख) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

1930. **श्रीमती रेनु कुमारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) बिहार और झारखंड के कतिपय उच्च विद्यालयों की छात्राओं के लिए छात्रावास चलाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को चालू वित्त वर्ष के दौरान आवंटित धन का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आएं हैं जिनमें कहा गया है कि इन संगठनों ने केन्द्र सरकार से जाली दस्तावेज के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इन राज्यों में केन्द्र सरकार से निर्गत धनराशि से छात्राओं के लिए चलाए जा रहे छात्रावासों की वास्तविक जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) बालिकाओं के लिए छात्रावास और भोजन संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना के तहत राज्यवार अथवा जिलेवार निधियों का आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों जिनमें बिहार और झारखंड भी शामिल है, द्वारा अनुशंसित जिन पात्र स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव इस विभाग में प्राप्त होते हैं, उन्हें निधियां दी जाती हैं। पहली किश्त देने के बाद जिलाधीश से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं और इसके बाद अनुदान की अगली किश्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के अधिकारी भी समय-समय पर विभिन्न संगठनों का दौरा करते हैं। जाली दस्तावेजों के आधार पर अनुदान देने का कोई भी मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

सीमा विवाद

1931. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री भेरूलाल मीणा :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के बीच चल रहे सीमा विवाद की जानकारी है जैसा कि दिनांक 8 जनवरी, 2003 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों के बीच सुलझाए न गए सीमा विवाद के फलस्वरूप उत्तरांचल के लगभग 80 एकड़ क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है जबकि ग्रामीण लोग दोहरे कराधान की समस्या का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उत्तरांचल सरकार ने सूचित किया है कि यह विवाद देहरादून जिले की चकराता तहसील के छ: स्थानों नामत: पान्डुानू, सारन जंगल, कठंगड:, सिलासुखड्डा, पताला जंगल, पसिधर और लोकलांग पिल्लर जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से लगे हुए हैं, के बारे में है।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश द्वारा उत्तरांचल के 80 एकड़ क्षेत्र पर कथित दावे के बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ङ) अपने सीमा विवाद को निपटाने के लिए किसी भी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से संपर्क नहीं साधा है। संबंधित राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने मतभेदों को आपस में विचार-विमर्श तथा पारस्परिक मेल-मिलाप से हल करें।

[अनुवाद]

संकटापन्न प्रजातियों के लिए प्रयोगशाला स्थापित करना

1932. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फार सेल्यूलर एण्ड मोलिक्यूलर बायोलॉजी (सी०सी०एम०बी०) हैदराबार ने सेन्ट्रल जू अथारिटी (सी०जेड०ए०) को एक प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु हाल ही में एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों की आनुवांशिकी सामग्री भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित की जानी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत के पास पशुओं के क्लोन बनाने की क्षमता है;

(घ) यदि हां, तो क्लोनिंग के लिए संरक्षित प्रजातियों के नमूनों की संख्या क्या है;

(ङ) क्या (सी०जेड०ए०) विलुप्त हो गए पशुओं का रिकार्ड रख रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या संकटापन्न प्रजातियों में कृत्रिम वीर्य सेचन हेतु कोई अनुसंधान किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। सी०सी०एम०बी०, हैदराबाद द्वारा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सी०जेड०ए० और जैव प्रौद्योगिकी विभाग को भेजा गया था। सरकार ने इसको निधियां प्रदान करने की सहमति प्रदान कर दी है।

(ग) और (घ) जी, हां। सी०एस०आई०आर० की प्रयोगशाला एस०सी०एम०बी० ने पशुओं का क्लोन बनाने विषयक विशेषज्ञता विकसित की है। अभी तक किसी नमूने को संरक्षित नहीं किया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) जी हां। उपर्युक्त अनुसंधान कार्य सी०सी०एम० बी० और नेहरू जिओलॉजिकल पार्क, हैदराबाद में किया जा रहा है। शेरों, बाघों, तेंदुओं और हिरनों के लिए कृत्रिम वीर्य सेचन की तकनीक का मानकीकरण किया गया है।

बाढ़ प्रभावित राज्य

1933. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्री टी० गोविन्दन :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्षा/बाढ़ के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से जिले बाढ़ से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय दलों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो इस दल की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य में फसलों, पशुओं और जान-माल को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान आज तक राहत और पुनर्वास कार्यों हेतु प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बाढ़ आने की स्थिति में राहत देना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केवल गम्भीर स्वरूप की बाढ़/आपदाओं में ही, राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की सहायता मांगती है। अतः प्रत्येक राज्य में बाढ़ के संबंध में जिला-वार सूचना, इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) राहत के वित्तपोषण की वर्तमान स्कीम के अनुसार जो 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, राज्यों के पास, आपदा राहत निधि के अधीन निधियां सुलभ है, जिसमें केन्द्र सरकार का 75% अंशदान है। जहां पर आपदा गम्भीर स्वरूप की हो, राज्य सरकार के ज्ञापन, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट, अन्तर्मंत्रालीय ग्रुप की सिफारिशों और व्यय के मानदण्डों पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करायी जाती है, यदि संबंधित राज्यों के पास आपदा राहत निधि के अंतर्गत पर्याप्त धन उपलब्ध न हो। बाढ़/भारी वर्षा की स्थिति में राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता और सी०आर०एफ० के अन्तर्गत आबंटित राशि और वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के दौरान एन०सी०सी०एफ० से जारी राशि का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 से 2002-03 तक के दौरान बाढ़/भारी वर्षा की स्थिति में राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता और एन०सी० सी०एफ० से जारी की गई राशि का ब्यौरा

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य	आपदा	राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी सहायता	एन०सी०सी०एफ० से जारी सहायता	सी०आर०एफ० के अन्तर्गत आबंटन
1	2	3	4	5	6
2000-01					
1.	आन्ध्र प्रदेश	बाढ़	777.71	10.00 +	1998.06
2.	अरूणाचल प्रदेश	तेज बाढ़	139.10	2.00	12.02

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	वर्षा/बाढ़	975.87	29.67	66.96
4.	हिमाचल प्रदेश	तेज बाढ़	1730.89	8.29	43.49
5.	कर्नाटक	भारी वर्षा/बाढ़	435.83	@@	74.57
6.	मेघालय	चक्रवाती हवाएं	22.13	1.00	3.94
7.	पश्चिम बंगाल	वर्षा/बाढ़	1486.70	103.25	101.10
2001-02					
1.	अरूणाचल प्रदेश	वर्षा/बाढ़	278.26	20.44	207.96
2.	बिहार	बाढ़	735.45	@@	70.31
3.	छत्तीसगढ़	बाढ़	158.25	23.94	28.84
4.	हिमाचल प्रदेश	तेज बाढ़	83.33	42.50	45.66
5.	केरल	बाढ़	551.76	@@	70.61
6.	उड़ीसा	बाढ़	1530.88	100.00	114.94
2002-03					
1.	असम	बाढ़	484.19	@@	111.89
2.	अरूणाचल प्रदेश	बाढ़	134.63	12.78 #	13.25
3.	बिहार	बाढ़	874.71	@@	73.82
4.	केरल	बाढ़	146.32	@@ #	74.14
5.	महाराष्ट्र	बाढ़	153.56	@@	173.32
6.	मणिपुर	बाढ़	337.45	7.07 #	3.16
7.	उड़ीसा	बाढ़ - 2001		16.41 $	120.69

+ वर्ष 2001-02 के दौरान जारी की गई।

@@ क्योंकि सी०आर०एफ० के अंतगत पर्याप्त धन उपलब्ध था, अत: एन०सी०सी०एफ० से कोई सहायता अनुमोदित नहीं की गई।

एन०सी०सी०एफ० से धन के अलावा, अरूणाचल प्रदेश को 7.50 करोड़ रु० की सहायता और मणिपुर के लिए 0.34 करोड़ रु० की राशि, उनकी स्कीमों के तहत ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० से उपलब्ध करायी जाएगी और केरल को आई०ए०वाई० स्कीम के तहत 0.65 करोड़ रु० की राशि दी जाएगी।

$ 2001 की बाढ़ के दौरान एयर लिफ्टिंग के बिलों के भुगतान के लिए।

देश में जैव-उर्वरक इकाइयां

1934. **श्री महबूब जाहेदी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की देश में आठ जैव-उर्वरक विनिर्माण इकाईयां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने दुर्गापुर और सिलीगुड़ी स्थित अपनी दो कार्बनिक उर्वरक इकाईयां बंद कर दी हैं और किसानों को इस प्रयोग के साथ-साथ उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के जैव-उर्वरक संयंत्र दुर्गापुर, सिन्दरी, बरौनी, नामरूप, भोपाल, ग्वालियर, कटक और सिलिगुड़ी में स्थित हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को इसके दुर्गापुर और सिलिगुड़ी स्थित जैव उर्वरक संयंत्रों सहित बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसे प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एर्जेसी

1935. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव जनित आपदा से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एर्जेसी स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस एर्जेसी में शामिल किए जाने वाले विभाग के नाम क्या है;

(घ) क्या सभी राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन संबंधी कोई व्यापक दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन एर्जेसी स्थापित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन०डी०एम०ए०) स्थापित करने का एक प्रस्ताव चलाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, आपदा को कम करने/न्यूनीकरण के लिए सरकार की नीतियों का समन्वय करने/आदेश देने, सभी स्तरों पर पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करने, आपदा आने पर इससे निपटने की कार्रवाई और आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों का समन्वय करने के लिए जिम्मेवार होगा।

(ग) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में, स्वास्थ्य, जल संसाधन, कृषि, परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण और वन, रेलवे, कक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रसायन मंत्रालय/विभाग और भारतीय मौसम विभाग के प्रतिनिधि रखने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान्। राज्य सरकारों को परिचालित दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आपदा प्रबंधन के लिए पृथक विभाग/प्राधिकरण के सृजन, विशेषीकृत आपदा तलाशी और बचाव दलों का गठन करने, अग्नि शमन सेवाओं का सभी जोखिमों में कार्रवाई योग्य यूनिटों के रूप में उन्नयन करने, संयुक्त नियंत्रण कक्षों की स्थापना करने, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन रोडमैप/फ्रेम वर्क तैयार करने और जिला विशिष्ट आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाने, प्लान परियोजनाओं/विकास स्कीमों में आपदा प्रबन्धन के सभी पहलुओं को सम्मिलित करने, भूकम्प क्षेत्र-IV और V के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में भवनों के लिए बी०आई०एस०, कोडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, आपदा प्रबन्धन के लिए उपलब्ध संसाधनों की आन-लाईव-इन्वेन्टरी रखने, जागरूकता पैदा करने और सरकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों की पाठ्यपुस्तकों में आपदा संबंधी आधारभूत सामग्री सम्मिलित करने की सिफारिशें की गई है।

(च) और (छ) राज्य सरकारों को, आपदा न्यूनीकरण और उसके लिए तैयारी के साथ-साथ आपदा आने पर समन्वित कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा-प्रबंधन प्राधिकरण (डी०एम०ए०) स्थापित करने पर विचार करने की सलाह दी गई है।

उर्वरकों को बेचने के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता

1936. **डा० वी० सरोजा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक नियंत्रण के अंतर्गत इस समय कार्य कर रहे डीलरों के लिए अनुज्ञप्ति संबंधी आवश्यकता को समाप्त करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 7 के अधीन प्रत्येक डीलर को थोक या खुदरा डीलर के रूप में उर्वरक बिक्री कारोबार करने के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य था। सरकार ने 16.1.2003 को उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 7 को संशोधित कर दिया है और "पंजीयन प्रमाणपत्र" की अपेक्षा को समाप्त करते हुये "सूचना ज्ञापन" प्रावधान कर दिया है।

दिल्ली पुलिस के पास हथियार और गोला बारूद

1937. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के 'मालखाने' सीलबंद आरडीएक्स सहित हथियार और गोला बारूद से भरे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन हथियारों और गोला बारूद की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा जब्त हथियारों के निपटान या उन्हें नष्ट करने हेतु कोई नीति या कानून नियत किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) 'मालखाने' पर चौबीसों घंटे पहरा दिया जाता है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान्। राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को जब्त किए गए ऐसे आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद, जोकि पुराना या बेकार हैं, को केन्द्रीय रूप से नष्ट करने और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर रखने की सलाह दी गई है। वह अनुपात, जिसमें गैर-निषिद्ध श्रेणी के उपयोज्य (सर्विसेबल) आग्नेयास्त्र पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों को आबंटित किए जाएंगे, भी निर्धारित किया गया है।

नई भेषज नीति

1938. श्री पी०आर० खूंटे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर उच्च न्यायालय ने नई भेषज नीति का पुरजोर विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बंगलौर उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपनी स्थिति का समर्थन करने लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (घ) कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के परिणामस्वरूप 12.11.2002 को एक आदेश हुआ जो सरकार पर भेषज नीति-2002 की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने पर रोक लगाता है। सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

[हिन्दी]

पार्किंग स्थलों का दुरूपयोग

1939. श्री बीर सिंह महतो :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०डी०एम०सी० और एम०सी०डी० के अनेक पार्किंग स्थलों का दुरूपयोग किया जा रहा है जिससे ये स्थानीय निकाय अपनी संपत्ति का पूर्ण उपयोग और उनसे वित्तीय संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पहचान किए गए ऐसे स्थलों का ब्यौरा क्या है और उससे उन्हें कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खानों को बन्द किया जाना

1940. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत किसी कोयला खान को बन्द किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कोयला लिंकेज को बदलना

1941. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से रायलसीमा ताप विद्युत परियोजना के दूसरे चरण-II हेतु कोयला लिंकेज को महानदी कोलफील्ड्स तलचर से बदलकर सिंगरेनी कोयला खान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है और आन्ध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग को इस आशय का कोई निर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) जी, हां। ऊर्जा विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार से, रायलसीमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-II के लिए कोयला लिंकेज को महानदी कोलफील्ड्स तलचर से बदलकर सिंगरोनी कोलियरीज के साथ करने के लिए कोयला मंत्रालय में अगस्त, 2002 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस मुद्दे पर स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) की 6.1.2003 में हुई बैठक में चर्चा की गई थी। समिति टी०पी०पी० को कोयले के लिंकेज को महानदी कोलफील्ड्स लि० (एम०सी०एल०) से सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० (एस०सी०सी०एल०) को अन्तरित करने पर सहमत हो गई थी। स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) के निर्णय को मै० आन्ध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि०, महानदी कोलफील्ड्स लि०, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० तथा मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार को 4.2.2003 को संसूचित कर दिया गया है।

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

1942. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर राजस्थान में आज की स्थिति के अनुसार पूरी कर ली गई और समय से पीछे चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या समय से पीछे चल रही इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०), क्षेत्र सुधार परियोजना, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी०एस०सी०) के अंतर्गत परियोजनायें मंजूर करता है। ये परियोजनाएं 3 से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर और क्रियान्वित की जाती हैं।

राजस्थान में स्वीकृत की गईं, पूरी कर ली गईं और पीछे चल रही परियोजनाओं की संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

योजना का नाम	परियोजनाओं की संख्या		
	स्वीकृत की गई	पूरी कर ली गई	पीछे चल रहीं
1. एस०जी०एस०वाई०	10 (2000-01 से)	प्रगति पर	0
2. डी०पी०ए०पी०	182 (1995-96 से)	163	19
3. डी०डी०पी०	841	841	0
4. आई०डब्ल्यू०पी०	436 (1995-96 से)	2	2
5. टी०एस०सी०	9	0	0

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय इन परियोजनाओं में लागत वृद्धि के लिए धन उपलब्ध नहीं कराता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सम्पत्ति कर बिल

1943. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार से दिल्ली में सम्पत्ति कर के आंकलन हेतु नई यूनिट एरिया पद्धति को स्वीकृति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और दिल्ली संपत्ति कर बिल को कब तक स्वीकृति दिए जाने का संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

1944. श्री ब्रज मोहन राम :
डा० जसवंतसिंह यादव :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखण्ड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के उन जिलों के नाम व संख्या क्या हैं जहां नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं/खोले जाने हेतु अनुमोदित कर दिए गए हैं अथवा अनुमोदन हेतु लंबित हैं;

(ख) अनुमोदन में विलंब के कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड राज्यों के उन जिलों का ब्यौरा, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं/चलाए जा रहे हैं, संलग्न विवरण में दिए गए है। झारखंड के सिमडेगा जिले तथा पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में जवाहर नवोदय विद्यालयों को संस्वीकृत करने के प्रस्ताव लंबित हैं।

जबकि पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में विद्यालय को अनुमोदन दिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है झारखंड के सिमडेगा जिले का प्रस्ताव राज्य सरकार से अपेक्षित स्पष्टीकरण/सूचना के कारण लंबित है।

विवरण

राजस्थान, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के वे जिले जिनमें जवाहर नवोदय विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं/चलाए जा रहे हैं।

राजस्थान	झारखंड	पश्चिम बंगाल
1	2	3
1) अजमेर	1) बोकारो	1) दार्जलिंग
2) अलवर	2) छतरा	2) 24 नार्थ परगना
3) बांसवारा	3) देवघर	3) मुर्शीदाबाद
4) बारां	4) दुमका	
5) बाडमेर	5) गढवा	
6) भरतपुर	6) गिरीडीह	
7) भीलवाडा	7) गोड्डा	
8) बीकानेर	8) गुमला	
9) बूंदी	9) हजारीबाग	
10) चित्तोडगढ़	10) लोहरदग्गा	
11) चुरू	11) लतहार	
12) दौसा	12) रांची	
13) धौलपुर	13) साहिबगंज	
14) गंगानगर	14) सराय केल खरसवां	
15) जयपुर	15) कोडरमा	
16) जेसलमेर	16) पूर्वी सिंहभूम	
17) जालौर	17) धनबाद	

1	2	3
18) झालवाडा	18) जामतारा	
19) झुझनू	19) पाकुर	
20) जोधपुर	20) पलामू	
21) कोटा	21) पश्चिम सिंहभूम	
22) नागौर		
23) पाली		
24) राजसमंद		
25) सीकर		
26) सिरोही		
27) सवाई माधोपुर		
28) टोंक		
29) उदयपुर		
30) डूंगरपुर		
31) हनुमानगढ़		
32) करौली		

[अनुवाद]

अनुकम्पा के आधार पर आश्रितों को नियुक्ति

1945. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर आश्रितों को रोजगार देने और राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एन०सी०डब्ल्यू०ए०) का उल्लंघन करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और सहायक कंपनियों-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एन०सी०डब्ल्यू०ए० के अनुसार इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सूचित किए अनुसार, मुख्य शिकायत रोजगार के मामलों के निपटान में विलंब से संबंधित हैं। 1.1.2003 को विभिन्न स्तरों पर भिन्न-2 कारणों से अनुषंगी-वार लंबित मामलों की संख्या नीचे दी गयी है :—

ई०सी०एल०	1544
बी०सी०सी०एल०	140
सी०सी०एल०	205
डब्ल्यू०सी०एल०	348
एस०ई०सी०एल०	10
एन०सी०एल०	07
एम०सी०एल०	34
एन०ई०सी०	164
सी०एम०पी०डी०आई०एल०	15
कुल	2467

इन मामलों में स्वीकृति देने में विलंब के प्रमुख कारण निम्न हैं :—

1. अपूर्ण आवेदन की प्राप्ति
2. नाम, आयु, संबंध आदि में अन्तर।
3. एक से अधिक आश्रित द्वारा दावा।
4. निर्धारित तिथि को समिति के समक्ष आश्रित का उपस्थित न होना।
5. देर से प्राप्त हेतु दावे।
6. विभिन्न न्यायालयों में निर्णयाधीन मामले।
7. महिला आश्रितों को मौद्रिक मुआवजा स्वीकार करने के लिए मनाना।
8. ई०सी०एल० में वित्तीय बाध्यता के चलते, 1988 में निदेशक मंडल ने रोजगार पर रोक लगाने/करने का निर्णय लिया था। तथापि, केन्द्रीय श्रमिक संघों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात्, आवश्यकता के अनुसार रोजगार चरणबद्ध रूप से प्रदान करने पर आम सहमति बनी है।

तथापि, अनुषंगी कंपनियां इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए उचित कार्रवाई कर रही है।

(ग) ई०सी०एल० के मामले में, श्रमिक संघों के साथ परामर्श करके चरणबद्ध रूप से रोजगार देने का निर्णय लिया गया है। इसके

अलावा, मंत्रालय भी अनुकंपा नियुक्ति के मामलों के लंबन की मासिक आधार पर निगरानी कर रहा है और सभी अनुषंगी कंपनियों को मामलों को शीघ्र निपटान के अनुदेश दिए गए हैं।

छोटे शहरों और कस्बों का विकास

1946. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बड़े शहरों में भीड़-भाड़ की समस्या से बचने के लिए छोटे शहरों और कस्बों के विकास की जरूरत का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छोटे शहरों के कस्बों के विकास की प्रक्रिया में क्या समस्याएं सामने आ रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने महानगरों में भीड़-भाड़ होने और गांवों से शहरों में लोगों के पलायन की समस्या का दस्तावेज तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में भीड़-भाड़ वाले 100 शहरों और कस्बों की जनसंख्या कितनी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां।

छोटे शहरों और कस्बों की मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं:—

(i) अपर्याप्त शहरी अवस्थापना-भौतिक, आर्थिक और सामाजिक;

(ii) कर की वसूली कम होने और कर-रहित राजस्व के परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों का कमजोर वित्तीय आधार;

(iii) शहरी विकास योजनाएं तैयार करने और लागू करने के लिए तकनीकी स्टाफ अपर्याप्त होना;

उपर्युक्त समस्याओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए और बड़े शहरों में भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकार को छोटे और मझोले कस्बों के सुव्यवस्थित विकास की आवश्यकता अनुभव हुई तद्नुसार छठी पंचवर्षीय योजना (1979-80) में छोटे और मझौले कस्बों के समन्वित विकास की योजना शुरू की गई जो अब तक चल रही है। इस योजना के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:—

(i) छोटे और मझोले कस्बों में अवस्थापना सुविधाओं में सुधार;

(ii) आर्थिक विकास का विकेन्द्रीकरण और रोजगार अवसरों का विकास;

(iii) विकेन्द्रित शहरीकरण को बढ़ावा देना;

(iv) स्थानिक और समाजार्थिक आयोजना को समन्वित करना;

(v) छोटे एवं मझोले कस्बों में स्थानीय निकायों की समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार।

यह योजना 1991 की जनणगना के अनुसार 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में लागू हैं।

पांच मेगा शहरों में बुनियादी सेवा विकास की एक अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजना 1993-94 के दौरान शुरू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत वसूली उपायों के माध्यम से शहरी अवस्थापना में निरंतर निवेश हेतु धनराशि मुहैया कराना था। योजना का प्रधान उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों से बड़ी संख्या में होने वाले प्रवसन के कारण मेगा शहरों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन शहरों का अवस्थापना विकास करना है।

आई०डी०एस०एम०टी० और मेगा शहर योजनाओं के माध्यम से अवस्थापना सहायता का उद्देश्य शहरी जरूरतों की ओर ध्यान देना, जल आपूर्ति, सफाई प्रबंध, कचरा निपटान, शहरी परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं में सुधार करना तथा भीड़भाड़ कम करने के लिए रिहायशी कालोनियों और उपनगरों का विकास करना है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसंधान और विकास संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता दिया जाना

1947. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में अनुसंधान और विकास संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार दसवीं योजना के दौरान अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों पर खर्च को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों पर इस समय किया जा रहा व्यय भारत की अपेक्षा छोटे देशों में किए जा रहे व्यय से काफी कम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में काम कर रहे स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थानों को वित्तीय और प्रशासनिक मामलों दोनों में व्यापक स्वायत्तता प्राप्त है।

(ग) और (घ) सरकार ने 10वीं योजना में आर० एण्ड डी० के लिए संवर्धित अनुदान आबंटित किए हैं। जो 9वीं योजना में किए गए आबंटन से लगभग दुगुनी है। इसके अतिरिक्त, एस० एण्ड टी० संस्थानों की सुविधाओं और अवसंरचना को आधुनिकृत करने के लिए आवश्यकता के आधार पर विशेष अनुदान भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। भारत में आर० एण्ड डी० गतिविधियों पर होने वाला खर्च अन्य बहुत से छोटे विकासशील देशों द्वारा आर० एण्ड डी० पर किए जाने वाले खर्च से अधिक है।

नवोदय महाविद्यालयों की स्थापना

1948. **श्री दिलीप संघाणी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार का विचार देश में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर नवोदय महाविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर गुजरात का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पेटेंट कानून

1949. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** :
डा० रामचन्द्र डोम :
श्री पी० राजेन्द्रन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेटेंट कानून न होने का बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) नई औषधियों की खोज के लिए अनुसंधान संबंधी निवेश पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है;

(घ) देश में पेटेंट की गई दवाओं विशेषकर जीवनरक्षक दवाओं की कुल संख्या क्या है; और

(ङ) भारत में विश्व व्यापार संगठन प्रणाली के पहले और बाद के समय के दौरान पेटेंट की गई दवाओं की कीमतों में हुई वृद्धि दर क्या है और इसका देश के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) प्रत्येक बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को भारत सरकार द्वारा मानीटर नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में भेषजों के लिए उत्पाद पेटेंट का प्रावधान नहीं है।

शैक्षिक संस्थानों द्वारा एफ एम रेडियो का उपयोग

1950. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी शैक्षिक संस्थानों द्वारा 'रेडियो रिवॉल्युशन' नामक एफएम बैन्ड वाले रेडियो के प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक प्रयोग में लाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) सरकार ने केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सुस्थापित शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों को समुदाय प्रसारण लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। इनमें विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान तथा आवासीय स्कूल शामिल होंगे। समुदाय रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस देने हेतु पात्र शैक्षिक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करने वाला एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है जो फरवरी, 2003 के प्रथम पखवाड़े में विभिन्न दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण की जांच

1951. **श्री सईदुज्जमा** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हर तीन महीने पर प्रदूषण रहित वाहनों (यूरो-II) के साथ-साथ सभी वाहनों की प्रदूषण संबंधी जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान कितने वाहनों की जांच की गई;

(घ) क्या यह सही है कि अधिकांश वाहनों की समय पर जांच नहीं की गई और यातायात पुलिस की उपेक्षा के कारण वे इससे बच गए;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में नियमों को और सख्ती से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार जांच शुल्क कम करने और यूरो-II वाहनों को इससे मुक्त रखने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 99(1) के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115(7) के अनुसार प्रत्येक मोटर वाहन को अपने पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर वैद्य "प्रदूषण नियंत्रित" प्रमाण पत्र लेना होता है।

(ग) वर्ष 2002 के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसी 32,85,183 जांच की गई थी।

(घ) "प्रदूषण नियंत्रित" प्रमाण पत्र न रखने वाले वाहनों पर नियमित रूप से दंडिक कार्रवाई करने के बावजूद कुछ वाहन मालिक अपने वाहनों की अपेक्षित जांच करवाने को टाल देते हैं।

(ङ) उठाए गए कदमों में चूक करने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमित रूप से दांडिक कार्रवाई करना और समय-समय पर जन जागरण अभियान चलाना ताकि लोगों को वैधानिक उपबन्धों के साथ-साथ वाहन प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित किया जा सके।

(च) जी नहीं, श्रीमान।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

1952. श्री रामदास आठवले : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न श्रेणी के कुछ आरक्षित पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई है और वहां नई भर्ती की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान आजतक की गई नई भर्तियों का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और प्रोन्नति में निर्धारित नियमों का अनुपालन किया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। सुनम्य पूरक स्कीम के अंतर्गत वैज्ञानिकों को प्रोन्नत किया जाता है जो कि रिक्ति आधारित नहीं होता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभाग में समूह वार की गई नियुक्तियों की संख्या नीचे दी गई है।

समूह वार	वर्ष 2000	वर्ष 2001	वर्ष 2002	2003-26.2.2003 तक
समूह-क	1	1	—	—
समूह-ख अराजपत्रित	—	—	—	—
समूह-ग	1 (अ०जा०)	2 (अ०जा०)	—	—
समूह-घ	—	1 (अपिव)	1 (अपिव)	—
कुल	2	4	1	शून्य

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादन

1953. श्री विनय कुमार सोराके : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज किए जाने के कारण वित्त तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले की मांग कम होने से गत तीन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कोयले में सल्फर के कम होने किन्तु अदहनशील पदार्थों की मात्रा अधिक होने से उपोत्पाद के रूप में राख (फ्लाई ऐश) का संचयन अधिक हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस की तुलना में इसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मुहानो (पिटहेड्स) पर लाभप्रद संयंत्रों को स्थापित करने का विचार किया है; और

(च) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में कोयले का उत्पादन वर्ष 2000-2001 में 313.70 मिलियन टन से बढ़कर 2001-02 में 327.79 मिलियन टन हो गया है।

(ग) और (घ) "ड्रिफ्ट ओरिजन" के कारण भारतीय कोयला आमतौर से उच्च नॉन-काम्बुस्टिबल पदार्थ का होता है जिसके परिणामत: राख पैदा होती है। भारतीय कोयले में राख तत्व लगभग 10% से 50% के बीच होता है। तथापि, भारतीय कोयले में टरशरी असम कोयला को छोड़कर आमतौर से 0.5% से कम का निम्न सल्फर तत्व होता है।

(ङ) और (च) पिट हैड पर नए नॉन-कोकिंग कोयला परिष्करण संयन्त्रों की स्थापना करना मुख्यत: पर्यावरणीय कारणों से आवश्यक है। वर्तमान में सी०आई०एल० नॉन-कोकिंग कोयले के परिष्करण के लिए छ: वाशरियां, नामत:, दुग्दा, लोडना, करगली, गिडडी, पीपरवार और बीना प्रचालित कर रही है। सरकार निजी वाशरियों द्वारा उच्च राख वाले कोयले की धुलाई को प्रोत्साहित करती है।

1984 के दंगे

1954. श्री जे०एस० बराड़ : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि 1984 के दंगों हेतु पकड़े गए लोगों को दोष मुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1984 के दंगे के सभी पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) उन 373 मामलों की वर्तमान स्थिति, जिनमें 1984 के दंगों के संबंध में आरोप पत्र दायर किए गए थे, निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	स्थिति	मामलों की संख्या
1.	दोषमुक्त	321
2.	दोष सिद्ध	29
3.	बरी किए गए	08
4.	रिकार्ड रूम के सुपुर्द किए	07
5.	विचारण के लिए लम्बित	08

(ग) और (घ) जबकि 2292 मामलों में उचि मुआवजा दे दिया गया है, फिर भी 155 मामले ऐसे हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों जैसे, मामले के न्यायाधीन होने, संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने और दावों के बारे में विवाद इत्यादि के कारण, निपटाया नहीं जा सका।

सी०बी०एस०ई०

1955. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) ने परीक्षार्थियों को विज्ञान/गणित और भौतिकी में कम प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या छात्रों को उत्तर हेतु प्रश्नों का चयन करने दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। परीक्षा सुधार एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न मंचों पर तथा इन विषयों के पाठ्यक्रमों से संबंधित समिति में विचार-विमर्श करने के पश्चात कक्षा X विज्ञान, कक्षा XII गणित और भौतिकी के प्रश्न पत्रों का डिजाइन नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संशोधित किया गया था।

विषय	2002 तक प्रश्नों की कुल संख्या	2003 में प्रश्नों की कुल संख्या
विज्ञान-X	33	30
गणित-XII	30	26
भौतिकी-XII	30	27

(ग) और (घ) जी, हां। कक्षा 10 में विज्ञान के पांच प्रश्नों और कक्षा XII में विज्ञान और गणित में से प्रत्येक के 5 प्रश्नों में आतंरिक विकल्प प्रदान किये गये हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अदालतों में डी०डी०ए० के लंबित मामले

1956. प्रो० दुखा भगत : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित अनेकों मामले अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में कुल कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) इनमें से ऐसे कितने मामले हैं जो पांच वर्षों या इससे अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आज की तारीख तक विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों की अनुमानित संख्या 11,373 है जिसमें से 5028 मामले पांच वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से लम्बित हैं।

आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन

1957. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में आतंकवाद पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्य सूची में शामिल उन विषयों का ब्यौरा क्या है जिन पर इसमें चर्चा की गई;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन देशों के नेताओं ने भाग लिया; और

(घ) इस सम्मेलन में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अनुमोदित कार्य योजना कौन-सी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। पूरे विश्व में बढ़ रहे आतंकवाद पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करने के लिए 10-11 फरवरी, 2003 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में 42 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(घ) सम्मेलन में, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीनार संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करके पूरे विश्व में, व्यापक युवा जागरण कार्यक्रम चलाने और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आतंकवाद के विरूद्ध समुचित विधायन बनाने के लिए विश्व की सरकारों को राजी करवाने तथा युवाओं, महिलाओं और बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा देने को रोकने के लिए जन शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के लिए आतंकवाद पर प्रस्तावित युवाओं की विश्व परिषद का स्थायी सचिवालय, नई दिल्ली, भारत में स्थापित करने पर आम सहमति बनी है।

[हिन्दी]

सेक्टर सुधार परियोजनाएं

1958. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जहां वर्ष 1999 से फरवरी, 2003 के दौरान सेक्टर सुधार परियोजना के अंतर्गत पेयजल योजनाएं अनुमोदित और क्रियान्वित की गई हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारें गैर-सरकारी संगठनों या अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इन परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन जिलों में इस कार्य के प्रचार हेतु और गैर-सरकारी संगठनों/एजेंसियों का चयन किया गया हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इनका कब तक चयन किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या ये गैर-सरकारी संगठन/एजेसियां सरकार द्वारा स्वीकृत हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना के प्रचार-प्रसार हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) उस राज्य के प्रत्येक जिलों की संख्या, जहां क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत पेयजल परियोजनाएं 1999 से फरवरी, 2003 तक अनुमोदित और कार्यान्वित की गई है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ज) क्षेत्र सुधार परियोजनाओं का कार्यान्वयन समुदाय द्वारा विकेन्द्रीकृत और मांग आधारित दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। कार्यान्वियन एजेंसी योजना के प्रकार और संसाधनों की उपलब्धता आदि के आधार पर परियोजनाओं की संख्या और उनके कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी की सीमा का निर्णय करती है। राज्य सरकारें और जिला जल और स्वच्छता मिशन स्वयं यह निर्णय करते हैं कि कार्यान्वियन में गैर-सरकारी संगठन को शामिल किया जाए या नहीं। दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार जिला जल और स्वच्छता मिशन के लिए तीन गैर-सरकारी संगठनों को अनुमोदित करती रही है परंतु अब इसकी शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई हैं। प्रचार के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। तथापि, सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा मानव संसाधन विकास पर व्यय की सीमा 10% निर्धारित की गई है।

विवरण

क्र०सं०	जिला का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1999-2000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं		
1.	लोहित	अरूणाचल प्रदेश
2.	पश्चिमी सिआंग	अरूणाचल प्रदेश
3.	जोरहट	असम
4.	कामरूप	असम
5.	सोनितपुर	असम
6.	वैशाली	बिहार
7.	मेहसाना	गुजरात
8.	राजकोट	गुजरात
9.	सूरत	गुजरात
10.	करनाल	हरियाणा
11.	यमुना नगर	हरियाणा
12.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश
13.	श्रीनगर	जम्मू व काश्मीर
14.	उधमपुर	जम्मू व काश्मीर
15.	धनबाद	झारखंड
16.	बरेली	कर्नाटक
17.	मंगलौर	कर्नाटक
18.	मैसूर	कर्नाटक
19.	कसरागौड़	केरल
20.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
21.	सिहोर	मध्य प्रदेश
22.	अमरावती	महाराष्ट्र
23.	धुले	महाराष्ट्र
24.	नांदेड	महाराष्ट्र
25.	रायगढ़	महाराष्ट्र
26.	सेरचिप	मिजोरम
27.	दीमापुर	नागालैंड

1	2	3
28.	भटिंडा	पंजाब
29.	मोगा	पंजाब
30.	अलवर	राजस्थान
31.	जयपुर	राजस्थान
32.	सीकर	राजस्थान
33.	सिक्किम दक्षिण	सिक्किम
34.	सिक्किम पश्चिम	सिक्किम
35.	कोम्बटूर	तमिलनाडु
36.	कुड्डालौर	तमिलनाडु
37.	वेलोर	तमिलनाडु
38.	पश्चिम त्रिपुरा	त्रिपुरा
39.	चंदौली	उत्तर प्रदेश
40.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
41.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश
42	सोनभद्रा	उत्तर प्रदेश
2000-01 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं		
1.	चित्तौड़े	आंध्र प्रदेश
2.	खम्माम	आंध्र प्रदेश
3.	नालगौंडा	आंध्र प्रदेश
4.	प्रकासम	आंध्र प्रदेश
5.	कोलाम	केरल
6.	होशांगाबाद	मध्य प्रदेश
7.	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश
8.	रायसेन	मध्य प्रदेश
9.	बालासौर	उड़ीसा
10.	सुंदरगढ़	उड़ीसा
11.	मुक्तसर	पंजाब
12.	पेरम्बलूर	तमिलनाडु
13.	आगरा	उत्तर प्रदेश
14.	मीदनापुर	पश्चिम बंगाल
15.	एन० 24 परगना	पश्चिम बंगाल
2001-2002 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं		
1.	नेलौर	आंध्र प्रदेश
2.	दुर्ग	छत्तीसगढ़
3.	री-भोई	मेघालय
4.	गंजम	उड़ीसा
5.	राजसामंद	राजस्थान
6.	हरिद्वार	उत्तरांचल
2002-2003 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं		
1.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2.	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश
3.	कांचीपुरम	तमिलनाडु
4.	विरूधुनगर	तमिलनाडु

[अनुवाद]

पुलिस बल को उपकरण

1959. डा० डी०वी०जी० शंकर राव : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश ने उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपने पुलिस बल को चालक रहित विमान (यू०एवी०) से लैस करने हेतु सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख)

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए मानवरहित वायुयान खरीदने हेतु एक प्रस्ताव जून, 1998 में प्रस्तुत किया था। रक्षा मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल के साथ परामर्श करके इसकी जांच की गई थी और यह उस काम के लिए उपयोगी नहीं पाया गया जिसके लिए इसे खरीदने का प्रस्ताव था। राज्य सरकार को तदनुसार अप्रैल, 1999 में सूचित कर दिया गया था।

आतंकवादी संगठनों से वार्ता

1960. डा० जयन्त रंगपी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद किन-किन आतंकवादी संगठनों से वार्ता कर रही है;

(ख) एन०एस०सी०एन०, यू०पी०डी०एस०, डी०एच०डी० ने सरकार के सामने संगठनवार क्या-क्या मांगे रखी है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में की गई मांगों के हल के रूप में असम के पहाड़ी जिलों के लिए अनुच्छेद 244(क) के अनुसार एक स्वायत्त राज्य बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो असम के करबी आंगलान्ग और उत्तरी काचर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक स्वायत्त राज्य की मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्राल में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (आई/एम) गुट, (एन०एस०सी०एन०-आई०एम०), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (खापलांग गुट), दीमा हालम दाओगा (डी०एच०डी०) और यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलीडेरेटी (यू०पी०डी०एस०) के साथ संघर्ष विराम समझौता किया है लेकिन वार्ता केवल एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के साथ चल रही है। माह जनवरी, 2003 में भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (आई०एम०), के प्रतिनिधियों के मध्य हुई वार्ताओं के दौरान, एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) ने अन्य मुद्दों के साथ-साथ, नागाओं की विशिष्ट पहचान और नागा क्षेत्रों के एकीकरण पर अपने रूख के संबंध में अपनी मांगे उठाई। स्थायी समाधान न होने तक औपचारिक वार्ता जारी रखने पर सहमति हुई। दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण, हिंसा-मुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता को दोहराया।

(ग) इस समय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(क) के अंतर्गत असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

जल की गुणवत्ता से प्रभावित गांव

1961. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य :
श्री अम्बरीश :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पेयजल की गुणवत्ता से प्रभावित गांवों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय राज्यवार ऐसे कितने गांव हैं;

(ग) इन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अनुमानतः कितना व्यय कए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे गांवों के लिए पेयजल योजना हेतु शत-प्रतिशत धनराशि आवंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। प्रारंभ में 1991-94 के दौरान जल गुणवत्ता सर्वेक्षण किया गया था। इसका राज्यों द्वारा 1998-99 के दौरान समीक्षा और संशोधन किया गया। तदनुसार 1.4.1999 की स्थिति के अनुसार जल गुणवता प्रभावित बसावटों की कुल संख्या 217111 है।

दिसम्बर, 1999 में राज्य सरकारों को गुणवत्ता प्रभावित बसावट का पुनः सर्वेक्षण कराने की सलाह दी गयी थी। यह सर्वेक्षण अब भी कुछ राज्यों में प्रगति पर है। आज तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपलब्ध नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

विवरण

जल गुणवत्ता सर्वे (नवीन) के आधार पर और 1.4.1999 (गत) की स्थिति के अनुसार गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की स्थिति

सं०	राज्य	फ्लोराइड		खारापन		लौह		आर्सेनिक		नाइट्रेट		कुल		टिप्पणी
		गत	चालू	गत	चालू	गत	चालू	गत	चालू	गत	चालू	गत	चालू	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	तमिलनाडु	1835	3555	5219	3420	1000	2532			4000	6933	12054	16440	समग्र वृद्धि-पावर पम्प स्रोत हैंडपंपों से कम प्रदूषित होते हैं
2.	राजस्थान	16560	22021	14412	19249		103				3862	30972	45235	समग्र वृद्धि
3.	गुजरात	2826	2383	1048	1739					762	603	4636	4725	समग्र वृद्धि पहले चुनिंदा समस्याग्रस्त गांवों के लगभग 70% को पहले ही कवर कर लिया गया है
4.	पश्चिम बंगाल	52	369		809		18647	3133	4243			3185	24068	समग्र वृद्धि
5.	पांडिचेरी	14	6	5	6	17	17					36	29	समग्र वृद्धि
6.	दिल्ली		5		19		1				23		48	
7.	हिमाचल प्रदेश													राज्य के अनुसार समस्याग्रस्त को पूर्णत कवर के रूप में नहीं लिया गया है
8.	गोआ													
9.	अरूणाचल प्रदेश													
10.	उत्तरांचल													
11.	लक्षद्वीप		0	0	10							10		प्रभावी समाधान समस्याग्रस्त को पूर्णत कवर के रूप में नहीं लिया गया है
12.	दादर व नागर हवेली													राज्य के अनुसार समस्याग्रस्त को पूर्णत कवर के रूप में नहीं लिया गया है
13.	चंडीगढ़													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	दमन द्वीव													
15.	कर्नाटक	954	5822	1002	4401	483	6629	417			4077	2439	20929	समग्र वृद्धि नाइट्रेट प्रमुख समस्या के रूप में उभरी, 417 मामलों में संखिया
16.	पंजाब	997	46	776	3269	28	285				1	1801	3600	समग्र वृद्धि पूर्णत कवर
17.	हरियाणा	131	202		69							131	271	समग्र वृद्धि पूर्णत कवर
18.	मध्य प्रदेश	1679	5692	762		65						2506	5692	समग्र वृद्धि
19.	छत्तीसगढ़		21									21	21	
20.	आंध्र प्रदेश	8301	5794	5518	3884	441	243					14260	9921	समग्र वृद्धि

विश्वविद्यालयों की प्रबंधन संरचना में बदलाव

1962. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च जी०डी०पी० के लिए विश्वविद्यालयों की प्रबंधन संरचना में बदलाव लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के संबंध में ज्ञानम समिति और सोनम समिति की सिफारिशों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) उच्चतर शिक्षा के विकास के संबंध में दसवी पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ उन विभिन्न परिवर्तनों पर बल दिया गया है जो विश्वविद्यालयों की प्रबंधन संरचना में वांछनीय हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सोनेरी समिति ने इस संबंध में ज्ञानम् समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया था। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है। ये सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी विश्वविद्यालयों को भेज दी गई थीं।

विवरण

सोनेरी समिति द्वारा स्वीकृत ज्ञानम समिति की सिफारिशों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं :—

— विश्वविद्यालय की प्रबंधन पद्धति तय करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि शैक्षिक प्रशासन सरकारी अथवा निगमित प्रणाली में प्रचलित प्रशासन से बहुत भिन्न है और यह सहभागिता, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता तथा जबावदेही के सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिए

— विश्वविद्यालय प्रणाली की प्रबंधकीय पद्धतियों में अनिवार्य रूप से उदारता होनी चाहिए ताकि वे देश तथा क्षेत्र की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आपको तत्काल ढाल कर नवाचार प्रयोग तथा परीक्षण कर सकें। इसलिए एकल पद्धति विश्वविद्यालय अधिनियम की संरचना के भीतर सभी विश्वविद्यालयों की संरचनाओं को लाने का कोई भी प्रयास इस प्रक्रिया में आधा साबित होगा। इसलिए विश्वविद्यालय प्रबंधन की स्थूल पद्धति निर्धारित करते समय विधानों को चाहिए कि वे प्रत्येक विश्वविद्यालय को उसके द्वारा संविधियों तथा अध्यादेशों के माध्यम से सम्बद्ध विवरण बनाने की अनुमति दें।

— सांविधिक और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन की वर्तमान प्रणाली उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुरूप नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रणाली के घटकों को अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्त बनाने के लिए आमूलचूल संरचनात्मक परिवर्तन करने होंगे।

— विश्वविद्यालय के विभाग की गिनती उसकी मूलभूत कार्यात्मक इकाइयों में होती है इसलिए इसे स्वतंत्रता से कार्य करना चाहिए तथा इसके पास अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां होनी चाहिए।

— कालेजों को शैक्षिक स्वायत्ता देने के लिए की गई पहल को और तेज करना चाहिए तथा सभी कालेजों को स्वायत्त बनाने का लक्ष्य एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

— सभी स्तरों पर जबावदेही निर्धारित की जानी चाहिए। विभागाध्यक्षों/डीनों/निदेशकों के माध्यम से शिक्षकों की जबावदेही कुलपति तथा विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय कुलपति के माध्यम से समाज के प्रति जबावदेह होना चाहिए। विश्वविद्यालय समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि स्वायत्तता और शैक्षिक स्वतंत्रता उन्हें जबावदेही से मुक्त नहीं करती है।

— विश्वविद्यालयों के निकायों/प्राधिकरणों, विशेष रूप से अकादमी परिषदों, आयोजना बोर्डों, संकायों, अध्ययन बोर्डों, तथा अनुसंधान और विस्तार बोर्डों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के अनुसंधान वैज्ञानिकों और विद्वानों (विज्ञान तथा मानविकी/समाजिक विज्ञान) को नामित किया जाना चाहिए।

— विश्वविद्यालयों में काफी समय से परीक्षा प्रक्रिया हेतु कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाता रहा है। तथापि, प्रशासनिक क्षेत्रों के अन्य कार्यकलापों जैसे वित्त, बजट, स्टाफ रोस्टर, वेतन पंजिका, पुस्तकालय सेवाओं और सम्पदा प्रबंधन में भी कारगार ढंग से इनका उपयोग किया जा सकता है।

इंडिया गेट की संरक्षा/संरक्षण के लिए योजना

1963. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के असंरक्षित इंडिया गेट जहां बहादुर सैनिकों के नाम अंकित हैं की संरक्षा/संरक्षण के लिए कोई विस्तृत योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) इंडिया गेट का अनुरक्षण (रखरखाव) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी०पी०डब्ल्यू०डी०) द्वारा किया जा रहा है और संरचना की प्रतिष्ठा के अनुरूप उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रिक्तियां

1964. **श्री वी०एस० शिवकुमार :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप इसके सदस्यों की संख्या पूरी करने हेतु सदस्य नियुक्त करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं। श्रीमान।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (पी०एच०आर० अधिनियम, 1993) की धारा 4 के अनुसार की जाती है। इस समय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केवल एक सदस्य का पद रिक्त है। इस रिक्ति को पी०एच०आर० अधिनियम, 1993 के उपबन्धों के अनुसार भरा जाएगा।

इस्पात कचरे को पुनः प्रयोग में लाने की प्रौद्योगिकी

1965. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात बनाने की प्रक्रिया में उत्पादित कचरे को पुनः प्रयोग में लाने/इसका उपयोग करने की नई प्रौद्योगिकी विकसित करने का है जैसाकि दिनांक 11 फरवरी, 2003 के हिन्दी दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक प्रयोजन से कब तक उपयोग किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राहत दल की स्थापना

1966. **श्री अकबर अली खांदोकर :**
श्री दिन्शा पटेल :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में सैकड़ों लोग प्रति वर्ष राष्ट्रीय आपदा/मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत कार्य संभालने हेतु सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त खोज और राहत दलों की अनुपलब्धता के कारण मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के किसी भी भाग में यथाआवश्यक समय पर राहत कार्य करने हेतु ऐसे राहत दलों की स्थापना का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि के दौरान राहत कार्य करने के लिए अग्निशमन कार्मिकों, चिकित्सा कार्मिकों अभियंता आदि संयुक्त खोज और राहत दलों की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो अन्य कौन-कौन से राज्यों ने केन्द्र सरकार को ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं; और

(च) आज की स्थिति के अनुसार इन प्रस्तावों की क्या स्थिति है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने आपदाओं की स्थिति में तलाशी और बचाव तथा आपतकालीन कार्रवाई के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, प्रत्येक की छः कंपनियों को विशेषज्ञता प्राप्त त्वरित कार्रवाई यूनिटों के रूप में उद्दिष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, के०औ०सु० बल की चार कंपनियां भी नाभिकीय, जैविक तथा रसायनिक (एन०बी०सी०) आपदाओं के लिए उद्दिष्ट की गई हैं। विशिष्ट प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

(घ) से (च) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ, विशेषज्ञता प्राप्त मिली-जुली तलाशी एवं बचाव टीमें स्थापित

करने पर विचार करने का परामर्श दिया जिसमें राज्य सशस्त्र पुलिस की एक कंपनी जो तलाशी एवं बचाव कार्य करने में प्रशिक्षित और सज्जित हो, आवश्यक उपकरणों सहित एक मोबाइल इंजीनियरिंग यूनिट तथा एक चिकित्सा सहायता टीम शामिल हो। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि टीमों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वह पदनामित अधिकारी के समग्र प्रभार के अधीन एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें। राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की मार्च, 2003 में राज्य राहत आयुक्तों के सम्मेलन में पुनरीक्षा की जाएगी।

राज्यों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का हस्तांतरण

1967. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित कुछ ग्रामीण विकास योजनाओं को राज्य योजना में हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजनावार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों को योजनाओं की प्राथमिकता और कार्यान्वयन संबंध में निर्णय लेने के अधिकार प्रदान किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) योजना आयोग के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किये गये शून्य आधारित बजट के आधार पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल हैं, को अन्नपूर्णा योजना के साथ वर्ष 2002-2003 से राज्य योजना को अंतरित कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य योजना को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशि रिलीज की जाती है और योजनाओं के चयन और कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त छूट दी गई है।

[हिन्दी]

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन

1968. श्री जय प्रकाश : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार से ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर मौजूदा जुर्माने को दस गुना तक बढ़ाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस आग्रह पर विचार करते हुए मोटर यान अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लागू मोटर वाहन अधिनियिम, 1988 में, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त अधिनियम के अधीन दंड में वृद्धि करने की व्यवस्था करने संबंधी एक प्रस्ताव भेजा था। उक्त सरकार को तथापि, इस मामले की पुन: जांच करने का परामर्श दिया गया है क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त अधिनियम के अधीन कुछ दंडों में वृद्धि करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करने संबंधी एक प्रस्ताव पहले ही केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा चालित ट्रैफिक सिग्नल

1969. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्रैफिक लाइटों के प्रचालन के लिए सभी राज्य सरकारों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों से इस विषय पर कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की गैर योजना स्कीम जिसे गृह मंत्रालय 50:50 लागत भागीदारी के आधार पर चलाता है, के तहत अन्य बातों के साथ-साथ, यातायात नियंत्रण उपकरणों के लिए भी निधि आबंटित की जाती है। वर्ष 2002-03 के दौरान दो राज्य सरकारों नामत: कर्नाटक और बिहार ने क्रमश: 45 लाख रु० और 210 लाख रु० की राशि के सोलर पावर्ड ट्रैफिक

सिग्नल लाइटों के लिए अपनी मांग प्रस्तुत की है। वर्ष 2002-03 के लिए सोलर पावर्ड ट्रैफिक सिग्नल सहित कर्नाटक के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 160.01 करोड़ रु० की योजना मंजूर की गई है तथा राज्य को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 75 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है जिसमें राज्य में पोलनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समन्वय निदेशालय (पुलिस वायर लैस) को सौंपी गई 38,93,938.00 रु० की राशि भी शामिल है। बिहार की योजना हाल ही में प्राप्त हुई है।

बंगलौर के लिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

1970. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक जनसंख्या वाले बंगलौर शहर के लिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को पूरी तरह से आरंभ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मेट्रो रेल अथवा ई०एल०आर०टी०एस० को आरंभ किये जाने से संबंधित निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) बंगलौर के लिए मध्यम-भारी रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणाली के लिए परियोजना रिपोर्ट का मसौदा (डी०पी०आर०) तैयार किया जा रहा है और डी०पी०आर० उपलब्ध होने के बाद ही इस मामले पर निर्णय लिया जा सकता है।

अपराध संबंधी कानूनों में संशोधन

1971. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** अपराध संबंधी कानूनों में संशोधन के बारे में 17.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4395 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डा० (न्यायमूर्ति) वी०एस० मलीमथ की अध्यक्षता में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु उपायों पर विचार करने के लिए गठित समिति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा समिति की सिफारिशें कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) देश की दाण्डिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने संबंधी उपायों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डा० (न्यायमूर्ति) वी०एस० मलीमथ की अध्यक्षता में गठित समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 2003 तक बढ़ा दिया गया है। समिति को उस तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

नांगल उर्वरक लिमिटेड

1972. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल उर्वरक लिमिटेड, नांगल जिला होशियारपुर, पंजाब द्वारा वर्ष 1957-58 में कुल भूमि में से अधिगृहीत 2578 एकड़ भूमि अब भी आवश्यकता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस भूमि को किसानों को वापस करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के पास नांगल में कोई 2578 एकड़ फालतू भूमि नहीं है। वर्ष 1957-58 में राज्य सरकार द्वारा नांगल में उर्वरक संयंत्र की स्थापना और कार्यान्वयन हेतु 3690 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। इसमें से 2578 एकड़ भूमि का उपयोग कारखाने के निर्माण, टाऊनशिप और अन्य सम्बद्ध सुविधाओं के लिये किया गया है। शेष 1112 एकड़ भूमि जो एन०एफ०एल० की आवश्यकता से फालतू थी, वर्ष 1995-96 में कम्पनी के निदेशक मंडल तथा पंजाब राज्य सरकार के अनुमोदन से मूल-भू-स्वामियों को वापस दे दी गई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेयजल की आपूर्ति के लिए हैंडपंप/पाइप जल

1973. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के ग्रमीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए हैंडपंप और पाइप जल योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इसके कार्यकरण से संतुष्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जल आपूर्ति राज्यों का विषय है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्रदान कर राज्य के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। जल आपूर्ति योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया गया है। विभिन्न राज्यों ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में हैंड पंप एवं पाइप लाईन जल आपूर्ति योजनाओं को चालू किया है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेय जल आपूर्ति से कवर की गयी ग्रामीण बसावटों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति के क्षेत्र में विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) विश्व बैंक की परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। सरकार सामान्यत: इन परियोजनाओं की प्रगति से संतुष्ट है।

विवरण-I

ग्रामीण जल आपूर्ति के अंतर्गत नौवीं योजना के दौरान ग्रामीण बसावटों की कवरेज
(राज्यों से 14.2.03 तक मिली जानकारी के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नौवीं योजना के दौरान कवर की गयी कुल बसावटें: कवर नहीं की गयी	आंशिक रूप से कवर की गयी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	380	14577	14957
2.	अरूणाचल प्रदेश	534	486	1020
3.	असम	6702	6789	13491
4.	बिहार	4527	16247	20774
5.	छत्तीसगढ़	1208	9599	10807
6.	गोवा	30	51	81
7.	गुजरात	1626	4776	6402
8.	हरियाणा	105	3123	3228
9.	हिमाचल प्रदेश	4508	4210	8718
10.	जम्मू व कश्मीर	1354	1270	2624
11.	झारखंड	268	106	374
12.	कर्नाटक	2101	31826	33927
13.	केरल	365	1692	2057
14.	मध्य प्रदेश	14728	46159	60887
15.	महाराष्ट्र	4831	25910	30741
16.	मणिपुर	378	556	934
17.	मेघालय	933	1122	2055
18.	मिजोरम	54	939	993
19.	नागालैंड	115	187	302
20.	उड़ीसा	10835	10819	21654
21.	पंजाब	1179	926	2105
22.	राजस्थान	11245	27046	38291
23.	सिक्किम	0	641	641
24.	तमिलनाडु	0	32287	32287
25.	त्रिपुरा	889	2631	3520
26.	उत्तर प्रदेश	2939	81669	84608
27.	उत्तरांचल	238	530	768
28.	पश्चिम बंगाल	932	29133	30065
29.	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	81	81

1	2	3	4	5
30.	दादर व नगर हवेली	36	212	248
31.	दमन व द्वीव	0	4	4
32.	दिल्ली	0	62	62
33.	लक्षद्वीप	0	21	21
34.	पांडिचेरी	0	47	47
	कुल	73040	355734	428774

विवरण-II

राज्यों में कार्यान्वयनाधीन विश्व बैंक से वित्तपोषित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजनाओं के ब्यौरे :–

(i) 52.4 मिलियन अमरीकी डालर (संशोधित) की विश्व बैंक सहायता से 71.0 मिलियन अमरीकी डालर लागत की उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता योजना उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में कार्यान्वयनाधीन हैं। परियोजना का कार्यान्वयन अगस्त, 1996 में शुरू हुआ और इसके मई, 2003 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ii) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "केरल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना" केरल में कार्यान्वयनाधीन है, जो 89.8 मिलियन अरमीकी डालर की स्वीकृत लागत से जनवरी, 2001 में शुरू हुई। इस परियोजना के वर्ष 2007 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(iii) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना" कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक राज्य में 11 फरवरी, 2002 को शुरू हुई है। इस परियोजना पर 193.44 मिलियन अमरीकी डालर खर्च होने की आशा है। इस परियोजना के वर्ष 2007 तक पूरा हो जाने की आशा है।

केन्द्रीय भंडार में आई०ए०एस० अधिकारी

1974. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री 27.11.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पैंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संदर्भाधीन समाचार में छपी यह रिपोर्ट, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, आवश्यकता से अधिक हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या ने बुनियादी सुविधाओं के ढ़ांचे को सशक्त बनाया जाना और उसे बढ़ाया जाना तथा विकास से संबंधित कार्य-कलापों का निष्पादन, अधिसंख्य वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाना अनिवार्य कर दिया है।

शिक्षकों के लिए सुविधाएं

1975. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी शैक्षिक राष्ट्रीय नीति ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी विद्यालयों में उनकी सेवा की स्थितियां खराब हैं और वेतन भत्ते और परिलब्धियां उनके उत्तरदायित्वों की तुलना में अब भी बहुत कम हैं;

(ग) क्या उन्हें प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाएं, सहायता और सुरक्षा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अन्य सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की गयी सेवाओं, सहायता और सुरक्षा की तुलना में बहुत कम हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें ऐसी ही (केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना) और राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो शिक्षकों को प्रदान की गयी मौजूदा स्वास्थ्य सुरक्षा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इसमें वृद्धि करने और उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की बराबरी में लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (च) 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षकों की भूमिका को पूरी तरह से मान्यता दी गई

है। जैसा कि अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के अधीन हैं इसलिए शिक्षकों का वेतन एवं उनकी अन्य सुविधाओं सहित उनकी सेवा शर्तों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों द्वारा निर्णय लिया जाता है। तथापि मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण कोष शिक्षकों हेतु बुनियादी सुविधाओं के लिए सहायता देता है तथा अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे शिक्षकों को सहायता देता है।

अंदमान और निकोबार में अतिक्रमण का विनियमन

1976. **श्री ए०सी० जोस :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्ष 1961 से पहले के सभी अतिक्रमणों को बिना किसी परिसीमन और बिना किसी प्रीमियम के नियमित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल कुल भू-क्षेत्र द्वारा कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) 1961 के सर्वेक्षण के अनुसार पोर्ट ब्लेअर नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों के कब्जे वाले अतिशय भूमि क्षेत्र को नियमित करने के बारे में अंडमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का नवीकरण

1977. **श्री वाई०वी० राव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विचार व्यावसायिक प्राठ्यक्रमों के नवीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाठ्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने व्यावसायिक विषय से अलोकप्रिय पाठ्यक्रमों को हटाने का निर्णय लिया है।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐसे नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है जो आधुनिक, औद्योगिक तथा आर्थिक संदर्भ में प्रासंगिक हों।

नकली औषधियों का निर्यात

1978. **श्री किरीट सोमैया :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से अफ्रीकी देशों को नकली औषधियों का निर्यात किया जा रहा है और मुंबई के निकट अंबरनाथ में अफ्रीकी देशों को निर्यात के लिए तैयार इनकी एक खेप का हाल ही में पता लगा और उसे पकड़ा गया;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस संबंध में किसी तरह का समन्वय और संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे निर्यात को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र

1979. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रणी विषयों में अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों द्वारा क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 अंतर विश्वविद्यालयीय केन्द्रों की स्थापना की है जिनमें से निम्नलिखित 3 अंतर विश्वविद्यालयीय केन्द्र अनन्य रूप से प्रमुख विषयों के लिए समर्पित है :–

अंतर विश्वविद्यालयीय केन्द्र	लक्ष्य
नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली	नाभिकीय विज्ञान उन्मुख अनुसंधान
अंतर खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालयीय केन्द्र, पुणे	खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंटेशन
इंटर यूनिवर्सिटी कंसोरटियम फॉर डी०ए०ई० फेसिलिटिज, इंदौर	रिएक्टरों एवं अन्य एक्सलेरेटरों के उपयोग के क्षेत्र में उच्चतर अनुसंधान आधारित शिक्षा

नागरिकता प्रदान किया जाना

1980. श्री एस० अजय कुमार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान की नागरिकता वाले लोगों और भारत की स्वतंत्रता के आरंभिक काल में केरल के मालाप्पुरम जिले में अपने परिवार सहित बसे पाकिस्तानी नागरिकता वाले लोगों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या मालाप्पुरम के जिला कलक्टर द्वारा जन्म से भारत की नागरिकता वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को राशन कार्ड देने से मना किए जाने पर कोई जांच आरंभ की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी०सी०सी०एल०) में जन-शक्ति की लेखा-परीक्षा

1981. प्रो० रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 15 फरवरी, 2003 तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में जन-शक्ति की लेखा-परीक्षा पर वर्षवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) क्या जन-शक्ति की लेखा-परीक्षा से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त लेखा-परीक्षा कार्य को किसी एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या महाविद्यालयों के गैर-अनुभवी विद्यार्थी भी अप्रत्यक्ष रूप से लेखा-परीक्षा कार्य कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) जन-शक्ति की लेखा-परीक्षा का अब तक क्या परिणाम रहा है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान फरवरी, 2003 तक भारत कोकिंग कोल लि० में जन-शक्ति की लेखा-परीक्षा पर कोई व्यय नहीं किया गया। विभागीय कार्यपालक जन-शक्ति की लेखा-परीक्षा करते हैं।

(ख) जी, नहीं। यह प्रगति पर है।

(ग) यह सतत प्रक्रिया है और नियमित अन्तराल पर पूरी की जाती है।

(घ) जी, नहीं। भाग (क) के उत्तर में दिए अनुसार जन-शक्ति की लेखा परीक्षा विभागीय कार्यपालकों द्वारा की जाती है।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपरोक्त भाग (च) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ज) सी०आई०एल० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार लेखा-परीक्षा के परिणामस्वरूप कम्पनी ने सांविधिक तथा अन्य रिकार्डों को अद्यतन किया था और जन-शक्ति की रिपोर्ट करने की उन्नत प्रणाली को अपनाया गया था।

दिल्ली पुलिस

1982. श्री नवल किशोकर राय :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस में कार्यरत दस सहायक पुलिस आयुक्तों के विरूद्ध कार्रवाई करने की कोई सिफारिश प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को यह सिफारिश किस तिथि को प्राप्त हुई;

(ग) इन सहायक पुलिस आयुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरूद्ध अब तक कार्रवाई की जा चुकी है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या ऐसे पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस में अब भी कार्य कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते हैं।

भारतीय भाषा

1983. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या उप-प्रधान मंत्री 19.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4659 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम आदमी हेतु व्यापक उपयोग के लिए हिन्दी में तीन 'फान्ट' उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य भारतीय भाषाओं में केवल एक 'फान्ट' उपलब्ध कराया गया है और हिन्दी के अन्य तीनों 'फान्टों' के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी के केवल एक 'फान्ट' को मान्यता प्रदान करेगी ताकि हिन्दी में कार्य कर रहे व्यक्तियों को सर्वत्र एकरूपता प्राप्त हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसा प्रारंभिक स्तर पर किया है परन्तु जन अनुक्षेत्र में अधिक से अधिक फोन्टों का होना इलेक्ट्रानिक सार सृजन के लिए अभीष्ट है। हिन्दी के तीन फान्ट डीवी-टीटी योगेश, डीवी-टीटी गणेश तथा डीवी-टीटी सुरेख हैं।

(ख) और (ग) इन्डियन स्क्रिप्ट कोड फार इन्फारमेशन इन्टरचेंज (इस्की) आन्तरिक संग्रहण के लिए मानक है। यह एकरूपता निश्चित करती है भले ही फोन्ट्स में विविधता हो।

दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई

1984. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की स्थिति के अनुसार सी०वी०सी० और सी०बी०आई० की जांच के पश्चात् दोषी पाए गए कितने आई०ए०एस०/आई०पी०एस० अधिकारी हटाए गए/बर्खास्त किए गए;

(ख) सी०वी०सी०/सी०बी०आई० की जांच के बावजूद कितने दोषी अधिकारियों को अभी हटाया/बर्खास्त नहीं किया गया है;

(ग) उनके न हटाए जाने/बर्खास्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्राल में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी को सेवा से बरखास्त किया गया।

(ख) से (घ) मामले की छान-बीन करने के बाद, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, छान-बीन के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर, विभागीय कार्य्रवाही किए जाने अथवा दांडिक मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश करता है। विभागीय कार्यवाही पूरी हो जाने पर, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग और संघ-लोक-सेवा-आयोग से परामर्श करने के बाद अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 में किए गए प्रावधान के अनुसार, सेवा से बरखास्त किए जाने/सेवा से निकाले जाने की शास्ति सहित, शास्तियां लगाई जाती हैं।

दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट

1985. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जनवरी, 2003 के 'राष्ट्रीय सहारा' की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अधीन कार्यरत मजदूरों के कम राशि का भुगतान करके उनका शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्तमान में डी०एम०आर० परियोजना के अंतर्गत मजदूरों को कितने घंटे के लिए कार्य पर लगाया जाता है और उन्हें कितना वेतन दिया जा रहा है; और

(घ) मजदूरों के शोषण के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार है और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समाचार में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो के निर्माण के लिए लगाये गये मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, उनसे आठ घंटों की बजाय दस घंटे काम करवाया जा रहा है तथा प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं कार्य-स्थल पर उपलब्ध नहीं है।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय के श्रम निरीक्षक इन मजदूरों को दी जा रही मजदूरी, उनके काम के घंटों तथा कार्य-स्थलों पर प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करने के लिए औचक निरीक्षण करते हैं। डी०एम०आर०सी० को श्रम निरीक्षकों से अब तक इनमें से किसी मद के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुयी है।

(ग) दिल्ली मेट्रो परियोजना का कार्यान्वयन ठेकेदारों (कांट्रैक्टरों) की एजेंसी के जरिए किया जा रहा है और डी०एम०आर०सी० ने इस उद्देश्य के लिए स्वयं किसी मजदूर को नियुक्त नहीं किया है।

अभी ठेकेदारों द्वारा नियुक्त मजदूरों की संख्या 9319 है।

मजदूर प्रतिदिन आठ घंटे की पालियों में काम करते हैं जिसके लिए ठेकेदारों द्वारा उन्हें दी जा रही मजदूरी दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी के अनुरूप है।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नाल्को का विस्तार

1986. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नाल्को का विस्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह कब किया गया और इसके कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) कम्पनी की उत्पादन क्षमता को यह किस सीमा तक बढ़ा पायेगा;

(घ) क्या नाल्को के विस्तार के लिए एक नवीन विस्तार कार्यक्रम भी बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) जी, हां। नालको की क्षमता विस्तार परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :

परियोजनाएं	विस्तार के बाद क्षमता	पूर्ण होने की स्थिति	व्यय (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
बॉक्साइट खानें	24 लाख एम०टी०वाई० से 48 लाख एम०टी०वाई०	दिसम्बर, 1999 में पूर्ण	80
एल्युमिना रिफाइनरी	8.0 लाख एम०टी०वाई० से 15.75 लाख एम०टी०वाई०	दिसम्बर, 2001 में पूर्ण	1335
एल्युमिनियम स्मेल्टर	2.3 लाख एम०टी०वाई० से 3.45 लाख एम०टी०वाई०	जनवरी, 2003 में मेकेनिकल रूप में पूर्ण	1875.75 (31.1.03 तक)

1	2	3	4
सी०पी०पी० की 7वीं यूनिट	720 मेगावाट से 840 मेगावाट	दिसम्बर, 2002 में पूर्ण	
सी०पी०पी० की 8वीं यूनिट	840 मेगावाट से 960 मेगावाट	दिसम्बर, 2003 में पूरा होने की संभावना	294.04 (31.1.03 तक)

(घ) और (ङ) कंपनी के विनिवेश की आसन्नता के मद्देनजर सरकार द्वारा द्वितीय फेज विस्तार के लिए नालको के प्रस्ताव को अभी अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अनिवार्य दवाओं की कीमतें

1987. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवा (कीमत नियंत्रण) आदेश 1995 के प्रावधानों में संशोधन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में भूमिगत-पारपथ की दशा

1988. **श्री रघुनाथ झा :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भूमिगत-पारपथों की दशा विशेषकर लड़कियों और औरतों के लिए जोखिम भरे और असुरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा और सफाई दोनों दृष्टियों से भूमिगत-पारपथों में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) कितने भूमिगत-पारपथ उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन भूमिगत-पारपथों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों की माफियों से सांठ-गांठ

1989. **श्री अधीर चौधरी :**
डा० चरणदास महंत :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोल इंडिया लिमिटेड के कई अधिकारियों की कोयला माफियों से गहरी सांठ-गांठ है और इससे कोयला खदानों को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई गुप्त जांच करायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सांठ-गांठ को तोड़ने और इसमें शामिल अधिकारियों को सजा देने के लिए क्या योजनायें बनायी गयी हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) आज की तारीख तक कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कम्पनियों के कर्मचारियों की कोयला खानों को घाटा पहुंचाने वाले माफियों के साथ किसी ऐसी गहरी सांठ-गांठ के बारे में कोई सूचना नहीं है। अत: कोई गुप्त जांच कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, जब कभी किसी अनियमितता की रिपोर्ट मिलती है तो सरकार तथा कोयला कम्पनियां अपेक्षित निवारक कदम उठाती हैं।

निजी सुरक्षा एजेंसी

1990. **डा० मन्दा जगन्नाथ :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी सुरक्षा एजेंसियां देश में और विशेषकर मेट्रो शहरों में लोगों को सुरक्षा देने के नाम पर कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में कार्यरत इस प्रकार की निजी एजेंसियों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास उनके मालिकों और कर्मचारियों की वास्तविकता की जांच के लिए कोई दिशा-निर्देश हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी सुरक्षा एजेंसियां महानगरों सहित देश में कार्य कर रही है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी एजेंसियों के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) निजी सुरक्षा एजेंसियों को विनियमित करने के लिए राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु उदारीकृत पेंशन योजना

1991. **श्री सुनील खां :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा की याचिका समिति ने कोल इंडिया लिमिटेड के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की याचिका की प्रतिक्रिया में 16 मार्च, 2002 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई अपनी प्रथम रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि उक्त कर्मचारियों को उदारीकृत पेंशन योजना को चुनने का विकल्प देना चाहिए;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोक सभा की याचिका समिति ने सरकार की अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 26 अगस्त, 2002 को लोक सभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आगे यह अनुशंसा की थी कि राष्ट्रपति के दिनांक 16-8-1965 के आदेश के अनुसार, कोयला उत्पादन एवं विकास आयुक्त (सी०पी०डी०सी०) के पूर्व कर्मचारियों को उनके एन०सी०डी०सी० एवं किट सी०आई०एल० को स्थानांतरित करने के पश्चात् उदारीकृत पेंशन योजना की सुविधाओं एवं अन्य संबंधित लाभों से वंचित न किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मंत्रालय ने पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग जो सरकारी कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है, से परामर्श किया है। समिति की सिफारिशों की जांच पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग में की गयी थी और वर्तमान नियमों/दिशा-निर्देशों के मद्देनजर उक्त विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लोक सभा याचिका समिति की सिफारिशों को लागू करना संभव नहीं है। याचिकाओं पर समिति के अभिमतों/सिफारिशों पर एक विस्तृत उत्तर कोयला तथा खान मंत्री के अनुमोदन से पहले ही लोक सभा सचिवालय को भेजा जा चुका है।

ग्रामीण विकास योजना की धनराशि का अन्यत्र प्रयोग

1992. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 फरवरी 2003 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के अनुसार क्या केन्द्र सरकार और सी०बी०आई० को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के करोड़ों रुपयों के अन्यत्र प्रयोग किये जाने और हड़पने की रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्यवाही क्या है; और

(घ) देश में होने वाले इस प्रकार के मामलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि तीन वरिष्ठ अधिकारी अपनी पत्नियों एवं संबंधियों के माध्यम से ग्राम विकास संस्थान और पलास नामों से दो स्वैच्छिक संगठन चला रहे थे, जिन्हें समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम से प्राप्त केन्द्रीय अनुदानों में से 20 करोड़ रुपए की निधि आबंटित की गयी थी। इन पर गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।

(ग) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति दें।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठा रहा है और राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों को भी पुनर्गठित किया गया है।

बिहार में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना रोड प्रोजेक्ट

1993. श्री नरेश पुगलिया :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 फरवरी, 2003 के इण्डियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना रोड प्रोजेक्ट नियत समय से पीछे चल रही है और बिहार के कुछ क्षेत्रों में इसका काम रूका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां निर्माण कार्य नियत समय से पीछे चल रहा है और कार्य बंद हो गया है;

(घ) रोड परियोजनाओं के कार्य के पूर्ण होने में आने वाली कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में रोड परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णम राजू) : (क) 6 फरवरी, 2003 को इण्डियन एक्सप्रेस में 'प्रधान मंत्री सड़क परियोजना पर नक्सलियों का कब्जा' शीर्षक से प्रकाशित समाचार का प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से कोई संबंध नहीं है।

(ख) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अत्यंत पिछड़े जिले

1994. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अत्यंत पिछड़े जिलों के पिछड़ेपन के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जिलों के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) देश में 100 अत्यंत पिछड़े एवं निर्धनता जिलों का पता लगाने के लिए 1997 में एक समिति (डॉ० ई०ए०एस० शर्मा, तत्कालीन प्रमुख सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में) का गठन किया गया था। पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए समिति द्वारा अपनाए गए व्यापक पैरामीटरों में वंचन (गरीबी अनुपात) का सूचकांक और सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना शामिल था। समिति ने देश में 100 अत्यंत पिछड़े एवं निर्धनतम जिलों का निर्धारण कर लिया था। इन जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सहायता करने के लिए गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास, वाटरशेड विकास, सामाजिक सुरक्षा और भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों की गहन निगरानी को जाती है तथा समय-समय पर आकलन किया जाता है। इन 100 अत्यन्त पिछड़े एवं निर्धनतम जिलों में अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ विशिष्ट लक्ष्य वाले आबंटन आधारित कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

योजना आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, योजनाओं के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता करने के लिए दसवीं योजना में विकास एवं सुधार सुविधा (राष्ट्रीय सम विकास योजना) शुरू की गयी है, जो कृषि उत्पादकता की कमी, बेरोजगारी की समस्याओं को निपटाएगा तथा वास्तविक एवं सामाजिक अवसंरचना में बड़ी कमियों को दूर करेगा।

विवरण

शर्मा समिति द्वारा पहचाने गए सर्वाधिक पिछड़े और निर्धन जिलों की सूची

क्र० सं०	जिले के नाम
1	2
	बिहार एवं झारखंड
1.	नालंदा
2.	भोजपुर
3.	रांची
4.	औरंगाबाद
5.	जहानाबाद
6.	गया
7.	नावादा
8.	सारण
9.	सिवान
10.	गोपालगंज
11.	प० चम्पारण
12.	पू० चम्पारण
13.	सीतामढ़ी
14.	मुजफ्फरपुर
15.	वैशाली
16.	बेगुसराय
17.	समस्तीपुर
18.	दरभंगा
19.	मधुबनी

1	2
20.	सहरसा
21.	मधेपुरा
22.	पुर्णिया
23.	कटिहार
24.	खगड़िया
25.	मुंगेर
26.	भागलपुर
27.	गोड्डा
28.	सहिबगंज
29.	दुमका
30.	देवगढ़
31.	गिरीडीह
32.	हजारीबाग
33.	पलामू
34.	लोहरदग्गा
35.	गुमला
36.	पश्चिम सिंहभूम
37.	अररिया
38.	किसनगंज
	दादर व नागर हवेली
39.	दादर व नागर हवेली
	हरियाणा
40.	कैथल
	हिमाचल प्रदेश
41.	हमीरपुर
	कर्नाटक
42.	बिदर
	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़
43.	टीकमगढ़
44.	छत्तरपुर
45.	पन्ना
46.	सागर
47.	दामोह
48.	खड़गांव
49.	खंडवा
50.	विदिशा
51.	शिहोर
52.	रायसेन
53.	बेतुल
54.	होशांगाबाद
55.	नरसिम्हापुर
56.	मांडला
57.	छिंदवाड़ा
58.	शिवनी
59.	बालाघाट
60.	राजनंदगांव
61.	सरगुजा
	महाराष्ट्र
62.	औरंगाबाद
63.	जलना
64.	परभनी
65.	बीड
66.	नांदेड
67.	ओसमनाबाद
68.	लातूर
69.	बुल्दाना
70.	गढ़चिरौली
71.	यावतमल
	उड़ीसा
72.	फुलबनी
73.	कालाहांडी
74.	कोरापुट
75.	क्योंझर
	राजस्थान
76.	डुंगरपुर
77.	बांसवाड़ा
78.	पश्चिम सिक्किम
79.	दक्षिण सिक्किम
	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल
80.	सीतापुर
81.	हरदोई
82.	उन्नाव
83.	राय बरेली
84.	जालौन
85.	ललितपुर
86.	हमीरपुर
87.	बांदा
88.	फतेहपुर
89.	प्रतापगढ़
90.	बहराईच
91.	बाराबांकी
92.	सिद्धार्थनगर
93.	महाराजगंज
94.	झांसी
95.	मऊ
96.	कानपुर देहात
	पश्चिम बंगाल
97.	कूच बिहार
98.	जलपाईगुडी
99.	मालदा
100.	दर्जिलिंग

ऋण घटक का अनुदानों में परिवर्तन

1995. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से छोटे और मझौले नगरों के समेकित विकास संबंधी योजना के तहत ऋण घटक को 100 प्रतिशत अनुदानों में बदलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां, कर्नाटक सरकार द्वारा भारत सरकार को विचार हेतु भेजे गए सुझावों में छोटे और मझोले कस्बों का समेकित विकास (आई०डी०एस०एम०टी०) स्कीम के तहत ऋण घटक को 100% अनुदान में बदलने का सुझाव भी था। आई०डी०एस०एम०टी० दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋण को अनुदान में बदलने की अनुमेयता नहीं है।

फास्फोरस आधारित उद्योगों की स्थापना

1996. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में फॉस्फोरस संयंत्रों की स्थापना संबंधी मानकों में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में स्थित संयंत्रों को राज्यवार कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में राज्यवार खरीदे और बेचे गए फॉस्फोरस उत्पादों की कीमत और मात्रा कितनी है;

(घ) क्या यह सही है कि फॉस्फोरस उत्पादों के आयात और निर्यात में इन वर्षों में काफी कमी आयी है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) देश में फॉस्फोरस संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस नियंत्रण नहीं है।

(ग) से (ङ) देश में उत्पादित, आयातित तथा निर्यातित फॉस्फोरस के अनेक यौगिक हैं। सरकार द्वारा इन यौगिकों के आयात-निर्यात से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1997. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री शिवाजी माने :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित कार्यक्रमों और योजनाओं तथा उनको आबंटित की गई धनराशि व उसमें शामिल एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल हैं, का तब तक संचालन करता रहा था जब तक कि इस योजना को वित्तीय वर्ष 2002-2003 से राज्य योजना को अन्तरित नहीं कर दिया गया। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्धों को 75/- रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दी जाती थी। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर शोक-संतप्त परिवार को 10,000/- रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जाती थी। विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए आबंटित निधियों तथा काम पर लगाई गई एजेंसियों को राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित की गयी लाभार्थियों की संख्या को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

1999-2000 से 2001-02 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित निधियों एवं काम पर लगाए गए एजेंसियों को दर्शाने वाला ब्यौरा

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला स्तरीय	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		
			1999-2000	2000-01	2001-02	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	डी०आर०डी०ए०	4361.76	4361.76	3917.63	3035.50	3035.52	2391.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरूणाचल प्रदेश	डी०आर०डी०ए०	57.12	181.26	181.26	22.88	57.78	54.82
3.	असम	डी०एल०सी०	826.98	2624.34	2624.34	646.36	1552.78	1473.14
4.	बिहार	डी०आर०डी०ए०	6877.24	5144.85	4620.99	1700.02	1234.38	972.44
5.	छत्तीसगढ़	जिला पंचायत		1243.22	1116.63		1053.35	829.83
6.	गोवा	डी०आर०डी०ए०	27.94	27.94	25.10	12.22	12.22	9.63
7.	गुजरात	डी०एल०सी०	561.60	561.60	504.42	158.76	158.75	125.07
8.	हरियाणा	डी०आर०डी०ए०	535.80	535.80	481.24	54.21	54.21	42.71
9.	हिमाचल प्रदेश	डी०आर०डी०ए०	236.55	236.55	212.46	30.72	30.72	24.20
10.	जम्मू व कश्मीर	डी०एल०सी०	317.26	317.26	284.96	57.38	57.38	45.20
11.	झारखंड	डी०आर०डी०ए०		1732.39	1555.99		465.63	366.82
12.	कर्नाटक	डी०एल०सी०	2959.63	2959.63	2658.27	649.22	649.22	511.49
13.	केरल	डी०एल०सी०	1396.31	1396.31	1254.13	382.10	382.10	301.02
14.	मध्य प्रदेश	जिला पंचायत	4585.46	3342.24	3001.92	3957.46	2904.11	2287.84
15.	महाराष्ट्र	डी०एल०सी०	4158.51	4158.51	3735.07	1014.01	1026.73	808.86
16.	मणिपुर	डी०एल०सी०	103.06	327.06	327.06	28.60	65.00	61.66
17.	मेघालय	डी०आर०डी०ए०	111.13	352.67	352.67	34.32	72.22	68.52
18.	मिजोरम	डी०एल०सी०	37.44	98.51	98.51	11.44	21.67	20.58
19.	नागालैंड	डी०एल०सी०	80.71	256.13	256.13	17.16	36.11	34.26
20.	उड़ीसा	डी०एल०सी०	3120.62	3682.21	3307.28	1346.69	1346.69	1060.92
21.	पंजाब	डी०एल०सी०	386.79	386.79	347.41	134.16	134.16	105.69
22.	राजस्थान	जिला परिषद	1474.54	1474.54	1324.40	468.16	468.16	368.81
23.	सिक्किम	डी०एल०सी०	29.80	94.57	94.57	5.72	21.67	20.56
24.	तमिलनाडु	डी०एल०सी०	3276.00	3276.00	2942.43	1904.76	1904.76	1500.56
25.	त्रिपुरा	डी०एल०सी०	178.19	565.46	565.46	72.54	122.78	116.48
26.	उत्तर प्रदेश	डी०एल०सी०	8264.83	7881.46	7061.24	3021.90	2775.42	2186.46
27.	उत्तरांचल	डी०एल०सी०		403.07	362.03		246.48	194.18
28.	पश्चिम बंगाल	डी०आर०डी०ए०	3312.50	3312.50	2975.21	975.73	975.73	768.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	यू०टी० प्रशासक	17.38	17.38	15.61	2.86	2.86	2.25
30.	चंडीगढ़	समाज कल्याण विभाग	13.66	13.66	12.27	2.86	2.86	2.25
31.	दादर व नागर हवेली	यू०टी० प्रशासक	11.80	11.80	10.60	2.86	2.86	2.25
32.	दमन व द्वीव	यू०टी० प्रशासक	2.48	2.48	2.3	2.86	2.86	2.25
33.	दिल्ली	समाज कल्याण विभाग	249.58	249.58	224.17	31.46	31.46	24.78
34.	लक्षद्वीप	यू०टी० प्रशासक	1.86	1.86	1.67	2.86	2.86	2.25
35.	पांडिचेरी	यू०टी० प्रशासक	49.05	49.05	44.06	2.86	2.86	2.25
	कुल		47623.58	51260.75	46499.42	19790.64	20914.36	16790.05

डी०एल०सी०-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संबंधी जिला स्तरीय समिति

डी०आर०डी०ए०-जिला ग्रामीण विकास एजेंसी

विवरण-II

1999-2000 से 2001-02 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र० म०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		
		1999-2000	2000-01	2001-02	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	466000	466001	466000	30418	31477	25849
2.	अरुणाचल प्रदेश	2347	1205	2480	35	105	55
3.	असम	85052	262719	287573	5036	7357	14181
4.	बिहार	741195	509938	639086	21538	13725	10272
5.	छत्तीसगढ़		146519	140576		9448	8391
6.	गोवा	2195	2122	3270	260	193	57
7.	गुजरात	63862	68108	62755	2540	2315	2040
8.	हरियाणा	33201	35993	50372	461	568	787
9.	हिमाचल प्रदेश	15176	25250	23291	451	307	546
10.	जम्मू व कश्मीर	31291	33620	16413	555	389	207

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड		175437	151990		2664	3233
12.	कर्नाटक	228309	258402	183265	4602	5643	1449
13.	केरल	119507	114698	141165	4701	3389	2907
14.	मध्य प्रदेश	586400	429490	442484	37766	31465	22314
15.	महाराष्ट्र	330948	319144	397366	16884	11073	2589
16.	मणिपुर	5836	25972	27354	103	307	7731
17.	मेघालय	9102	18743	32685	202	527	673
18.	मिजोरम	4094	10523	10523	73	194	170
19.	नागालैंड	5917	18045	8106	70	310	235
20.	उड़ीसा	330272	384174	492366	16858	16073	9644
21.	पंजाब	32859	40283	45265	407	1451	966
22.	राजस्थान	451325	148815	101460	4747	3698	2408
23.	सिक्किम	2400	10104	10104	0	125	23
24.	तमिलनाडु	398791	339481	314362	18591	16876	14209
25.	त्रिपुरा	15507	57912	60227	631	916	1033
26.	उत्तर प्रदेश	940539	841340	944758	38768	25640	23066
27.	उत्तरांचल		50097	45002		6932	812
28.	पश्चिम बंगाल	350810	352016	331224	9886	9756	6553
29.	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	14	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1763	2532	2714	40	29	23
31.	दादर व नागर हवेली	252	895	0	0	20	9
32.	दमन व द्वीव	262	229	241	3	7	1
33.	दिल्ली	24156	0	0	156	40	0
34.	लक्षद्वीप	0	23	41	2	0	12
35.	पांडिचेरी	1500	4179	4180	27	0	44
	कुल	5280868	5154023	5438698	215811	203019	162489

[अनुवाद]

भारत तिब्बत सीमा पुलिस में प्रोन्नति में गतिरोध

1998. श्री पवन कुमार बंसल : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई०टी०बी०पी०) के मंत्रालयी कर्मचारी पदोन्नति की संभावनाओं के अभाव के कारण गतिरोध का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं;

(ग) क्या आई०टी०बी०पी० में अभी भी लड़ाकू दस्ते शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण और परिणाम क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) बेहतर अनुशासन तथा नियंत्रण, के हित में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में कुछेक सिविलियन काडरों के कौम्बैटाइजेशन के लिए सरकार ने 1989 में आदेश जारी किया, जो अभी भी प्रचलन में हैं। सिविलियन पदों के पदधारियों को कॉम्बेटाइजेशन के लिए तीन माह के भीतर विकल्प देने का अवसर दिया गया था। जिन्होंने कॉम्बेटाइजेशन के लिए विकल्प नहीं दिया वे सेवानिवृत्ति तक सिविलियन पदों पर बने रहेंगे। इस प्रकार से होने वाली रिक्तियों पर केवल कॉम्बेटाइजड रैंकों में भर्ती की जाएगी।

फेरीवालों के लिए नीति

1999. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा फेरीवालों की समस्याओं की जांच करने और उनके कार्यों को विनियमित करने तथा उनकी कार्य स्थिति को सुधारने के लिए कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है;

(ग) कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और अपनी आजीविका कमाने हेतु फेरीवालों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या शहरी क्षेत्रों विशेषकर चारों महानगरों में फेरीवालों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा फेरीवालों के लिए राष्ट्रीय नीति कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्य दल ने फेरीवालों के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रारूप सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और उसकी जांच की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) फेरीवालों के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया जा चुका है और उसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय कोलकाता का कार्यकरण

2000. श्री अमर राय प्रधान : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय मजदूर संघ कोलकाता से भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय कोलकाता और उसके नई दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई स्थित तीन अन्य डिपुओं के स्वतंत्र कार्यकरण की अनुमति प्रदान करने के लिए विभिन्न अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1.1.2001 और 31.12.2002 के दौरान उक्त संघ द्वारा प्रधान मंत्री/उनके मंत्रालय को कितने सांसदों ने ऐसे अनुरोध करते हुए पत्र लिखे हैं; और

(घ) आज की तिथि तक संघ की मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) जी, हां। प्रश्नाधीन अवधि के दौरान 7 संसद सदस्यों से सीधे अथवा प्रधान मंत्री कार्यालय के माध्यम से 18 पत्र प्राप्त हुए हैं। 15 पत्रों के उत्तर भेज दिए गए हैं और शेष 3 पत्रों की जांच की जा रही है।

(ट) यूनियन की मांगें जो भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय के स्वतंत्र कार्यकरण से संबंधित है, कार्य अध्ययन रिपोर्ट अर्थात् व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों से जुड़ी हैं। कार्य अध्ययन रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद ही मांगों पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों का आवंटन

2001. **श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्तशासी संगठन जिन्हें कार्यालय योजनार्थ आरक्षित या रियायती दरों पर दिल्ली विकास प्राधिकारण ने लीज गैर पंजीकरण के आधार पर भूखंड आवंटित किए गए हैं उन्हें आरक्षित/रियायती दरों पर दूसरे भूखंड का आवंटन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किए गए ऐसे आवंटनों/लंबित आवेदन पत्रों की तिथि, आवंटन की तिथि और संगठन का नाम तथा आवंटन की शर्तों का ब्यौरा क्या है और बिना बारी के आवंटन यदि कोई हैं, के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आवंटन वरिष्ठ क्रम पर किया गया है;

(घ) यदि नहीं तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चूक/लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बैकलॉग का निपटारा कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सरकारी विभाग/उपक्रम/सांविधिक संगठन को भूमि का आबंटन इन निकायों द्वारा समय-समय पर दर्शायी गई आवश्यकतानुसार और भूमि की उपलब्धता के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त नजूल नियमों के तहत इन संगठनों/उपक्रमों को अतिरिक्त/दूसरा प्लॉट आबंटित करने पर कोई रोक नहीं है। ऐसे संगठनों को भूमि आबंटित करना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय-समय पर प्राप्त आवेदनों का निपटान नजूल नियमों के उपबंधों के अनुसार और भूमि की उपलब्धता होने पर किया जाता है। प्रत्येक मामले पर अलग से कार्रवाई की जाती है और बिना बारी के आबंटनों का प्रश्न लागू नहीं होता है। इसके आलोक में, किसी भी अधिकारी द्वारा कोई चूक नहीं हुई है।

कोयला के उत्पादकता दर एवं औसत उत्पादन लागत

2002. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक देश के प्रत्येक खुले मुहाने वाली खानों एवं भूमिगत खानों में कोयले की उत्पादकता दर एवं औसत उत्पादन लागत वर्षवार कितनी है; और

(ख) दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार इन खानों एवं बंद पड़ी प्रत्येक खानों में कोयले का सुरक्षित भंडार कितना है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) पिछले तीन वर्षों में और आज की तिथि तक देश में प्रत्येक ओपनकास्ट तथा भूमिगत खान में उत्पादकता का कम्पनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(टन में)

कम्पनी	ओपनकास्ट खान				भूमिगत खान			
	अप्रैल-दिस०, 2002	01-02	00-01	99-00	अप्रैल-दिस०, 2002	01-02	00-01	99-00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ई०सी०एल०	4.18	4.92	4.52	3.48	0.46	0.48	0.47	0.45
बी०सी०सी०एल०	2.34	2.70	2.76	2.49	0.54	0.49	0.51	0.52
सी०सी०एल०	3.69	3.23	3.14	3.06	0.45	0.44	0.42	0.40
एन०सी०एल०	10.11	10.39	10.46	9.29	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
डब्ल्यू०सी०एल०	4.00	4.18	3.99	4.07	0.90	0.85	0.82	0.78
एस०ई०सी०एल०	12.33	10.03	9.95	9.31	0.91	0.96	0.93	0.93
एम०सी०एल०	18.74	17.32	15.72	15.81	0.88	0.77	0.73	0.71
एन०ई०सी०	6.77	3.79	3.52	2.84	0.16	0.28	0.31	0.28
सी०आई०एल०	6.29	6.08	5.92	5.46	0.66	0.64	0.63	0.61
एस०सी०सी०एल०	7.44	6.74	7.36	4.42	0.84	0.85	0.79	0.75
बी०एस०एम०डी०सी०एल०	6.61	8.23	13.32	21.00	0	0	0	0
डी०वी०सी०	उ०न०	2.88	4.10	3.20	0	0	0	0
इस्को	उ०न०	4.09	3.60	3.16	उ०न०	0.48	0.43	0.61
जे०के०एम०एल०	0	0	0	0	उ०न०	0.11	0.14	उ०न०
बी०ई०सी०एम०एल०	25.91	20.16	19.10	22.00	0	0	0	0
जे०एस०पी०एल०	उ०न०	9.72	13.41	14.67	0	0	0	0
टिस्को	10.70	10.53	10.26	10.23	0.80	0.77	0.69	0.64

पिछले तीन वर्षों में तथा आज की तिथि तक कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) तथा सिंगरोनी कोलियरीज कम्पनी लि० (एस०सी०सी०एल०) में भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों में कोयला उत्पादन की औसत लागत नीचे दी गई है :—

(रु०/टन)

वर्ष	सी०आई०एल०		एस०सी०सी०एल०	
	ओपनकास्ट	भूमिगत	ओपनकास्ट	भूमिगत
1999-00	356.80	1289.79	488.16	1163.54
2000-01	377.96	1454.78	542.32	1351.80
2001-02	381.97	1499.47	545.39	1309.41
2002-03*	424.62	1595.42	493.21	1317.73

सी०आई०एल० सितम्बर, 02 तक तथा एस०सी०सी०एल० दिसम्बर, 02 तक।

(ख) दिनांक 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार देश में कोयले का कुल भंडार 240.748 बिलियन टन है, जिसमें से 90.085 बिलियन टन प्रमाणित भंडार, 112.613 बिलियन टन निर्दिष्ट भंडार तथा 38.050 बिलियन टन अनुमानित भंडार है।

सी०आई०एल० में समाप्त हो जाने के अलावा अन्य कारणों से बन्द पड़ी खानों की कार्यशील सीमों में बचे कोयला भंडारों को लगभग 80 मिलियन टन आंकलिक किया गया है मिलियन टन में बचे हुए कोयला भंडारों सहित खान-वार ब्यौरा नीचे कोष्ठकों में दर्शाया गया है :

1. कृष्णानगर (0.4)
2. सीतलपुर (12)
3. शंकरपुर (6)
4. गिरिमिन्ट (3.6)
5. महाबीर (5.6)
6. कंकरतला (6)
7. शामपुर ए (0.96)
8. इना (19)
9. तसरा (2.05)
10. भुरुण्डिया (0.19)
11. धरमबन्द (0.5)
12. कुजमा (5.84)
13. गजलीटान्ड (0.25)
14. केन्दुआडीह (2.76)
15. टेटुरीआ (0.7)
16. विक्टोरिआ (3.1)
17. डोमनारा (8.37)
18. रुंगटा (2.1)

[हिन्दी]

सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी आवास का आवंटन

2003. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
प्रो० दुखा भगत :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी आवास उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक की स्थिति के अनुसार उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी आवास उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित किए गए मानदण्ड क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन मानदण्डों की समीक्षा की हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इस परिणाम के आधार पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) 1) श्रीमती प्रियंका गांधी बडेरा।

2) श्री एम०एस० बिट्टा।

3) श्री के०पी०एस० गिल।

4) श्री अश्विनी कुमार।

(ग) से (ङ) पी०आई०एल० सिविल रिट याचिका सं० 585/94 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्केट किराए/विशेष लायसेंस फीस की अदायगी पर सरकारी वास, जो टाइप-VI से ऊपर का नहीं होगा, के आबंटन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए थे। ऐसे प्रत्येक आबंटन गृह मंत्रालय की सिफारिश पर आवास संबंधी मंत्रीमंडल समिति के अनुमोदन से किए जाएंगे। इन मानकों की समीक्षा की गई और संशोधित दिशानिर्देश 27.12.2000 को जारी किए गए, जिसमें मार्केट दर पर लायसेंस फीस की अदायगी पर केवल विशेष सुरक्षा दल (एस०पी०जी०) की सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों तक ही ऐसे आवंटन सीमित रखे गए हैं। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपने मकानों की वापसी के लिए पूर्व शर्त समाप्त कर दी गई है। सर्व श्री एम०एस० बिट्टा तथा के०पी०एस० गिल के मामला एक अपवाद था, जिन्हें विशेष सुरक्षा दल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

(च) सर्व श्री बिट्टा तथा गिल के मामले में गृह मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और आगे बढ़ोतरी की सिफारिश की है। श्रीमती प्रियंका गांधी बडेरा तथा श्री अश्विनी कुमार के मामले में भी गृह मंत्रालय के परामर्श से समय-समय पर बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

एस्बेसट्स के खनन पर प्रतिबंध

2004. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में देश में स्वास्थ्य कारणों से एस्बेसट्स का खनन प्रतिबंधित है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई देशों ने हाल की ऐसी अनुसंधान रिपोर्टों के बाद कि एस्बेसट्स से खनिकों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रकार के प्रतिबंध को हटा लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषकर राजस्थान के एस्बेसट्स खान मालिकों ने रोजगार के और अवसरों का सृजन करने हेतु सरकार से प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) एस्बेसट्स के लिए नए खनन पट्टों की मंजूरी और मौजूदा खनन पट्टों के नवीकरण पर भारत में इस समय स्वास्थ्य (हेल्थ) आधार पर प्रति-बंध है।

(ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार को कुछ देशों द्वारा एस्बेसट्स के खनन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) से (ङ) राजस्थान और आंध्र प्रदेश के एस्बेसट्स खान मालिकों ने देश में एस्बेसट्स के लिए नए खनन पट्टे प्रदान करने/खनन पट्टों के नवीकरण को मंजूरी प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष अभिवेदन किया है। सरकार ने देश में एस्बेसट्स हेतु नए खनन पट्टे प्रदान करने/नवीकरण की मंजूरी पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाया है।

[हिन्दी]

बिजली की कमी के कारण रासायनिक एवं उर्वरक इकाइयों को हुआ नुकसान

2005. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की कमी/संकट के कारण रासायनिक एवं उर्वरक इकाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिजली की कमी के कारण इन इकाइयों को हुए कुल नुकसान का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि उर्वरक इकाइयों में बिजली की मांग को डीजल जेनरेटर पूरा करने में समर्थ नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार इन इकाइयों में बिजली की कमी को पूरा करने हेतु उच्च क्षमता वाले जेनरेटर लगाने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (घ) जहां तक सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का संबंध है, रासायनिक इकाइयों को बिजली की कमी/संकट के कारण नुकसान नहीं हो रहा है।

उर्वरक इकाइयों के संबंध में छः सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पी०एस०यू०) को वार्षिक नुकसान हो रहा है। उन्हें यह नुकसान बिजली की कमी समेत विभिन्न कारणों से हो रहा है। विगत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को हुए नुकसान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) से (झ) बिजली की सप्लाई में बाधा से सुरक्षा के लिए सरकारी क्षेत्र की रासायनिक तथा उर्वरक इकाइयों के पास अपनी-अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न क्षमताओं वाले या तो केप्टिव पावर प्लांट हैं या डीजल जेनरेटर सेट्स हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र की उर्वरक उद्यमों की सूची जिन्हें नुकसान हुआ है

(करोड़ रु०)

सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि०	-39.80	-151.95	0.57
पारादीप फास्फेट्स लि०	23.96	-141.03	-259.43 **28.2.02 से विनिवेश किया गया
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	6.33 @	-29.76	-66.10
पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लि०	-70.18	-108.30	-114.20
फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	-854.99	-951.36	-1104.11
हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपारेशेन लि०	-564.23	-767.72	-799.66
प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट एंड इंडिया लि०	-19.88	-32.66	-36.66

**4/01 से 9/02 तक (18 महीने)

@ अक्टूबर, 1999 से मार्च, 2000 तक (6 महीने)

[अनुवाद]

तकनीकी संस्थानों एवं अभियंत्रण महाविद्यालयों में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात

2006. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थानों एवं अभियंत्रण महाविद्यालयों में परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात का विशिष्ट उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभियंत्रण महाविद्यालय एवं संस्थान उक्त दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को बनाए रखने को सुनिश्चित करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा क्या कार्रवाई आरंभ की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अवर स्नातक डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:15 है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के संज्ञान में यह बात आई है कि कतिपय संस्थाएं शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षक-छात्र अनुपात की अपेक्षा को पूरा नहीं कर पा रही हैं। विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अवहेलना करने वाली संस्था को नोटिस जारी करती है। यदि फिर भी कोई संस्था अपेक्षा को पूरा नहीं करती है तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऐसी संस्था को या तो ''दाखिला नहीं'' श्रेणी में डाल देती है अथवा उनकी ''अनुमोदित प्रवेश क्षमता'' को कम कर देती है। जिन मामलों में गंभीर कमियां पायी जाती हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऐसी संस्थाओं का अनुमोदन वापस लेने के लिये कार्रवाई आरंभ करती है।

[हिन्दी]

कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ स्थानांतरण

2007. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश-राज्य के विभाजन के पश्चात् अधिकारियों/कर्मचारियों को छत्तीसगढ़-राज्य में भेजे जाने के कारण असंतोष उत्पन्न होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने, मध्य प्रदेश-पुनर्गठन-अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उपर्युक्त राज्य-सेवा के कार्मिकों के उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश-राज्य तथा छत्तीसगढ़-राज्य में आबंटन के आदेश अंतिम रूप से जारी कर दिए हैं। इस बारे में उपर्युक्त राज्य-सेवा के उन कार्मिकों सहित अन्य कार्मिकों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें पहले, अनंतिम रूप से जारी की गई अंतिम आबंटन-सूची के अनुसार अभिवेदन करने का अवसर नहीं मिला था। सरकार ऐसे व्यक्तियों से संबंधित मसले से अवगत है और उस पर ध्यान दे रही है।

[अनुवाद]

स्वाधार योजना

2008. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधार योजना के माध्यम से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2002-2003 के बजट के दौरान इस योजना हेतु आवंटित धनराशि कितनी है; और

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान देश में गैर-सरकारी संगठनों के लिए कितनी स्वाधार योजनाएं स्वीकृत की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) स्वाधार स्कीम के माध्यम से अब तक लगभग 3000 महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है।

(ख) वर्ष 2002-03 में स्वाधार स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान, अब तक 12 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

कीटनाशक उद्योग की समस्याएं

2009. **डा० वी० सरोजा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीटनाशक उद्योग केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से पंजीयन पर्यावरण संबंधी अनुमति में विलंब एवं उत्पाद शुल्क एवं बिक्रीकर के भारी बोझ जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) कीटनाशक उद्योग संघों से इस संदर्भ में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने कीटनाशक उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों की गहराई से जांच करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालीय अधिकारी दल का गठन किया है। इस समूह में कीटनाशक उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं तथा कीटनाशक उद्योग के समक्ष विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए नियमित रूप से इसकी बैठके होती हैं।

मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन

2010. **श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहमदी ने मानवाधिकार अधिनियम, 1993 में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकरण में सुधार करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) न्यायमूर्ति ए०एम० अहमदी समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में कुछेक संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। सरकार ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

सेवा-निवृत्ति की आयु

2011. **डा० जसवंतसिंह यादव : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र-सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठते।

(ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने की सिफ़ारिश की थी। सरकार ने पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की इस सिफ़ारिश और अन्य सभी संगत तथ्यों एवं पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की यह सिफ़ारिश स्वीकार कर लेना तय किया और अपने दिनांक 13.05.1998 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ा दी।

[अनुवाद]

अभियांत्रिकी की पुस्तकें

2012. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सस्ती दरों पर अभियांत्रिकी की पुस्तकें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 11 फरवरी, 2003 के हिंदी दैनिक 'राष्ट्रीय सहरा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्राध्यापकों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है;

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता प्रदान की गई है और यह सहायता किस प्रकार से दी गई है; और

(ङ) इन पुस्तकों को बाजार में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) जी, हां। एक ऐसी योजना तैयार करने का प्रस्ताव है जिसके तहत छात्रों के लिए उचित कीमत पर इंजीनियरी की स्तरीय पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस कार्य के लिए अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

केले को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास

2013. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीटों एवं रोगों के कारण 10 वर्षों के अंदर केला विलुप्त हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो केले को विलुप्त होने से बचाने के लिए कौन से आनुवांशिकी अभियंत्रण संबंधी प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, न्यू सांइटिस्ट (जनवरी, 2003) में दी गयी रिपोर्ट के अनुसार एक प्रमुख अनुसंधानकर्त्ता ने कहा है कि दो बीमारियों अर्थात् पनामा रोग तथा ब्लैक सिगाटोका से केला विलुप्त हो सकता है क्योंकि इन रोगों ने अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया को प्रभावित किया है। तथापि अमेरिकन फाइटोपाथोलाजिकल सोसाइटी (ए०पी०एस०) तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ०ए०ओ०) की रिर्पोटों में कहा गया है कि केला विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि ये बीमारियां घातक सिद्ध होंगी। इन रोगों को फफूंदनाशी तथा कृमिनाशियों के प्रयोग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा बागान के लिए बेहतर आनुवंशिक विविधता के जर्मप्लाज्म के प्रयोग तथा आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए रोगरोधी पादपों के विकास से भी इस समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा जिनोमिक्स पर भारत तथा विदेश में कई अनुसंधान-प्रयोगशालाओं में अध्ययन किये जा रहे हैं।

अभी तक भारत में केले के विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि केले की खेती पोलिक्लोनल पद्धति से की जाती है, जबकि लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन देशों में इसे मोनोक्लोनल पद्धति से उगाया जाता है। भारत के पास केले की बहुत सी किस्में उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ किस्में एक बहुमूल्य जीन पूल का सृजन करती हैं जिनका उपयोग उन्नत किस्मों के विकास में प्रयोग के लिए प्रमुख कीटों तथा रोगों के प्रतिरोधक विकसित करने में किया जा सकता है।

करमुक्त म्युनिसिपल बांडों के माध्यम से वित्त पोषण

2014. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरपालिका एवं शहरी क्षेत्रों में आवासन क्रियाकलापों में तेजी लाने हेतु करमुक्त म्युनिसिपल बांडों के माध्यम से वित्तपोषण करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) महोदय, केन्द्र सरकार ने वित्त अभिनियम 2000 के तहत आयकर अभिनियम, 1961 की धारा 10 (15) में एक नई क्लाज (vii) जोड़ी है, जिसमें स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी बांडों से ब्याज आय को आयकर से छूट दी गई है। स्थानीय सरकार/प्राधिकरणों द्वारा कर मुक्त म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए परिचालित दिशानिर्देशों के अनुसार आवास क्रियाकलापों का वित्तपोषण उन क्षेत्रों के लिए नहीं है, जो इन बांडों से जुटाई गई धनराशि के उपयोग के लिए है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बेरोजगारी

2015. श्री अनन्त नायक : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के अधिसूचित जिलों में बढ़ती बेरोजगारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इन जिलों में पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या योजनाएं आरंभ की गई हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य के इन जिलों में रोजगार सृजित करने में ये योजनाएं कितनी सफल रही हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) रोजगार और बेरोजगार के संबंध में जिले-वार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार के माध्यम से उड़ीसा के सभी जिलों में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस०जी०आर०वाई०) और स्वरोजगार कार्यक्रम-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) क्रियान्वित कर रहा है।

(ङ) 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान बालासोर, बौद्ध, गंजम, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज, सम्बलपुर और सुन्दर गढ़ के जिलों में, जहां अधिसूचित क्षेत्र हैं, इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त वास्तविक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या	सृजित मजूदरी रोजगार (लाख श्रमदिवस)
1999-2000	26071	87.44
2000-2001	32313	90.44
2001-2002	23691	105.20

राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक

2016. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लंबे समय से राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक नहीं बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनर्गठित करने और इसकी बैठक बुलाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय एकता परिषद के पुर्नगठन का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कारीगरों के लिए शहरी क्षेत्रों में परिसरों का निर्माण

2017. **श्री मानसिंह पटेल :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पर देश के शहरी क्षेत्रों में परिसरों के निर्माण का है ताकि वे अपने उत्पादों को बेच सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में और कौन से कदम उठाये जा रहे है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्र के कारीगारों को शहरी क्षेत्रों में विपणन सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) जी, हां। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि शहरों में विभिन्न स्थानों/पर्यटन केन्द्रों पर शहरी हाट बनाए जा रहे हैं जहां ग्रामीण दस्तकार बारी-बारी से 15 दिन के लिए अपनी दुकानें लगाते हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) से (च) इन हाटों का उद्देश्य मुख्यत: ग्रामीण दस्तकारों को शहरी क्षेत्रों में अपना सामान बेचने के अवसर मुहैया कराना है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

शहरी हाटों की स्थापना

ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के दस्तकारों को स्थायी विपणन केन्द्र मुहैया कराने के लिए वर्ष 1999-2000 में ''शहरी हाटों की स्थापना'' नामक एक नई योजना स्कीम शुरू की गई थी। योजना में दिल्ली हाट, नई दिल्ली के सफल अनुभव को देखते हुए उसी के अनुसरण में शहरी हाटों की स्थापना पर विचार किया गया था। नौवी योजनावधि के दौरान योजना आयोग द्वारा देश के वाणिज्यिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर ऐसे 18 हाटों को स्वीकृति दी गई और लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त किया गया। जम्मू (जम्मू तथा कश्मीर), करनाल (हरियाणा), भुवनेश्वर (उड़ीसा) तथा तिरूपति (आंध्र प्रदेश) में शहरी हाट शुरू हो गए हैं तथा इनमें विपणन क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। इन हाटों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करके परिचालित कर दी गई है ताकि सारे देश के दस्तकार इनमें भाग ले सकें। दस्तकारों ने इन हाटों में भाग लेना शुरू कर दिया है। शेष शहरी हाट भी निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इन हाटों से प्रतिवर्ष 36 हजार से अधिक दस्तकारों को लाभ होगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में 20 अन्य शहरी हाट स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनमें से लखनऊ (उत्तर प्रदेश) सूरत व भुज (गुजरात), हजारीबाग (झारखंड), पटियाला (पंजाब) तथा वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 6 शहरी हाटों को स्वीकृत/अनुमोदित किया गया है। इस योजना में निर्मित स्टालों को 15 दिन के लिए बारी-बारी से और नाममात्र किराए पर दस्तकारों को आबंटित करने की अनुमति दी गई है। इन हाटों में दस्तकारों के किसी मध्यस्थ के बिना अपने उत्पाद सीधे ही उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं।

सरकार को आशा है कि एक शहरी हाट से प्रतिवर्ष करीब 2000 दस्तकारों को पाक्षिक प्रत्यक्ष विपणन सुविधा प्राप्त हो सकेगी। उपभोक्ताओं को सीधे अपने उत्पाद बेचना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मध्यस्थ, जो हस्तशिल्प/हथकरघा क्षेत्र में लाभ का एक बड़ा हिस्सा हड़प जाते थे, अब ऐसा नहीं कर पाएंगें। इसके अलावा इन हाटों मे आने वाले ग्राहकों/पर्यटकों को शहरों के मध्य में सांस्कृतिक परिवेश की झलक भी मिल सकेगी। पर्यटक उचित मूल्यों पर हस्ताशिल्प/हथकरघा वस्तुएं लेने के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के विशेष भोजन का भी आनंद ले सकेंगे।

विवरण-II

फरवरी, 2003 तक शहरी हाटों की राज्यवार अवस्थिति

क्षेत्र	राज्य	स्वीकृत शहरी हाटों की संख्या	स्थान
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	1	उचेना
	हिमाचल प्रदेश	—	—
	जम्मू व कश्मीर	2	जम्मू, श्रीनगर
	पंजाब	1	पटियाला
	राजस्थान	2	जोधपुर, जयपुर
केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	4	आगर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
	उत्तरांचल	1	देहरादून
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	1	कोलकत्ता
	उड़ीसा	1	भुवनेश्वर
	बिहार	—	—
	झारखण्ड	2	रॉची, हजारीबाग
	सिक्किम	—	—
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	1	तिरूपति
	तमिलनाडु	—	—
	केरल	1	त्रिवेन्द्रम
	पाण्डीचेरी	—	—
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—
	कर्नाटक	—	—
पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	3	गांधीनगर, सूरत, भूज
	महाराष्ट्र	—	—
	गोवा	—	—
	मध्य प्रदेश	1	भोपाल
	छत्तीसगढ़	1	रायपुर
पूर्वोत्तर क्षेत्र	असम	1	गुवाहाटी
	मेघालय	—	—
	मणिपुर	—	—
	मिजोरम	—	—
	अरूणाचल प्रदेश	—	—
	नागालैंड	—	—
	त्रिपुरा	1	अगरतल्ला

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा हेतु विश्व बैंक से ऋण

2018. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु विश्व बैंक से ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजनाओं को मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है और वे विश्व बैंक को आगे भेजने के लिए वित्त मंत्रालय को अग्रेषित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ 1317.74 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 5137 करोड़) उदार ऋण के रूप में आई०डी०ए० क्रडिट पहले ही अनुबंधित की जा चुकी है। 16 राज्यों अर्थात् असम, हरियाण, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड और राजस्थान के 213 जिले कार्यक्रम के तहत शामिल हैं 85 प्रतिशत परियोजना लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है जिसका स्रोत विदेशी सहायता है तथा यह संबंधित परियोजना राज्यों को अनुदान के रूप में जारी की जाती है। शेष 15 प्रतिशत लागत का योगदान संबंधित राज्य सरकारें द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम के तहत शामिल विभिन्न राज्यों के संबंध में अनुमोदित परियोजना लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक सहायता से जि०प्रा०शि०का० को कार्यान्वित करने वाले राज्यों की परियोजना लागत को दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	परियोजना लागत
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	716.05
2.	असम	318.61
3.	बिहार	435.35
4.	छत्तीसगढ़	79.99
5.	हरियाणा	267.06
6.	हिमाचल प्रदेश	129.28
7.	झारखंड	215.81
8.	कर्नाटक	494.96
9.	केरल	189.47
10.	मध्य प्रदेश	381.10
11.	महाराष्ट्र	428.90
12.	उड़ीसा	230.12
13.	राजस्थान	783.57
14.	तमिलनाडु	274.69
15.	उत्तर प्रदेश	1434.20
16.	उत्तरांचल	85.86
	कुल	6465.02

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आवासों का आवंटन

2019. **श्री ए०सी० जोस :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995 के दौरान अंडमान एवं निकोबार के तत्कालीन उप-राज्यपाल ने बेघर लोगों के लिए 10,000 आवास-स्थलों को आवंटित करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है; और

(ग) ये कब से लंबित है और आज तक आवास-स्थल आवंटित न करने के क्या कारण हैं और इन आवंटनों को कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां, श्रीमान। तथापि, यह घोषणा 1994 में की गई थी।

(ख) और (ग) की गई घोषणा के अनुसरण में आवास स्थलों के आवंटन हेतु की गई उद्घोषणाएं 1994 के दौरान अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा विधिवत रूप से जारी की गई थी। तथापि विभिन्न करणों, जिनमें कुल जरूरत पूरी करने हेतु पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भू राजस्व तथा भूमि सुधार विनियमन, 1966, जिसके अंतर्गत आवास स्थलों के आवंटन हेतु घोषणाएं जारी की गई थीं, में निर्धारित शर्तें आवंटन करने की प्रस्तावित निबंधन और शर्तों से भिन्न होना शामिल हैं, की वजह से आवंटन करना संभव नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

ग्यारह हजार उद्योगों की पुनर्स्थापना हेतु भूमि की मांग

2020. **श्री जय प्रकाश : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार से ग्यारह हजार उद्योगों को पुनर्स्थापना हेतु भूमि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) ने सूचित किया है कि रिहायशी/गैर नियोजित क्षेत्रों से उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पुनर्स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली मास्टर प्लान (एम०पी०डी०) 2001 के अनुसार शहरी विस्तार क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1533 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से 778 हेक्टेयर भूमि बवाना में पहले ही अभिज्ञात हो गई है और दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम (डी०एस०आई०डी०सी०) द्वारा विकसित कर ली गई है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों को कम लागत के ऋण

2021. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उनकी तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कम लागत के ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कम लागत के ऋणों से विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में विश्वविद्यालयों को किस तरीके से सहायता मिलेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में समुदाय विकास पर व्यय की गई धनराशि

2022. **प्रो० रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 से 15 फरवरी, 2003 तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में समुदाय विकास पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) उक्त धनराशि का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया गया है और इससे कौन-कौन से कार्य किए गए हैं;

(ग) इन कार्यों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या समुदाय विकास कार्यों के संबंध में किसी धोखा-धड़ी का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जैसा कि सी०आई०एल० द्वारा सूचित किया गया है, भारत कोकिंग कोयला लि० द्वारा 2001-02 से 15 फरवरी 2003 की अवधि के दौरान सामुदायिक विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि 25.96 लाख रुपये है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) सामुदायिक विकास कार्यों के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर पहले क्षेत्र स्तर पर कल्याण समिति द्वारा विचार किया जाता है। तत्पश्चात प्रस्ताव को अनुषंगी मुख्यालय को भेजा जाता है और उस पर कल्याण उप-समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें प्रबंधन और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि होते हैं। कल्याण उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किया जाता है, मुख्यालय द्वारा निधि आवंटित की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

बी०सी०सी०एल० में वित्तीय वर्ष 2001-02 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य के ब्यौरे :

क्र० सं०	कार्य का नाम	खर्च की गई राशि (रु०)
1	2	3
1.	वनस्थली हाईस्कूल में साइकिल शेड का निर्माण	55,000.00
2.	सेन्द्रा में दुर्गा मण्डप का जीर्णोद्धार	87,928.44
3.	सेन्द्रा में शिव मंदिर में विकास कार्य	1,07,660.88
4.	गौशाला मोड़ पर अम्बेदकर की मूर्ति के लिए शैड बनाना।	12,500.00
5.	बस्ताकोला कोलियरी में एल०पी० स्कूल के लिए एक कमरे का निर्माण	23,500.00
6.	सुलग्ना तालाब और तिसरा पर घाट का निर्माण	25,800.0
7.	श्रमिक क्लब की चहारदीवारी की मरम्मत	9,000.0
8.	मधुबन में छठ घाट का निर्माण	49,000.00
9.	जीलगोरा के निकट मरम्मत और अनुरक्षण कार्य	7,000.00
10.	पटेल नगर कालोनी में छाल का पुनर्निर्माण	29,187.00
11.	इन्वन्द्रा कालोनी में दुसाध पट्टी के निकट सह-केन्द्र एवम् छाल की छत की मरम्मत	7,212.12
12.	इन्वन्द्रा कालोनी में समुदाय केन्द्र की मरम्मत	13,544.22
13.	तासरा गांव में कुएं को गहरा करना तथा मरम्मत	24,979.86
14.	धनबाद में खान बचाव स्थल पर कुएं का जीर्णोद्धार	25,500.00
15.	माइनर्स स्टेट्यू श्रमिक चौक का वार्षिक अनुरक्षण तथा रोशनी की व्यवस्था करना।	11,498.33
16.	धनबाद में गोल्फ ग्राउन्ड का अनुरक्षण	10,852.77
17.	एक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट तथा दो पुलिस ट्रैफिक साइनबोर्डों के लिए प्रावधान	15,565.18
18.	कोयला नगर, धनबाद में कोयला नगर हास्पिटल के निकट कुंआ खोदना	32,524.82
19.	कोयला नगर में चिल्ड्रन पार्क के निकट ग्रीन ग्लोब तथा बाढ़ के लिए प्रावधान	32,524.82
20.	कार्मिक नगर में एन०एच० 32 से डी०पी०एस० तक सड़क की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण	7,80,505.48
21.	वनस्थली हाईस्कूल, तिलैया के लिए एक हाल का निर्णय	3,25,129.65
22.	आदर्श माध्यमिक निकेतन, डी० ब्लाक, भूलि लिए एक विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण।	1,73,926.34
23.	कोयला नगर अस्पताल के निकट छठ तालाब का जीर्णोद्धार	1,75,859.00
24.	आई०एस०एल० स्कूल सरायढेला के लिए दो कमरों का निर्माण	59,514,31
25.	कार्मिक नगर में सामुदायिक शैड की मरम्मत और रखरखाव	1,177.02
26.	कोयला नगर में चिल्ड्रन पार्क में गेट और सीढ़ियों का प्रावधान	2,091.51
27.	वनस्थली हाईस्कूल तिलैया के लिए चहारदीवारी का निर्माण	8,978.30
28.	वनस्थली हाईस्कूल तिलैया के लिए ग्रिल और कोलेब्सिबल गेट का प्रावधान	921.00
29.	रिफ्यूजी बाजार, पुराना बाजार में पाइप लाइन और पम्प की एस/एफ	434.67
	उप-योग	21,64,683.50
30.	2002-03 (15 फरवरी तक) के दौरान खर्च की गई राशि	4,31,400.00

[अनुवाद]

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का शुल्क ढांचा

2023. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री ए० नरेन्द्र :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आगामी शिक्षण सत्र से वार्षिक शुल्क और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अन्य प्रभारों को बढ़ाने का निर्णय लिया है जैसा कि 1 फरवरी, 2003 के 'दैनिक हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय की व्यय सुधार समिति ने विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थाओं के वर्तमान शुल्क ढांचे में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(छ) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में वर्तमान में किए जा रहे शुल्क की तुलना में संभावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (छ) व्यय सुधार आयोग ने अपनी नौवीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में फीस को पर्याप्त स्तरों तक संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी संस्थाओं में शिक्षा की लागत के साथ उसका सह सम्बन्ध हो। तथापि इसने यह भी सिफारिश की है कि शुल्क में इस प्रकार की वृद्धि से अर्जित अतिरिक्त प्राप्ति के एक भाग का उपयोग निर्धन परिवार के विद्यार्थियों को फ्री-शीप प्रदान करने और प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्कालरशिप प्रदान करने में किया जाए। सरकार ने अब इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस संबंध में उपयुक्त सलाह दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में अभी तक कोई विनिर्दिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

केरल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

2024. श्री रमेश चेन्नितला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर केरल में वर्तमान में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना हेतु प्रधानमंत्री के दिसम्बर, 2000 के कुमराकन पैकेज के घटकों में से एक घटक केन्द्र सरकार की सहायता थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पैकेज के संबंध में केरल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु कोई कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) देश में दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी, मुम्बई, खड़गपुर, चेन्नई तथा रूड़की में सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। इस समय, केरल में कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नहीं है। भारत सरकार का प्रयास देश में यथासंभव छात्रों को उस प्रकार की कोटिपरक तकनीकी शिक्षा का लाभ प्रदान करने का रहा है जैसा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रदान की जा रही है। चूंकि नए प्रौद्योगिकी संस्थानों के खोलने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, अत: भारत सरकार इस समय देश में कोई नवीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने पर विचार नहीं कर रही है। विकल्प के तौर पर लागत प्रभावी विकल्पों को सुकर बनाया गया है, यथा-मौजूदा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश-क्षमता में वृद्धि और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में स्तरोन्नयन करना।

केन्द्रीय भंडार में आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण

2025. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों, चावल और किराने की अन्य मदों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, जबकि उपभोक्ता, मसाले और स्टेशनरी-सामग्री के संबंध में उसका पंजीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दालों, चावल, मसालों, उपभोक्ता और किराने तथा स्टेशनरी सामग्री की वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं को पिछली बार कब पंजीकृत किया गया था;

(ग) नए आपूर्तिकर्ताओं विशेषकर दालों और चावल के पेषकों को सूचीबद्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दाल और चावल के कतिपय आपूर्तिकर्ताओं और केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों के बीच सांठ-गांठ चल रही है;

(ङ) आज की तिथि के अनुसार कितने आवेदन पंजीकरण हेतु लंबित हैं और वे कब से हैं;

(च) क्या निदेशक मंडल के कुछ निर्वाचित निदेशकों ने केन्द्रीय भंडार में दालों की घटिया गुणवत्ता और इनके उच्च दरों पर बेचे जाने के संबंध में लिखित शिकायत की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु आपूर्तिकर्ता, समय-समय पर पंजीकृत किए जाते हैं। पिछली बार, किराने की वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण, 16.11.2002 को उपभोक्ता की वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण, 03.09.2002 को और लेखन-सामग्री से संबंधित आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण, 10.12.2002 को किया गया था। नए आपूर्तिकर्ता, उपर्युक्त समिति की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए, गुणावगुणों के आधार पर पंजीकृत किए जाते हैं।

(घ) ऐसा कोई भी दृष्टांत, सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) तीन विज्ञापनों के संदर्भ में, लेखन-सामग्री-प्रभाग से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण के मामले में अन्ततः कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पंजीकरण के अनुरोध, अन्यथा भी समय-समय पर मिलते रहते हैं, लेनिक ऐसे आवेदनों के कोई भी आंकड़े नहीं रखे जाते।

(च) और (छ) कुछ निर्वाचित निदेशकों ने केन्द्रीय भंडार में बेची जा रही दालों की गुणवत्ता और उनकी दरों के बारे में शिकायत की थी। इस पर एक अनुवर्ती उपाय के रूप में दालों, के आपूर्तिकर्ताओं और केन्द्रीय भंडार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की गई और उसमें दालों की गुणवत्ता और सुधारने का निर्णय किया गया। केन्द्रीय भंडार की दरों की, नेफेड, अपना बाजार, सबका बाजार तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता एवं सहकारी संघ जैसे संगठनों में चल रही दरों से तुलना की गई तथा उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक पाया गया।

[हिन्दी]

यूरिया का दूसरे स्तर पर मालभाड़ा दरों में संशोधन

2026. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरिया का दूसरे स्तर पर माल भाड़ा दरों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सातवीं तथा आठवीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिये यूरिया की गौण भाड़ा दरों को दिनांक 1.7.1997 से संशोधित किया गया है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

2027. श्री सुरेश चन्देल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज प्रतिषेध आधेनियम, 1961 के क्रियान्वयन के बावजूद देश में दहेज के लिये युवा लड़कियों की हत्या की घटनाओं में कमी नहीं आयी है और ऐसी घटनाएं प्रतिदिन किसी न किसी राज्य में घटित होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त अधिनिथम की कुछ धाराओं में विषमताएं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिनियम तथा दहेज संबंधित उपबंधों में कोई संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000, 2001 तथा 2002 के दौरान देश में दर्ज दहेज मृत्यु की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	दर्ज दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या
2000	6995
2001*	6553
2002*	5928 (उपलब्ध अवधि तक के लिए)

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र

2028. श्री अधीर चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के आस-पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत और क्षेत्रों को लाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करता है :—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उप क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी० में)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483
हरियाणा उप क्षेत्र जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और रिवाड़ी जिले शामिल हैं।	13413
उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र जिसमें बुलन्द शहर, मेरठ, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर तथा बागपत जिले शामिल हैं।	10853
राजस्थान उप क्षेत्र जिसमें अलवर जिले की अलवर, बेहरोड़, रायगढ़, माण्डावाड़, किशनगढ़, बास, तिजारा और कोटकासिम तहसीलें शामिल हैं	4493
कुल	30242

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने के लिए नीचे दिए गए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं :—

(i) श्री गंगा राम कोहली, भूतपूर्व सासंद (लोक सभा) का भरतपुर जिले की तीन तहसीलों को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन।

(ii) श्रीमती शीला गौतम, सांसद (लोक सभा) का अलीगढ़ जिला को शामिल करने हेतु अभ्यावेदन।

(iii) कर्नल नारायण सिंह जानू, अध्यक्ष, अलवर जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, अलवर जिले की शेष तहसीलों को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन।

(iv) श्री जसवंत सिंह यादव, सांसद (लोक सभा), अलवर जिले की शेष तहसीलों को शामिल करने हेतु अभ्यावेदन।

(v) श्री विश्वेन्द सिंह, सांसद (लोक सभा), अलवर जिले की शेष तहसीलों को शामिल करने हेतु अभ्योवदन।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की जाती है।

रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन

2029. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों के नामों पर परिवर्तन हेतु लंबित/विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार को रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन करने संबंधी 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। संबंधित राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों से गांवों, शहरों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि के पुन: नामकरण के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों की जांच करने हेतु कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्ताव निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं। इन मामलों में निर्णय लेना इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों से जानकारियां कब प्राप्त होती हैं।

आतंकवादियों को वित्त पोषण

2030. श्री राममोहन गाड्डे :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों हेतु आंतकवादी संगठनों और गुटों को वित्तपोषण किये जाने के संबंध में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण द्वारा कराया गया अध्ययन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट मे उल्लिखित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्टों के आधार पर सरकार द्वारा कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस तरह के वित्तपोषण को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) अध्ययन रिपोर्ट, राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में लगे संगठनों और ग्रुपों को धन देने के विभिन्न पहलुओं के बारे में हैं।

(ग) से (ङ) स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें तस्करी को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन और तट-सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आतंकवादियों को धन उपलब्ध करने का मुख्य साधन जाली मुद्रा नोटो का परिचालन और नशीली दवाओं के व्यापार को रोकना शामिल है। आई०एस०आई०, जो हमारे देश में आतंकवादियों को धन देने के कार्य में लगी हुई है, की योजनाओं को विफल करने के लिए आसूचना तंत्र को भी सक्रिय बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, आतंकवादियों को धन देने सहित सीमा पार से अपराध और आतंकवाद को रोकने के लिए राजनयिक कदम भी उठाए गए है।

आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने की समस्या से निपटने के लिए आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 और मनी लाऊन्डरिंग एक्ट, 2002 भी अधिनियमित किए गए है।

भारतीय कोयले में राख की मात्रा

2031. श्री नरेश पुगलिया :
श्री भास्करराव पाटील :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड भारतीय कोयले में राख की मात्रा के वार्षिक औसत को घटाने की योजना बना रही है; जैसा कि 3 फरवरी, 2003 के स्टेट्समैन में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस अति उन्नत गुणवत्ता वाले कोयले से प्रयोक्ता कहां तक लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या अति उन्नत गुणवत्ता वाले इस कोयले की उपलब्धता से कोयले के आयात पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सी०आई०एल० के अध्यक्ष का दिनांक 3 फरवरी 2003 को "दि स्टेट्समैन" में प्रकाशित वक्तव्य वास्तव में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एम०ओ०ई०एफ०) की शर्त के अनुपालन में कुछ तापीय विद्युत संयंत्रों में 34% से कम राख वाले नॉन-कोकिंग कोयले का उपयोग किए जाने से संबंधित है।

भारत सरकार ने (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से) पिट हैड से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित अथवा शहरी क्षेत्र या संवेदनशील क्षेत्र अथवा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र में स्थित किसी भी तापीय विद्युत संयंत्र (टी०पी०पी०) में 34% से अनधिक राख तत्व वाले कोयले के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है। इस शर्त को पूरा करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला आपूर्ति मैट्रिक्स बनाया गया है और यह प्रचालनाधीन है। तथापि, यह एक अन्तरिम व्यवस्था है। दीर्घावधि में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्त को पूरा करने के लिए कोयले को परिष्कृत करना पड़ेगा। वर्तमान में सी०आई०एल० में नॉन-कोकिंग कोयले के परिष्करण के लिए दुग्दा-I (1.0 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता — एक भाग परीक्षण आधार पर चालू है), लोडना (0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता), करगली (2.72 मि०ट० प्रति वर्ष क्षमता), गिडी (2.5 मि०ट० प्रति वर्ष क्षमता), पिपरवार (6.5 मि०ट० प्रति वर्ष क्षमता) तथा बीना (4.5 मि०ट० प्रति वर्ष क्षमता) नामक 6 वाशरियां प्रचालन में हैं। कोल इंडिया निधि की बाध्यताओं के कारण स्वयं अधिक नॉन-कोकिंग कोयला वाशरियां स्थापित करने पर विचार नहीं कर रहा है। कोयला वाशरियां या तो निर्माण — स्वामित्व-प्रचालन (बी०ओ०ओ०) आधार पर अथवा उपभोक्ताओं द्वारा करार किए जाने के बाद स्थापित की जानी है।

सी०आई०एल० ने तापीय विद्युत गृहों को धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए बी०ओ०ओ० योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कोयला वाशरियों को स्थापित करने के लिए कार्रवाई की है :—

(i) कलिंगा, एम०सी०एल० (8.0 मि०ट० प्रति वर्ष क्षमता)

(ii) अनन्ता भरतपुर, एम०सी०एल० (5.2 मि०ट० 8 प्रति वर्ष क्षमता)

(iii) दिपका, एस०ई०सी०एल० (6.0 मि०ट० प्रति वर्ष क्षमता)

उक्त वाशरियों को स्थापित करने के लिए औपचारिक समझौते पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं और उपभोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, सी०आई०एल० द्वारा देशीय कोयले में राख तत्व को कम करने के लिए पिट स्तर पर निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

— कोयला सीमों के निष्कर्षण के दौरान परिकल्पित खनन क्रम का अनुपालन।

— धूल पट्टियों को हटाने हेतु सतह खनिकों के नियोजन सहित चुनिन्दा खनन तकनीकों का प्रयोग।

— कोयला हैण्डलिंग संयंत्रों में बाहरी पदार्थों को चुनना।

— ऊपरी मलबा बेन्चों को कोयला बेन्चों से पर्याप्त दूरी पर रखना।

(ग) विद्युत संयंत्रों को अनुकूल गुणवत्ता के निम्न राख वाले कोयले का प्रयोग करने से निम्नलिखित लाभ होंगे :—

(i) कोयले की परिवहन लागत में बचत।

(ii) प्राथमिक क्रशिंग लागत में कमी।

(iii) संयंत्र भार कारक में सुधार।

(iv) तापीय दक्षता में सुधार।

(v) प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत में कमी।

(vi) सहायक ईंधन उपयोग में कमी।

(vii) राख निपटान हेतु भूमि तथा जल की कम आवश्यकता।

(viii) पूंजीगत निवेश में कमी (नए संयंत्रों हेतु)।

(ix) ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव में कमी।

(घ) और (ङ) कोयला आयात सामान्य खुले लाइसेन्स (ओ०जी०एल०) के अन्तर्गत हैं। कोयला तथा कोक का आयात, उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा की देशीय तौर पर अनुपलब्धता/अपर्याप्त उपलब्धता के कारण, देशीय कोयले के साथ मिश्रण करने के लिए, व्यावसायिक शर्तों सहित लागत विचार आदि के कारण किया जाता है। परिष्करण संयंत्रों की स्थापना से देशीय रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता में सुधार होगा और इससे नॉन-कोकिंग कोयले के आयात में कमी होने की सम्भावना है। विद्यमान आयात शुल्क से नॉन-कोकिंग कोयले के आयात में वर्तमान स्तर (2001-02) के 9.57 मिलियन टन से दसवीं योजना के अंत तक (2006-07) 3.30 मिलियन टन तक कमी होना प्रक्षेपित है।

विदेशों में भारतीय औषध उत्पादों के मूल्य

2032. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी बाजार में भारतीय औषध उत्पादों के मूल्य देश में प्रचलित मूल्यों की तुलना में अत्यधिक कम हैं;

(ख) यदि हां, तो बड़ी मात्रा में कितनी महत्वपूर्ण औषधियों का निर्यात किया गया है और विदेशी बाजार और घरेलू बाजार में इससे क्या तुलनात्मक मूल्य प्राप्त हुए हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन औषध उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) भारतीय औषधियों हेतु बेहतर स्वदेशी बाजार सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) भारतीय औषधों के निर्यात मूल्य आम तौर पर भारत में प्रचलित मूल्यों से अधिक हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) बेहतर विदेशी बाजार सुनिश्चित करने के लिए निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/आयोजनों में भाग लेने में समर्थ हो सकें, अग्रिम लाइसेंस, डी०ई०पी०बी०, पंजीकरण प्रभारों के 50% की प्रतिपूर्ति आदि अनेक निर्यात संवर्धन स्कीमें प्रारंभ की गई हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

2033. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) दाखिले, स्थानांतरण, वित्तीय पहलुओं तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों से संबंधित अन्य मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। चूंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक स्वायत्त निकाय है, अत: इन शिकायतों को उन पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उन्हें भेज दिया जाता है।

कोयला खानों में निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादन

2034. श्री मोहन रावले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी क्षेत्र की कोयला खानों ने पांच सात वर्ष पूर्व सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात भी उत्पादन शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) 28.11.2001 की स्थिति के अनुसार आवंटित गृहीत खनन ब्लाकों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। आवंटन किए गए 27 ब्लाकों में से केवल 4 ब्लाकों में ही उत्पादन आरम्भ हुआ है।

राज्य सरकार से खनन पट्टा तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वानिकी/पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना और अन्य सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने जैसी कार्यविधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के कारण पार्टियों को आवंटित कोयला खनन ब्लाकों के विकास में समय लगता है। कुछ अन्त्य उपयोग संयंत्रों में विलम्ब हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप गृहीत खनन में भी विलम्ब हुआ है।

इन ब्लाकों के विकास की स्थिति की आवधिक समीक्षा कोयला मंत्रालय में कार्यरत जांच समिति द्वारा की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक हो, आवंटित गृहीत खनन ब्लाकों के विकासकों को अन्त्य उपयोग संयंत्रों के विकास के साथ-साथ ब्लाकों के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाने का परामर्श दिया जाता है।

विवरण

दिनांक 28.11.2001 के अनुसार आवंटित ग्रहीत खनन ब्लाकों का ब्यौरा

क्र० सं०	पार्टी का नाम	आवंटन की तारीख	आवंटित ब्लाक	अन्त्य उपयोग
1	2	3	4	5
1.	#मेसर्स आर०पी०जी० इंडस्ट्रीज/सी०ई०एस०सी० लि०	10.8.1993	सरीसाटोली	विद्युत उत्पादन
2.	मेसर्स कलिंगा पावर	10.8.1993	उत्कल-ए	विद्युत उत्पादन
3.	मेसर्स इन्डालको	25.2.1994	तालाबीरा-1	विद्युत उत्पादन
4.	#मेसर्स डब्ल्यू०बी०एस०ई०बी०	14.7.1995	तारा (ईस्ट)	विद्युत उत्पादन
5.	मेसर्स सेल	26.2.1996	तसरा	इस्पात उत्पादन
6.	#मेसर्स डब्ल्यू०बी०पी०डी०सी०एल०	17.4.1996	तारा (वेस्ट)	विद्युत उत्पादन
7.	मेसर्स तालचर माइनिंग प्रा०लि०/वी०पी०एल०	2.2.1996	उत्कल-बी 1	विद्युत उत्पादन
8.	मेसर्स बी०एल०ए० इंडस्ट्रीज	21.6.1996	गोतीतोरिया (ईस्ट)	विद्युत उत्पादन
9.	मेसर्स बी०एल०ए० इंडस्ट्रीज	21.6.1996	गोतीतोरिया (वेस्ट)	विद्युत उत्पादन
10.	#मेसस जिन्दल स्ट्रिप्स लि०	20.6.1996	गारे-पालमा-IV/1	स्पौंज आयरन उत्पादन
11.	मेसर्स मोन्नेट इस्पात	21.6.1996	गारे-पालमा-IV/5	स्पौंज आयरन उत्पादन
12.	मेसर्स लायड्स मेटल्स	9.12.1997/ 29.5.1998	तकली-जेना-बेल्लोरा (नाथे)	स्पौंज आयरन उत्पादन
13.	मेसर्स सेंट्रल कोलियरीज	29.5.1998	तकली-जेना-बेल्लोरा (साउथ)	विद्युत उत्पादन — सह वाशरी

1	2	3	4	5
14.	मेसर्स जिन्दल पावर लि०	1.7.1998	गारे-पालमा-IV/2	विद्युत उत्पादन
15.	मेसर्स जिन्दल पावर लि०	1.7.1998	गारे-पालमा-IV/3	विद्युत उत्पादन
16.	मेसर्स उत्कल कोल लि० (विगत में आई०सी०सी०एल०)	29.5.1998	उत्कल-सी	विद्युत उत्पादन
17.	मेसर्स जायसवाल निको लि०	16.8.1999	गारे-पालमा-IV/4	स्पाँज आयरन उत्पादन
18.	मेसर्स मोन्नेट इस्पात	16.8.1999	उत्कल-बी 2	स्पाँज आयरन उत्पादन
19.	मेसर्स गरूदा क्लेस लि०	25.4.2000	सेस्ट आफ उमरिया (अनंतिम)	सीमेंट उत्पादन
20.	मेसर्स जायसवाल निको लि०	25.4.2000	चोरिटांड-तिलिया (अनंतिम)	इस्पात उत्पादन/ग्रहीत विद्युत संयंत्र
21.	मेसर्स जायसवाल निको लि०	25.4.2000	जोगेश्वर (अनंतिम)	इस्पात उत्पादन/ग्रहीत विद्युत संयंत्र
22.	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि०	25.4.2000	चोटिया (अनंतिम)	स्पाँज आयरन उत्पादन
23.	मेसर्स रायपुर अलॉयस एण्ड स्टील लि०	25.4.2000	गारे-पालमा-IV/7	स्पाँज आयरन उत्पादन/ग्रहीत विद्युत संयंत्र
24.	मेसर्स बी०एस० इस्पात	25.4.2000	मारकी-मंगली	स्पाँज आयरन उत्पादन
25.	मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कारर्पो०लि०	10.7.2001	उत्कल-डी	विद्युत उत्पादन
26.	मेसर्स पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	9/10.7.01	पछवाड़ा सेंट्रल	विद्युत उत्पादन
27.	मेसर्स जी०वी०के० पावर (गोइंदवाल साहिब) लि०	28.11.2001	तोकीसुद नार्थ	विद्युत उत्पादन

#उत्पादन आरम्भ हो चुका है।

क्रिकेट टीम को सुरक्षा की धमकी

2035. श्री वाई०वी० राव : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को विशेषकर पाकिस्तानी आतंकवादियों से सुरक्षा की धमकी मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्रिकेट टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) कुछ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को खतरे की रिपोर्ट के बाद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार

2036. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी प्राप्तकर्त्ता ने भारत रत्न, पदम विभूषण, पदमश्री जैसे पुरस्कारों और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों को लौटाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्राप्तकर्त्ता द्वारा क्या कारण दिए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में बाबा आम्टे ने पदमश्री पुरस्कार लौटाने का धमकी दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनके द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) श्रीमती एम०के० विनोदिनी देवी, जिन्हें वर्ष 1976 में पदम श्री से सम्मानित किया गया था, ने दिनांक 3.8.2001 को उनके कहने के अनुसार इस बात के विरोध स्वरूप अपना पदक (सनद तथा मेडल सहित) वापस कर दिया था कि मणिपुर की जनता की अनुमति अथवा परामर्श के बिना मणिपुर की अखंडता जोखिम में डाल दी गई है।

अपने दिनांक 13.7.2001 के पत्र में श्री रतन थियाम, जिन्हें 1989 में पदम श्री से सम्मानित किया गया था, ने कहा कि वे मणिपुर में उभरती राजनैतिक गतिविधियों तथा जन-जीवन की बिगड़ती परिस्थितियों के विरोध में सम्मान वापस कर रहे हैं। तथापि, श्री थियाम में अभी तक सनद या पदक वापस नहीं किए हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भेषज उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपनियां

2037. श्री विनय कुमार सोराके : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भेषज संबंधी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने अनुसूचित सम्पनों को लघु उद्योग इकाइयों को आवंटित करके लघु उद्योग इकाइयों को मूल्य नियंत्रण के संबंध में दी जाने वाली छूट का दुरूपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रमुख कंपनियों द्वारा छूट के दुरुपयोग को रोकने में राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की क्या भूमिका है;

(घ) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रमुख कंपनियों के रूप में कार्यरत ऐसे लघु उद्योगों के पंजीकरण को र · करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ङ) अधिसूचना सं० एस०ओ० 134 (अ) दिनांक 2.3.1995 के साथ पठित, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी०पी०सी०ओ०, 1995) के प्रावधानों के अंतर्गत, लघु उद्योग इकाइयों को अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के नॉन सीलिंग पैकों के लिए सरकार/राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) से मूल्य अनुमोदन प्राप्त करने से छूट है। तथापि, यह छूट, लघु उद्योग इकाइयों को उपुर्यक्त अधिसूचना में कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर दी जाती है। उपलब्ध सूचना के आधार पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतगत जारी डी०पी०सी०ओ०, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर एन०पी०पी०ए० द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के जिलों को धनराशि का आबंटन

2038. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों को विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को योजनावार आबंटित धनराशि/उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में गैर-सरकारी संगठनो के कार्यकरण की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और राज्य में इसके अंतर्गत क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में राज्य में निधियों के दुर्विनियोजन का मामला आया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें संलिप्त पाये गए गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विगत तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इन्दिरा आवास योजना, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम/सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान नामक मुख्य योजनाओं को कार्यान्वित किया। हालांकि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम एवं केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए निधियां राज्यवार आबंटित की जाती हैं, परन्तु वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की रिलीज परियोजना पर आधारित होती है। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के संबंध में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत जिलों को आबंटित की गयी निधियों का योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (च) सूचना एकत्र•की जा रही है।

विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जे०जी०एस०ई०			एस०जी०एस०वाई०			ई०ए०एस०			आई०ए०वाई०		
		केन्दीय आबंटन 99-00	केन्दीय आबंटन 2000-01	केन्दीय आबंटन 2001-2002	केन्दीय आबंटन 99-00	केन्दीय आबंटन 2000-01	केन्दीय आबंटन 2001-2002	केन्दीय आबंटन 99-00	केन्दीय आबंटन 2000-01	केन्दीय आबंटन 2001-2002	केन्दीय आबंटन 99-00	केन्दीय आबंटन 2000-01	केन्दीय आबंटन 2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	उत्तरकाशी	734.58			80.05						68.10		
2.	आगरा	346.04	402.55	457.62	374.67	132.60	76.72	474.56	303.70	457.43	269.67	269.67	272.97
3.	अलीगढ़	356.47	340.09	386.61	292.16	103.71	60.01	400.93	256.58	386.80	262.42	262.42	265.47
4.	इलाहाबाद	591.32	849.68	965.91	528.94	517.21	299.26	1001.66	641.03	968.67	327.24	327.24	331.03
5.	अलमोड़ा	813.87			163.02			353.13			73.92		
6.	अम्बेडकरनगर	434.68	464.26	527.77	269.97	339.46	196.26	547.31	350.26	528.06	167.90	167.90	169.84
7.	आजमगढ़	637.52	967.38	1099.72	597.55	364.05	210.64	1140.43	729.83	1103.21	414.03	414.03	418.83
8.	बागेश्वर	0.00			58.54			96.31			21.34		
9.	बागपत	0.00	138.89	157.89	93.51	20.76	12.01	163.74	104.80	158.08	47.92	47.92	48.48
10.	बहराइच	354.31	410.36	466.50	246.88	521.30	301.62	483.76	309.59	467.52	969.13	969.13	980.36
11.	बलिया	822.97	566.53	644.03	381.88	352.67	204.06	667.87	427.41	645.78	698.45	698.45	706.55
12.	बलरामपुर	258.23	310.16	352.59	207.63	173.33	100.29	365.63	233.99	353.16	91.14	91.14	92.20
13.	बांदा	295.03	272.84	310.17	209.21	191.97	111.07	321.64	205.84	309.44	129.88	129.88	131.38
14.	बाराबंकी	608.96	807.50	917.97	421.99	490.55	283.83	951.94	609.21	921.58	597.12	597.12	604.05
15.	बरेली	298.10	375.35	426.70	334.56	272.06	157.41	442.49	283.18	427.16	218.36	218.36	220.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	बस्ती	500.53	544.85	619.39	334.32	308.49	178.50	642.32	411.06	622.24	369.10	369.10	373.38
17.	भदोई (संत आर नगर)	796.72	289.23	328.79	161.44	87.04	50.36	340.96	301.96		95.45	95.45	96.55
18.	बिजनौर	351.83	400.25	455.01	330.96	204.25	118.18	471.85	312.71	457.43	369.46	369.46	373.74
19.	बदायू	410.35	488.87	555.75	374.45	289.69	167.62	576.32	368.82	558.33	272.99	272.99	276.15
20.	बुलंदशहर	352.84	414.49	471.19	389.92	80.15	46.37	488.64	128.63	470.88	349.36	349.36	353.40
21.	चमौली	751.44			108.08	212.21		199.99			44.47		
22.	चम्पावत	0.00			34.53			77.40			10.52		
23.	चन्दौली	514.77	307.61	349.91	269.52		122.78	362.86	232.21	349.80	126.36	126.36	127.83
24.	देहरादून	273.73			139.70			209.53			161.50		
25.	देवरिया	347.99	482.87	548.92	364.14	254.40	147.19	569.24	364.29	551.61	1917.22	1917.22	1939.44
26.	एटा	526.44	413.18	469.71	334.54	183.47	106.16	487.09	311.72	470.88	226.02	226.02	228.64
27.	इटावा	459.70	238.08	270.65	180.50	171.77	99.39	280.66	179.61	272.44	241.41	242.41	244.21
28.	फैजाबाद	375.94	360.43	409.74	309.65	329.64	190.73	424.90	271.92	410.34	183.69	183.69	185.82
29.	फरूखाबाद	371.44	321.35	365.31	214.58	172.67	99.91	378.83	242.44	366.62	266.16	266.16	269.24
30.	फतेहपुर	481.39	549.12	624.25	206.51	270.56	156.54	647.35	414.28	625.60	290.08	290.08	293.44
31.	फिरोजाबाद	258.65	264.53	300.72	347.76	68.54	39.66	311.84	199.56	302.71	257.28	257.28	260.26
32.	पौडी गढ़वाल	754.16						252.52					
33.	गौतमबुधनगर	165.54	115.51	131.32	96.42	40.36	23.35	136.18	87.15	131.17	50.22	50.22	50.81
34.	गाजियाबाद	207.47	206.99	235.30	202.47	37.18	21.51	244.02	156.16	235.44	234.55	234.55	237.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.	गाजीपुर	904.14	627.11	712.90	402.70	394.18	288.07	739.28	473.10	716.41	283.16	283.16	286.44
36.	गोंडा	352.93	551.39	626.82	359.87	411.65	238.18	650.02	415.99	503.96	622.26	622.26	629.48
37.	गोरखपुर	501.82	864.23	982.46	515.94	387.42	224.16	1018.82	652.00	985.49	489.75	489.75	495.42
38.	हमीरपुर	303.05	203.52	231.86	168.16	148.32	20.16	239.92	153.54	357.08	81.96	81.96	82.91
39.	हरदोई	718.71	827.59	940.80	532.30	648.56	375.25	975.63	624.36	941.77	488.29	488.28	493.94
40.	हरिद्वार	180.78			149.11			220.23			252.62		
41.	जालौन	371.98	269.86	306.78	224.66	177.85	102.90	318.14	203.60	306.07	124.68	124.68	126.12
42.	जौनपुर	629.68	890.04	1011.80	570.64	407.67	235.88	1049.26	671.49	1015.76	329.36	329.36	333.18
43.	झांसी	388.59	273.53	310.95	231.18	131.84	76.28	322.46	206.36	312.80	130.21	130.21	131.72
44.	ज्योतिवा फूलेनगर	170.05	182.89	207.91	167.94	95.04	54.99	215.61	137.98	208.53	88.25	88.25	89.28
45.	कन्नौज	0.00	249.93	284.13	185.66	129.06	74.67	294.65	188.56	285.89	84.98	84.98	85.96
46.	कानपुर देहात	520.03	372.21	248.14	302.92	338.29	195.73	438.79	164.66	423.79	257.90	257.89	260.88
47.	कानपुर नगर	249.05	70.70	255.37	282.52	221.42	128.11	83.34	169.49	80.72	310.77	310.77	314.37
48.	कौशाम्बी	400.21	339.87	386.37	287.90	273.58	158.29	400.67	256.42	386.80	174.32	174.32	176.34
49.	खेरी	504.06	608.46	691.70	424.24	595.04	344.29	717.30	459.05	692.87	1218.30	1218.30	1232.42
50.	ललितपुर	389.89	201.85	229.47	109.86	101.43	58.69	237.96	152.29	228.71	91.34	91.34	92.40
51.	लखनऊ	527.43	456.69	519.17	306.06	247.05	142.94	538.38	344.54	521.33	314.21	314.21	317.85
52.	महामाया नगर (हथारा)	313.37	245.91	279.55	206.06	66.35	38.39	289.90	185.53	279.17	123.69	123.69	125.12
53.	महाराजगंज	318.00	430.56	489.46	325.79	198.33	114.75	507.57	324.83	491.06	422.48	422.48	427.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54.	महोबा	271.00	138.51	157.45	103.14	64.79	37.49	163.28	104.49	158.08	58.80	58.79	59.47
55.	मैनपुर	250.07	261.56	297.34	209.64	226.69	131.16	308.34	197.33	299 35	163.28	163.28	165.18
56.	मथुरा	252.79	241.63	274.69	207.18	78.35	45.33	284.85	182.30	275.80	216.44	216.44	218.95
57.	मऊ	340.72	363.61	413.36	250.01	217.48	125.83	428.66	274.33	413.70	180.83	180.83	182.93
58.	मेरठ	313.28	277.80	315.81	325.79	35.67	20.64	327.49	209.59	316.16	282.03	282.03	285.30
59.	मिर्जापुर	809.47	519.99	591.13	333.42	389.20	225.19	613.02	392.30	591.97	260.56	260.56	263.58
60.	मुरादाबाद	284.11	313.54	356.43	304.73	135.70	78.52	369.63	236.55	356.53	242.60	242.60	245.41
61.	मुज्जफरनगर	268.84	346.07	393.41	356.06	103.01	59.60	407.97	261.09	393.52	230.42	230.42	233.09
62.	नैनीताल	118.39			137.22			87.06			1286.43		
63.	ओरिया	0.00	208.30	236.80	190.58	190.20		612.12	157.16	238.80	109.61	109.61	110.88
	पौड़ी गढ़वाल				170.19						97.36		
64.	पडरौना (कुशी नगर)	373.01	519.24	590.27	341.49	498.34	590.27		391.74	591.97	157.28	157.28	159.11
65.	पीलीभीत	187.91	186.39	211.88	178.04	188.34	108.97	219.73	140.62	211.90	729.48	729.48	737.94
66.	पिथौरागढ़	779.51	718.62	816.93	140.58			154.80			64.04		
67.	प्रतापगढ़	552.43			424.24	471.42	272.76	847.17	542.16	820.68	218.90	218.90	221.44
68.	रायबरेली	696.35	842.22	957.44	502.48	586.20	339.17	992.90	635.42	958.58	356.10	356.09	360.22
69.	रामपुर	209.35	208.20	236.69	154.72	130.57	75.55	245.44	157.07	238.80	196.93	196.93	199.21
70.	रूद्रप्रयाग	0.00			28.71			44.44			7.65		
71.	एस० कबीरनगर	0.00	288.19	327.62	328.48	247.27	327.62	339.74	217.42	329.62	96.36	96.36	97.48
72.	एस०एम० नगर (चित्रकूट)	229.53	170.50	193.83	198.43	126.84	193.83				65.15	65.15	65.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.	सहारनपुर	344.09	414.04	470.69		163.18	470.69	488.15	312.40	470.88	297.37	297.37	300.81
74.	शाजहानपुर	272.82	336.48	382.51	290.14	341.42	382.51	396.66	253.85	383.43	332.52	332.52	336.38
75.	श्रावस्ती	252.50	239.38	272.13	195.97	228.80	171.13	282.20	180.60	272.44	80.03	80.03	80.96
76.	सिद्धार्थनगर	322.24	477.35	542.65	257.63	264.40	542.65	562.73	360.13	544.88	230.65	230.65	233.32
77.	सीतापुर	738.38	951.67	1081.86	562.36	635.82	1081.86	1121.91	717.99	1086.39	616.22	616.22	623.36
78.	सौनभद्र	835.61	670.31	762.02	222.20	415.48	762.02	790.22	505.71	763.50	246.70	246.70	249.56
79.	सुल्तानपुर	609.64	801.57	911.22	542.40	545.68	911.22	944.96	604.74	914.87	308.43	308.43	312.00
80.	टिहरी गढ़वाल	750.66			128.26			286.40			42.28		
81.	उधमसिंहनगर	191.24			122.65			198.18			87.07		
82.	उन्नाव	652.27	765.63	870.37	432.52	556.05	870.37	902.59	577.62	874.50	443.54	144.02	448.69
83.	वाराणसी	495.22	273.60	311.03	245.97	159.50	311.03	322.54	206.41	312.80	148.96	148.96	150.68
	कुल	33598.16	29503.89	33540.13	22298.83	18163.57	14588.57	36515.01	22040.75	33109.77	23565.00	21049.15	21595.12

[अनुवाद]

आरक्षण नीति

2039. श्री पी०डी० एलानगोवन :
श्री परसुराम माझी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहां तक श्रेणी-एक और श्रेणी-दो में रोजगार का संबंध है, उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संबद्ध कार्यालयों, सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं और कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों नेयवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि० और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियां प्रदान करने हेतु आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक श्रेणी-वार, संस्था-वार और पी०एस०यू०-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों में श्रेणी-वार कितनी रिक्तियां विद्यमान है और सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए है;

(ङ) क्या सरकार को अ०जा०/अ०ज०जा० तथा अ०पि०व० से संबंधित लोगों के लिए निर्धारित आरक्षित पदों (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में श्रेणी-एक और श्रेणी-दो) को भरने में कठिनाई हो रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा तुरंत ऐसे रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) भर्ती का ब्यौरा संलग्न विवरण-I मे दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) विस्तृत सूचना संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

संगठन का नाम	वर्ष	श्रेणी	भर्ती की गयी			
			एस०सी०	एस०टी०	ओ०बी०सी०	कुल
1	2	3	4	5	6	7
कोयला मंत्रालय	2000	I	–	–	–	–
		II	–	–	–	–
	2001	I	–	–	–	–
		II	–	–	1	1
	2002	I	–	–	–	–
		II	–	–	1	1
	2003	I	–	–	–	–
		II	–	–	–	–
एन०एल०सी०	2000	I	–	–	–	–
		II	–	–	–	–
	2001	I	–	–	–	–
		II	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
	2002	I	—	—	—	—
		II	5	43	10	58
	2003	I	1	—	—	1
		II	1	1	—	2

सी०एम०पी०एफ०ओ०	भर्ती प्रक्रिया तथा तत्संबंधी तैयार किया गया पैनल निरस्त कर दिया गया। संगठन को सम्पूर्ण संवर्ग पुनः तैयार करने के लिए कहा गया है और यह कार्य चल रहा है।
सी०आई०एल०	सी०आई०एल० में श्रेणी I तथा II कर्मचारी नहीं हैं। कार्य-पालक तथा प्रबंधन प्रशिक्षार्थी हैं। इस अवधि के दौरान कार्यपालकों की कोई नई भर्ती नहीं की गयी कोई नियुक्ति किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिबंध आदेश के कारण प्रबन्धन प्रशीक्षार्थियों की कोई नई भर्ती नहीं की गयी।

विवरण-II

संगठन का नाम	एस०सी०	एस०टी०	ओ०बी०सी०	कुल	रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदम
कोयला मंत्रालय	—	—	1	1	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से नामांकन प्राप्त होने पर रिक्ति को भर लिया जाएगा
सी०एम०पी०एफ०ओ०				27	संवर्ग के पुनः तैयार हो जाने के बाद, जिसका कार्य इस समय चल रहा है, पदों को भरा जाएगा।
सी०आई०एल०	247	157	82	486	इनमें से कुछ रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा और इसकी प्रक्रिया चल रही है। वाह्य भर्ती के माध्यम से प्रबन्धन प्रशिक्षार्थियों तथा चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों को भरने की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिबन्ध आदेश के कारण प्रारम्भ नहीं की जा सकी।
एन०एल०सी०	12	5	—	17	ये बैकलॉग रिक्तियां हैं और शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है।

आई०आई०टी० का विश्वविद्यालय में परिवर्तन करना

2040. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आई०आई०टी० को विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई०आई०टी० के पूर्व छात्र ऐसे परिवर्तन के लिए धन देने को तैयार हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) जी, नहीं। भारत सरकार इस समय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

मालडिब्बा लदान प्रणाली

2041. प्रो० रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० की विभिन्न सहायक इकाइयों में विभिन्न मालडिब्बा लदान प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रणाली वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत उपयोगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों के कई कोयला हैंडलिंग संयंत्र अपने निर्माण के समय से ही कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; संयंत्र-वार तथा सहायक इकाई-वार कितनी हानि हुई?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सी०आई०एल० की अनुषंगियों में वैगन लदान की बहु-विधियां प्रचलित हैं जो अधिकतर अनुषंगियों में उपलब्ध आधारभूत संरचना, रेलवे द्वारा सप्लाई किए जा रहे वैगनों के प्रकारों और पारेषित किए जाने वाले कोयले की किस्म पर निर्भर करती है। अनुषंगी-वार वैगन लदान प्रणाली के प्रकार निम्नानुसार है :—

अनुषंगी	लोडिंग की विधि		
ई०सी०एल०	मैनुअल	पेलोडर	कोयला हैण्डलिंग संयंत्र
बी०सी०सी०एल०	मैनुअल	पेलोडर	कोयला हैण्डलिंग संयंत्र
सी०सी०एल०	मैनुअल	पेलोडर	कोयला हैण्डलिंग संयंत्र
एन०सी०एल०	—	—	कोयला हैण्डलिंग संयंत्र
डब्ल्यू०सी०एल०	—	पेलोडर	कोयला हैण्डलिंग संयंत्र
एस०ई०सी०एल०	—	पेलोडर	कोयला हैण्डलिंग संयंत्र
एम०सी०एल०	—	पेलोडर	कोयला हैण्डलिंग संयंत्र
एन०ई०सी०	मैनुअल	—	—

(ख) और (ग) आवश्यकताओं के आधार पर विकसित प्रणाली लाभप्रद पायी जाती है। तथापि, अधिकांश मामलों में मैनुअल लदान प्रणाली को अधिक खर्चीली तथा समय खपाऊ पाया जाता है और इसे धीरे-धीरे संभव सीमा तक समाप्त किया जा रहा है।

साइडिंग और इन-साइडिंगों में वैगन लदान की विधियों का अनुषंगी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अनुषंगी	साइडिंगों की संख्या	वैगन लदान की विधियां मैनुअल	पेलोडर	सीएचपी/सिलो	मिश्रित
ई०सी०एल०	33	2	18	5	8 (मैनुअल तथा यंत्रीकृत)
बी०सी०सी०एल०	47	5	28	14	—
सी०सी०एल०	24	1	10	12	1 (मैनुअल/यंत्रीकृत)
एन०सी०एल०	8	—	—	8	—
डब्ल्यू०सी०एल०	21	—	13	5	3 यंत्रीकृत/सी०एच०पी०
एस०ई०सी०एल०	29	—	10	18	1 (यंत्रीकृत/सी०एच०पी०)
एम०सी०एल०	18	—	15	3	—
एन०ई०सी०	2	2	—	—	—

(घ) और (ङ) सी०आई०एल० की अनुषंगियों की निम्नलिखित कोयला हैण्डलिंग संयंत्र उनके प्रारम्भ होने के समय से अनप्रयुक्त/अकार्यशील रहे—

अनुषंगी	कोयला हैण्डलिंग संयंत्र	मुख्य कारण
1	2	3
बी०सी०सी०एल०	कात्री सी०एच०पी०	साइडिंग के बन्द होने के कारण
	बेरा सी०एच०पी०	लिंक्ड ओ०सी०पी० का बन्द होना

1	2	3
	निचितपुर सी०एच०पी०	ओ०सी०पी० को बन्द होना
एस०ई०सी०एल०	पाली में छोटा संयंत्र	एम०पी०एस०ई०बी० के संजय गांधी टी०पी०एस० के स्वयं के वैगनों का प्रचालन में न होना

इन कोयला हैण्डलिंग संयंत्रों का व्यय इस प्रकार था :–

बी०सी०सी०एल०	कात्री सी०एच०पी०	95.53 लाख रुपये
	बेरा सी०एच०पी०	145.11 लाख रुपये
	निचितपुर सी०एच०सी०	99.00 लाख रुपये
एस०ई०सी०एल०	पाली में लघु सी०एच०पी०	336 लाख रुपये

ई०सी०एल० में 1981 से 1987 तक सात अन्य प्रमुख सी०एच०पी० मंजूर किए गए हैं जिन्हें ग्रामीणों द्वारा पर्यावरणीय मुद्दे/क्षेत्र में परिवर्तन पर विवाद/प्रतिरोध के कारण पूरा नहीं किया जा सका। ये निम्न हैं :–

क्र० सं०	सी०एच०पी० का नाम	व्यय (लाख रुपयों में)
1.	डेमोमेन	505.00
2.	रातीबाती	344.21
3.	सतग्राम	19.60
4.	झांझरा	24.91
5.	मुगमा	435.82
6.	जे०के० नगर	328.37
7.	बेंकोला	754.41
	कुल	2412.32

बी०सी०सी०एल० के मामले में निम्नलिखित सी०एच०पी० को पूरा और चालू नहीं किया जा सका

	किया गया व्यय
गोलकडीह सी०एच०पी०	94.63 लाख रु०
कुसुन्डा सी०एच०पी०	71.05 लाख रु०

इसके अलावा, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०) की चिनाकुरी और अमृतनगर के दो प्रमुख कोयला हैण्डलिंग संयंत्र (सी०एच०पी०), तथा 2 मिनी सी०एच०पी०, क्षेत्र में परिवर्तन/आर्थिक कारणों से वर्तमान में प्रचालन में नहीं है। इन सी०एच०पी० से कोयले को दूसरे सी०एच०पी० के माध्यम से कोयले के समग्र प्रेषण को बनाए रखते है, डायवर्ट और प्रेषित किया जाता है।

भारत कोकिंग कोल लि० (बी०सी०सी०एल०) में चार और सी०एच०पी० जैसे केशलपुर, तेतुलमारी, नार्थ आमलाबाद और कतरास के चालू होने के बाद कार्य किया परन्तु अब प्रचालन में नहीं हैं। उनके संयंत्र और मशीनरियों को दूसरे क्षेत्रों में लाभप्रद पुनःउपयोग के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है। झुनकुन्दर की सी०एच०पी० अस्थायी रूप से कार्य नहीं कर रही है क्योंकि लिंक्ड खान बन्द है। बी०सी० सी०एल० में 32 मिनी सी०एच०पी० में से कुस्तोर क्षेत्र तथा भंवरा क्षेत्र में एक-एक सी०एच०पी० अस्थायी रूप से बेकार पड़ी है क्योंकि तकनीकी आर्थिक कारणों से कोयले का सम्बद्ध वाशरियों को सीधे ही ढुलान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि

2042. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना में 3000 करोड़ रुपए की आरंभिक निधि से एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि स्थापित करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इतनी ही राशि करों और उपकरों के माध्यम से जुटाकर इसे 6,000 करोड़ रुपये तक किया जा रहा हैं;

(ग) यदि हां, तो इस निधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या योजना दस्तावेज में निधियों की आवश्यकता सहित रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणाली हेतु शहर-वार विशिष्ट परियोजनाओं का प्रावधान किया गया हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सुझाव को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) 10वीं योजना दस्तावेज में 3000 करोड़ रु० की प्रारंभिक धनराशि के नियतन में एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास कोष की स्थापना करने और इतनी ही धनराशि करों/उपकरों से जुटाकर इसे 6000 करोड़ रु० तक करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) यह धनराशि शहरों में शहरी रेल आधारित परिवहन प्रणाली को एक यथार्थ बनाने के लिए मुख्य प्रयोजक होगी।

(घ) और (ङ) 10वीं योजना दस्तावेज में सुझाव दिया गया है कि रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणाली के लिए शहर-वार विशिष्ट परियोजना तथा साथ उनके लिए अपेक्षित धनराशि की पहचान किए जाने की जरूरत है। इस सुझाव की राज्य सरकारों के परामर्श से जांच करने की जरूरत है क्योंकि शहरी परिवहन राज्य सरकारों की प्रथम जिम्मेदारी है।

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में कर्मचारी

2043. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभों के भुगतान के कारण प्रतिवर्ष सरकार पर कुल कितनी वित्तीय देनदारियां हैं;

(ख) क्या डी०एम०आर०सी० के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी रेलवे और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की अनुसार अनुमेय वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) वर्ष 2001-2002 के लिए 6.97 करोड़ रुपये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) डी०एम०आर०सी० में अधिकारियों/स्टाफ की दो श्रेणियां हैं – (i) रेलवे/केन्द्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी तथा कर्मचारी (ii) डी०एम०आर०सी० द्वारा सीधे भर्ती किए गए अधिकारी/कर्मचारी।

रेलवे/केन्द्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/स्टाफ को वही वेतनमान मिलता है तो रेलवे/केन्द्र सरकार में समकक्ष अधिकारियों/स्टाफ को मिलता है जबकि सीधे भर्ती किए गए अधिकारी/स्टाफ को वह वेतनमान मिलता है जो सरकारी उपक्रमों (पी०एस०यू०) के समकक्ष अधिकारियों/स्टाफ को मिलता है। जहां तक डी०एम०आर०सी० के अधिकारी/स्टाफ को मिलने वाले अन्य लाभों का संबंध है, सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों/स्टाफ को मिलने वाले लाभ ही डी०एम०आर०सी० के अधिकारियों/स्टाफ को मिलते हैं।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य

2044. श्री रमेश चेन्नितला : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव ग्रामीण रोजगार योजनाओं तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) में वृक्षारोपण संबंधी कार्य शामिल करने हेतु इन में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी० एस०वाई०) के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक स्थानीय संसाधनों, रूचि तथा लोगों के कौशल और विपणन क्षमता के आधार पर लगभग 10 प्रमुख क्रियाकलाप निर्धारित कर सकते हैं। जिला एस०जी०एस०वाई० समिति द्वारा प्रमुख क्रियाकलापों का चयन पंचायत समिति (ब्लॉक पंचायत), सरपंचों, निर्धन ग्रामीणों के समूह, बैंकों, लाइन विभागों आदि के साथ परामर्श करके ब्लॉक स्तरीय एस०जी०एस०वाई० समिति की सिफारिशों पर किया जाना होता है। अत: यदि बागान क्रियाकलापों को प्रमुख क्रियाकलाप के रूप में निर्धारित किया जाता है तो इसका वित्त-पोषण योजना के अंतर्गत सब्सिडी और बैंक ऋण द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्व-रोजगार से जुड़े बागान क्रियाकलापों पर भी एस०जी०एस०वाई० विशेष परियोजना के अंतर्गत विचार किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में सूखे के कारण भुखमरी/गरीबी

2045. श्री वाई०वी० राव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सूखे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी और गरीबी सर्वत्र व्याप्त है और कृषि श्रमिकों की कोई आय नहीं हो रही है तथा वे भूखे मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राज्य में स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रमिकों के लिए ग्रामीण सड़कों के निर्माण, टैंकों और वाटर वर्क्स की खुदाई करने हेतु योजनाएं स्वीकृत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने के बाद ग्रामीण सड़कों को मंजूर करता है। ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत तालाबों की खुदाई और जल से संबंधित कार्यों की अनुमति दी जाती है, जिसके लिए कार्यों को मंत्रालय के अनुमोदन की जरूरत नहीं है।

पुलिस के साथ सांठ-गांठ

2046. **श्री रामजी मांझी** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 2002 के 'दैनिक जागरण' में अधिकारियों और पुलिस के बीच सांठ-गांठ के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा समाचार में प्रकाशित प्रत्येक मामले पर क्या कार्रवाही की गई;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है और उन पुलिस अधिकारियों का पता लगाया है जो नकली औषधि विनिर्माताओं के साथ मिलीभगत कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ङ) समाचार में निहित यह आरोप कि दिल्ली में पुलिस और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से दिल्ली में नकली दवाओं का अवैध उत्पादन फलफूल रहा है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। पिछले दो कलेन्डर वर्षों के दौरान, दिल्ली पुलिस ने नकली दवाओं के उत्पादन/बिक्री के 12 मामले दर्ज किए है, जिसके फलस्वरूप लगभग 1.80 करोड़ रु० मूल्य की नकली दवाएं जब्त की गई और 33 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इन मामलों में की गई जांच से किसी भी मामले में पुलिस अधिकारियों की किसी भी मिलीभगत का पता नहीं चला है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

2047. **कुंवर अखिलेश सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी केन्द्रीय विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा अन्य संस्थाओं की कैंटीनों में फास्ट फूड तथा शीतल पेय की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाध विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिविल सेवा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोधी मामले

2048. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत न्यायालय में मामले दर्ज करने हेतु सी०बी०आई० को अनुमति देने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार देश में ऐसे कितने मामले लंबित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 की धारा 19 में निहित प्रावधानों के अनुसार, किसी भी न्यायालय द्वारा, किसी भी लोक-सेवक द्वारा किए गए, इस अधिनियम के अनुसार दण्डनीय सिकी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं लिया जाना अपेक्षित है जब तक कि सरकार द्वारा

अथवा उस लोक-सेवक को पद से हटाने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा किए जाने की मंजूरी पहले से नहीं दे दी जाए। भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 के उपर्युक्त प्रावधानों के मद्देनजर, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, भ्रष्टाचार में संलिप्त लोक-सेवकों के विरूद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगता है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने यह सूचित किया है कि 31.12.2002 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के 87 कर्मचारियों और राज्य-सरकारों के अधीन कार्यरत 05 कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा चलाए जाने के मामले, मंजूरी हेतु लंबित चल रहे थे।

[अनुवाद]

आरक्षण नीति

2049. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहां तक राजपत्रित नौकरियों या श्रेणी-एक और श्रेणी दो में रोजगार का संबंध है, उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं और हुडको और कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे सम्बद्ध कार्यालयों में नौकरियां प्रदान करने हेतु आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार और श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों में श्रेणी-वार कितनी रिक्तियां विद्यमान हैं और सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या सरकार को अ०जा०/अ०ज०जा० तथा अ०पि०व० से संबंधित लोगों के लिए निर्धारित आरक्षित पदों (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में श्रेणी-एक और श्रेणी-दो) को भरने में कठिनाई हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा तुरंत ऐसे रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नैसकॉम

2050. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण विकसित करने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ साफ्टवेयर सर्विसेज कम्पनी (नैसकॉम) के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते से विश्वविद्यालयों को किस प्रकार लाभ होगा;

(घ) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पांच वर्षों में नैसकॉम के साथ समझौते के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए निवेश करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग का शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिए नेशनल एसोशिएशन आफ साफ्टवेयर कम्पनीज (एन०ए०एस० एस०सी० ओ०एम०) तथा अन्य शीर्ष संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भावी शिक्षुओं के लाभार्थ 'ई०-कोस्र वेयर' तैयार करने और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'मिरर साईट' पर डालने का विचार है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निवेश की राशि पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बी०सी०सी०एल० के संकटापन्न क्षेत्रों से लोगों को हस्तांतरित करना

2051. **श्री रामजी मांझी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०सी०सी०एल० की सामाजिक प्रशमन योजनाओं के अंतर्गत भारत कोकिंग कोल लि० के सर्वाधिक संकटापन्न क्षेत्रों से लोगों को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सामाजिक प्रशमन उपशीर्ष के अन्तर्गत बी०सी०सी०एल० के अत्यन्त जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को स्थानान्तरित करने की ई०एम०एस०सी० की निदर्शन योजना में 1500 बी०सी०सी०एल० के तथा 3100 गैर-बी०सी०सी०एल० लोगों को स्थानान्तरित करने की परिकल्पना की गई है। योजना 31.3.2006 को पूरी होनी है।

बी०सी०सी०एल० के लोगों को स्थानान्तरित करने के लिए बी०सी०सी०एल० द्वारा 344 मकानों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया था। 32 लोगों को पहले ही स्थानान्तरित कर दिया गया है। अन्य 252 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है लेकिन कुछ विकास कार्य अभी किए जाने हैं। शेष 60 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

गैर-बी०सी०सी०एल० लोगों के लिए, मकानों का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। गैर-बी०सी०सी०एल० लोगों के पुनर्वास की समस्या पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार ने अगस्त 2001 में एक समिति गठित की है। बेलगोरिया मौजा में गैर कोयला धारी क्षेत्र पर पुनर्वास स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है। अत्यन्त जोखिम वाले क्षेत्रों का एक नया सर्वेक्षण भी जनवरी, 2002 में कर लिया गया है।

[हिन्दी]

डी०डी०ए० को हानि

2052. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों ने मेगा परियोजना के अंतर्गत डी०डी०ए० को हानि पहुंचाई है जैसा कि 11 दिसंबर, 2002 के ''जनसत्ता'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) सरकार द्वारा डी०डी०ए० की मेगा परियोजना में घोटाले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) दिनांक 11.12.2002 को जनसत्ता में प्रकाशित समाचार में डी०डी०ए० द्वारा टर्नकी आधार पर मेगा आवास परियोजनाएं सौंपने में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में डी०डी०ए० बिल्डर्स ऐसोसिएशन की शिकायत का उल्लेख है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने प्री-क्वालिफाइड निर्माण एजेंसियों को टर्नकी आधार पर 9000 निम्न आय वर्ग (एल०आई०जी०) फ्लैटों के निर्माण का कार्य सौंपा है। ये कार्य रिहायशी यूनिट के प्लिंथ एरिया के प्रति वर्ग मीटर 7190 रु० की दर से सौंपे गए हैं। एल०आई०जी० फ्लैटों के निर्माण की औसत लागत गत वर्ष के दौरान 5400 प्रति वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया थी। तथापि पूर्व लागत में कुछ मदें शामिल नहीं थी जो टर्नकी आधार पर सौंपी गई परियोजनाओं में शामिल की गई हैं और जिनके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना है। ये हैं:—

(i) आवास पॉकेट के चारों तरफ चारदीवारी, एक समुदाय हाल, सुरक्षा हट, शॉपिंग सेंटर का निर्माण।

(ii) वास्तुकीय और संरचनात्मक डिजाइन, सेवाओं की डिजाइन तैयार करना तथा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड व दिल्ली विद्युत बोर्ड जैसी नागरिक एजेंसियों से उन्हें अनुमोदित कराना, मकानों का रखरखाव तथा तीन वर्ष के लिए सेवाएं।

(iii) एक मीटर गहराई भराव, जलापूर्ति हेतु दो पाइप प्रणाली, बरसाती पानी संग्रहण, विद्युत उप केन्द्र का निर्माण तथा हाइटेंशन तथा लोटेंशन लाइनों मुहैया कराना/बिछाना और संबंधित सिविक एजेंसियों को सेवाएं स्थानांतरित करना।

(ग) डी०डी०ए० के सतर्कता विभाग ने टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में डी०डी०ए० बिल्डर्स एसोसिएशन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू की है। आगे की कार्रवाई जांच पड़ताल के परिणामों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

ऋणों के भुगतान में चूक करने वाले राज्य

2053. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 राज्य हुडको की चूककर्ता सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों को दिए ऋणों का ब्यौरा क्या है, उनके विरुद्ध कब से बकाया शेष हैं;

(ग) क्या राज्यों से ऋणों की वसूली न होने से हुडको के कार्य संचालन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र द्वारा राज्यों के शहरी विकास और आवास मंत्रियों को स्थिति की गंभीरता से अवगत करा दिया गया हैं;

(च) यदि हां, तो राज्यों ने किस सीमा तक ऋणों का पुनर्भुगतान करने की सहमति दी है; और

(छ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) 31 दिसंबर, 2002 को समाप्त तिमाही के दौरान दोषी राज्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (छ) जी, हां। हडको द्वारा संबंधित राज्य सरकारों और दोषी एजेंसियों के साथ बकाया राशि की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। हडको ने विशेष कोर ग्रुप गठित किए हैं जो एजेंसियों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ विस्तार से बातचीत करके बकाया राशि वसूल करेंगे। इन संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप बकाया राशि जो 31.3.2002 को समाप्त तिमाही में 1890 करोड़ रु० थी, 31.12.2002 को समाप्त तिमाही तक 1545 करोड़ रु० हो गई।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बकाया राशि	राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	183410	10416
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	245	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	81	56
4.	असम	50590	16547
5.	बिहार	7198	3995
6.	छत्तीसगढ़	6190	827
7.	गोवा	5753	7
8.	गुजरात	125688	9580
9.	हरियाणा	19086	70
10.	हिमाचल प्रदेश	26897	372
11.	जम्मू व कश्मीर	5417	1982
12.	झारखण्ड	168	10
13.	कर्नाटक	261319	12105
14.	केरल	192775	34733
15.	मध्य प्रदेश	27826	5742
16.	महाराष्ट्र	136591	15566
17.	मणिपुर	18096	12550
18.	मेघालय	12614	1665
19.	मिजोरम	4005	1687
20.	नागालैण्ड	9286	5
21.	उड़ीसा	150069	8728
22.	पाण्डीचेरी	9	0
23.	पंजाब	36310	2352
24.	राजस्थान	43921	1657
25.	तमिलनाडु	289415	4152
26.	त्रिपुरा	637	113
27.	उत्तरांचल	555	0
28.	उत्तर प्रदेश	48283	6144
29.	पश्चिम बंगाल	151409	3478
	योग	1813843	154539

आई०एस०आई०/आतंकवादियों पर नियंत्रण हेतु कार्य बल

2054. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री शशि कुमार :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने देश में आई०एस०आई०/आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु आतंकवाद विरोधी विशेष प्रकोष्ठ/कार्य बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस संबंध में राज्यों को कोई एकसमान निर्देश देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य स्थानीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा आतंकवाद की घटनाओं का कारगर रूप से प्रतिरोध करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों और अधुनातम हथियारों के साथ स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के लिए कार्रवाई करने हेतु सहमत है।

(ग) से (ङ) मंत्रियों के ग्रुप की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है तथा राज्य सरकारों से आतंकवाद तथा इससे संबंधित मामलों से जुड़ी विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों में अंतर्राज्यीय आसूचना समर्थन टीमें (आई०एस०आई०एस०टी०) गठित करने का अनुरोध किया है। आई०एस०आई०एस०टी० को आसूचना ब्यूरो द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आतंकवाद से कारगर रूप से निपटने के लिए उनकी आपरेशनल क्षमताओं का उन्नयन किया जा सके।

केन्द्र सरकार, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एस०आर०ई० स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं

2055. श्री वाई०वी० राव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जल संरक्षण और कृष के क्षेत्र में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (घ) एस०जी०एस०वाई० के प्रारम्भ से लेकर अब तक आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) के अंतर्गत 54 विशेष परियोजनाएं प्राप्त की गई हैं। कुल 54 परियोजनाओं में से 13 विशेष परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिया गया है। शेष 41 परियोजनाओं का ब्यौरा/स्थिति संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत अनुमोदित विशेष परियोजना की सूची

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	विशेष परियोजना का नाम	वह अवधि जब परियोजना मंजूर की गई	मंत्रालय के लिए परियोजना लागत का अंश	रिलीज की गई कुल निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण विकास केन्द्र की स्थापना करना	1999-2000	1125.000	1068.800
2.	आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में स्थायी विपणन केन्द्र की स्थापना करना	1999-2000	975.000	926.300
3.	पूर्वी गोदावरी जिले में महिला स्वसहायता समूहों द्वारा नारियल जटा उत्पादन के जरिये आर्थिक सृजन	1999-2000	1081.500	1034.550

1	2	3	4	5
4.	आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विकसित कृषि प्रौद्योगिकी विशेष परियोजना (इजरायल के कृषि प्रौद्योगिकी का विस्तार) के जरिये गरीबी उपशमन	1999-2000	1125.000	1068.750
5.	आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी, मेडक, नालगौंडा और वारंगल जिले में तकनीकी रूप से कुशल वैश्विक कर्मकारों को सृजित करने के लिए कार्य योजना हेतु स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना	2001-2002	599.410	239.760
6.	आंध्र प्रदेश के माडकसिरा ब्लॉक, अनंतपुर जिले में 6275 आई०ए०वाई० (अभिनव) मकान स्वरोजगारियों की आर्थिक सहायता के लिए विशेष परियोजना	2001-2002	465.750	186.300
7.	आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में समुद्री मछुआरों के विकास के लिए विशेष परियोजना	2001-2002	654.750	261.900
8.	आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में इंकोल्लू मंडल में एलूस नाले पर गोल्लापोलम लिफ्ट सिंचाई के लिए एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत विशेष परियोजना	2001-2002	295.000	88.500
9.	आंध्र प्रदेश के पू० गोदावरी जिले में महिला स्व० सहायता समूह द्वारा फैशन डिजाइनिंग और गारमेंट निर्माण के जरिए आय सृजन हेतु विशेष परियोजना	2001-2002	900.000	360.000
10.	आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन की विशेष परियोजना	2002-2003	900.900	360.360
11.	आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में एम०ए०सी०टी० में बनाए गए एस०एच०डी० महिलाओं को सहायता देने के लिए एस०जी० एस०वाई० के तहत विशेष परियोजना	2002-2003	213.000	82.800
12.	आंध्र प्रदेश के विशाखापट्नम जिले में वस्त्र प्रोसेसिंग तथा वस्त्र बनाने में हुनरमंद बनाते हुए स्वसहायता समूहों के लिए आय सृजन की विशेष परियोजना	2002-2003	182.67	अनुमोदित
13.	नालगोंडा जिले में ट्राइब्ल ज्यूलरी हैंडीक्राफ्ट कलस्टर के विकास हेतु विशेष परियोजना	2002-2003	36.30	अनुमोदित

विवरण-II

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से एसजीएसवाई के अंतर्गत प्राप्त विशेष परियोजनाओं की सूची

क्र०सं०	परियोजना का विवरण	स्थिति
1	2	3
2000-01		
1.	आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के लिए उठान सिंचाई योजना संबंधी परियोजना	रद्द की दी गई है।
2.	नेल्लोर जिले में समेकित ग्राम विकास हेतु कार्य अनुसंधान परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
3.	निम्नलिखित के लिए नेल्लोर जिले हेतु विशेष परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
	(i) स्व सहायता समूहों के लिए आवर्ती निधियां	
	(ii) संयुक्त रूप से सहायता प्राप्त सरकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना	
	(iii) जे०ई०एस० योजना के जरिए बंजर भूमि का विकास	
	(iv) मत्स्य-पालन, क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित योजनाएं	
	(v) चरवाहा परिवारों का पुनर्वास	
	(vi) भैंसों के बछड़ों के पालन पोषण की योजना	
	(vii) पशुपालन गतिविधियों के लिए आधारभूत ढांचागत सहायता	
	(viii) हथकरघा बुनकरों के लिए आधारभूत ढांचागत सहायता	
	(ix) कोश कीट पालन को और आगे बढ़ाने के लिए विद्यमान ढांचे को स्थायी बनाना	
4.	श्रीकाकुलम जिले की नारियल-जटा संबंधी विशेष परियोजना रिपोर्ट	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
5.	महबूबनगर, अनंतपुर तथा वियजनगरम जिलों के लिए उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
6.	खम्माम जिले में किसानों के खेतों में डी०पी०ए०पी० सिंचाइर को अपनाना तथा उत्पादक गतिविधियों के उत्थान के जरिए गरीबी उन्मूलन हेतु एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
7.	नेल्लोर जिले की एल०आई०एस० तथा भूजल योजना के संबंध में ढांचागत सुविधा संबंधी विशेष परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

1	2	3
8.	एस०आर०डी० रूरल इंस्टीटयूट स्कूल आफ रूरल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, जिला नालगोंडा	रद्द कर दी गई है।
9.	कृष्णा जिले में मत्स्य पालन हेतु बेहतर ढांचागत सुविधाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
2001-2002		
10.	एसजीएसवाई के तहत 22 जिलों में स्व-सहायता समूहों हेतु आवर्ती निधियों पर विशेष परियोजना	रद्द कर दी गई है।
11.	रंगारेड्डी में कृषि और बागवानी में प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए लघु और सीमांत कृषकों की उत्पादकता को बढ़ाना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
12.	(i) महिलाओं की स्व-सहायता समूहों को सहायता पर रिपोर्ट (ii) हथकरघा बुनकरों के लिए परियोजना (iii) नेल्लोर में रेशम कीट पालन प्रस्ताव और ग्रामीण विकास	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
13.	प्रकाशम (आंध्र प्रदेश) में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
14.	नेल्लोर जिला के स्वर्णमुखी नदी क्षेत्र की विशेष परियोजना	योजना आयोग को उनकी योजना के तहत विचार हेतु अन्तरित
15.	आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिला में सिंचाई परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
16.	आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में रेशम कीट पालन पर विशेष परियोजना	रद्द कर दी गई है।
17.	अनंतपुर के लिए रेशमकीट पालन पर विशेष परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
18.	आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलगां और कोस्टल जिलों में मोबाइल आर्टिफिशयल इन्सेमिनेशन सेक्टर की स्थापना की विशेष परियोजना	रद्द कर दी गई है।
19.	आंध्र प्रदेश में क्रेडिट लिंक्ड इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट स्ट्राटेजी के जरिए ग्रामीण आय का पुनः सृजन	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
20.	आंध्र प्रदेश के नन्दीगाम मंडल, जिला कृष्णा में मुनियेरू नदी पर नन्दीगाम एल०आई०एस० को परियोजना अनुशंसा	रद्द कर दी गई है।
21.	आंध्र प्रदेश के नन्दीगाम मंडल, जिला कृष्णा में थलवागु नदी पर नन्दीगाम-1 एल०आई०एस० की परियोजना अनुशंसा	रद्द कर दी गई है।
22.	महबूब नगर में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की विशेष परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई- क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

1	2	3
23.	अन्नतपुर जिलें में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की विशेष परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
24.	विजयनगरम में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की विशेष परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
2002-03		
25.	आंध्र प्रदेश में 6 गांव में पर्यावरण प्रबंधन के जरिए ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए प्रायोगिक परियोजना की स्वीकृति के लिए ई०पी०टी०आर०आई० प्रस्ताव	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
26.	कुडप्पा जिले के राजुवरीपेटा, चापडु मंडल में कुण्डू नदी पर एल०आई०एस० के निर्माण पर परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
27.	प्रकाशम जिले में बाल श्रमिकों की माताओं की आय को सुदृढ़ बनाना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
28.	प्रकाशम जिले में परियोजना समुद्री मछली का विकास के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
29.	प्रकाशम जिले में हथकरघा उद्योग के विकास की विशेष परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
30.	प्रकाशम जिले में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
31.	एस०जी०एस०वाई के तहत ग्रामीण प्रौद्योगिकियों और समेकित प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र की विशेष परियोजना	रद्द कर दी गई है।
32.	आर०डब्ल्यू०एस० आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पेयजल आपूर्ति योजना की बाढ़ में क्षतिग्रस्त होना	रद्द कर दी गई है।
33.	आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में कमजोर वर्गों के सुधार की अभिनव भेड़ विकास परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
34	मेडक जिले में संगारेडडी (एम) में इस्माइलखानपेट के पाल मंजीरा नदी के दक्षिण किनारे पर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की परियोजना रिपोर्ट	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
35.	आंध्र प्रदेश के निल्लोर और प्रकाशम जिले में ए०पी०यू०आर० एस०डी०ए० डेयरी प्रोजेक्ट के जरिए महिला रोजगार के लिए सहायता अनुदान हेतु परियोजना प्रस्ताव	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
36.	आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में मछुआरों के गांवों में अवसंरचनात्मक विकास पर परियोजना रिपोर्ट	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

1	2	3
37.	आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के सीमाग्राम मंडल में कुनावरम के इरिगेशन ड्रेन सुधार की परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
38.	आंध्र प्रदेश में कीय कार्य योजना	रद्द कर दी गई है।
39.	कृष्णा जिले में समुद्र तटीय मछुआरा और एक्वाकल्चर विकास के अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना की कार्य योजना	रद्द कर दी गई है।
40.	आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में उत्पादक गतिविधि को बढ़ाने और ड्रिप सिंचाई को अपनाने की विशेष परियोजना	राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
41.	महबूबनगर में कम्बली और ऊनी ब्लैंकेट बुनाई तंत्र पर परियोजना	मंत्रालय को अंतरित।

आरक्षण नीति

2056. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहां तक राजपत्रित नौकरियों या श्रेणी-एक और श्रेणी-दो में रोजगार का संबंध है उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों; स्वायत्त संस्थाओं और संबद्ध कार्यालयों और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियां प्रदान करने हेतु आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक श्रेणी-वार, संस्था-वार और पी०एस०यू०-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों में श्रेणी-वार कितनी रिक्तियां विद्यमान हैं और सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को अ०जा०/अ०ज०जा० तथा अ०पि०व० से संबंधित लोगों के लिए निर्धारित आरक्षित पदों (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में श्रेणी-एक और श्रेणी-दो) को भरने में कठिनाई हो रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा तुरंत ऐसे रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रारंभिक शिक्षा

2057. श्री अकबर अली खांदोकर :
श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय शिक्षा कार्यक्रम के सार्वभौमिकरण और मिड डे मील योजना के लिए नियत करने 2003-04 के बजट अनुमानों में से 800 करोड़ रुपए कम कर रहा है जैसा कि 4 फरवरी, 2003 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा संबंधी कुछ कार्यक्रमों हेतु भारी धनराशि की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निरक्षर शहरी और ग्रामीण जनता के लाभ के लिए उचित कार्यान्वयन के अच्छे अवसर सहित एक सुसंगत योजना विकसित करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं सहित प्रारंभिक शिक्षा की योजनाओं के लिए 2003-04 के दौरान 6782.25 करोड़ रु० का योजनागत आवंटन प्रस्तावित किया गया था जिसके स्थान पर 4667.00 करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए हैं। वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से और अधिक निधियां आवंटित करने की मांग की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत सामुदायिक सहभागिता से बस्ती स्तरीय आयोजना के माध्यम से प्रस्तावित की गई अपनी आवश्यकताओं के

विस्तृत विश्लेषण के आधार पर जिलों द्वारा जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं तैयार की जाती है। इसके बाद इन योजनाओं का विशेषज्ञ दल द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जिसके बाद इन्हें परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वर्ष 2002-03 में 28.2.2003 तक 592 जिलों की योजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

सर्वशिक्षा अभियान

2058. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के प्रति उदासीन रूख अपना रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्यों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2002-03 के लिए 27 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 592 जिलों की योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। चूंकि 2002-03 सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन का पहला पूर्ण वर्ष है इसलिए राज्यों ने जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करने में समय लगाया है। तेजी से योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार ने राज्यों से संपर्क किया है तथा इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए कार्यशालएं तथा सेमिनार भी आयोजित किए गए हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रेल मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 के लिए रेल के संबंध में केन्द्र सरकार के व्यय के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय मे रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 7069/2003]

[हिन्दी]

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत कोयला खान, पेंशन (संशोधन) योजना, 2003, जो 13 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 107(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 7070/2003]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 7071/2003]

(2) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नालाजी, रांची के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 7072/2003]

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 7073/2003]

(5) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ हिन्दी (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल) आगरा के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण)।

[डा० वल्लभभाई कथीरिया]

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ हिन्दी (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल) आगरा के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ हिन्दी (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल) आगरा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 7074/2003]

(7) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 7075/2003]

(9) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 7076/2003]

(11) (एक) इंदिरा स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 7077/2003]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति—2003 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 7078/2003]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ जेयोमैग्रेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ जेयोमैग्रेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 2001- 2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 7079/2003]

(4) (एक) अघरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूणे के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अघरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूणे के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 7080/2003]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 7081/2003]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

विवरण

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, मैं 'ग्रामीण महिलाओं के लिए विकास संबंधी योजनाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी पहले प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.2½ बजे

[अनुवाद]

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

बत्तीसवां से सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) "नाभिकीय विद्युत उत्पादन-लक्ष्य और उपलब्धियां" विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(दो) "लघु जल विद्युत कार्यक्रम-एक मूल्यांकन" विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(तीन) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-03) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(चार) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-03) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(पांच) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-03) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(छह) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-03) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

कार्य मंत्रणा समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि यह सभा 3 मार्च, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 3 मार्च, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजी लाल सुमन, मैं आपको मौका देने वाला हूं, लेकिन जब यह विषय आएगा तब मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बुलाया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे किसी अन्य विषय पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 'शून्य काल' आरम्भ करने से पहले ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहती हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल के दौरान जब विपक्ष द्वारा यह मुद्दा उठाया गया, तो आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं सरकार से इस बारे में बात करूं और तथ्यों की जानकारी लेकर स्टेटमेंट दूं। मैंने आपके आदेशानुसार उप प्रधान मंत्री जी, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे बात की थी। उन्होंने तथ्यों की जानकारी हासिल करनी प्रारम्भ कर दी है। मैं आपको यह कनवे कर दूं कि एक दिन का समय उन्हें चाहिए होगा। आज पूरे तथ्यों की जानकारी लेकर कल वे सदन में वक्तव्य दे देंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका विषय अलग है, इन्हें अपना विषय रखने दो।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मेरा राज्यसभा में बयान है, इसलिए मैं आपकी इजाजत से जाना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : हम आपको धन्यवाद देते हैं, *(व्यवधान)* कल इस पर सरकार पूरा बयान दे देगी। ...*(व्यवधान)* महोदय, कल हमने सदन में सवाल उठाया था कि खाद और डीज़ल पर जो दाम बढ़े हैं, उससे पूरे हिन्दुस्तान के किसान आंदोलित हैं। ...*(व्यवधान)* उनमें बहुत गुस्सा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, श्री वैंकया नायडू के अनुचित लाभ उठाने से पहले सरकार को बयान दे देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन — *जारी*

(दो) उर्वरक और डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में किसानों को हो रही कठिनाइयों के बारे में

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* यह सरकार किसानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ...*(व्यवधान)* सरकार का जो रवैया है, उसके चलते पूरे हिन्दुस्तान के किसान आंदोलित हैं। ...*(व्यवधान)* आज जिस तरह कृषि की उपेक्षा हो रही है, यह अत्यधिक गंभीर सवाल है। इसलिए हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि सरकार तत्काल खाद और डीजल पर बढ़े हुए दामों को वापस ले। ...*(व्यवधान)* इनके सहयोगी

दल और भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार ने जो दाम बढ़ाए हैं, वे किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं हैं। इसलिए मैं यह जरूर चाहूंगा कि सरकार अविलम्ब उन्हें वापस लें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, एक विषय शुरू हुआ है, उसे पहले पूरा होने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम् विषय है और यह विषय शुरू से उठाया जा रहा है। अगर डीजल की कीमत बढ़ाई जाएगी तो खेत को जो पानी दिया जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ाई जाती है, किसान फर्टीलाइजर का उपयोग नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमारे कृषि का उत्पादन सालों-साल से कम होता जा रहा है। उसका असर हमारे ऊपर होगा, अनाज की उपज बढ़ाने का काम अगर इस प्रकार से कम हो जाएगा तो हमारी हालत बहुत बुरी हो सकती है। अब हमारे पास अनाज है, इसलिए खेती को पैसा नहीं दिया जाए, अगर ऐसी नीति कोई सरकार बना रही है तो वह गलत नीति है। यह ऐसी नीति है जो हमारे देश के 75 प्रतिशत लोगों की जीवन पर असर करने वाली है। काश्तकारों के जीवन, खेती का काम करने वाले लोगों के जीवन पर और अनाज खाने वालों पर असल करने वाली है। मवेशियों को जो खाद दिया जाता है, उस पर भी असर करने वाली है। सरकार को इस प्रकार से इनसेंसटिव नहीं होना चाहिए। सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए और सही ढंग से हमारे देश के कृषि, कृषक, कामगारों और खाने वालों को मदद करनी चाहिए। इसके लिए

[हिन्दी]

हमारी पार्टी कटिबद्ध है और अगर यह नहीं किया जाएगा तो हम इस हाउस में और हाउस के बाहर लड़ेंगे तथा लोगों के सामने भी जाएंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकार किसानों के साथ राजनीति कर नहीं कर रही। हम इसे बर्दास्त नहीं कर सकते *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : वित्त मंत्री जी कहां हैं? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं *(व्यवधान)* ये नाटक बंद करो, रौल बैक जल्दी करो।

अध्यक्ष महोदय : बजट में उर्वरक तथा डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को श्री रामजीलाल सुमन और श्री शिवराज पाटील ने उठाया है। यही मुद्दा उठाया गया था। वे इस विषय पर बोल चुके हैं। 'शून्य काल' में उठाने के लिए अन्य बहुत से विषय हैं। चूंकि उन्होंने इस विषय को उठाया है, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस विषय पर प्रतिक्रिया प्रकट करेगी या नहीं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्रिमंडल के मंत्री अलग-अलग वक्तव्य दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे सभी संयुक्त रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। उन्हें यह पहलू स्पष्ट करना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह समझूं कि शून्य काल के दौरान प्राप्त अन्य सूचनाओं को नहीं लेना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : इस पर सरकार का रैस्पोंस आना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, किसानों की उत्तेजना इसलिए बढ़ गई है कि वित्तमंत्री जी ने सदन के बाहर जो बयान दिया है कि डीजल और उर्वरक के दाम किसी भी कीमत पर सरकार वापस नहीं लेगी, उसी की प्रतिक्रिया है कि सदन में इतने आदमी खड़े हैं, इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि वित्तमंत्री से इस मुद्दे पर बयान दिलवाइये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात से अवगत हैं कि किसानों के मुद्दे पर सभा में चर्चा होने जा रही है। हमने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इसके लिए पहले से ही तिथि निर्धारित कर दी है। किसानों के मुद्दे पर चर्चा के समय आप इस पर बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, शाम को सरकार इस सवाल पर फैसला करने वाली है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो फर्टिलाइजर और डीजल के मूल्यों के ऊपर बात उठाई है, मैं सम्बन्धित मंत्रियों के भी और प्रधानमंत्री के संज्ञान में ले आऊंगा और आप अपनी बात को, जब बजट में बहस होगी, तब आप रख देना। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपके मंत्री ने खुलेआम कहा है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री के बयान से किसानों में तीखी प्रतिक्रिया है, इसके गलत परिणाम होंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसानों के मुद्दे पर सभा में चर्चा होने जा रही है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, आप सरकार को निदेश दें *(व्यवधान)* उन्हें बोलने दीजिये *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री शरद यादव, श्री अजित सिंह, श्री ओमप्रकाश चौटाला, यानी इनके समस्त सहयोगी दल चाहते हैं कि बढ़े हुए खाद और डीजल के मूल्य ये वापस लें। इसके बावजू भी ये भाजपा के लोग हैं, जिनकी वजह से पूरे देश में सरकार की किरकिरी हो रही है। इस सब के बावजूद यह सरकार और वित्तमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि खाद और डीजल के दाम नहीं घटाए जाएंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री हैं, या श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं? आप पहले हमें यह बात स्पष्ट कीजिये। प्रधानमंत्री कौन है — श्री वेंकैया नायडू या श्री अटल बिहारी वाजपेयी? एक ओर तो श्री वेंकैया नायडू कहते हैं कि उन्होंने गलत किया है और दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय वित्तमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने ठीक किया है। श्री अजित सिंह कुछ और कह रहे हैं *(व्यवधान)* क्या सरकार मजाक कर रही है *(व्यवधान)* हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं एक दूसरे विषय को ले रहा हूं। श्री राधाकृष्णन आप कृपया अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

ऐसा कैसे हो सकता है। राधाकृष्णन जी आप बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : डीजल के दाम बढ़ गये हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गये हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे विषय को लेते हैं। कृपया बैठ जाइये। आपका विषय मैं अभी नहीं, बाद में लूंगा। श्री मधुसूदन मिस्त्री।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : महोदय, देश में बहुत ही गंभीर स्थिति व्याप्त है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें कुछ और कार्य भी करने दीजिये। मैं जिस मैम्बर का नाम ले रहा हूं उसी का मैटर रिकार्ड पर जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : पर्यावरण और वन मंत्रालय के हाल के निदेशों के अंतर्गत राज्य सरकारों को *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आप बोलना शुरू करें। मैं उन्हें नहीं रोक सकता।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.15 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपनी बात रखने की अनुमति दूंगा। आप पहले ही एक वक्तव्य दे चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की परमीशन दूंगा। आप बैठिये।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.15½ बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गये)

(व्यवधान)

अपराह्न 12.16 बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या चाहिए? क्या आपको भी बोलने की परमीशन चाहिए?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : टेलीकॉस्ट बंद किया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सबको इस विषय पर चर्चा चाहिए तो हम उसके लिए इजाजत देने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार से मांग करो, मैं उसके लिए सरकार से कह सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सेठ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीभाऊ शंकर महाले।

(व्यवधान)

अध्ययक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा बहुत ही कम निवेश किया गया है तथा क्रेडिट डिपोजिट के 53.4 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार राज्य में यह अनुपात मात्र 24.5 प्रतिशत है। झारखंड राज्य बन जाने के पश्चात बिहार में यह अनुपात 20 प्रतिशत से भी कम रह गया है क्योंकि ज्यादातर उद्योग अब झारखंड क्षेत्र में स्थित है और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने उसी क्षेत्र में ज्यादातर विनिवेश किया है। बिहार में संसाधनों की कमी की स्थिति यदि बनी रही तो बिहार के पास विकास संबंधी कार्यों के लिए कोई धनराशि ही नहीं रहेगी। संक्षेप में यदि कहा जाये, जो बिहार का समृद्ध विकसित और संसाधन सम्पन्न भाग झारखंड एक अलग राज्य बन गया है। स्मरणीय हो कि इस संबंध में माननीय गृहमंत्री द्वारा सदन में आश्वासन भी दिया गया था कि बिहार की उपेक्षा नहीं की जायेगी।

अस्तु मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि विभाजित राज्य बिहार को केन्द्र सरकार द्वारा एक व्यापक आर्थिक पैकेज के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाये।
(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नवल किशोर राय।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य से आता हूं। बिहार नेपाल की सीमा पर है। नेपाल से सटे सीमा सड़क, एन०एच०-77, जो हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी से सोनवरसा तक जाती है एवं एन०एच०-104 चकिया-शिवहर-सीतामढ़ी-मिठामोड़-चोरौत से जयनगर तक जाती है, जर्जर हालत में है। पुल टूटे हुए हैं एवं चलने लायक नहीं हैं।

सरकार सीमा सड़क संगठन को सौंपकर सभी पुल-पुलिया बनवा कर सड़क उच्चीकरण कर बनवायें ताकि हर मौसम में चलने लायक बन सके अन्यथा वहां जनता 15 मार्च से आंदोलन करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विनय कुमार सोराके।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रविप्रकाश वर्मा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, भारत सरकार को नाडिया, माल्दा तथा मुर्शिदाबाद जिलों के लोगों की रक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये सभी गंगा नदी के कटाव से प्रभावित

[कुमारी ममता बनर्जी]

हैं (व्यवधान) महोदय, फरक्का ताप विद्युत संयंत्र यहां का एक महत्वपूर्ण विद्युत संयंत्र है। यह अफसोस की बात है कि कटाव के कारण गंगा और भागीरथी के बीच मात्र एक कि०मी० भूमि ही बची है। (व्यवधान) यदि ये दोनों नदियों का पानी आपस में मिल जाता है तो ये सभी जिले बह जायेंगे और राज्य के दूसरे भागों में भी इससे संबंधित समस्याएं पैदा हो जायेंगी (व्यवधान) सरकार को ग्रामीणों की जान-माल की रक्षा के लिए तथा आसपास के क्षेत्रों को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। (व्यवधान) सरकार को भूक्षरण रोकने के लिए भी ठोस उपाय करने चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल बिहारी तिवारी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली की गीता कालोनी जो एक रिहेबिलिटेशन कालोनी है। यहां के लोग पार्टीशन के बाद आकर बसे थे और केन्द्र सरकार ने इनको जगह दी थी। परिवार बढ़ने के कारण कुछ मकानों में अतिरिक्त निर्माण कर लिया है। मतीन नाम के एक आदमी ने जो बाड़ा हिन्दू राव का रहने वाला है और ताज इन्क्लेव में रहता है, ने एक पी०आई०एल० हाई कोर्ट में लगाया है, जिसकी सरकार ने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की और वहां के 24 मकानों को तोड़ा जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से केन्द सरकार से मांग करता हूं कि जैसे डी०डी०ए० के फ्लैटों में 15 प्रतिशत के कवर्ड एरिया की छूट दी गई है, इसी तरह यहां भी छूट देकर उनको बचाया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री महेन्द्र सिंह पाल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० गिरिजा व्यास।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामेश्वर रूडी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भेरूलाल मीणा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महेन्द्रा कम्पनी द्वारा बजट पूर्व इस्कोरपियो गाड़ी का दाम बढ़ाने के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अभी महिन्द्रा कम्पनी के डीलर श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स का प्राईस लिस्ट देखा है। कुछ ही दिन पहले मूल्य सूची में स्कोरपियो टरबो 2.6 डीजल 2600 सी०सी० 2 डब्ल्यू०डी०, 7, 8 एवं 9 एच०वी० ए०सी० का प्रीमियम कलर्स का मूल्य 6,06,751/-रु० निर्धारित था और इस मूल्य पर वितरक द्वारा रिबेट किया जाता था।

अब उसी गाड़ी का संशोधित मूल्य 6,27,320/-रु० हो गया और इस मूल्य पर रियायत भी नहीं है। सरकार 8 प्रतिशत टैक्स कम करके खरीददारों को लाभ देने का काम कर रही थी, अब महिन्द्रा ने दाम बढ़ाकर अपना राज कायम कर दिया।

बाजार में इस्कोरपियो का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है जबकि आम ग्राहकों को तीन महीना पर गाड़ी मिल रही है।

अतः सरकार से आग्रह है कि महिन्द्रा कम्पनी द्वारा इस्कोरपियो गाड़ी में बजट पूर्व मूल्यवृद्धि को वापस लिया जाये और महिन्द्रा के डीलरों द्वारा वाहनों की ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगायी जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रासासिंह रावत।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि भाई चौधरी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीवन सिंह।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : महोदय, बिहार राज्य में रबी-मक्का की खेती व्यापक रूप से होती है। बेगूसराय, खगाडिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं अन्य कई जिलों में तो रबी-मक्का की खेती ही प्रमुख खेती है। इस वर्ष बहुसंख्यक किसानों ने कारगिल नामक बीज को लगाया है। उसका अंकुरण बहुत अच्छा हुआ। पौधों का ग्रोथ भी अच्छा रहा, किन्तु 90 प्रतिशत से अधिक पौधों में दाना जमा ही नहीं है। 10 प्रतिशत भी उपज होने की उम्मीद नहीं है जबकि गत वर्ष इसकी औसत उपज 40 क्विंटल प्रति एकड़ थी। लगता है, इस वर्ष लागत मूल्य भी वापस होने की स्थिति नहीं है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार विशेषज्ञों की टीम भेज कर इसकी जांच कराए कि पौधों में दाना नहीं जमने का क्या कारण है? क्या बीज की गुणवत्ता में त्रुटि थी अथवा कोई और कारण है? फिर किसानों की क्षतिपूर्ति कौन करेगा? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जायें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने-अपने स्थान पर चले जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी०सी० थामस।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री के० पपांसिस जॉर्ज।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री टी० गोविन्दन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री धर्मराज सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जगमीत सिंह बराड़।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि 'शून्य काल' की सभी सूचनाएं समाप्त हो गयी हैं, अब सभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.25 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.34 बजे

लोकसभा अपराह्न 1.34 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे। प्रो० दुखा भगत।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है *(व्यवधान)* शून्य प्रहर में आपने इस पर बोलने के लिए कहा था *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न काल में बोलने का मौका दिया गया था। सरकार भी कह रही है कि उस पर बयान आयेगा। इस बारे में कल गृह मंत्री जी बयान देने वाले हैं। इसलिए आप बैठ जाइये।

अपराह्न 1.35 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) झारखंड में लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

प्रो० दुखा भगत (लोहरदगा) : उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा के अंतर्गत जो जिले हैं उनमें 75 प्रतिशत लोगों को पीने

[प्रो० दुखा भगत]

का पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग और पशु एक तालाब में पानी पीते हैं। जिसके कारण यहां के आदिवासी कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। सरकार लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु प्रयासरत है और कई करोड़ रुपया इस पर खर्च कर रही है। फिर भी आदिवासी लोगों को दूषित जल पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन कार्यों की समीक्षा की जानी अति-आवश्यक है। समीक्षा के दौरान जो अधिकारी लापरवाह और दोषी पाये जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदंगा में पेयजल की विभिन्न पेयजल की योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा करवाये, जिससे पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : सुबह अध्यक्ष जी ने आपको अपनी बात रखने का मौका दिया और सरकार से भी वक्तव्य देने के लिए कहा, जो कल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोप हैं। उस सिलसिले में जब पूरी बात सुनेंगे, तभी सरकार प्रतिक्रिया व्यत करेगी। बड़ा गम्भीर मामला है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्मम) : हमारे पास अन्य कोई मार्ग मामले को उठाने का नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल नहीं है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम रेल बजट पर चर्चा करेंगे। सभा का समय बर्बाद न करें।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में अध्यक्ष महोदय ने आपको सुना, व्यवस्था दी और सरकार से भी इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा है। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है, तो कल अध्यक्ष जी की अनुमति से पूछ सकते हैं। यह शून्य काल नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.38 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

(दो) किसानों विशेषकर दक्षिणी हरियाणा के किसानों, जिनकी फसलें सूखे से प्रभावित हुई हैं, को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) सुधा यादव (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के कई प्रदेशों में अकाल एवं सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तुरन्त केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई है, इससे किसानों को काफी राहत मिल रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के दक्षिण भाग में जहां गम्भीर रूप से प्रदेश में सबसे अधिक सूखे की मार किसान झेल रहे हैं, किसानों को सूखे कारण के हुई क्षति के अनुपात से बहुत कम सहायता मिल रही है। हरियाणा के रिवाड़ी जिले में बहुत ही कम सहायता राशि जारी की गई है।

इसी प्रकार से जो किसान केवल बारिश के पानी पर निर्भर हैं और सिंचाई के लिए नहर या नलकूप की सुविधा नहीं है और पानी भूमि से काफी नीचे हैं, वहां के किसान भुखमरी के कगार पर हैं, क्योंकि वह लोग अपनी फसल बो ही नहीं पाए हैं और जिन किसानों ने अपनी फसल बो दी है, उन्हें भी कोई राहत नहीं मिली है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है। कि देश के विभिन्न भागों विशेषकर दक्षिण हरियाणा में दोनों प्रकार के सूखे की मार झेल रहे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किसानों को हुई क्षति का पुनः केन्द्रीय टीम से सर्वेक्षण कराया जाए और जिन किसानों ने सूखे के कारण अपनी फसल नहीं बोई है, उन्हें भी केन्द्रीय सहायता दी जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश में लुम्बिनी-दुद्धी राज्य राजमार्ग के उचित रखरखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश का लुम्बिनी-दुद्धी राजमार्ग जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थानों और पर्यटक स्थलों से हो कर गुजरता है, मेरे संसदीय क्षेत्र जौनपुर के ठीक बीच से निकलता है। यह राजमार्ग जनपद की जीवन-रेखा है, लेकिन इसकी हालत अत्यन्त खराब है। इस सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। पैदल चलना भी दूभर हो गया है। राज्य सरकार ने उक्त राजमार्ग के जीर्णोद्धार हेतु 43 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है, लेकिन धनाभाव के कारण उक्त सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भी किया है।

अतः मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उक्त मार्ग की मरम्मत के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से 43 करोड़ रुपए स्वीकृत कर इस महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मत पूर्ण कराई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे सदन की गरिमा नहीं बढ़ेगी। आपको मामला उठाने की इजाजत दी। सरकार ने कहा कि वह इस बारे में कल वक्तव्य देगी।

अपराह्न 1.40 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(चार) सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, ई०सी०एल० और बी०सी०सी०एल० के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार तथा मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, सैंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, ई०सी०एल० एवं बी०सी०सी०एल० में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों और विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी एवं मुआवजा का मामला वर्षों से लंबित है। इसी प्रकार कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए धारा 28 बना था जिसे सरकार ने निरस्त कर दिया। इसके बावजूद जो कर्मचारी बर्खास्त हो गए थे उनको नियम निरस्त के बावजूद नौकरी नहीं दी जाती।

प्रबन्धन मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उम्र, रिश्ता, नाम में अन्तर आदि कारणों से नियुक्ति का मामला निरस्त कर दिया जाता है जबकि एन०सी०डब्ल्यू० में पुत्री, दामाद किसी को भी नियुक्ति देने का प्रावधान है। इसी प्रकार निरक्षर मजदूर एवं कर्मचारी अपना नाम किसी दूसरे से लिखवाते थे, नाम लिखने वाला सेवा पुस्तिका, सी०एम० पी०एफ० अन्य अभिलेखों में अलग-अलग नाम लिख देते थे। इसमें निरक्षर मजदूर का क्या दोष है? इसमें प्रबन्धन को नाम सत्यापन कर मृतक मजदूर के आश्रित को नौकरी देना चाहिए लेकिन ऐसे मामले में नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अतः सरकार से आग्रह है कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को एवं विस्थापित व्यक्तियों को नियुक्ति और मुआवजा का भुगतान एक निर्धारित सीमा के अन्दर किया जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, मैं 377 के बाद आपको बोलने का चांस दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सुबह यह मामला उठाया। पहले क्वश्चन आवर में उठाया, फिर जीरो आवर में उठाया। स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे। सरकार ने कहा कि वह कल वक्तव्य देगी। इस बीच हम क्या कर सकते हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी शून्यकाल नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अखबार रखिए। इसके बाद बात करेंगे।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा के क्योंझर जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को शीघ्रता से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत नायक (क्योंझर) : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंझर जिला, जिसका मैं प्रतिनिधत्व करता हूं, यहां मलेरिया से हो रही मौतों की वजह से कठिन दौर से गुजर रहा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में उस जिले में मलेरिया से 434 लोग मारे गये। परंतु वास्तविक आंकड़े 1000 से ऊपर हैं। प्रति वर्ष दो से तीन हजार मलेरिया के मामलों का पता चलता है, जिनमें से लगभग 100 लोग उचित इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं। उस जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तीन दशकों से आरंभ किया हुआ है जिसका वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

[श्री अनंत नायक]

जबतक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यकर्त्ताओं को लगाने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते और जब तक मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति का समूचित इलाज नहीं किया जाता तब तक मलेरिया से हुई मौतें लगातार बढ़ती जाएगी।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मलेरिया उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों को उस जिले में शीघ्रता से क्रियान्वित करें और इस भयावह बिमारी को जितनी जल्दी हो सके समाप्त किया जाए। आदिवासी बहुल जिलों विशेषकर क्योंझर में जहां मरने वालों की संख्या खतरनाक ढंग से बढ़ रही है पर्याप्त निधि का आवंटन किया जाए।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.43 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में स्पीकर साहब ने सुबह बताया कि यह एक गम्भीर मामला है और यह लाइटली लेने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार फैक्ट्स मंगाने के बाद ही कल वक्तव्य देगी।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

अपराह्न 1.44 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अंतर्गत माननीय सदस्यों को बुलाया है। दो-तीन बोलने वाले मैम्बर्स बाकी हैं। इसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

[अनुवाद]

(छह) कर्नाटक में उदूपी तथा कोंडागू के आसपास के वन क्षेत्रों में रह रहे किसानों को उस क्षेत्र से हटाए जाने संबंधी अभियान को बंद किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : मेरे राज्य के वन विभाग के अधिकारियों ने उदुपी और कोंडागू के आस-पास के इलाकों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए वनों में बसें हुए लोगों को निष्कासित करने के लिए एक बहुत व्यापक अभियान चलाया है, जिसके परिणामस्वरूप वहां लम्बे समय से बसे हुए गरीब और सीमान्त किसानों की बसावटों को हटाया जा रहा है।

ये समुदाय गरीब और अनपढ़ हैं और इनके पास इन सम्पत्तियों का कोई रिकार्ड नहीं है हालांकि वे पीढ़ियों से इस वन भूमि में रह रहे हैं और उन्होंने ऐसी अनुत्पादक भूमि का विकास करने में बहुत परिश्रम किया है जिसकी गवाही वहां की सब्जियों और पौधों की खड़ी फसल देती है। पड़ोस के केरल के वयनाड़ क्षेत्र में निष्कासन से प्रभावित लोगों के आंदोलन ने उस वक्त गंभीर मोड़ लिया जब आदिवासी पुलिस प्रतिरोध करते हुए हिंसक हो गये। मेरे क्षेत्र के आंदोलनकारी ऐसी बसावटों पर अपना कब्जा बनाए रखने के अधिकार के लिए शांतिपूर्ण परंतु दृढ़ता से आंदोलन कर रहे हैं। अपनी सहजवृत्ति और परंपरा से वे अपना व्यवसाय पारिस्पितिथी या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कर रहे हैं। और मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि जब तक ऐसे समुदायों के पुनर्वास की समस्या का समाधान नहीं मिल जाता इस मामले में मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करके इस निष्कासन के कार्यक्रम को वापस लें।

(सात) केरल में सहकारिता क्षेत्र के बैंकों में जमाकर्त्ताओं द्वारा जमा की गई धनराशि के बारे में ब्यौरा देने के संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी किए जा रहे नोटिसों को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री एस० अजय कुमार (ओट्टापलम) : केरल का सहकारी क्षेत्र सुस्थापित है और यह अब केरल राज्य के गरीब कृषकों की ऋण की 50 प्रतिशत से अधिक की मांग पूरी कर रहा है। सहकारी क्षेत्र राज्य के कृषि विकास गतिविधियों के लिए सचमुच रीढ़ की हड्डी है। इस क्षेत्र में ऋण देने के लिए धनराशि का मुख्य स्रोत विभिन्न पार्टियों से प्राप्त जमाराशि है।

आयकर अधिनियम में धारा 80(त) के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र को कतिपय छूट का प्रावधान किया गया है, देश में सहकारी क्षेत्र के व्यावस्यि विकास की एक नीति के रूप में, आयकर अधिनियम की धारा 194 के अंतर्गत जमाकर्त्ताओं द्वारा जमाराशि पर प्राप्त ब्याज पर कर की कटौती से छूट मिली हुई है। धारा 133(6) के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा सदस्यों द्वारा की गई जमाराशि का ब्यौरा देने संबंधी नोटिस भेजे जाने के कारण अब जमाकर्ता सहकारी क्षेत्र में धनराशि जमा कराने के प्रति अनिच्छुक हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में कृषकों को दिया जाने वाला ऋण और कृषि के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण बहुत सारे जमाकर्ता सहकारी क्षेत्रों से अपना पैसा वापस ले रहे हैं।

अधिकतर प्राथमिक सहकारी कृषि सोसायटियां गांवों में कार्यरत है और उनके पास अधिकांश जमाराशि गरीब ग्रामीणों से आती है। सहकारी बैंक ज्यादा ब्याज देवे दे रहे हैं।

मैं सरकार से यह प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) आंध्र प्रदेश राज्य में सूखा प्रभावित लोगों को रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के उद्देश्य से काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत चावल की अतिरिक्त मात्रा दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए० ब्रह्मनैया (मछलीपटनम) : पिछले कुछ समय से सूखा आंध्र प्रदेश की ज्वलंत समस्या है। संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिनमें विशेषरूप से किसान होते हैं इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। इनके प्रतिकूल प्रभाव के कारण कृषि, पशुधन और संयुक्त क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और इस प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने की दृष्टि से आंध्र प्रदेश सरकार ने आकस्मिकता योजना बनायी है और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने, किसानों को ऋण देने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चारे और पेयजल की आपूर्ति को दृष्टि से इस योजना को युद्धस्तर पर क्रियान्वित करने के लिए बिल्कुल तैयार है। राज्य में भीषण सूखे की स्थिति को देखते हुए 1171 मंडलों में से 1041 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि खेतीहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त मात्रा में चावल जारी करें।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में भूमिगत जल का पता लगाने के उद्देश्य से उस क्षेत्र में नलकूप खनन पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के सूखा अकाल पीड़ित बुदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट और बांदा जिलों के अधिकांश भाग में अन्वेषाणात्मक नलकूप खनन की आवश्यकता है। इससे दोनों जिलों के उन क्षेत्रों में भूगर्भ जल का पता लगाया जा सकेगा जहां उ०प्र० राज्य सरकार ने भूगर्भ जल उपलब्ध न होने की घोषणा कर दी और वहां पर नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उक्त जिलों में जल संसाधन मंत्रालय के अधीन कार्यरत केन्द्रीय जल आयोग ने कुछ स्थानों पर भूगर्भ जल का पता लगाने का प्रयास किया है और कुछ स्थानों पर भूगर्भ जल ढूंढने में सफलता भी मिली है जिन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार ने उन स्थानों पर राजकीय नलकूप स्थापित करके सूखा पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाई है। किन्तु इधर कई वर्षों से भारत सरकार द्वारा अन्वेषणात्मक नलकूपों का खनन कार्य ठप्प कर दिया है। इससे सूखा पीड़ित क्षेत्र के किसानों का बड़ा अहित हो रहा है। इस कार्यक्रम को तुरंत पुनः प्रारम्भ करने की महति आवश्यकता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री स्तर से निर्णय करना आवश्यक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय,

उपाध्यक्ष महोदय : अब वैसे तो आइटम नं० 12 लेनी है, लेकिन उसे लेने से पहले मैं आपकी सबमीशन सुनूंगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप दोनों को समय नहीं दूंगा। आपकी ओर से श्री रामजीलाल सुमन ही बोल दें।

कुंवर अखिलेश सिंह : मान्यवर, उन्होंने भी नोटिस दिया है और हमने भी नोटिस दिया है। मेरा आग्रह है कि हम दोनों को आप सुनें और दोनों को सुनने के लिए आपको हमें समय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य-काल नहीं है। मैं एक सब्मीशन सुनूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, सुबह प्रश्न-काल के दौरान अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती जी के खिलाफ जो आरोप हैं, उनके बारे में शून्य-काल के दौरान, *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट मैटर यहां कैसे उठाया जा सकता है और यदि आप इन्हें सुन रहे हैं, तो हमें भी अपनी बात कहने का मौका अवश्य दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : राशिद अलवी जी, मैं आपको भी सुनूंगा। मैं आपको सब्मीशन करने की इजाजत दूंगा।

श्री राशिद अलवी : उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न-काल और शून्य-काल में भी बोल चुके हैं। इसलिए अब मुझे मौका दीजिए। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, विधान मंडल की तरफ से हमारी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से मिले थे और उनसे विनम्र आग्रह किया था कि हमारे पास जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उनको देखते हुए मुख्य मंत्री महोदया को बर्खास्त किया जाए। हमने उन्हें पर्याप्त समय दिया और पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध कराए।

महोदय, जहां तक केन्द्र सरकार का सवाल है, वह हमें क्या जवाब देगी। यह संघीय ढांचा है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आप इस मामले की मैरिट पर न जाएं और इसको बढ़ाएं नहीं। मैंने आपको केवल दो मिनट दिए हैं। आप अपनी बात शीघ्र समाप्त करिए।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट लेने के बाद वे सदन को अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री खुद इस केस की एक पार्टी हैं। उनसे यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वे सही तथ्यों की जानकारी केन्द्र सरकार को देंगी? यह सम्भव नहीं है।

महोदय, यह सांसदों की प्रतिष्ठा और गरिमा का सवाल है। सांसदों से दो-दो लाख रुपए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के पैसे में से वे मांग रही हैं। यह किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिखर पर है। इसलिए मेरा आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इस प्रकरण की जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का काम करेगी। हमने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को समय और पर्याप्त सबूत दिए। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री को बर्खास्त करने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए।

श्री राशिद अलवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। सुबह से लगातार इस बात की यहां पर चर्चा हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बहुजन समाजवादी पार्टी का लीडर और एम०पी० हूं। टेप के अंदर जो कहा गया है, मैं समाजवादी पार्टी को चुनौती देता हूं कि अगर राशिद अलवी के खिलाफ ये साबित कर देंगे तो मैं लोक सभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं। *(व्यवधान)* आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अलवी जी ने आपकी बात को सुना है, अब आप भी इनकी बात को सुनिए। आप ऐसे मत करिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप मत कीजिए, कल सरकार की तरफ से बयान होगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आपको मैंने बोलने का मौका दिया है, आपके जैसे इन्हें भी बोलने का मौका देना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय इस प्रकार बर्बाद मत कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने की इजाजत दी जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें कृपया बोलने की अनुमति दीजिए। मैंने आपको बोलने का समय दिया है, अब इन्हें भी बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : मेरी बात को भी सुना जाए। महोदय, हंगामे और घपले से ये सोचें कि ये साबित कर देंगे कि यह सच है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मायावती जो कमीशन लेती तो वह कमांशन मेरे कमीशन से भी जाता, सारे एमपीज का जाता। मैं इस हाउस में कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ आप साबित कर देंगे तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। *(व्यवधान)*

महोदय, जो टेप गवर्नर को दिया है, वह पूरा सच नहीं है। सच यह है कि इटावा के अंदर मुलायम सिंह जी के फादर के नाम से एक कालेज बन रहा है और उसे बनाने के लिए जो शिकायतें चीफ मिनिस्टर के पास गई हैं, उसे बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के एम०एल०एज० और एमपीज से पांच लाख से लेकर 25 लाख रुपए लिए गए। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, वह अपनी बात कहेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : महोदय, पांच लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक लिए गए। *(व्यवधान)* इसका पूरा रिकार्ड मौजूद है। (व्यवधान) वह टेप गवर्नर को दिया गया है। *(व्यवधान)* अगर उस टेप में सच्चाई होती, *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत हो चुका है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : महोदय, आज टी०वी० चैनल पर जो प्रसारित किया जा रहा है, उससे तमाम सदन और देशवासियों को अपमानित किया जा रहा है। *(व्यवधान)* ऐसी स्थिति में जब पूरा देश और प्रदेश इस तरफ देख रहा है। *(व्यवधान)* महोदय, सांसदों को अपमानित करने का काम किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे मायावती के जरिए जो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं *(व्यवधान)* ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। तमाम जनता और पूरे सांसद इस पर गंभीरता से विचार करें।

महोदय, आज जो सांसदों को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, इससे ज्यादा अन्य कोई घिनौना काम नहीं हो सकता। *(व्यवधान)* यह किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, बल्कि इससे पूरे सदन के सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंची है और पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को अपमानित किया गया है। इस संबंध में सी०बी०आई० से जांच कराई जाए। मायावती के कार्यकाल में जिस तरह भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहा है, बेगुनाह लोगों को जेल भेजा जा रहा है, इससे बड़ा अत्याचार अन्य कोई नहीं हो सकता। आज जो इन्होंने सांसदों को अपमानित करने का काम किया है, इन्हें उसका खामियाजा भुगताना पड़ेगा।

अपराह्न 2.00 बजे

अब इसकी जांच होनी चाहिए। इससे बड़ी तकलीफदेह बात नहीं हो सकती। मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस अपमान को सह रहे हैं और अपने झण्डे के नीचे अपमान करा रहे हैं, इस झण्डे के नीचे बैठकर अत्याचार करा रहे हैं। *(व्यवधान)* ऐसे शब्द इस्तेमाल करना पूरे सदन का अपमान है। मुझे अफसोस है, मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में से कोई विरोध नहीं कर रहा है, उधर से कोई सवाल नहीं आ रहा है। आज गम्भीरता से इसे सुना जाये, इसमें सी०बी०आई० की जांच कराई जाये और इस सम्बन्ध में सदन को अवगत किया जाये। *(व्यवधान)*

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): جناب عالی، آج ٹی وی چینلوں پر دکھایا جا رہا ہے، اس سے تمام ایوان اور ملک کے لوگوں کو اہانت کیا جا رہا ہے۔ (مداخلت) یہ سارا کام بھارتیہ جنتا پارٹی کروا رہی ہے۔ (مداخلت) آج ایسی حالت میں جب پورا ملک اس طرف دیکھ رہا ہے۔ ...(مداخلت) جناب عالی، سانسدوں کو اہانت کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ (مداخلت) آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے جھنڈے کے نیچے مایاوتی کے ذریعے جو بدعنوانی کروا رہے ہیں ...(مداخلت) یہ سارا کام بھارتیہ جنتا پارٹی کروا رہی ہے۔ تمام جنتا اور پورے سانسد اس پر گمبھیرتا سے وچار کریں۔

جناب عالی، آج جو سانسدوں کو اہانت کرنے کا پریاس کیا گیا، اس سے زیادہ اور کوئی گھناؤنا کام نہیں ہو سکتا۔ (مداخلت) یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پورے سدن کے ممبروں کی گریما کو ٹھیس پہنچی ہے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو اہانت کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں سی بی آئی سے جانچ کرائی جائے۔ مایاوتی کے کاریہ کال میں جس طرح بدعنوانی اور اتیاچار ہو رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے، اس سے بڑا اتیاچار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج جو انہوں نے سانسدوں کو اہانت کرنے کا کام کیا ہے، انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آج اس کی جانچ ہونی چاہئے اور اس سے بڑی تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے افسوس ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ اس اپمان کو سہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس جھنڈے کے نیچے اپمان کرا رہے ہیں، اس جھنڈے کے نیچے بیٹھ کر اتیاچار کرا رہے ہیں۔ (مداخلت) ایسے لفظ استعمال کرنا پورے ایوان کا اپمان کرنا ہے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے، ادھر سے کوئی سوال نہیں آ رہا ہے۔ آج اس معاملے کو گمبھیرتا سے سوچ کر اسے سنا جائے، اس میں سی بی آئی کی جانچ کی جائے اور اس معاملے میں ایوان کو واقف کیا جائے۔ (مداخلت)

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप मुझे सुनेंगे। मेरा इस विषय पर नोटिस है। *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय, कुंवर अखिलेश सिंह आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या करते हैं। आपको मैंने बोलने का चांस दिया। सुमन जी, आप इन्हें संभालिये, आप पार्टी के लीडर हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अखिलेश जी को सिर्फ दो मिनट का समय दे दें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इनको कहिये कि जाकर अपनी जगह पर बैठें। आप अपनी जगह पर जाइये।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : आइये, संसद चलने दीजिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप आगे आकर बुलाकर ले जाइये। ऐसे कैसे चलेगा? आपके लीडर ने आग्रह किया है। अभी आपको कितने मिनट समय और चाहिए?

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय, कुंवर अखिलेश सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मि० प्रधान, यह क्या हो रहा है? मिनिस्टर्स हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी को दो मिनट का समय दिया जाये, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर अखिलेश जी संसद को मजाक बना लें, यह अच्छी बात नहीं है। *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.03 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाकर बोलिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया सभा का समय बर्बाद मत कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : यह क्या तुम्हारे घर की व्यवस्था है कि हाउस से निकालेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाकर बात बताइये। आप वहां जाकर बोलिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी रेलवे बजट पर चर्चा होनी है। प्रियरंजन दासमुंशी जी को मैंने दोबारा बिठाया है। आप ऐसा क्यों करते हैं। मैंने आपको इजाजत दे दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस की गरिमा के बारे में यहां किसी को बोलना ठीक नहीं है। सुमन जी, मैंने गलती की कि मैंने आपको चांस नहीं दिया, इनको चांस दिया। यह मेरी गलती है। अब आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करो।

अपराह्न 2.04 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये।)

कुंवर अखिलेश सिंह : नहीं, अब मुझे पांच मिनट चाहिए, क्योंकि संसदीय राज्य मंत्री ने आरोप लगा दिया है तो मैं अपनी बात कहूंगा।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : यह क्या तरीका है कि एक आदमी हाउस को हाईजैक कर ले। हम इनको नहीं सुनेंगे, यह क्या तरीका है?

कुंवर अखिलेश सिंह : यह इनके बल पर हो रहा है। ये हाउस में बार-बार ऐसा बोल रहे हैं। *(व्यवधान)* इन्होंने हाउस को हाईजैक कर रखा है। *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, इनको पीसना आ रहा है। *(व्यवधान)* अब यह दादागिरी नहीं चलेगी। *(व्यवधान)* यह पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मचाना चाहते हैं इसलिए आज मायावती जी *(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या ऐसे हाउस को हाईजैक किया जायेगा? एक आदमी पूरे हाउस को हाईजैक कर रहा है। *(व्यवधान)* यह

तीन बार बोल चुके हैं। क्या यह बार-बार बोलेंगे? ···*(व्यवधान)* यह क्या चाहते हैं? ···*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये हाईजैक कर रहे हैं। ···*(व्यवधान)* इन्होंने जनादेश का हाइजैक किया है। ···*(व्यवधान)* इन्होंने जनादेश का अपहरण किया है। ···*(व्यवधान)* यह उत्तर प्रदेश को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं और सुश्री मायावती की बिना शरण के इनकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। ···*(व्यवधान) ये उत्तर प्रदेश को काब्रिस्तान बनाना चाहते हैं।* ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, हमें रेल बजट पर चर्चा आरंभ करनी है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि सभा में दो मिनट शांति रखिए। मैं कुंवर अखिलेश सिंह को दो मिनट बोलने की अनुमति दे रहा हूं। हमें रेल बजट पर चर्चा आरंभ करनी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? उन्हें दो मिनट बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम संजीवन जी भी बोलना चाहते हैं। इनके बाद यह भी बोलेंगे। ···*(व्यवधान)* अगर आप इन्हें बोलने की इजाजत देंगे तो श्री राम संजीवन को भी दो मिनट बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। ···*(व्यवधान)* अगर इस हाउस में दबाव की वजह से किसी को बोलने की इजाजत मिलेगी तो आइंदा हम भी दबाव बनायेंगे। ···*(व्यवधान)* इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका इस तरह से बोलना ठीक नहीं है क्योंकि आपको बोलने का चांस मिला है।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : दो मिनट के लिए श्री राम संजीवन जी भी बोलना चाहते हैं। ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक पार्टी के लीडर हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह हाउस पर दबाव बनायेंगे? ···*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, वह सब कुछ भाजपा के चलते हो रहा है। ···*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उत्तर प्रदेश को कब्रिस्तान बना दिया है। हमने उसे ठीक करने की कोशिश की है। ···*(व्यवधान)* इसके बाद श्री राम संजीवन जी को आप बोलने की इजाजत दीजिए। ···*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राज्य मंत्री जी की बात का प्रतिवाद करता हूं। राज्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने सदन का मजाक बनाया है। मैंने सुबह कार्य स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत सूचना दी थी कि प्रश्न काल को स्थगित किया जाये और सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोककर हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करायी जाये। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने पीठ से निर्देश दिया था। कि शून्य काल में आपकी बात को विस्तार से सुना जायेगा। जब शून्य काल में हमारी बात को नहीं सुना गया तो उसी नियमों के अंतर्गत हमने आपसे आग्रह किया। ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल में माननीय स्पीकर साहब ने अपना डिसीजन दिया और सरकार को इस पर वक्तव्य देने की आज्ञा दी। इससे संबंधित मंत्री माननीय उप प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कल वे इस पर वक्तव्य देंगे। इसके बारे में आपको जो कुछ कहना है, वह आप दो मिनट में कहिये।

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि सुबह पीठ से जो निर्देश दिया गया, उसे आप कार्यवाही से निकलवा कर देख लीजिए। ···*(व्यवधान)* मैं बोलने जा रहा था चूंकि श्री विजय गोयल जी ने मुझ पर आरोप लगाया है इसलिए जब तक हम उसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सुबह की कार्यवाही निकलवा कर देख लीजिए। यदि अध्यक्ष जी ने यह निर्देश न दिया हो कि हमें शून्य काल में बोलने की इजाजत दी जायेगी तो मैं संसद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं यह इस्तीफा अभी लिखकर दे दूंगा। *(व्यवधान)* आप सुबह की कार्यवाही निकलवा कर देख लीजिए। मैं इस विषय पर गंभीर हूं। ···*(व्यवधान)*

मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री विजय गोयल जी और उनकी पार्टी ने इस सदन का मजाक बनाकर रखा है। उन्होंने यह मजाक बनाने का काम किया है। हमने मजाक बनाने का काम नहीं किया है। इस सदन के अंदर भ्रष्टाचारियों को खुले तौर पर संरक्षण दिया जा रहा है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना विषय यहां रखिये।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो प्रधान मंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निर्वाचन

[कुंवर अखिलेश सिंह]

क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाये हैं कि संसद सदस्यों द्वारा सांसद विकास निधि के अंतर्गत कमीशन लिया जाता है। उन्होंने ये आरोप भी लगाये हैं कि विधायकों के द्वारा कमीशन लिया जाता है और जो ईमानदार विधायक हैं, वे बिना कमीशन ...ये भी विधायक विकास निधि से पांच लाख रुपये प्राप्त करते हैं और जो ईमानदार संसद सदस्य हैं, वे दस लाख रुपये की राशि ईमानदारी से प्राप्त करते हैं। जो बेइमान संसद सदस्य हैं। *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बेबुनियाद बात है। *(व्यवधान)* इस हाउस के अंदर बेबुनियाद बात नहीं होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आरोपों पर *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : इस तरीके के कोई इल्जाम नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राशिद अलवी जी अपने मुख्य मंत्री के भ्रष्ट क्रियाकलापों पर पर्दा डालने का नापाक प्रयास कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं केवल तथ्यों को लाना चाहता हूं। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, *(व्यवधान)* या पहले ये बोल लें या हम बोल लें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, मैंने आपको मौका दिया है। आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

कुंवर अखिलेश सिंह : राशिद अलवी जी ने जो आरोप लगाये हैं, तहलका डॉट कॉम प्रकरण के अंदर जब इस सदन में चर्चा हुई थी, उस समय की मायावती और अलवी जी की स्पीच को निकालकर देख लें। उस समय तहलका डॉट कॉम प्रकरण के टेप उन्होंने और इनकी नेता ने सही ठहराये थे और आज अपने खिलाफ जब टेप आ गये हैं तो ये कहते हैं कि ये टेप गलत हैं। *(व्यवधान)* झूठ का पुलिंदा हैं। हम चाहते हैं कि इस घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए और अगर सीबीआई से जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने केवल संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा को ही आघात नहीं पहुंचाया है बल्कि उन्हें भ्रष्ट करार दिया है और उस भ्रष्टाचार में उन्होंने संसद सदस्यों को भी उसमें भागीदार बताकर घिनौना कृत्य किया है। भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठा को वह लांघ गई हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार संस्थागत रूप धारण कर चुका है। अगर लोक तंत्र को कायम रखना है, सुरक्षित रखना है तो मेरा यह कहना है कि मायावती ने जो आरोप लगाए हैं और हमारे जो मायावती के ऊपर आरोप हैं, उनकी सी०बी०आई० से जांच कराएं और अगर आवश्यक हो तो एक संयुक्त संसदीय दल भी गठित करें जो संयुक्त संसदीय जल सम्पूर्ण घटना की जांच करेगा। *(व्यवधान)* एक अंतिम तौर पर निवेदन है कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती, हमारा और हमारी पार्टी का मत है कि सांसद विकास निधि को रोक दिया जाए। यह सांसद विकास निधि समस्त सांसदों के ऊपर कीचड़ उछालने जा रहा है, इसलिए इस सांसद विकास निधि को समाप्त कर दिया जाए। *(व्यवधान)* सांसद विकास के कार्यों को जैसे पहले गति देते थे, उसी तरह विकास के कार्य किये जाएं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा) : उत्तर प्रदेश विधान सभा के स्पीकर के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था और उसमें ये परास्त हो गये हैं और अब इनको अपना वह अविश्वास प्रस्ताव वापस लेना पड़ रहा है। उसी से निराश होकर ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी भी बात के लिए खड़े हो जाते हैं। हरेक बात की सीमा होती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी रेल बजट पर चर्चा आरंभ करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री दासमुंशी को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

अपराह्न 2.13 बजे

[अनुवाद]

रेल बजट — 2003-2004
लेखानुदानों की मांगे (रेल) — 2003-2004
अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) — 2002-2003
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) — 2000-2001

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2003-2004 के लिए लेखानुदानों की मांगे (रेल)

मांग सं०	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की राशि (रु०)
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	11,35,10,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	39,04,23,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	284,73,33,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	546,91,08,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	300,55,52,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	563,98,08,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	306,62,68,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और अनुरक्षण	482,85,30,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	2204,94,40,000
10.	परिचालन व्यय-ईधन	1332,95,74,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	225,69,26,000
12.	विविध संचालन व्यय	274,89,62,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	1091,76,41,000
14.	निधियों में विनियोग	1618,33,33,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	3,85,33,000
16.	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव राजस्व	5,00,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	3062,76,80,000
	रेलवे निधियां	538,96,67,000
	रेलवे संरक्षा निधि	72,16,66,000
	विशेष रेलवे संरक्षा निधि	458,22,67,000
	जोड़	13425,62,21.000

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 16 के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशि से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशि भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाय :-

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल)

मांग सं०	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि रु०
1.	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	विशेष रेलवे सरंक्षा निधि	146,03,33,000
	जोड़	146,03,33,000

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस दल की ओर से मुझे बहुत दुख होता है और मुझे अपने दल की सम्मिलित राय को व्यक्त करते हुए वास्तव में बहुत दुखद अनुभूति होती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठित इस सरकार ने, चाहे वह रा०ज०ग० के नाम से गठित हुई हो या किसी अन्य

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

नाम से 1998 में गठित हुई हो, अपने आरंभ से ही रेल में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा पर बहुत लापरवाहीपूर्ण तरीके से ध्यान दिया है।

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वर्तमान माननीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार को इस संसद में 1998-99 में पहला लेखानुदान बजट प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार मिला था। मैं रेल मंत्रियों के सभी भाषण लाया हूं। मैं पहले सुरक्षा के पहलु को लूंगा और बताऊंगा कि कैसे इस सरकार ने उसे हल्के रूप में लिया है।

निश्चित रूप से 1998-99 में यह एक लेखानुदान था। माननीय मंत्री जी ने अपने पूरे भाषण में 'सुरक्षा' शब्द का उपयोग ही नहीं किया। मैं उन्हें इसके लिए दोष नहीं देता। लेकिन मैं पहले सुरक्षा के नेटवर्क पर रा०ज०ग० सरकार की गंभीरता के बारे में बताऊंगा।

माननीय मंत्री जी द्वारा 1999-2000 में प्रस्तुत किए गए बजट में पृष्ठ 5 के पैराग्राफ 7 में माननीय मंत्री जी ने सुरक्षा के पहलु के बारे में कहा है और मैं उद्धृत करता हूं यह है :

"जब हम भारतीय रेलवे में यात्री सेवाओं के बारे में बात करते हैं तो यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी चिंता होती है।"

श्री नीतीश कुमार आप कितने दुर्भाग्यशाली हैं। मैं नहीं जानता कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी आप बजट प्रस्तुत करते हैं सभी बड़ी दुर्घटनाओं की सूचना मिलती है और यह आपके भाषण में होती है। इसमें आगे हैं :

"खन्ना में हुई भयावह और अभूतपूर्व दुर्घटना अभी भी गहराई से मेरे मन को कचोटती है और मुझे असहज बनाए हुए हैं। इस दुर्घटना ने रेलवे सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रश्न खड़े किए हैं। उनका शीघ्रतापूर्वक हल ढूंढना अनिवार्य है। रेल मंत्रालय ने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया है और सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु एक योजना तैयार की है।"

क्या योजना बनाई गई थी? आगे आने वाले बजटों में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है।

वर्ष 2000-2001 में कुमारी ममता बनर्जी द्वारा रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने श्री नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलते हुए अपनी सुरक्षा चिंताएं व्यक्त कीं। इसमें कहा गया है;

चूंकि आज रेलवे के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों और माल की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है अतः मैं इस प्रतिष्ठित सदन के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि रेलों के संचालन में सुरक्षा को सर्वाधिक वरीयता और अधिकतम संभव निवेश उपलब्ध कराया जाएगा। न्यायमूर्ति एच०आर० खन्ना की अध्यक्षता में गठित रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति ने पुरानी पड़ चुकी परिसम्पत्तियों का पुनर्क्षम बनाने और रेलों को चलाने से जुड़े कर्मियों को पर्याप्त प्रौद्योगिकीय समर्थन उपलब्ध कराए जाने हेतु 15,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता का आंकन किया है।

संसाधनों की कमी के कारण मैं इन क्षेत्रों में निवेश को यथासंभव बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही हूं। मैं योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा अगले वर्ष के लिए बजटीय समर्थन बढ़ाए जाने के लिए उनका धन्यवाद करती हूं। तथापि, जैसा कि रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति ने सिफारिश की थी हमारी सुरक्षा हेतु विशेष अनुदान की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त हमें अभी रेलवे द्वारा निभाए जा रहे सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का मुआवजा मिलना शेष है।"

सदन में एक बात स्वीकार की गयी थी। मैं उद्धृत करता हूं :

"तथापि, जैसा कि रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति ने सिफारिश की थी, हमारी सुरक्षा संबंधी विशेष अनुदान की मांग पूरी नहीं हो सकी।"

इसका अर्थ यह है कि चाहे रा०ज०ग० सरकार ने कुछ भी स्पष्ट करे और घड़ियाली आंसु बहाए, वे उस तारीख तक भी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए थे। वह बजट कुमारी ममता बैनर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

अब मैं श्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2002-2003 में प्रस्तुत किए गए रेल बजट पर वापस आता हूं। मेरे विचार से रेलवे बोर्ड ने एक ही पैरा तैयार किया हुआ है और प्रत्येक मंत्री उसे केवल अपने भाषण में रख देता है। महोदय, सुरक्षा आज भी उसी प्रकार चिंता का विषय बना हुआ है जैसी की यह 2000 में था, 1999 में था और 1998 में था। इसमें लिखा है :

"सुरक्षा इस सदन के प्रत्येक सदस्य की चिंता का विषय है और रेलवे इस विषय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। जून, 2001 में काडालुंडी में हुई दुखद दुर्घटना ने इसे और भी अधिक महत्व प्रदान कर दिया है।"

इससे पहले उन्हें खन्ना की दुर्घटना के बाद सुरक्षा की चिंता हुई थी। अब काडालुंडी पुल की जून, 2001 में हुई दुर्घटना के कारण मंत्री जी चिल्ला रहे हैं इससे इस मुद्दे को और भी अधिक महत्व मिला है। उस समय इन्होंने कहा था कि इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। उस समय वास्तव में उन्होंने आपा खो दिया था। अब, ये महसूसकर रहे हैं कि काडालुंडी पुल की जून, 2001 की दुर्घटना ने इस मुद्दे को और अधिक महत्व प्रदान किया है। न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय रेलवे की सुरक्षा संबंधी पुरानी पड़ चुकी परिसंपत्तियों को बदले जाने

या उनका नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता है। कुमारी ममता बनर्जी ने अपने भाषण में यही कहा था।

इसमें यहां कहा गया है :

"इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों और माननीय वित्त मंत्री जी के समर्थन से मुद्रा-स्फीति को ध्यान में रखते हुए, आगामी 6 वर्षों के दौरान पुरानी पड़ चुकी परिसम्पत्तियों को बदलने के बकाया काम को निपटाने हेतु 17,000 करोड़ रुपये से एक विशेष रेलवे सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है। इस कोष का गठन आगामी 6 वर्षों की अवधि के दौरान 12,000 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन और रेलवे द्वारा सुरक्षा अधिभार लगाकर शेष 5,000 करोड़ रुपये जुटाकर किया जा रहा है।"

इसका अर्थ है कि उन्होंने एक योजना का प्रस्ताव किया था कि ये 17,000 करोड़ रुपये निम्नलिखित तरीके से जुटाए जाएंगे। खन्ना दुर्घटना ने इनकी तन्त्रिका नष्ट कर दी थी। काडालुंडी ने इन्हें एक योजना दी है। राजधानी एक्सप्रैस की दुर्घटना के बाद मंत्री जी कह रहे हैं :

"मैं संसद के अंदर और बाहर सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यक्त की गई चिंताओं से अवगत हूं। मेरे द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रेलों के संचालन में निहित सुरक्षा के मुद्दे पर इस पूरे परिदृश्य को सम्मिलित करत हुए मैं इस सत्र के दौरान, एक श्वेत पत्र जारी करने की प्रतिबद्धता को पूरा करूंगा।"

महादय, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि 1998-99 से ही आप रेल बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और रा०ज०ग० सरकार पियानो पर वही पुरानी धुन बजा रही है। खन्ना समिति की सिफारिशों के बावजूद भी योजना आयोग की असहमति के कारण सरकार कोई प्रावधान नहीं कर सकी। मंत्री जी तब अपना आपा खो चुके थे और इस निर्णय पर पहुंचे कि अब एक 'श्वेत पत्र' प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे कि अब तैयार किया जा रहा है।

यह इस देश के यात्रियों के सम्मुख आ रही समस्याओं के प्रति, जैसा मैं कहता हूं एक पूर्णतया लापरवाहीपूर्ण रवैया है वे तो एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और हमारे देश की रेल प्रणाली से सम्बद्ध हैं। मैं रा०ज०ग० सरकार पर जानबूझ कर लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाता हूं जिसके परिणामस्वरूप बार-बार दुर्घटनाएं होती जा रही हैं और लोगों का जीवन खतरे में है। अंत में, वह 'श्वेत पत्र' जारी करना चाहते हैं और हम उस 'श्वेत पत्र' की प्रतीक्षा करेंगे।

अब मैं एक बहुत गंभीर बिन्दु पर आता हूं। मंत्री जी का प्रायश्चित यहां समाप्त नहीं हुआ है और आपको जो कारण दिया गया है उसे जानकर आघात पहुंचेगा। मंत्री जी कहते हैं :

"दुर्घटनाओं के मुख्य कारण के रूप में मानवीय भूल का होना पाया गया है।

और इस मानवीय भूल को किस प्रकार सुधारा जाऐगा — प्रायश्चित को देखें। वह इसपर एक श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा की श्रेणी में समूह 'घ' की रिक्तियों को भरा जाना महत्वपूर्ण समझा गया है। इसका अर्थ है कि यदि पहले ही समूह 'घ' की सुरक्षा की श्रेणी वाली रिक्तियों को भर लिया गया होता तो इन मानवीय भूलों से बचा जा सकता था। इन रिक्तियों को भरने से आपको किसने रोका हुआ है?

मंत्री महोदय, आप अपने पिछले बजट भाषण में यह कह चुके हैं कि आप रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से समूह 'घ' की रिक्तियों को परादर्शी तरीके से चरणबद्ध करते हुए बहुत शीघ्रता से भरेंगे। आप अपने वर्ष 1999-2000 के बजट भाषण में यह कह चुके हैं। सुरक्षा श्रेणी की इन रिक्तियों को भरने से आपको किसने रोका हुआ है?

रा०ज०ग० सरकार के मंत्री होने के नाते, यह आपका अपना आंकलन है, आप यह समझ चुके हैं कि किन लोगों को सुरक्षा श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती किया जाना है और अभी तक आपने वह भर्ती नहीं की है और अब आपको यह महसूस हुआ है कि इसके परिणामस्वरूप मानवीय भूल हुई हैं। मेरे विचार से, यदि यह मंत्री जी का प्रायश्चित है तो उन्हें मंत्री मद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपका रेल क्षेत्र को संभालने का और सुरक्षा के पहलु का ध्यान रखने का यह तरीका है।

मैंने जितने भी बजट भाषणों को उद्धृत किया है और तप्यत: मैंने वर्णन किया है उन्होंने मुझे यह सही सूचना और संदेश दिया है कि इस सरकार ने देशभर में सुरक्षा के पहलु के मुद्दो को बहुत लापरवाही और संवेदनहीनता से लिया है जिसके परिणामस्वरूप गैसल और राजयानी जैसी भयावह दुर्घटनाएं घटी हैं। मंत्री महोदय, आपके रल विभाग को आज इस स्तर पर रखा जा रहा है।

आज तक इस संसद में कभी किसी ने रेलवे को राजनैतिक आधार पर नहीं लिया। आपने जितनी भी बजटीय सहायता मांगी, संसद आपके साथ थी; आपने जितनी भी बजटीय सहायता मांगी स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से उसकी सिफारिश की। रेल संबंधी स्थायी ममिति के सभापति उस ओर बैठे हैं। आपने जितनी भी बजटीय सहायता मांगी आपको हमारा सहयोग मिला लेकिन आपने कभी यह समझने की आवश्यकता महसूस नहीं की कि चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप इस सदन में केवल बजट प्रस्तुत करते गए और तकनीकी रूप से सुरक्षा के पहलु पर एक पैरा बनाए रखा, आपने कुछ कहावतों का उपयोग किया। आज क्या हुआ है? आज एक रहस्योद्घाटन हुआ

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

है। मंत्री जी द्वारा अपने भाषण के भाग-I में राजग सरकार के लापरवाहीपूर्ण रवैये के परिणाम को उद्घाटित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सेनगुप्ता कृपया सदन में समाचार पत्र मत पढ़िए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री जी ने अपने वर्ष 2003-04 के बजट भाषण में स्पष्ट रूप से प्रायश्चित किया है — मैं आपके प्रायश्चित के लिए आपको धन्यवाद देता हूं — कि एक लंबे समय के बाद यात्रियों की संख्या में कमी आई है। मैं आपको सातों बजट दस्तावेज दे सकता हूं। यह पहली बार हुआ है कि भारतीय रेल के यात्रियों की संख्या में कमी आई है। इस देश में 1 अरब लोग हैं और प्रतिवर्ष 10-20 नई रेलें शुरू की जा रही हैं। भारत में यात्रा का सबसे सुगम साधन रेल है और रेलवे के यातायात में कमी आई है और यह कमी इतनी अधिक है कि 750 करोड़ रुपये की कमी आई है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में घबराहट, अनिश्चितता दुश्चिंता है कि क्या उन्हें यात्रा करनी चाहिए या नहीं अथवा उन्हें समूह में यात्रा करनी चाहिए या नहीं।

मंत्री जी को अपने वक्तव्य से ही चीजों को समझना होगा। यह संकट कैसे उत्पन्न हुआ है? संसद सदस्य नई रेलों की मांग करते रहते हैं, लोग नई रेलें चलाने के लिए अभ्यावेदन देते हैं, और मंत्री जी कहते हैं कि यात्री यात्रा नहीं करते। यह एक गंभीर रहस्योद्घाटन है। मैं नहीं जानता कि क्या प्रधानमंत्री ने इसपर रेल मंत्री से चर्चा की है या इसका उलटा हुआ है। यदि देश के रेल मंत्री संसद के सामने अपने बजट भाषण में यह स्वीकार करते हैं कि यात्रियों की संख्या में कमी आई है और वह भी भारत जैसे देश में तो इसका क्या निहितार्थ है? क्या ऐसा इसलिए है कि वे रेल से जाने का व्यय वहन नहीं कर सकते? क्या ऐसा इसलिए है कि वे रेलों के बारे में अनिश्चित हैं? क्या ऐसा इसलिए है कि वे रेलों से यात्रा करना असुरक्षित महसूस करते हैं? इसका कोई कारण तो अवश्य होना चाहिए। मंत्री जी को इस बहस का उत्तर देते समय इस बात का उत्तर देना पड़ेगा।

इस रेल बजट में मेरी पार्टी की चिंता का मुख्य विषय यात्रियों की सुरक्षा है न कि उपलब्ध कराई जा रही रेलों की संख्या या आधुनिकीकृत की जा रही रेलों की संख्या। यदि रा०ज०ग० सरकार पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाकर चतुष्कोणीय मार्ग के लिए धनराशि एकत्रित करने का दावा करती है तो वह सुरक्षा नेटवर्क बनाने हेतु रेलवे को पर्याप्त सहायता देने पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं करती? क्या आपका यह विश्लेषण सही है कि समूह 'घ' की 20,000 रिक्तियों को भरकर आप मानवीय चूक की संभावना को समाप्त करके सुरक्षा सुनिश्चित कर देंगे। क्या इसका कोई तकनीकी पहलू नहीं है? क्या सिग्नल संबंधी कोई पहलू नहीं है? क्या केबिन संबंधी कोई पहलू नहीं है? क्या पुलों के आधुनिकीकरण संबंधी कोई पहलू नहीं है? मैं गहराई से यह महसूस करता हूं कि इस पूरे बजट का रवैया बहुत लापरवाहपूर्ण, हल्के तरीके से लिया गया दैनिक कार्य जैसा है जिसमें कोई संदर्भगत योजना, विचार या दूरदृष्टि नहीं अपनाई गई है और रेलवे को भारतीयों का एक बहुत साधारण वाहन माना गया है। यह ऐसा ही है कि 'चढ़ जा बेटा सूली पर भली करेंगे राम।' यदि आप बच जाते हैं तो ये आपकी किस्मत, हमारे देश में रेल व्यवस्था को चलाने का यह तरीका नहीं है।

मुझे याद है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रीजी ने एक दिन रेलवे बोर्ड में जाकर यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि चूंकि रेल दुर्घटना हुई है इसलिए उन्हें अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मंत्रीजी को उनका अनुकरण करना चाहिए। जी हां, उन्होंने घइसाल में हुई रेल दुर्घटना के पश्चात पद से इस्तीफा दे दिया था। परंतु वे निचले स्तर पर ही जवाबदेही सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं? जब घइसाल में दुर्घटना हुई मैं और आप वहां थे वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सीमा से लगा हुआ है — रेलवे कर्मचारियों और देशवासियों ने दुर्घटना के कारणों को एक महीने के भीतर ही जान लिया। उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे के महाप्रबन्धक पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय सरकार ने उसकी पदोन्नति करके उसे पश्चिम रेलवे का महाप्रबन्धक बना दिया। उस समय सरकार ने क्या संदेश दिया? यह संदेश यह था कि या तो सरकार का रेलवे बोर्ड पर नियंत्रण नहीं है या रेलवे बोर्ड सरकार पर अधिपत्य जमाती है या सरकार इसे रोजाना के मामले की तरह लेती है।

मंत्रालय ने दुर्घटनाओं पर एक पुस्तक प्रकाशित की है। मैं उसी बात पर वापस आ रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेंगे। वे एक भले आदमी है और सबके अच्छे मित्र है। मैं उनकी मंत्री की हैसियत के बारे में बोल रहा हूं। मंत्री जी ने दुर्घटना में घायल और मृतकों को मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि का यहां ब्यौरा दिया है। मैं समझता हूं कि इन दुर्घटनाओं की सूची में उन्होंने गोधरा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को भी शामिल किया है जहां रेल कोचों में आग लगा दी गयी थी और लोगों को जिंदा जला दिया गया था। मैं इस सभा में मांग करता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में सभा को यह जानकारी दें कि कितने कोचों को जलाया गया था, उन कोचों में यात्री कौन थे, क्या मुआवजे की राशि का दावा करने के लिए उनके नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए थे, उनका शव परीक्षण किसने किया था, कितने रिश्तेदारों या अभिभावकों ने उनके शवों को अपने कब्जे में लिया और किसने कहां से यात्रा की थी।

इन तीन श्रेणियों में जानकारी की आवश्यकता है : (क) उन आरक्षित बोगियों में कितने लोग यात्रा कर रहे थे जब उसे जलाया गया था? वे यात्री कौन थे? मैं उन के धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। (ख) उनमें से कितने जीवित है और कितनों को जला दिया गया? और शव-परीक्षण के बाद किसे मुआवजे की राशि मिली और (ग) जब उन जले हुए लोगों को अहमदाबाद के शवगृह में ले जाया जा रहा था तब क्या रेलवे अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया था कि ऐसे सभी शव उनके निकट संबंधियों को सौंप दिए गये हैं? इस रिपोर्ट को चर्चा के उत्तर के दौरान सभा पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए।

पिछले एक साल से संपूर्ण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैं उसे भी एक दुर्घटना ही मानता हूं। यह एक तोड़-फोड़ की घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है; यह कुछ अपराधियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया कार्य हो सकता है। परन्तु वे रेलवे के आरक्षित डिब्बे के यात्री थे उनके बारे में रेल प्राधिकारियों की कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो थी ही कि वे उनके शवों को उनके निकट संबंधियों तक पहुंचाते; और दूसरा उत्तरदायित्व इतना था कि कम से कम उस रेल में यात्रा करने वाले कौन और कितने यात्री थे इसकी पुनरीक्षा करें। रिपोर्ट में सभी बातों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अगर रिपोर्ट यह कहती हैं कि फलां-फलां यात्री ने यात्रा की थी, परंतु इस संबंध में यदि शव-परीक्षण की रिपोर्ट इस रिपोर्ट से मेल नहीं खाती है तो फिर संशय उत्पन्न होता है।

रेलवे प्लेटफार्म के लोग नहीं बल्कि, डिब्बे में सरकार यात्री थे जिनको जिंदा जलाया गया था। इसलिए मेरा विचार है कि रेल मंत्री की सभा के प्रति जिम्मेदारी है कि वे रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय सभी जानकारी सही और पारदर्शिता से दें।

महोदय, मुझे किसी बातचीत में बताया गया है कि उन्होंने इस मामले को जांच के लिए किसी को नियुक्त किया है। मेरे विचार से कोचों को जिस दिन जलाया गया उसी दिन उस अधिकार क्षेत्र के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) को वहां भेजा जाना चाहिए था। क्या वे उस दिन यह पता लगाने के लिए कि रेलवे की सम्पत्ति को कितना नुकसान पहुंचा है या कितने यात्रियों को जिंदा जलाया गया है वहां गये थे? क्या उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी? महोदय, इन सब प्रश्नों के उत्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या उन्होंने राज्य के आईजी से शिकायत की थी कि रेल की इतनी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है और ये उन लोगों की संख्या है जो उस वक्त रेल यात्री थे जिन्हें जलाया गया था? क्या उन्होंने कोई प्राथमिकी दर्ज की थी? जहां तक मेरी जानकारी हैं आप मेरे गलती को सुधार सकते हैं, रेलवे प्राधिकारियों ने पुलिस स्टेशन में कोई अधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

सरकार का कार्यकरण इस प्रकार चल रहा है। वह अव्यवस्थित रूप से कार्य कर रही है इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही है। यहां मैं आशा करता हूं कि श्री नीतीश कुमारजी जिनको अपनी ईमानदारी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक जीवन में जाना जाता है सभा में सच्चाई पेश करते हुए भगवा संगठन की छवि को यहां प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं होंगे मैं इसकी मांग करता हूं कि बहस का जवाब देते हुए वे सभी तथ्यों समेत केवल सत्य को ही प्रस्तुत करें।

महोदय, अब मैं रेलवे की आर्थिक स्थिति के मुद्दे पर आता हूं। रेलवे की वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मैं इसके लिए माननीय मंत्रीजी को दोष नहीं देता। यही कारण है कि मैंने यह कहकर शुरू किया है कि उनकी भावी योजना क्या है।

रेलवे के सम्पूर्ण नेटवर्क में धन के बारे में पहली प्राथमिकता 'कर्मचारियों को भुगतान' है। दूसरी प्राथमिकता 'ईंधन के लिए भुगतान' है। तीसरी सबसे बड़ी निधि 'पेंशन' के भुगतान में जाती है। इनकी चौथी प्राथमिकता 'मूल्य ह्रास' है और उनके अपने ग्राफ के अनुसार पांचवी प्राथमिकता 'विविध मदें' है। इनकी छठी प्राथमिकता या छठे क्रम पर सबसे ज्यादा निधि 'सुरक्षा' पर व्यय की जाती है। इनकी सातवीं प्राथमिकता 'विकास' है। विकास इनकी प्राथमिकताओं में सातवें स्थान पर है। मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारी रेलवे की प्राथमिकता नहीं होने चाहिए। निस्संदेह, वे रेलवे के कर्मचारी हैं। माननीय मंत्रीजी, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि विकास की प्राथमिकता के क्रम में सुधार लाने के लिए रेलवे के विभिन्न आयामों और राजस्व को इतना बढ़ाया जाए कि एक दिन संसद में हम कह सकें कि अब रेलवे की कुल निधि में से इतना भाग विकास और सुरक्षा की प्राथमिकता के लिए है? आपका अपना ग्राफ बताता है कि सुरक्षा आपकी छठी प्राथमिकता है।

अतः, महोदय, मैं चाहता हूं और यह मांग करता हूं कि रेलवे मंत्री श्वतेपत्र के साथ-साथ आंतरिक संसाधन बढ़ाने के लिए और विकास तथा सुरक्षा की प्राथमिकताओं के बारे में उनकी भविष्य की योजना के बारे में बताए।

माननीय मंत्री जी, श्वेत पत्र प्रस्तुत करते हुए इस बारे में बताएं और तैयार रहे। श्वेत पत्र में की गई सिफारिशों का कार्यान्वियन करने के लिए, चाहे वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की राजग सरकार हो पूरी धनराशि देना सुनिश्चित किया है। मैं छह वर्षों की बात नहीं कर रहा। छह साल में कार्यान्वयन का मतलब है लागत को बढ़ाना। दुर्घटना होना तो जारी रहेगा। यह कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। आप इसे एक चुनौती के रूप में क्यों नहीं लेते कि दो वर्ष की अवधि में आप पूरे भारत में त्रुटिहीन सुरक्षा नेटवर्क बना

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

देंगे? मैं नहीं कहता कि ये शत प्रतिशत सही होना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति शत प्रतिशत सही नहीं हो सकता।

महोदय, मुझे फ्रांस की टी०जी०वी० की कार्यप्रणाली के अध्ययन का विशेष अवसर प्राप्त हुआ, जो कि विश्व की तीव्रतम रेल है। वे कहते हैं कि उनके यहां पाक्षिक आधार पर सुरक्षा का मूल्यांकन किया जाता है। हर पन्द्रह दिन के बाद वे पूरी सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करते हैं और कुल यात्रियों की संख्या, रेलवे लाइनों का प्रबन्धन व उनकी गति का मूल्यांकन करते हैं। वहां यह काम प्रत्येक 15 दिनों में किया जाता है। भारत में सुरक्षा मूल्यांकन यहां तक कि एक तिमाही में भी नहीं किया जाता। यह वर्ष में एक बार किया जाता है या तब किया जाता है जब रेलवे बोर्ड की बैठक होती है। हमारा देश एक बड़ा देश है। मैं यहां आतंकवादी हमलों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन विस्फोटों पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। ऐसे मामलों में आप असहाय हो जाते हैं। लेकिन समय आ गया है कि रेलवे के सम्पूर्ण सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण किया जाए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को घेरने के लिए यदि आवश्यक हो तो आप कानून बना सकते हैं। मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार, मैं किसी विशेष राज्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जानबूझकर आतंकवादियों को रेलवे लाइनों पर विस्फोट की योजना बनाने को बढ़ावा देती है, वे इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते और उनके पुलिस बल को भी हानि उठानी पड़ती है। आप अपनी सम्पत्ति और लोगों के जीवन की सुरक्षा कैसे करेंगे, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। यह एक नयी स्थिति है और इसमें आपके सुरक्षा नेटवर्क को आधुनिक बनाये जाने की आवश्यकता है। रेलवे की सम्पत्ति को भूल जाइये? क्या रेलवे पुलिस बल आपकी सुरक्षा कर सकता है? जब वे आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो रेलवे की सम्पत्ति की क्या सुरक्षा करेंगे। मुझे पता है कि उसमें से कुछ तो उन क्षेत्रों में जाना ही पंसद नहीं करते जहां कि पैसा नहीं मिलता। अत: आपको इसका आधुनिकीकरण कराना चाहिए। आप उनका वेतन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यावसायिक बनाइये। आप उन्हें आधुनिक बना कर उन्हें कोई दर्जा दे सकते हैं आप उन्हें नई विधियों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आज की विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बना सकते हैं। आप जम्मू-कश्मीर राज्य में रेलवे नेटवर्क पर काफी बड़ी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ही यह देखना भी आवश्यक है कि आपके द्वारा निर्मित रेलवे नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित हो। इस बारे में आपकी आकस्मिक और दीर्घकालिक योजना क्या है? इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

हम चाहते हैं कि आप इन मुद्दों और क्षेत्रों पर ध्यान दें। देश की वर्तमान स्थिति में कांग्रेस पार्टी भारतीय रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा के बारे में काफी चिंतित है। मुझे खेद है कि मैंने पुराने बजट भाषणों को उद्धृत करके अपनी बात समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन आपने सारे मामले को बहुत गम्भीरता से लिया और दिवस की समाप्ति पर आपको पता लगा कि श्वेतपत्र लाए बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह एक अच्छा विचार है। आप एक श्वेत पत्र जारी करके संसद में इस पर बहस कराइये। लेकिन आप यह सुनिश्चित कीजिए कि सरकार इसके लिए पर्याप्त धन दे।

रक्षा के क्षेत्र में 40 प्रतिशत तक की धनराशि अनुप्रयुक्त रहती है। वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि रक्षा बजट की 40 प्रतिशत धनराशि अनुप्रयुक्त रहती है। हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार अव्यवस्था फैलाती है। आप रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी ही धनराशि की मांग कीजिए, हम उसका समर्थन करेंगे। क्या हम रक्षा क्षेत्र के विरूद्ध हैं? नहीं, आप जितनी धनराशि की मांग करेंगे, हम वह राशि देने के लिए आपका समर्थन करेंगे और बाद में आप यह स्वीकार करेंगे कि आप इसमें से 40 प्रतिशत धनराशि का प्रयोग नहीं कर सके।

दूरदर्शन पर मंत्री जी ने इसका बड़ा घटिया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सी०बी०आई० और सी०बी०सी० के कारण, और इस जांच के कारण वे इसका उपयोग नहीं कर पाये। क्या इसका मतलब यह है कि वे लूट मचाते रहेंगे और संसद इस मामले पर चुप रहेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं हैं। यदि इस निधि में से 40 प्रतिशत व्यय नहीं किया जा सका तो आपने इस विषय में प्रधानमंत्रीजी से बात क्यों नहीं की आपने मंत्रीमंडल में यह बात क्यों नहीं उठायी। रेलवे ने उसको आबंटित धन व्यय कर लिया है, अत: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे और अधिक धन दिया जाना चाहिए। रेल मंत्रालय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे दूरदराज के क्षेत्रों से रक्षाकार्मियों को लाने, ले जाने का कार्य करते हैं तो क्या आप नहीं सोचते कि उनकी सुरक्षा और संरक्षा बहुत जरूरी है। ये दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं।

यदि सरकार इसे प्राथमिकता देना चाहती है तो सुरक्षा और संरक्षा नेटवर्क के संबंध में आबंटन एक समान नहीं हो सकता। संसद इस पर कोई आपत्ति नहीं उठायेगी और कम से कम हम इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। हम आपका समर्थन करेंगे। जहां राजग सरकार और आप असफल रहते हैं, वहां हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। आज 'राजग' सरकार के नेतृत्व में यदि माननीय रेलमंत्री का यह अंतिम विचार है कि वांछित संख्या से कम लोग रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो यह लोगों के सामने इस बात को स्वीकारना है कि वे विफल हुए तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनमें विश्वास पैदा करने में विफल हुए हैं। यही आपकी विफलता है संसद में समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है; बजट पारित हो जाएगा लेकिन आप

जनता का विश्वास खो चुके हैं। आप उनमें विश्वास पैदा नहीं कर सके। अत:, मैं महसूस करता हूं कि यहां सरकार में कमी है।

अब मैं माल की ढुलाई पर आता हूं। मैं विस्तार से इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसमें अधिक समय लग सकता है। लेकिन पिछले पांच वर्ष के बजट के आंकड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं। माल की आवाजाही के मामले में 410-540 मिलियन टन को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। जब निजी संचालक इससे बेहतर कर सकते है तो ऐसा क्यों है। मैं कलकत्ता मजदूर संघ, जो ट्रक संचालकों का संघ है, का अध्यक्ष था। मेरे प्रिय साथी श्री सुदीप बंद्योपाध्याय भी इसे जुड़े हुए हैं। मुझे इनकी एक बैठक में भाग लेना पड़ा तो मैंने पाया की उनकी सेवा का उपयोग 75 प्रतिशत तक बढ़ गया है और रेलवे इस देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें सभी तरह की बुनियादी ढांचे हैं और वह 410 से 540 मिलियन टन मात्रा की ढुलाई करता है। इस वर्ष 540 मिलियन टन का लक्ष्य है। आप केवल 515 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। इस वर्ष का लक्ष्य 540 मिलियन टन था लेकिन यह प्राप्त नहीं किया जा सका। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास व्यापार और वाणिज्य के प्रत्येक स्थान पर कम्प्यूटरीकृत टर्मिनल नहीं है। रेलवे का जनसंपर्क विभाग माल की ढुलाई को आधुनिक विपणन पद्धति के रूप में नहीं ले रहा है। वे सोचते हैं कि कोई आएगा और उन्हें माल देगा जिसे वे लाद कर आगे भेज देंगें। श्री नीतीश कुमार, दूसरे रेल बजट पर चर्चा को शुरू करते हुए मैंने कहा था और मैं पुन: दोहराता हूं कि रेलवे के पास और माल नहीं आ रहा है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था माननीय उपाध्य महोदय, आपको भी इसके पीछे चल रहे षड्यंत्र के बारे में पता चलने से खुशी होगी।

मैंने इस सभा में दो बार हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। एक रात मैं अपने दो सहयोगियों के साथ रेल डिब्बे को खोलने से बचाने के लिए गया। मैंने देखा कि दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे। उनमें से एक मर गया था। मैंने सभा में मंत्री महोदय को बताया था कि वे क्या करते थे। घी, डालडा, मिट्टी का तेल, चायपत्ती, चीनी और शीरे के नाम पर वे रेलगाड़ी से पानी भेजा करते थे। रेलगाड़ी हावड़ा से शालीमार जाया करती थी जहां उनका गैंग आता था। गैंग रेलगाड़ी को शालीमार और संकरैल के बीच रोककर डिब्बों को खोलता था। डिब्बों को खोलने का अर्थ यह नहीं था कि वे रेलगाड़ी को लूटते थे। वे रखे गए सामान को बाहर निकाल लेते और विलम्ब शुल्क तथा माल चोरी होने का दावा करते। रेलवे प्रत्येक वर्ष ऐसा विलम्ब शुल्क देता रहा है। यह सभी कर्मचारियों और गैंग की मिलीभगत से किया जाता है। माल की आवाजाही में यह स्थिति है। यदि यही स्थिति रही तो रेलवे की माल ढुलाई में किस तरह सुधार होगा? सीमेंट, इस्पात और उर्वरक मुख्य क्षेत्र हैं जहां रेलवे भाड़ा अर्जित करता है। प्रत्येक स्थान पर गैंग के व्यक्ति डिब्बे को खोलते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता। नीतीश कुमार जी मेरी बात से सहमत होंगे।

मैं रेलवे संविदा के बारे में बात करूंगा। कटिहार नामक एक स्थान है। मुझे आशा है कि बिहार के मेरे मित्र ऐसा कहने पर बुरा नहीं मानेंगे। पश्चिम बंगाल में मालदा भी है। क्या आप सोचते हैं कि देश की भलाई हेतु लोगों को रेलवे की निविदाएं दी जा रही हैं? गैंग के व्यक्ति यह निर्णय करते हैं कि गोरखपुर, मालदा अथवा कलकत्ता में ठेका किसे मिलेगा और वे निवेदित मूल्य का 50 प्रतिशत भरते हैं और 50 प्रतिशत बढ़े हुए मूल्य के बिल रेलवे के कर्मचारियों में बांट देते हैं। बेचारे मंत्री महोदय जिन पर जनजीवन की जिम्मेदारी है, वे बस आते हैं और जाते लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग हमेशा शासन करते हैं। आप इन्हें कब रोकेंगे?

लिलौह की जनता लम्बे समय से गुहार लगा रही है। आपने भी बेल्लूर का दौरा किया है और आप बेल्लूर स्क्रैप यार्ड के बारे में जानते हैं। मैं वहां 'काली पूजा' समारोह का उद्घाटन करने गया। मैं यह देख कर स्तब्ध रह गया कि पूरा पंडाल भारतीय रेल के एअरकंडीशनरों से सुसज्जित है। उसके बाद मुझे पता चला 'पूजा' का मुख्य संरक्षक वह व्यक्ति है जो रेलवे के स्क्रैप यार्ड में नियुक्त है। वह सभी नई वस्तुओं को बेकार घोषित करके ले लेता था और इसके बाद इन्हें बेच देता था। वर्ष दर वर्ष यह धोखाधड़ी चलती रही। मैं श्री नीतीश कुमार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। कोई रेलमंत्री इसे नहीं रोका सकता। इस तरह से आपके आंतरिक संसाधन प्रत्येक वर्ष समाप्त हो रहे हैं। आप कब इसे रोकेंगे? समय आ गया है। वर्ष 1996 से स्थायी समिति में मैं अपने कार्य अनुभव से कह सकता हूं कि दक्षिण में ऐसी बातें नहीं होती हैं। ऐसा केवल उत्तर प्रदेश बिहार अथवा पूर्वी रेलवे में होता है। इन क्षेत्रों में माफिया राज है। मैंने सोचा था कि बिहार से होने के कारण नीतीश कुमार जी को सब कुछ मालूम होगा और वे इसका मुकाबला करेंगे। मुझे पता है कि आप कुछ कदम उठा रहे हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं हुआ है। यदि जुटाए गए आंतरिक संसाधनों का एक चौथाई आज इन ठगों के साथ बांटना पड़ेगा तो रेलवे की स्थिति में किस तरह सुधार होगा? यह बिलकुल असंभव है।

मैं एकाध बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा पहला सुझाव है कि माल भाड़ा अर्जन में आपका लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। यदि सड़क से माल की आवाजाही 75 प्रतिशत तक बढ़ सकती है तो रेलवे में यह कम से कम 25 प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ सकती? जब आपने और कुमारी ममता बनर्जी ने बजट प्रस्तुत किया था तब से माल की ढुलाई 410 से 540 मिलियन टन है। यात्रियों की आवाजाही

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

की वृद्धि दर की तुलना में इसमें वृद्धि नहीं हुई है। अतः, आपको इसे आधुनिक, बाजारोन्मुखी तथा पेशेवर बनना होगा।

रेलमंत्री को मेरा दूसरा सुझाव यह है कि उन्हें दो श्रेणियां बनानी चाहिए। एक श्रेणी में लम्बे समय से लंबित विकास परियोजनाएं होनी चाहिए तथा दूसरी श्रेणी में अविलम्बनीय महत्व की परियोजनाएं होनी चाहिए। लम्बे समय लंबित परियोजनाओं के संबंध में मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक आपको धनराशि नहीं मिलती, आप परियोजनाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप पिछड़े क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को दे सकते हैं जो इन्हें निकटतम जंक्शन से जोड़ेगा। आप इन क्षेत्रों का निजीकरण कर सकते हैं जहां अभी तक रेल की पटरी नहीं बिछाई गई है।

अविलम्बनीय महत्व की परियोजनाओं के संबंध में विशेषरूप से कृषि उद्योग और कृषि क्षेत्र को ध्यान में जब कभी आप महसूस करते हैं कि नए व्यापार और आर्थिक अवसर आ रहे हैं तो आप 30 कि०मी० अथवा 10 कि०मी० की बड़ी लाइन को जोड़ सकते हैं जो विशेष रूप से उत्तर भारत और 'नेफर' में नई आर्थिक क्रियाकलाप पैदा कर सकता है।

सर्वाधिक उपेक्षित जोन नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) है। यहां कुछ नहीं किया जा रहा है। जब त्रिपुरा में चुनाव हुए थे तब मैं कुमारघाट गया था। वहां कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। यह काम श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था लेकिन अभी भी यहां काम चल रहा है और मुझे नहीं मालूम कि यह कब तक पूरा होगा और कब आप त्रिपुरा के इस क्षेत्र अर्थात् धर्मनगर से अगरत्तला को प्राथमिकता देंगे। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए रेल मंत्री से केवल यह अनुरोध करूंगा कि वे उन सभी राज्यों पर विचार करें जहां रेलवे ही आर्थिक क्रियाकलाप में अत्यधिक योगदान कर सकता है।

मैं आपके विभाजन संबंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद नहीं करना चाहता। इससे विभिन्न दलों में आवश्यक विवाद पैदा होगा। जब हमने विरोध किया तो हमने बंगाल और बिहार के उग्र दृष्टिकोण की तरह विरोध नहीं किया। हमने केवल आर्थिक व्यवहार्यता की धारणा पर विरोध किया। अब आपकी अर्थव्यवस्था धनबाद से हाजीपुर और धनबाद से कोलकाता तक की दूरी के बारे में क्या कहती है। यदि आपकी अर्थव्यवस्था कहती है कि यह सही है या गलत है तो मैं आपका निर्णय स्वीकार कर लूंगा। यदि कोलकाता के तहत धनबाद से काम करने वाले व्यक्ति को हाजीपुर के अंतर्गत धनबाद से संचालन करने को विवश किया जाता है तो मेरे विचार से इससे कुछ राजनैतिक लाभ तो मिलेगा लेकिन एक दिन रेलवे की अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह, हमारा यह विचार है। इसलिए श्री राजीव गांधी ने इस विभाजन प्रस्ताव को दो बार स्थगित किया था। एक दिन जब किसी ने उन्हें इस बारे में कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि समिति की सिफारिश के बावजूद जब तक रेलवे की अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं पहुंचता है तब तक ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले से अनेक बातें उत्पन्न हुईं। इसलिए मैं इन सब बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन आपसे अपील करता हूं कि कृपया रेलवे की अर्थव्यवस्था को औचित्य बताएं। उत्तर देते समय आप किए गए विभाजन की व्यवहार्यता का औचित्य बताएं।

अंत में, मैं इस जोन अर्थात् बंगाल के उत्तरी भाग के बारे में कहना चाहता हूं जिसका मैंने अनेक बार प्रतिनिधित्व किया है। राधिकापुर-बरसोई जंक्शन में कार्य धीमी गति से हो रहा है। कृपया सुनिश्चित कीजिए कि 2004 तक यह परियोजना पूरी हो जाए।

आपने एक वायदा किया है और मुझे भरोसा है कि मंत्री महोदय उसका अनुपालन करेंगे। बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यह पता करने के लिए कि वहां वास्तव में क्या चल रहा है, उस जोन के संसद सदस्यों की एक बैठक अपने कार्यालय में बुलाएं क्योंकि उन्हें वहां का व्यावहारिक अनुभव है। बलूरघाट-एकलाखी परियोजना श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी जिस पर आप अब कार्य करेंगे। यह बुनियादपुर तक है। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि जब इसके प्रथम भाग का उद्घाटन किया गया था तब न तो बलूरघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद, न ही श्री अब्दुल गनी खां चौधरी और न ही मुझे इस परियोजना से जोड़ा गया था। हममें से किसी को भी इस बात की सूचना नहीं दी गयी थी। सभी कुछ अधिकारियों द्वारा किया गया था। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जब बुनियादपुर में कार्य पूरा जाए तो उस क्षेत्र से सांसद को भी निमंत्रित किया जाए। क्योंकि हमने उस क्षेत्र में इस परियोजना के लिए एक व्यापक जन आंदोलन चलाया था। श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी वहां गए थे तब इसका कार्य शुरू हुआ था। अब आप इस कार्य को कर रहे हैं। इसे बुनियादपुर तक ले जाने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। कृपया रेलवे अधिकारियों को सलाह दें कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा न करें जो कि इस परियोजना से बहुत गहराई से जुड़े हैं।

अंत में, मैं आग्रह करूंगा कि यदि संभव हो तो मालदा से होते हुए एक राजधानी एक्सप्रैस चलायी जाए। बंगाल के उत्तर में रहने वाले लोग राजधानी एक्सप्रैस की सुविधा नहीं ले पाते क्योंकि ये गुवाहाटी, कटिहार और डलखेला जाती हैं। लेकिन कोई भी राजधानी एक्सप्रैस, यहां तक कि सप्ताह में एक बार भी मालदा होते हुए नहीं जाती।

उत्तरी बंगाल का पूरा जोन ही बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया है। कृपया यह सुनिश्चित कीजिए। यदि यह सम्भव न हो तो कम से कम एक शताब्दी रेलगाड़ी मालदा और जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाए। निस्संदेह, श्री सोमनाथ चटर्जी को इस बारे में बहुत सी बातें कहनी हैं।

मैं माननीय रेलमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप इस बारे में समग्र रूप से सोचे। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित परियोजाएं लंबित पड़ी हैं। पिछले सप्ताह मैंने एक पुस्तक में से कुछ नोट्स लिए थे और यह पाया कि अन्य सभी राज्यों की परियोजनाओं का कार्य काफी आगे चल रहा है और केवल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं का कार्य लम्बित पड़ा है। अगर यह मामला ऐसा है तो एक दिन लोग इसके विरूद्ध विद्रोह करेंगे। यह इस सरकार का राष्ट्र के प्रति एक उत्तरदायित्व है कि रेलवे में सुरक्षा के मामलों के संबंध में लापरवाही मुद्दे पर यह सरकार देश के प्रति उत्तरदायी है।

अंत में, एक बार फिर मैं यह दोहराना चाहूंगा कि रेलमंत्री बहादुरी से भगवा समर्थक लोगों के प्रभाव और दबाव में आये बिना गोधरा कांड पर मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में एक विवरण इस सदन में रखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं आग्रह करूंगा कि मालदा होते हुए बरास्ता बोलपुर एक राजधानी एक्सप्रैस शुरू की जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के विकास के लिए रेल मंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2003 को रेल बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार रेल मंत्रीजी ने रेल बजट की शुरूआत की और देश के प्रधान मंत्रीजी का आभार व्यक्त किया, मैं अपनी तरफ से देश के प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत सरकार के रेल मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी के प्रति अपना आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं।

महोदय, मैं अपनी बात एक नीति वाक्य से प्रारम्भ कर रहा हूं। यह वाक्य मेरा नहीं है, मेरे आराध्य परमपूज्य श्री बाबाश्री का है। उन्होंने कहा है – यदि कोई नीति बननी है और नीति बनाने वाले सदन में मौजूद हैं, नीतियां यदि सिर्फ व्यवहार और व्यापार के लिए बनें, तो न्याय नहीं हो सकता है। रेल बजट जो प्रस्तुत हुआ है, वह रेल बजट किसी नीति का आधार है, इसमें व्यवहार और व्यापार का नहीं, बल्कि न्याय का भी ध्यान रखा गया है। व्यवहार में देखा जाए, तो देख की आजादी के 50 वर्षों के बाद भी देश में कई ऐसे स्थान हैं, जहां पर यदाकदा रेल लाइन की मांग उठती रहती है। हमारी प्राथमिकता व्यावहारिक रही है और जहां पर लोग ताकतवर होते हैं, वहां उन्हें उसका लाभ मिला है। यदि व्यापारिक दृष्टि से नीतियां बनाई हैं, तो व्यापार की परिभाषा होती है कि व्यापार सिर्फ लाभ कमाने के लिए ही होता है लेकिन सरकार कभी व्यापारिक नहीं हो सकती है। अगर ऐसा हुआ है, तो वे लोग आर्थिक रूप से लाभ नहीं दे सकते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। मैंने रेल बजट भाषण को पढ़ा है और उस दिन रेल मंत्री जी से भाषण को सुना। उन्होंने साबित कर दिया कि हम सिर्फ व्यवहार और व्यापार की नीतियों का अवलम्बन नहीं करते हैं, बल्कि हम न्याय करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि न्याय की परिभाषा क्या हो सकती है। मैंने अभी पूर्ववक्ता, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना है। वे एक वरिष्ट संसद सदस्य है और सरकार में भी रहे हैं, अच्छा होता वे नीतियों के बारे में बातें कहते। मुझे लगता है, उनके जीवन में यह पहला अवसर होगा, जब वे आलोचना करने के लिए खड़े थे, लेकिन आलोचना करने के लिए उनके पास तथ्य नहीं थे। वे केवल कहने के लिए अपनी बातें कह रहे थे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं बालाघाट निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हूं। बालाघाट से गोंदिया तक अमान परिवर्तन की योजना चल रही है, जो संभवत: सन् 2003 तक उसका पहला चरण समाप्त हो जाएगा। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह रेल लाइन 14 जनवरी, 1904 में, जब अंग्रेजों का देश में राज था, निर्मित हुई थी। उस ट्रैक को 14 जनवरी, 2003 में बन्द कर दिया। उस लाइन की उम्र 99 वर्ष है। यदि माननीय सदस्य, श्री दासमुंशी जी की आलोचना और समालोचना की बात कहें, तो इस लाइन के सौ साल पूरा होने में एक साल रह गया था, एक साल पहले लाइन को क्यों उखड़वा दिया गया। मैं श्री दासमुंशी जी से कहना चाहता हूं कि देश के विकास में बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ता है और विकास के रास्ते पर चलना पड़ता है।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : मध्य प्रदेश के साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है – इस बारे में और बतला दीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मुझे लगता है कि बजट प्रस्तुत होने के बाद आपको इतना जरूर करना चाहिए था कि सदन में उपस्थित नहीं रहते और अपने मुख्यमंत्री को सलाह देते, तो ज्यादा अच्छा रहता। उस पूरी योजना में आपके रहते एक पत्थर भी नहीं पहुंचा। मैं तो वहां का सांसद अभी बना हूं। आप अच्छी तरह से मेरे बारे में जानते हैं कि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रहलाद पटेल आपकी बात नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो श्री प्रहलाद सिंह पटेल बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अगर हम मध्य प्रदेश में चर्चा प्रारम्भ करेंगे तो मैं स्वार्थी हो जाऊंगा और ऐसा करके मैं अपनी पार्टी का उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर सकता जो मुझे रेल बजट के प्रारम्भ में ईमानदारी से करना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के बारे में आखिर में बताऊंगा कि मध्य प्रदेश को क्या मिला है?

मैं सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो 15 अगस्त 2002 को राष्ट्रीय रेल विकास योजना की प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी वह 20 दिसम्बर 2002 को प्रारम्भ हो गई। अच्छा होता कि कांग्रेस के लोग अपने कार्यकाल में इतने कम समय में किसी घोषणा को करने के बाद कभी शुरूआत करते और फिर उसकी तुलना करते तो मुझे लगता कि आप प्रतिपक्ष की ईमानदारी से पूरी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि किसी योजना की 15 अगस्त को घोषणा हो और उसके बाद 20 दिसम्बर को शुरू हो जाए। उसमें रखी रकम कोई मामूली नहीं है – 15 हजार करोड़ रुपए की वह योजना है। जो कार्य हाथ में लिया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कैसे मजबूती लायी जाए, बंदरगाहों के साथ कैसे द्रुत रेल मार्ग को जोड़ा जाए और चार महासेतुओं का जो उल्लेख माननीय रेल मंत्री जी ने किया है मुझे लगता है कि सदन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यह निजी लोगों के लाभ की बात नहीं है। सारे राष्ट्र का समग्र हित एक साथ कैसे होगा, इस बात को ध्यान में रख कर योजना बनायी गई है। सरकार और रेल मंत्री उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसमें आलोचना नहीं हो सकती है। रेल मंत्रालय में जहां तक सफलता की बात करूं, जहां तक मेरी समझ है, बुद्धि है जो मैं भूरिया जी से उधार नहीं लेता हूं, मुझे लगता है कि प्रबंधन की ऐसी कुशलता पूर्व में हमने नहीं देखी। हमने बहुत से रेल बजट देखे हैं, मैं बहुत छोटी उम्र में 1989 में लोक सभा में आ गया था। मुझे लगता है कि प्रबन्धन की ऐसी कुशलता मैंने पूर्व में कभी नहीं देखी। जो प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण है, उसका क्रमवार सतत् उल्लेख भी रेल बजट में है। प्रतियोगिता की दृढ़ इच्छा शक्ति और जो भविष्य की आने वाली चुनौतियां हैं, उसका भी उल्लेख रेल बजट में किया गया है। यह केवल आंकड़ों का बजट नहीं है। दूरगामी योजना द्वारा कैसे आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे, इसका बेहतर उल्लेख है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां तक सवाल 2001-2002 में संशोधित अनुमानों में जो परिवहन हुआ है, जो भार की ढुलाई हुई है, अगर हम उसके बारे में देखते हैं तो इस बजट में स्पष्ट है कि जो संशोधित अनुमान से 489 मिलियन टन से ज्यादा 492.5 मिलयन टन का लदान रेल मंत्रालय ने किया है। यह प्रमाण है कि हमारा प्रबन्धन कितना कुशल और कितने बेहतर परिणाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर हम इसमें राशि का भी मूल्यांकन करें तो कितना लाभ हुआ है? 235.4 करोड़ रुपए की अधिक आमदनी इसके परिवहन से हुई है। मैं समझता हूं कि लाभ के आंकड़े बहुत कम बार सदन में देखने को मिलते हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि यह लाभ कैसे कमाया गया? कोचिंग या अन्य फुटकर आय के जो अच्छे स्रोत रहे हैं, उसमें जो बढ़ोत्तरी हुई है, यह अपनी जगह पर है लेकिन जिस बात को मैं न्याय की बात कह रहा था यात्री परिवहन से जो 204 करोड़ रुपए का घाटा हुआ उसके बाद रेल मंत्री ने यात्रियों पर बोझ नहीं डाला। उन्होंने रैशनलाइजेशन के बाद रेल बजट को प्रस्तुत किया है जो न्याय की भाषा को पूरा करता है। ठीक है, यात्रियों से हमें लाभ नहीं मिला होगा लेकिन जन सुविधाएं देना हमारा कर्त्तव्य है। रेल मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि रेल अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है इसलिए हम यात्री सुविधाएं देना चाहते हैं और उसे नाम देकर कहा कि यात्री सुविधा वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं उस नाते यदि यात्रियों पर भार नहीं डाला गया तो मुझे लगता है कि यह सरकार और मंत्रालय बधाई का पात्र हैं।

ज्यादा सवाल अपव्यय को रोकने का है। मुझे लगता है कि सारा सदन इस बात को मानता है कि अपव्यय रुकना चाहिए। अनेक ऐसे वक्ता होंगे और शायद मैं भी यह बात कहूंगा कि हमें अनेकों ऐसी खामियां दिखायी देती होंगी, जिन्हें हम मंत्रालय और सरकार के ध्यान में लाएं लेकिन जो आंकड़े हमें यहां दिखाए जाते हैं उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

हमने अपव्यय घटाकर 397 करोड़ रुपये की बचत की है, उसके लिये सरकार की तारीफ की जानी चाहिये। मैं इसके लिए रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक मूल्य ह्रास या पेंशन निधि का सवाल है, श्री दासमुंशी ने इसका जिक्र किया है। ये सब जायज बातें हैं जिन्हें पूरा करना होगा। इन सब को पूरा करने के बाद भी शुद्ध राजस्व में 197 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, उसके लिये सरकार को बधाई दी जानी चाहिये। जहां तक परिचालन गुणवत्ता की बात है, संशोधित अनुमानों में टारगेट जहां 96.6 प्रतिशत था, उसमें 96 प्रतिशत टारगेट प्राप्त किया गया है। इस बात में संदेह नहीं होना चाहिये और इसके लिये हमें सरकार को बधाई देनी चाहिये कि जहां हम ऐसे आंकड़े पहले छू नहीं सके, अभी जो परिस्थितियां आई हैं,

उस गुणवत्ता से कैसे ऊपर जायें? इस बारे में कोई राय या सलाह दें तो यह बहस सार्थक है अन्यथा तर्क-वितर्क में सारी बात रह जायेगी।

उपाध्यक्ष जी, यात्री सुविधाओं के लिये रेल मंत्री जी ने 'यात्री सुविधा वर्ष' की घोषणा की हैं, उसके लिये मैं अपनी पार्टी की ओर से माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। चाहे वरिष्ठ नागरिक हों, चाहे कैंसर रोगी हों, चाहे थैलीसिमिया मेजर हो या हृदय शल्य चिकित्सा हो या गुर्दे की खराबी वाले रोगी हों- वे अकेले चलें या साथ में कोई व्यक्ति लेकर चलें, उन्हें 75 प्रतिशत की रियायत थी लेकिन थर्ड-ए०सी०सी० में स्थान नहीं दिया जाता था। अब यह सुविधा मुहैया कराई गई है। यदि कोई ए०सी०-फर्स्ट या सैकिंड में यात्रा करना चाहे तो 50 प्रतिशत भुगतान करके रेल में यात्रा कर सकता है। जो मान्यताप्राप्त पत्रकार हैं, उन्हें भी सुविधा दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न मूल ऊर्जा स्रोत का है। 25.26 प्रतिशत रेल मार्ग इलैक्ट्रिफाइड है जिसको विद्युत आपूर्ति राज्यों से होती है। माननीय रेल मंत्री लम्बी दूरी की सोच रखकर प्रशासन की दृष्टि से एन०टी०पी०सी० के साथ एक निगम बनाकर अपनी क्षमता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे इस बात की जानकारी है कि अगर सब से ज्यादा बिजली का भुगतान किसी राज्य को करना पड़ता है तो मध्य प्रदेश को बहुत मंहगे दामों पर करना पड़ता है। यह नौबत नहीं आ सकती आखिर उस सब का भार यात्री उठाते हैं, कर देने वाले यात्री उठाते हैं। इस बात पर श्री भूरिया जी चुप रह गये क्योंकि वे खुद कटघरे में आयेंगे। इस बात के लिये रेल मंत्री जी को बधाई दी जानी चाहिये। सरकारें चलेंगी लेकिन आने वाले समय में ऊर्जा संकट कम हो, उसके समाधान के लिये प्रयास करें। इस बात का प्रयास इस बजट में दिखता है।

बॉयो-डीजल को प्रोत्साहन देने के लिये रेल मंत्री जी ने जो किया है, शायद इसके पहले किसी रेल मंत्री ने नहीं किया होगा। जो रेल भूमि पड़ी हुई है, उन पर सामूहिक रूप से ऐसे बॉयो प्लांट रतनजोत के पौधे लगाकर बॉओ-डीजल को प्रोत्साहित करने से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि दूरगामी चुनौतियों का सामना करने में हम सफल होंगे। इस बात के लिये भी माननीय रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष जी, रेल के नये जोन बने हैं, उनके लिये हाय-तौबा मची, आन्दोलन हुये। यह ठीक है कि मांग होती है। रेल मंत्री जी ने जबलपुर को रेल ज़ोन बनाया, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं। बिलासपुर जोन की घोषणा की गई। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि यह सच है कि रेल जोन भूगोल के आधार पर बनाया गया है लेकिन इस जोन के निर्माण में कुछ विसंगतियां हैं जिसे दूर करने के लिये एक समिति को जिम्मेदारी दी जा सकती है जो भूगोल के आधार पर पुनर्निर्धारण कर सकती है। यदि नागपुर की तरफ जाने वाला पूरा ट्रेक आमान परिवर्तन के दौर में जा रहा है, अगर नागपुर जोन आता है तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ विसंगतियां हैं। मुझे लगता है कि उसमें निहित विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि बिना किसी दबाव या व्यवहार के जो भी उचित लगता हो, उसमें परिवर्तन करना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, सामरिक दृष्टि से रेलवे द्वारा पहली बार श्रीनगर घाटी में परियोजना चालू की गई है। इस रेल परियोजना के लिये 500 करोड़ रुपये दिये गये हैं। रेल मंत्री ने कश्मीर घाटी के लिये अपूर्ण रेल योजना को पूरा करने के लिये न केवल योजना के लिये पैसा दिया है बल्कि इसकी तारीख भी तय कर दी है कि यह 15 अगस्त, 2007 से चलना शुरू हो जायेगी। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, तब तक उस मकाम पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला परियोजना की महत्ता को स्वीकार करना चाहिये। इसे 2003-2004 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले भी केन्द्र में सरकारें थीं। जम्मू-कश्मीर के बारे में बातें की जा रही हैं। यहां अभी कहा जा रहा है कि हम उसकी मांग की बात कर रहे हैं।

यह अवसर आपके सामने भी था। शायद प्रतिपक्ष में बैठे दासमुंशी जी उस आकलन को बताते। तुलना करते वक्त वह ध्यान में रखते कि कश्मीर में जब पचास सालों से सरकारें चलती रहीं तो उन्होंने इसको प्राथमिक तौर पर क्यों नहीं माना? क्या वह राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं था, क्या वह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था? मगर आवागमन पहले से शुरू हो गया होता तो इस चुनौती को हम इतने गंभीर रूप में न देख रहे होते। इस पर विचार होना चाहिए। यह सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। इसके लिए तो कम से कम इतनी ईमानदारी सदन में होनी चाहिए कि इस बात के लिए रेल मंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद देते और कहते कि आपने ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे कहीं ऐसा शब्द नहीं सुनाई दिया। प्रतिपक्ष का मतलब सिर्फ आलोचना करना नहीं होता। यह ऐसी उपलब्धियां हैं जहां से यात्रियों के नाम पर, भारत सरकार के रेल मंत्रालय को फायदा नहीं होगा, लेकिन इस देश के किसी हिस्से में किसी व्यापारी की मानसिकता से सरकार विचार नहीं कर सकती। उसको परोपकार का विचार करना पड़ेगा। अगर कहीं यात्री और माल ढुलाई न मिले तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम वहां पर अपनी जन-सुविधाएं न दें। हम यदि व्यापारी की दृष्टि से सोचते हैं, तो जहां से हमें लाभ मिलता है, वहीं पर हम इनवैस्टमेंट करते हैं और योजना में शामिल करते हैं। राजसत्ता की ताकत जहां होती है वहां पर लोग सुविधाएं देने की सोचते हैं। सरकार ने ऐसा नहीं सोचा। राष्ट्रीय हित में और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जम्मू-कश्मीर की योजनाओं को स्थान दिया

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। सरकार में कोई भी हो, सब जानते हैं कि इस रेल परियोजना से आर्थिक लाभ नहीं होगा, लेकिन देश की एकात्मता में मजबूती आएगी और लोगों को लगेगा कि दिल्ली में बैठने वाली सरकार न्याय करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है।

जहां तक अन्य सामरिक रेलवे लाइनों का सवाल है, चाहे वह लूनी से मनाबाब आमान परिवर्तन की योजना हो, इन सब पर पूरी तरह से धन आबंटित करके आपने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। नई रेलवे लाइनें 2003-2004 में 225 किलोमीटर बनाने का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से हमारे विकास के मार्ग में यह बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आमान परिवर्तन के लिए 791 किलोमीटर का लक्ष्य पिछले वर्ष रखा गया था लेकिन उससे ज्यादा 900 किलोमीटर का आमान परिवर्तन हुआ है। यह तो बधाई का पक्ष है, इसमें निश्चित रूप से कटौती नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितना हमने लक्ष्य रखा, उससे ज्यादा आमान परिवर्तन करके दिखा दिया। उसके बाद भी रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई न दें तो वह ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि उत्साहवर्द्धन में कम से कम कटौती नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है कि आपको लगे कि वह नीतीश जी के पक्ष में जाएगा। तो जो करेगा, यश उसके हिस्से में जाएगा, इस बात से कहीं ईर्ष्या मन में नहीं आनी चाहिए। इस आमान परिवर्तन के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं जब बालाघाट से चुना गया था तो 25 सितम्बर को वहां मतदान हुआ था। रेल मंत्री जी ने हमें सौगात दी है और बालाघाट से गौंदिया आमान परिवर्तन का कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बालाघाट की सभा में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि रेलवे लाइन बनेगी। अच्छा होगा यदि 25 सितम्बर 2003 को गौंदिया से बालाघाट ट्रेन आएगी तो प्रगति का यह पैमाना सिर्फ बालाघाट के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्केल के रूप में याद किया जाएगा। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए वह गर्व की बात होगी। मतदान का दिन तो मैंने तय नहीं किया था, वह तो चुनाव आयोग ने तय किया था, लेकिन 25 सितम्बर हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयन्ती का दिन है। वह हमारे लिए अविस्मरणीय दिन रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि गोंदिया से बालाघाट तक अगर बड़ी रेल लाइन बिछा दी जाए तो खुद नीतीश जी जाकर 25 सितम्बर 2003 को वहां खड़े होकर झंडी दिखाएंगे तो हम सबके लिए गर्व की बात होगी और हमें लगेगा कि आज दीन दयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद दर्शन की वह कड़ी, जो कहते थे कि दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, उस वनांचल के क्षेत्र में जहां नक्सलवाद है लेकिन प्रकृति का अपूर्व भंडार भी है, निश्चित रूप से वह सफलता तो देगा ही, सुफल भी देगा और मैं आशा करता हूं कि नीतीश जी के रहते मेरी यह कामना पूरी होगी।

उपाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश की बात हमारे एक माननीय सदस्य कर रहे थे। मुझे लगता है कि वे बजट पढ़ते समय शर्मिन्दा बहुत होते हैं लेकिन क्या करें, सदन में बैठकर कोई टिप्पणी तो जरूर करनी होती है। क्या नहीं मिला है मध्य प्रदेश को? अगर मैं अपने रीजन की बात करूं तो बिना मांगे ही जबलपुर से कोटा, जबलपुर से नागपुर नई ट्रेन मिल गयी। अगर जनता की अपेक्षा थी कि जन शताब्दी का किराया कम हो जाना चाहिए तो वह किराया कम हो गया। जबलपुर से गौंदिया रेलवे लाइन की बात करें, जबपुर से सिंगरौली रेलवे ट्रैक की बात करें, सतना से रीवा की बात करें *(व्यवधान)* जहां-जहां आपकी रियासतें हैं, वहीं वहीं हम पहुंचे हैं। भिण्ड-गुना, इटावा-मंदसौर की बात करें। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, हमारा नाम लिया गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रहलाद सिंह पटेल, क्या आप उन्हें मौका दे रहे हैं?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : नहीं, मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : भूरिया जी, आप बैठ जाइए। वे यील्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, नीतीश जी बधाई के पात्र हैं। आपके कांग्रेस के समय में कुछ नहीं हो सका। पहली बार नीतीश जी के समय में इतना काम हुआ है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देने में कृपणता नहीं होनी चाहिए। भूरिया जी, आपके मुंह से मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन होना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, वे मेरा नाम लेकर कह रहे थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे अपनी बात कहने का समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : भूरिया जी, आप बैठिए। वे यील्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री कांतिलाल भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमने लगातार माननीय मंत्री जी को पत्र लिखे हैं कि दोहाद-मक्सी रेल लाइन को शीघ्र बनाया जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी को भी लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बिलकुल साफ दिखने वाली चीज़ है। माननीय सदस्य अब चिट्ठियों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्री जी को पत्र लिखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पटेल जी, आप मुझे एड्रैस कर के बोलिए।

श्री कांतिलाल भूरिया : आज तक मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में कुछ नहीं किया। मेरे क्षेत्र में 300 किलोमीटर की रेलवे लाइन है और सारा का सारा आदिवासी क्षेत्र है। क्या मंत्री जी को आदिवासियों से एलर्जी है। मेरे क्षेत्र में मंत्री जी ने कोई काम नहीं किया है। इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कान्तिलाल भूरिया, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। जब आपको अवसर दिया जाएगा तब आप बोल सकते हैं। आप इस तरह नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भूरिया जी, जब आपको बोलने का चांस मिले, तब आप अपनी बात कहना। अब कृपया आप बैठिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंन माननीय सदस्य की कोई आलोचना नहीं की है। शुरूआत उनकी तरफ से हुई थी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। जब स्वर्मिण चतुर्भुज की बात आई थी, तब मैंने नीतीश जी से आग्रह किया था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाने की दूरी हमें कम करनी है, तो हमें स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में विचार करना पड़ेगा। जब स्वर्णिम चतुर्भुज बनेगा, तो मध्य प्रदेश की उपेक्षा किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आजादी के बाद से जितने भी सर्वे हुए हैं वे नीतीश जी के समय में ही हुए हैं। इस सरकार के रहते हुए ही ललितपुर-दमोह-जबलपुर होकर नरसिंहपुर जिले से लेकर रामटेक तक लाइन डाली जाने का सर्वे हुआ है। रामटेक से गोरेगांव का अगर सर्वे हुआ, तो नीतीश जी के समय में हुआ। ममता जी के समय में शुरूआत हुई। गोंदिया जंक्शन है और उधर बालाघाट जंगक्शन है। दोनों के बीच में छोटी लाइन है, माइन्स एक एरिया है। महाराष्ट्र नागपुर आदि वहां से जाया जा सकता है। वहां के लोगों को इससे बड़ी सुविधा होगी, लेकिन 12 किलोमीटर के पैच को बनाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तिरोड़ी तक बड़ी रेल लाइन है। तिरोड़ी तक रेल जाएगी, तो आगे क्या होगा। नीतीश जी ने इस समस्या का समाधान किया कटंगी से तिरोड़ी के बीच 12 कि०मी० नई रेल लाइन के लिए सर्वे करवाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें नीतीश जी मंत्री हैं, यह सवाल नहीं है और मैं सांसद हूं, यह सवाल भी नहीं है। सवाल तो उनकी और मेरी सोच का है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : पटेल जी, मैं आपकी ताइद कर रहा हूं। कृपया मेरी बात सुन लें। नीतीश कमार जी के समय में ही सिंगरौली-जबलपुर लाइन का काम हुआ। मंत्री जी ने जो काम अच्छा किया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं तो भूरिया जी को याद दिला रहा हूं। कटनी से लेकर इटारसी तक को देखें। कटनी जंक्शन है और इटारसी जंक्शन है। *(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : उपाध्यक्ष महोदय, चतुर्वेदी जी को मेरी सलाह है कि वे अपने पड़ोसी श्री कान्ति लाल जी भूरिया से बात करते रहें ताकि उन्हें यह पता लग सके कि नीतीश जी के समय में क्या-क्या काम मध्य प्रदेश में रेलवे के हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : रूडी जी, क्या आप भी बीच में बोलेंगे। कृपया ऐसा न करें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, बोले हुए बहुत दिन हो गए। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : उपाध्यक्ष जी, समझाने का निर्देश तो मुझे आप दे सकते हैं, माननीय सदस्य तो मुझे नहीं समझा सकते। मैं खुद समझदार हूं, ये मुझे क्या समझाएंगे। मेरी पीड़ा कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में दाहोद, झाबुआ, धार और इन्दौर का 150 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है, उसके लिए रेल मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी ने लिखकर दिया है। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपका नाम यहां लिस्ट में है तो आपको बोलने का चांस मिलेगा, तब आप अपना दृष्टिकोण रखियेगा।

श्री कांतिलाल भूरिया : माननीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री जी ने लिखकर दिया कि इसका बजट में प्रावधान किया जाये, मगर वह प्रावधान नहीं किया, क्योंकि वह धार झाबुआ का आदिवासी इसका है। वहां रेलवे लाइन दी जाये। यह हमारा दुख है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपका नाम भाषण करने के लिए यहां पहुंचेगा तो आप अपना दृष्टिकोण रखियेगा। आपको तो चांस मिलेगा। अभी उनका क्या दृष्टिकोण है, वे रख रहे हैं, वह सुनने की भी कृपा करिये। रामदास जी, आप बीच में कहां से आ गये?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मध्यप्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना बहस में भाग लेने के लिए दिया या नहीं?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान एक बहुत गम्भीर सवाल की तरफ ले जाना चाहता हूं, मैंने इसे सदन में भी उठाया है। कटनी जंक्शन है, इटारसी जंक्शन है, यह जबलपुर जोन में आता है। उस पूरे खण्ड के बीच में मुम्बई से लेकर कलकत्ता तक सबसे अगर कम दूरी का मार्ग है। इसमें कटनी से इटारसी सेक्शन है, लेकिन वहां विद्युतीकरण नहीं है। वहां दो ऐसे स्थान हैं, बागरा तथा नदी के ऊपर जो पुल है, उन दोनों स्टेशनों के बीच में घाटपिंडर है और वेलखेड़ा जहां पर 100 वर्ष पुराना पुल है, उनका पिछले दो वर्षों में रैनोवेशन हुआ है, मैंने इसको मांग उठाई थी, लेकिन मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, उस सैक्शन के बारे में बार-बार पत्र में यह आता है कि वह व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। मैं इस बात का इसलिए विश्वास नहीं करता, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरा जबलपुर डिवीजन इतनी बड़ी मण्डी का क्षेत्र है, अनाज की मंडी का क्षेत्र है, नरसिंहपुर जिले का गुलाबी चना वहां से कलकत्ता जाता है, दूसरे जिले का नहीं जाता है, गेहूं की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से वहां शस्त्रों की फैक्टरियां इटारसी और जबलपुर में हैं, कोयले का और फलों का भी वहां से परिवहन होता है, वह किसी भी तरह से घाटे का लाइन नहीं हो सकती। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उसका विद्युतीकरण होना चाहिए। वहां दो ऐसे सैक्शन हैं, जहां पर डबल लाइन नहीं होने के कारण हमें शायद बहुत गति वाली गाड़ियां इसलिए नहीं मिलतीं, क्योंकि सारे पुराने पुल हैं। आपके रहते हुए ये सारे काम होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 2003 में गुना इटावा भिण्ड की जो रेलवे लाइन है, जिसका आपने अपने भाषण में उल्लेख किया है, वह शीघ्र पूरी हो। जहां तक सहरसा का आमान-परिवर्तन है, उसका काम सराहनीय है, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं, लेकिन नीमच रतलाम का जो आमान-परिवर्तन है, वह 2003 में पूरा होना था, वह आपकी गलती से नहीं, लेकिन टेंडर नहीं हो रहे हैं और जान-बूझकर वहां विलम्ब हुआ है, वह समय पर पूरा हो, इस बात की आप चिन्ता करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। हमारा क्षेत्र वनाच्छादित है, जंगलों के कारण हमारे पास 2-2 नेशनल रिजर्व फौरैस्ट हैं, इसलिए हमें विकास के दूसरे रास्ते नहीं मिलते। अंग्रेजों के समय ही वहां रेलवे लाइन है, उसका आमान-परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। *(व्यवधान)* मैनपुर जंक्शन से सिवनी छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर जो छोटी लाइन है, आमान परिवर्तन के लिए है। वह प्राथमिकता के साथ पूर्ण होनी चाहिए। जबलपुर से जम्मू तक सीधी रेल सेवा की मांग अतिमहत्वपूर्ण है। सिक्ख, संगत सहित हिन्द धर्मावलंबी मां के भक्तों की इस मांग को शीघ्र पूर्ण करेंगे, ऐसी आशा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए, आपकी पार्टी के 18 मैम्बर बोलने वाले हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं पांच मिनट और लूंगा। मेरी प्रार्थना है कि इसका सर्वे हो चुका है। गोटेगांव से रामटेक का सर्वे हो चुका है, इस पर आप विचार करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आतंकवाद के कारण महत्वपूर्ण है, बस्तर को जोड़ने वाली वह महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार की नीरसता के कारण, उनके रुचि नहीं लेने के कारण प्रारम्भ नहीं हो पा रही है। मुझे विश्वास है कि पूरे छत्तीसगढ़ को आपने बहुत रेलगाड़ियां दी हैं, लेकिन दल्ली राजहरा रेलवे लाइन के बारे में आप जरूर विचार करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि जो दोहरीकरण की बात है, जिसमें मैंने कहा है कि हमारे जो दो पुल हैं, उन पुलों को आप जरूर पूरा करेंगे।

खेलों में रेलवे भर्ती बोर्ड की बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। रेलवे भर्ती बोर्ड में आपने जो 20 हजार लोगों को रोजगार देने की पेशकश की है, वह चुनौती का सीधा जवाब है। अगर कोई सदन में प्रश्न करता है तो वह उसका उत्तर है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि रेलवे में जो सुरक्षा बल हैं, पहले रीजनल कम्पोजीशन के आधार पर वहां पर सलैक्शन में स्थान तय हुआ करते थे, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वह जन प्रति-निधि हो या किसी क्षेत्र का हो, किसी वर्ग का हो। वह उन

अधिकारों को संचित करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं, जब भी उनकी नियुक्ति के मामले हों, जैसे पहले ही रिजनल सैन्टर थे, उनको यथावत रखा जाये और कभी यह आरोप न लगाया जाये, जैसा पिछले समय में लगा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि कोई नियुक्ति हो तो किसी प्रांत विशेष के लोगों की न हो। आपके रहते हम यह आरोप सुनना पसंद नहीं करेंगे। हम आपका ह्रदय से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और मानते हैं कि आपकी वह पैनी नजर होगी जिससे ऐसा कोई आरोप नहीं लगेगा कि किसी प्रांत विशेष के लागों को महत्व मिल गया।

जहां तक खेलों का सवाल है रेलवे ने अपने कीर्तिमान स्थापित किये हैं मुझे एक खिलाड़ी आकर मिला था। यह कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। उसने मुझसे कहा कि, मैं खेलता रहा और मुझे किसी विभाग में नौकरी मिल गयी। फिर दूसरे विभाग में नौकरी मिल गयी जहां मुझे उससे अच्छा वेतन मिलता था। उसके बाद तीसरे विभाग में नौकरी मिल गयी। इस तरह 22 साल हो गये। अभी उसने स्वर्ण पदक लिया है। लेकिन उसके पास 22 साल की नौकरी का कोई लेखा जोखा नहीं है इसलिए उनको सिनियोरिटी नहीं मिलेगी। रिटायरमैंट के समय उनकी हालत बड़ी खराब होगी। मैं थोड़े समय डी०जी० रहा हूं इसलिए मैं रूल्स वगैरह जानता हूं। उनमें कुछ फॉल्ट है। मुझे लगता है कि ऐसे मामले में रेलवे बोर्ड के सामने यह बात जाये ताकि खुद मंत्री जी उस पर विचार करें। इससे ऐसे लोगों को जरूर राहत मिलेगी जिन्हें जानकारी का अभाव है। जो लोग ख्यातिलब्ध उपाधियां प्राप्त करने के बाद सेवा में गये हैं, उनकी पिछली नौकरी यदि वह सैंट्रल गवर्नमैंट की है, उसे जोड़कर उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। फिर सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ न्याय होगा जो देश की शान बढ़ाते हैं।

अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जस्टिस खन्ना ने सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट दी है, जिसे शायद दासमुंशी जी ने नहीं पढ़ा। उसी सुरक्षा का ा हवाला लेकर इस बजट को तैयार किया गया है। उन सुरक्षा के कारणों पर मेरे अनेक मित्र बोलेंगे। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। रेल मंत्री जी ने अपना जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है, वह सिर्फ व्यवहार और व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि न्याय को पूरा करने वाला भाषण है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 26 फरवरी को रेलमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए रेल बजट के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं उनके द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गए बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा विचार है कि उनके द्वारा प्रस्तुत बजट में महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरे, यह दिशाविहीन है।

अपराह्न 3.23 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय *पीठासीन* हुए]

मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे की समग्र स्थिति पर टिप्पणी करने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता है। हर कोई रेलवे की वर्तमान कमजोर वित्तीय स्थिति के बारे में जानता है। दूसरी बात यह है कि पहले से घोषित बहुत सी परियोजनाएं अभी भी लम्बित पड़ी है। तीसरे, विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों का संकेतक आबंटन या नगण्य आबंटन किया गया है। चौथे, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि 'संरक्षा' शब्द अब, विशेषकर रफीकगंज की घटना के बाद, रेलवे के लिए कतई उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। जहां तक की सुरक्षा का संबंध है उसकी स्थिति भी ऐसी ही है। माननीय रेलवे मंत्री ने इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2003-2004 का रेलवे बजट प्रस्तुत किया है।

मैं रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। यह काफी असंतोषजनक है। मंत्री जी ने राष्ट्रीय रेल विकास योजना और विशेष रेलवे सुरक्षा कोष के माध्यम से दो तरीकों से इसमें सुधार लाने का भरसक प्रयत्न किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि रेलवे की समग्र आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक रेलवे का संचालन अनुपात है। वर्ष 2002-2003 के दौरान, 'संशोधित अनुमान' प्रस्तुत करते समय मंत्री जी ने बताया था कि संचालन अनुपात 92.5 प्रतिशत है। लेकिन वर्ष 2003-2004 के बारे में यह क्या है? इसका अनुमानित आंकड़ा 94.1 प्रतिशत है। इसमें बहुत नगण्य सा सुधार हुआ है। प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिए संसाधन कहां हैं?

जहां तक निवल राजस्व का संबंध है मैं इसका व्यापक विवरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह 10.8 प्रतिशत है। पर पिछले वर्ष यह 36.4 प्रतिशत था। ऐसा कहा जाता है कि वित्तीय मुद्दे पर रेलवे दिवाला होने जा रहा है।

तीसरे, जहां तक यात्रियों के आवागमन का संबंध है इसके बारे में बजट भाषण में बताया गया है कि इसमें पिछले वर्ष से 3 प्रतिशत की कमी आयी है। राजस्व में घाटा 720 करोड़ रुपये का है। रेलवे में ऐसा पहली बार हुआ है कि यात्रियों का विश्वास भारतीय रेलवे पर से उठ गया है। यातायात के अन्य साधनों की तुलना में रेलवे के पास यात्रियों के लिए कोई आकर्षक प्रस्ताव नहीं हैं।

चौथे, यदि आप रेलवे की वित्तीय स्थिति को देखें तो आप पायेंगे कि वर्ष 2003-04 के दौरान रेलवे को 2630 करोड़ रुपए के आंतरिक संसाधनों का सृजन करना है : बाजार से 3000 करोड़ रुपए का ऋण लेना है; और 6000 करोड़ से अधिक की राशि सरकारी खजाने से प्राप्त करनी है। यदि रेलवे को बाजार से ऋण मिलना बंद हो जाए और सरकार उन्हें धन देना बंद कर दे तो रेलवे को एक दिन

[श्री मोइनुल हसन]

अपना कार्य बन्द करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे के पास कोई दिशा नहीं है। वास्तव में यह ऋणग्रस्त है और बहस का उत्तर देते हुए माननीय रेलमंत्री द्वारा इसके बारे में बताया जाना चाहिए।

जहां तक परिव्यय का संबंध है, इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि है और यह 12,901 करोड़ रुपये है। जहां तक निवेश का संबंध है, उसमें कुछ नहीं है और पिछले बजट की तुलना में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि है। मैं रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे मं बताना चाहता हूं। यहां पर हम प्रौद्योगिकी उन्नयन, पुरानी मशीनरी को प्रतिस्थापना और यातायात सुविधाओं में प्रगति और वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन इन सबके लिए संसाधन कहां है? रेलवे की वित्तीय स्थिति सचमुच बहुत खराब है।

मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इस समय माल की ढुलाई पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया है और यह एक तथ्य है। मैं बताना चाहता हूं कि दो कारणों की वजह से इस समय माल ढुलाई पर कोई शुल्क लगाने की गुंजाइश ही नहीं है। एक तो यह कि जहां तक मालभाड़े का संबंध है, इस समय विश्व की बड़ी रेलसेवाओं की तुलना में यह सबसे अधिक है। दूसरे, सड़क परिवहन इस समय रेलवे का एक बड़ा प्रतिस्पर्द्धी है और इस समय रेलवे अपनी शर्तें लागू करने की स्थिति में नहीं है।

कुछ क्षेत्रों में माल की ढुलाई में वृद्धि हुई है। कोयला उन क्षेत्रों में से एक है। यह एक प्रमुख क्षेत्र है और इसमें दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लौह क्षेत्र में यह घट रही है। जहां तक पैट्रोलियम का संबंध है, यह घट रही है। खाद्यान्नों के क्षेत्र में इसमें 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्योंकि देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने से इसके परिवहन में भारी वृद्धि हुई है। परन्तु यह सूखा जरूरी नहीं कि हर वर्ष पड़े।

महोदय, मैं विभिन्न स्तरों में पुनर्गठन प्रणाली का समर्थन करता हूं। यह बहुत अच्छा है परंतु रेलवे की ओर से अधिक आकर्षक प्रस्ताव दिए जाने चाहिएं।

जहां तक रेलवे के वास्तविक कार्यनिष्पादन का संबंध है उसके बारे में बजट भाषण में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन इस समय की प्रमुख मांग विद्युतीकरण की है। इस वर्ष यह 375 किलोमीटर है और आने वाले वर्ष में यह 350 किलोमीटर है। यह घट रही है। जहां तक नई लाइनों का संबंध है इस वर्ष यह 190 किलोमीटर है और अगले वर्ष 225 किलोमीटर है। यह मांग के अनुसार उपयुक्त नहीं है। जहां तक लोकोमोटिव रेल इंजनों का संबंध है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क के लिए ये 69 है और अगले वर्ष के लिए भी 69 है। यह निश्चित रूप से सी०एल०डब्ल्यू० और डब्ल्यू०बी० के हित में नहीं हैं।

जहां तक रोलिंग स्टॉक का संबंध है डीजल के मामले में यह 1000 है और आगामी वर्ष के लिए 85 है। विद्युत के मामले में यह समान ही है। ई०एम०यू० और अन्य प्रकार के डिब्बों के मामले में इस वर्ष यह संख्या 294 है और अगले वर्ष 227 है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जहां तक रेलवे का संबंध है, क्षमता सृजन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जो इस बजट में पूर्णतया अनुपस्थित है।

मैं जो एक अन्य बात कहना चाहूंगा वह है रेलों की गति। अब यह एक बहुत नाजुक बिन्दु बन गया है। रेलों की औसत गति क्या है? जहां तक रेलवे में बेहतरी का संबंध है यह एक मुख्य कारक है। जहां तक मालगाड़ियों का संबंध है यह केवल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है; यात्री रेलों की गति केवल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलों की औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जानी चाहिए। यह कुछ सीमा तक भारतीय रेलों के भाग्य को परिवर्तित कर देगा।

लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? रेल लाइनों को बदलना मुख्य कारकों में से एक है। जहां तक लाइनों को बदलने का संबंध है वर्ष 2002-03 में यह 3300 किलोमीटर था। वर्ष 2003-04 में भी बजट में यही आंकड़े रखे गए हैं। भारतीय रेल को कौन बचाएगा? जैसा कि मैंने कहा वह परिप्रेक्ष्य दृष्टि से ओझल है।

जहां तक सुरक्षा का संबंध है, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और अन्य माननीय संसद सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसकी उपेक्षा हुई है। मेरे विचार से रानीगंज की घटना के पश्चात भारतीय रेल का गौरव नष्ट हुआ है। वास्तव में सभी यह कह रहे हैं कि यह दुर्घटनाओं का मंत्रालय है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। यहां कोई सतर्कता या सावधानी नहीं बरती जाती है। इस वर्ष केवल 2311 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। हम यह कह रहे हैं कि रेल लाइनें सौ वर्ष पुरानी हैं; रेल पुल सौ वर्ष पुराने हैं; सिग्नल प्रणाली बहुत खराब और पुरानी पड़ चुकी है; और बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों की संख्या हजारों में है। यात्रियों की संख्या में कमी आ रही है क्योंकि वास्तव में यात्रियों को रेलवे में भरोसा नहीं है। वे रेल यात्रा में स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। रेल बजट में इस विषय को कितने हल्के ढंग से लिया गया है? 26 पृष्ठों में वे सुरक्षा से संबंधित केवल 16 पंक्तियां हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नई सफलता केवल एक श्वेत पत्र है। हां श्वेत पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता है श्वेत पत्र की नहीं। हम श्वेत पत्र

की चर्चा कर सकते हैं। पहली बात सुरक्षा की है। रेलवे द्वारा केवल एक अच्छे वाक्य या अच्छे शब्द की रचना की गई है और वह है 'तोड़-फोड'। सभी दुर्घटनाओं में वे 'तोड़-फोड़' के बारे में बता रहे हैं।

माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है :

"दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक कारण के रूप में मानवीय भूल का होना पाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा श्रेणी की समूह 'घ' की रिक्तियों को भरा जाना महत्वपूर्ण है। रेलवे भर्ती के माध्यम से ऐसी 20000 और रिक्तियों को भरने का निर्णय लिया गया है।"

आप ऐसा क्यों कहते हैं कि इन दुर्घटनाओं के लिए केवल समूह 'घ' के कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं? भारतीय रेल ने एक आम कर्मचारियों को बली का बकरा बनाने का प्रयास किया है। यह कब तक चलेगा? आपको अपनी ओर से जिम्मेदारी निर्धारित करने का पूरा प्रयास करना चाहिए।

जहां तक जोनों के बंटवारे का संबंध है, दो नए रेल जोन कार्यशील हैं। एक है उत्तर-पश्चिम और दूसरा है पूर्व-मध्य। मैं बजट में से उद्धृत करना चाहूंगा : "बेहतर कार्यकुशलता के साथ संचालन।" मेरे विचार से यह अर्ध-सत्य है। दो पुराने जोनों का क्या हुआ? मैं हमारे माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका रवैया और अभिव्यक्ति कुछ ऐसी है जैसे कि नए जोन बेहतर कार्य कर रहे हैं। पुराने जोनों को क्या हुआ? आपने अभी यहां कहा है। मैं यहां बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका समुचित रूप से उल्लेख होना चाहिए। पुराने जोनों के बारे में क्या है?

महोदय, अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पर आता हूं जहां का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं मेरे राज्य में रेल परियोजनाओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। एक बात यह है कि रेल मंत्री ने चित्तपुर में तीसरे टर्मिनल के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन मैं मेरे माननीय और प्रिय रेल मंत्री को याद दिला दूं कि बेलूर में क्या हो रहा है, कोलकाता में क्या हो रहा है। इन्होंने शालीमार परियोजना के बारे में कहा है। शालीमार परियोजना 600 करोड़ रुपये की परियोजना है और चित्तपुर परियोजना लगभग 100 करोड़ रुपये – 98.7 करोड़ रुपये – की परियोजना है। यह शालीमार परियोजना ही क्यों नहीं है और यह केवल चित्तपुर परियोजना ही क्यों है?

हम इस तथ्य पर हैरान हैं कि रेल मंत्री ने स्वयं अपने मुंह से शालीमार के बारे में कहा है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि बीच में क्या हुआ। हम बहुत हैरान हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : संभवतः, राज्य सरकार इसमें सम्मिलित नहीं थी ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, वे आपकी बात से सहमत नहीं हैं।

श्री मोइनुल हसन : आप पूर्णतया गलत हैं। रेल मंत्री बेहतर जानते हैं ... *(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार ने सिफारिश नहीं की है, मुझे चित्तपुर का मामला वापस ले लेना चाहिए। आप मुझे बताएं। यदि राज्य सरकार ने चित्तपुर की सिफारिश नहीं की है तो क्या मुझे यह मामला वापस ले लेना चाहिए?

श्री मोइनुल हसन : नहीं, कभी नहीं।

श्री नीतीश कुमार : आप क्या कह रहे हैं? आपकी राज्य सरकार की सिफारिश पर हमने इस वर्ष चित्तपुर को शामिल किया है। शालीमार अथवा बदमापुकर की परियोजना 500 से 600 करोड़ रुपये के बीच होगी। इसके लिए योजना आयोग द्वारा मूल्यांकन किए जाने की आवयकता है। इसलिए आपको मुझे चित्तपुर के लिए बधाई देनी चाहिए। यह आपकी राज्य सरकार की सिफारिश पर किया गया है।

श्री मोइनुल हसन : जी हां, इसमें क्या गलत है?

श्री नीतीश कुमार : आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या मुझे चित्तपुर को वापस ले लेना चाहिए? ... *(व्यवधान)*

श्री मोइनुल हसन : मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आप गलत अर्थ लगा रहे हैं। यहां दोनों बाते हैं ... *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप अनावश्यक रूप से मेरी आलोचना क्यों कर रहे हैं कि मैंने अमुक-अमुक बाते कहीं है? मैंने कलकत्ता में कहा था कि मैंने दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे के महा-प्रबंधकों को अनुदेश दिया था कि उन्हें सरकार से मिलना चाहिए और उसकी सिफारिशें लेनी चहिए। वे जहां चाहे हम बड़े टर्मिनल लगा देंगे और इसके लिए हमने कार्यवाही शुरू की है। इसी बीच उन्होंने सिफारिश की है कि सर्वप्रथम आप चित्तपुर के लिए कुछ कीजिए। मैं इस वर्ष में ही चित्तपुर को शामिल किया है क्योंकि यह मेरे अधिकार के भीतर था ... *(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : बात यह है कि आपको प्रोत्साहित होना चाहिए।

श्री मोइनुल हसन : मैं रेल मंत्री की आलोचना करने की स्थिति में नहीं हूं। हम उन्हें चित्तपुर के लिए बधाई दे रहे हैं लेकिन हम पुन: शालीमार की मांग कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने यहां फिर कहा है और हमें आश्वासन दिया है कि जहां तक शालीमार का संबंध है, कार्यवाही चल रही है। मैं आपके पक्ष में हूं। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। इसके बाद आप विरोध में आवाज उठा सकते हैं। यह सच नहीं है कि मैं आपका पक्ष नहीं ले रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय आपको उकसा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय रेल मंत्री पहले ही प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री मोइनुल हसन : वापस लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

सभापति महोदय : कृपया बात समाप्त कीजिए।

श्री मोइनुल हसन : महोदय, पश्चिम बंगाल के लिए तीन या चार रेलगाड़ियां दी गई हैं। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल के लिए एक रेलगाड़ी है। पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीन अन्य रेलगाड़ियां भी हैं। पश्चिम बंगाल की 15 परियोजनाओं के लिए केवल 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दे। मेरा पहला मुद्दा यह है।

दूसरा, एन०जी०पी० — जोगीघोपा 730 करोड़ रुपये की परियोजना है। इस बारे में मंत्री महोदय से काफी चर्चा हुई है। इस वर्ष इस परियोजना के लिए केवल 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बालास्थली में पहले रेल सेवा थी। यह महत्वपूर्ण सेवा थी। इसे पुन: बहाल किया जाए। लालगोला-सियालदाह का विद्युतीकरण लंबित है।

सभापति महोदय : श्री मोइनुल हसन, आपकी पार्टी के चार सदस्यों को अभी बोलना है। कृपया बात समाप्त कीजिए।

श्री मोइनुल हसन : महोदय, मुझे केवल एक मिनट चाहिए। मैं माननीय मंत्री से केवल दो विषयों के बारे में जानना चाहता हूं। एक बार रेल मंत्रालय की ओर से यह बताया गया था कि मानवरहित फाटक की मरम्मत अथवा रखरखाव संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कितने मानवरहित फाटकों का रखरखाव संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से किया गया है। इसके संबंध में कितने प्रस्ताव लंबित हैं?

मैं पुन: रेल मंत्री के विचारार्थ एक और बात लाना चाहता हूं। इससे पहले हमने अनेक बार इस मामले पर चर्चा की है। हम सातों दिन हावड़ा से दिल्ली बरास्ता गया राजधानी की सेवा चाहते हैं। यहां अनेक राजधानी गाड़ियां हैं। हावड़ा से एक राजधानी पहले ही वापस ली जा चुकी है। इसलिए यह बेहतर होगा कि हावड़ा से दिल्ली बरास्ता गया के लिए सातों दिन राजधानी शुरू की जाए। इसे शुरू किया जाना चाहिए। मैं इसके लिए पुन: श्री नीतीश कुमार को बधाई देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कई माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है कि समय की कमी के कारण वे बोल नहीं पायेंगे, इसलिये उन्हें अपने भाषण सभा पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये। वे आसन की अनुमति से अपना भाषण सभा पटल पर रख सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनंतपुर) : माननीय सभापति महोदय, रेल बजट पर वाद-विवाद में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे तेलुगु में बोलने की अनुमति दी जाए।

*मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय रेलमंत्री द्वारा प्रस्तावित इस वर्ष के वार्षिक रेल बजट में यद्यपि राष्ट्र अथवा यातायात पर कोई अतिरिक्त भार नहीं लगाया है तथापि तेलुगु देशम पार्टी के माननीय सदस्यों और पार्टी के रूप में हम महसूस करते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। हमारा मत है कि इस बजट में हमारी उपेक्षा की गई है।

पिछले वर्ष आबंटन 770 करोड़ रुपये था जबकि इस वर्ष यह थोड़ा सा बढ़ा कर 820 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आमान परिवर्तन और दोहरीकरण वाली अनेक महत्वपूर्ण और आवश्यक परियोजनाओं को लिए अपेक्षित निधि आबंटित नहीं की गई है। बजट पत्र से यह स्पष्ट है। री चन्द्रबाबू नायडू के सक्षम और सक्रिय नेतृत्व में राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। राज्य ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति देखी है। राज्य में हो रही प्रगति को नजरअंदाज करते हुए रेलवे ने पर्याप्त आबंटन नहीं किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह वहां हो रहे विकास के अनुकूल नहीं है। रेलवे ने केवल नाममात्र का आबंटन किया है। हमें आशा है कि रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाएगा। लेनिक उसने ऐसा नहीं किया।

*मूलत: तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, रायलसीमा क्षेत्र, जो हमारे राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, के साथ घोर अन्याय किया गया है। गुंटाकल रेल डिविजन रायलसीमा में है। वर्ष 1997 में होस्पेट-रेनुगुंटा लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। वह धनराशि न तो खर्च की गई बल्कि इस बजट में इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि भी प्रदान नहीं की गई। महोदय, इसी तरह कालुर-गुंटाकल आमान परिवर्तन के लिए कुछ वर्ष पूर्व 40 करोड़ रुपये दिए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष के लिए भी आबंटन केवल 1 लाख रुपये है। यह हास्यापद है। रेल मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जब वे अनंतपुर और पुट्टापार्थी के दौरे पर थे तब उन्होंने रायलसीमा क्षेत्र में लोगों को आश्वासन दिया था कि पक्कला-धर्मावरम में शीघ्र ही आमान परिवर्तन शुरू होगा। इस बजट में उनके अपने मंत्री के आश्वासन की उपेक्षा की गई है। इस प्रयोजनार्थ आबंटित 1 करोड़ रुपये की राशि सर्वेक्षण के खर्च तथा कर्मचारियों के वेतन के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे बताएं कि 227 कि०मी० लम्बी पक्कला और धर्मवरम लाइन के बीच आमान परिवर्तन की लागत को पुरा करने हेतु यह 1 करोड़ रुपये किस तरह पर्याप्त होगा। मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि इस वर्ष मात्र 1 लाख रुपये आबंटित करना तथा 76 कि०मी० लम्बी कालुर-धर्मवरम लाइन से संबंधित आमान परिवर्तन के लिए पिछले वर्ष इसी तरह का उपबंध किस तरह से उचित है। बालापाली-पुल्लमपेट चरण-I कार्य के लिए इस वर्ष 40 करोड़ रुपये आबंटित किए गए है। चालू वर्ष में होसपेट-गुंटाकल लाइन के लिए 35 करोड रुपये आबंटित किए गए हैं। गुट्टी-रेनूगुंटा के एक भाग पर दोहरीकरण कार्य के लिए 40 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व 165 करोड़ रुपये की लागत वाली नांदयाल-येरनगुंटला परियोजना के संबंध प्रस्ताव भेजे गए थे। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस वर्ष की इस परियोजना के लिए केवल 5 करोड़ रुपये का आबंटन मिला। यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है लेकिन फिर भी नाममात्र का आबंटन मिल रहा है।

महोदय, हम आंध्र प्रदेश के लिए 5 नई रेलगाड़ियां शुरू करने का स्वागत करते हैं। चार अन्य नई रेलगाड़ियां आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। हमें इसकी खुशी है। लेकिन तिरूपति को शिरडी बरास्ता पुट्टापार्थी से जोड़ने की हमारी निरंतर मांग को इस वर्ष भी रेल मंत्री ने पूरा नहीं किया गया। यह प्रस्ताव पिछले अनेक वर्षों से लंबित पड़ा है। लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी तरह गुंटाकुल और मैसूर के बीच रेलगाड़ी चलाने के लिए हम मांग करते रहे हैं। इस बार भी इस मांग की उपेक्षा की गई है। मुझे आशा और विश्वास है कि अब कम से कम इन सार्वजनिक मांगों पर ध्यान दिया जाएगा।

पहले एक सप्ताह में वरास्ता गुंटाकल जाने वाली कम से कम 10 रेलगाड़ियां होती थी। लेकिन कोंकण रेलवे के अस्तित्व में आने के बाद शायद ही कोई रेलगाड़ी गुंटाकल हो कर जाती है। इस क्षेत्र में काम करने वाले हजारों केरलवासी काफी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक रेलगाड़ी तो बरास्ता गुंटाकल चलायी जानी चाहिए। काफी लम्बे समय से रेल मंत्रालय ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। मेरा आग्रह है कि केरल के इस मंडल को कम से कम एक रेलगाड़ी तो दी ही जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस वर्ष के रेल बजट में गुंटाकल रेलवे मण्डल की उपेक्षा की गई है। मैं उन लोगों में से एक हूं जो ऐसा विश्वास करते हैं कि भारतीय रेलवे सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती या जोड़ती है। यह लोगों को परस्पर मिलाती है और राष्ट्र को जोड़ती है। ऐसे संगठन को दृष्टांत रूप में कार्य करना चाहिए। इस संगठन को भाषागत और क्षेत्रीयता की भावना से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा, बेहतर प्रशासन और कुशल प्रबन्धन के लिए रेलवे को विभिन्न जोनों में बांटा गया है। दुर्भाग्य से हाल ही में जारी किये गए आदेशों में ऐसा दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित नहीं होता। महोदय, नदियां और रेलवे जिन भी राज्यों से होकर गुजरती है वहां सद्भावना और सोहार्द का संदेश देना चाहिये क्योंकि ये विभिन्न राज्यों को परस्पर जोड़ती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम इस सद्विचार के बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां देख रहे हैं। विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जल पर विवाद अब नित्य का कार्य सा बन गया है। दुर्भाग्य से पिछले महीने की 14 तारीख को जारी किये गये आदेशों से भी हमें ऐसा महसूस होता है कि रेलवे भी देश में वैमनस्य और मतभेद की भावना फैला रही है। रेलवे को राज्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे राज्यों में एक-दूसरे के प्रति दुर्भावना या झगड़ा हो। इसके कार्यों से राज्यों के बीच फसाद नहीं होना चाहिए। गुंटाकल रेलवे मंडल देश के सबसे पुराने मंडलो में से एक है। 1996 से यह दक्षिण मध्य रेलवे का भाग है। यह कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के बीच सांस्कृतिक और सद्भावना के वर्षों पुराने विद्यमान संबंधों का प्रतीक है।

ऐसे समय में जबकि इस क्षेत्र में रूचि लेने वालों के सहयोग से यहां प्रगति के चिह्न दिखाई देने लगें तभी रेलवे ने हॉसपेट-बेलारी रेलवे लाईन का 65 कि०मी०; दोर्णकल और रंजीतपुर के बीच 23 कि०मी०; बेलारी और रायदुर्ग के बीच के 54 किमी० तथा गुंटाकल और बेलारी के बीच के 49 कि०मी० के खण्ड को हुबली मण्डल में जोड़ने के आदेश जारी कर दिये। लोग उग्रता से इस विलय का विरोध कर रहे हैं। लोग इस पर आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं। वे इस पर चार बार रेल रोको आंदोलन कर चुके हैं। यहां तक कि कल भी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इस विलय का

[श्री कालवा श्रीनिवासुल]

विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। आज भी इस विलय के विरोध में 'रेल रोको' आंदोलन का प्रस्ताव था। रेल मंत्रालय विभिन्न राज्यों के बीच भाई चारे को बढ़ावा देने के बजाए पड़ोसी राज्यों में वैमनस्य और विरोध बढ़ाने वाले निर्णय ले रहा है। यदि आप सद्‌भावना पैदा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं किन्तु राज्यों के बीच दुर्भावना के बीज तो न बोएं। गुंटाकल मंडल के कतिपय भागों को हुबली मंडल में विलय करने से राज्यों के बीच कड़वाहट भरा तनाव होगा। इससे राज्यों के बीच संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए रेलवे मंत्रालय को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। मंत्रालय को यह मेरी चेतावनी है और मैं माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि वे विलय के इस आदेश को तुरन्त वापिस लें।

महोदय, रेल मंत्रालय के नीतिनिर्माताओं ने इस वर्ष भी वाल्टेयर मंडल की उपेक्षा की है। आन्ध्र प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर विशाखापत्तनम है। रेलवे की सुविधाएं न होने कारण इसकी प्रगति में रूकावट आयी है। यहां तक कि राजस्व अर्जन की दृष्टि से यह नम्बर दो पर है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसे टर्मिनल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। मेरी माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि विशाखापत्तनम-चेन्नई ओवरनाइट एक्सप्रैस को सप्ताह में कम से कम चार बार चलाया जाए। आर्थिक रूप से पिछड़े रायलसीमा क्षेत्र को और अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। आदिलाबाद और नागपुर के बीच आधुनिकीकरण का कार्य पहले ही प्रारम्भ हो चुका है। इस मार्ग पर शीघ्रातिशीघ्र एक यात्री गाड़ी शुरू की जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने ऐसाकरने का वायदा भी किया था जो कि उनके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से गुट्टी और आदिलाबाद में ऊपरिपुलों के निर्माण कराये जाने का भी आग्रह करता हूं।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी से गुंटाकल मंडल के साथ हुए अन्याय को दूर करने का पुरजोर आग्रह करता हूं। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि इस मंडल और रायलसीमा के साथ न्याय करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाएंगे। अन्यथा मुझे डर है कि वहां स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और मंत्रालय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

मुझे पूरी आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे द्वारा उठायी गयी समस्याओं के हल की ओर ध्यान देंगे।

महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, मैं कोलकाता के सर्कुलर रेलवे के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 7.94 करोड़ रुपये दिये जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, इसमें बागबाजार रेलवे स्टेशन से प्रिंसेपघाट रेलवे स्टेशन तक का क्षेत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित है। मजेरहाट तक सर्कुलर रेल के विस्तार का कार्य जितना जल्दी हो सके किया जाना चाहिए।

यथोचित सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ छहों सर्कुलर रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाना चाहिए। कोलकाता का मेट्रो रेलवे सारे विश्व की एक प्रतिष्ठित रेलवे प्रणाली है। लेकिन सर्कुलर रेलवे इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति में है। इसका कोई अवसंरचनात्मक ढांचा, राजस्व अर्जन नहीं है और न ही यात्रियों का इसके प्रति कोई आकर्षण है।

कोलकाता में सर्कुलर रेलवे का संचालन यहां बहने वाली गंगा नदी के लगभग समांतर किया जाता है। गंगा नदी के किनारों के सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया भी चल रही है। इस अवसर पर यदि सर्कुलर रेलवे प्राधिकरण भी सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम हाथ में लेता है तो पर्यटकों को आकर्षित करने तथा उपरोक्त विचार के मद्देनज़र यह मील का पत्थर सिद्ध होगा। मैं आशा करता हूं कि सुर्कलर रेलवे के सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम शीघ्र ही किया जाएगा और संबंधित प्राधिकरण को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये जाएंगे।

रेल मंत्री जी बागबाजार से प्रिंसेपघाट तक के मार्ग के सौंदर्यीकरण की परियोजना का निरीक्षण करने के लिए, यहां की यात्रा कर सकते हैं। आवश्यक बजटीय सहायता से पश्चिम बंगाल की सभी लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद) : सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से रेल बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। नीतीश जी ने रेलवे बजट बहुत अच्छा पेश किया, इसमें किसी भी पार्टी का कोई विरोध नहीं है। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बहुत सारी रियायतें दी हीं जिनमें 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को किराए में छूट, बीमारों को ले जाने में किराए में छूट, पत्रकारों को छूट, पैट्रोलियम पदार्थों और बहुत सारी चीजों के मालभाड़े में वृद्धि न करना, बहुत सी नई गाड़ियों का आना-जाना प्रारम्भ करना और दूरी बढ़ाना, समाचारपत्रों के भाड़े में कमी के साथ-साथ अपने पत्रकारों की भी मदद की है।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मेरी समझ में आई वह यह है कि मंत्री जी ने रेल बजट में घोषणा की है कि जम्मू-कश्मीर को

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। मैं रेल मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। बन्दरगाहों को जोड़ने के लिए जिन चार बड़े पुलों के निर्माण की बात मंत्री जी ने कही है, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में ऐसी बात नहीं तो नहीं है कि आगे अक्तूबर एवं नवम्बर माह में पांच बड़े प्रान्तों में चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए यह रेल बजट लुभावना प्रस्तुत किया गया है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पांच बड़े राज्यों में चुनाव के बाद पूरक बजट में रेलों में जो छूट दी गई है वह समाप्त न कर दी जाए। मुझे यह भी आभास होता है कि अनुपूरक बजट अगली बार कोई दूसरी ही सरकार प्रस्तुत करेगी।

सभापति महोदय, मंत्री जी ने रेल बजट में नए संसाधन जुटाने की बात कही है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि संसाधन जुटाए कैसे जाएंगे और कहां से उनकी व्यवस्था की जाएगी। सभी जानते हैं कि रेलों के आधुनिकीकरण की महति आवश्यकता है। हमारे जो पुल पुराने हो गए हैं, जिसके कारण स्यालदाह राजधानी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सी रेल लाइनें ऐसी हैं जो 100 और 150 साल पुरानी हैं, बहुत से ऐसे डिब्बे हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वे परिचालन में है।

महोदय, मैंने पूरे बजट पर गौर किया है, डिब्बों के सुदृढ़ीकरण या नए बनाने की व्यवस्था रेल बजट में कहीं भी प्रस्तावित नहीं है जबकि उन्हें प्राथमिकता दी जानी चहिए। हमें अपने रेल यात्रियों को सुरक्षा देने की जो व्यवस्था करनी चाहिए, वह नहीं की है। यदि लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो रेलें कैसे सुरक्षित होंगी। जैसा हम गत दो वर्षों देखते चले आ रहे हैं कि बार-बार दुर्घटनाएं हुई हैं। इससे रेल मंत्रालय की क्षति के साथ उनकी गुणवत्ता के ऊपर भी निशान लगा है। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और सुरक्षा के लिए आपने प्रयास भी किए हैं। जैसा आपने बजट प्रस्तावों में बताया है कि 3500 नए कांस्टेबलों की भर्ती आप करेंगे। प्रधान मंत्री जी ने भी आपको इस हेतु रुपए देने की बात कही है। दूसरे अपने देश में ही एंटी कोलीजन डिवाइस, जिससे दुर्घटनाएं रोकी जा सकें, उन्हें बनाने की भी व्यवस्था की है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिनकी आधुनिकीकरण के तहत जरूरत है। आज डीजल की भी कमी होती जा रही है, बिजली की देश में पहले से ही कमी है, इसलिए आवश्यक हो गया है कि जितना विद्युतीकरण हो सके, जितनी सिग्नल व्यवस्था और अच्छी हो सके, उतना ही रेल का खर्च कम होगा और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। मैं यहां कुछ ऐसी बातें आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उनमें थोड़ी प्राथमिकता के आधार पर, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर गौर कर लेंगे तो अच्छा होगा।

किन्हीं अच्छी गाड़ियों में आपने खाने और बिस्तर की व्यवस्था प्राइवेट सैक्टर में दी है। निश्चित ही उसकी गुणवत्ता सुधरी है और लोगों को यह आभास हुआ है कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि यदि सफाई की व्यवस्था भी प्राइवेट सैक्टर में दे दी जाये तो आप निश्चित मानिये कि हमारी रेलगाड़ियों में और हमारे प्लेटफार्म ज्यादा साफ-सुथरे और ज्यादा अच्छे रह सकेंगे।

साथ-साथ जो मैं महसूस करता हूं कि गर्मी आने वाली है। रेलवे प्लेटफार्म के ऊपर पीने के पानी की सही व्यवस्था नहीं है। पानी के नल टूटे हुए हैं और जो पानी आता भी है, वह भी कहीं न कहीं से संक्रमित होता है। लोग बीमारी अपने साथ घर ले जाते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कोई ऐसा कदम उठायें ताकि लोगों को पीने को शुद्ध पानी मिल सके।

जहां तक किराये भाड़ी की बात है, यह तो बहुत अच्छा लगा कि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में ए०सी० फर्स्ट क्लास, सैकेण्ड क्लास और थ्री टायर में आपने किराया कम किया। क्या ही अच्छा होता कि इसमें किराया थोड़ा बढ़ा दिया होता और सैकिण्ड क्लास पर किराया थोड़ा कम कर दिया होता तो आपकी वाहवाही होती और दोबारा सरकार में आने की आपकी स्थिति होती। ए०सी० फर्स्ट क्लास में अगर आप किराया 10-15 परसेंट बढ़ा भी देते तो किसी की जेब पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे लोग तो रुपया खर्च करना जानते हैं, तभी तो वे ए०सी० फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता यदि आप दो, चार या पांच परसेंट इसमें किराया बढ़ा देते और सैकिण्ड क्लास के सामान्य नागरिक को सस्ता सुलभ करा सकते। यह निश्चित ही उन गरीबों के लिए बहुत बड़ा कदम होता, इससे लोग आपको सराहेंगे भी।

दूसरी बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि रेलवे की जमीन पर पहले एक व्यवस्था थी, लेकिन आज एन्क्रोचमेंट्स दिनों-दिन कीमती जमीन पर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार की निगाह उस तरफ कम है। पिछले बजट में, मुझे याद है कि मंत्री जी ने कहा था कि इस जमीन पर कामर्शियल कॉम्प्लैक्स बनाकर इसका हम कामर्शियल यूज करेंगे। क्या किया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बजट में इस बारे में कोई चीज दिखाई नहीं दी, जिससे पता लगता कि आपने किस-किस महानगर में, कौन-कौन से सैक्टर्स में इस जमीन का व्यापारिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है कि आबादी बढ़ेगी तो एन्क्रोचमेंट्स बढ़ेंगे, लेकिन एन्क्रोचमेंट्स न हों, इसके लिए सरकार को अपनी पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए। जहां तक बहुत सारी कमेटियों ने रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए अपनी संस्तुति दी है, इस पूरे बजट में उसके आधुनिकीकरण की कहीं भी चर्चा नहीं है। अब अगर इसके आधुनिकीकरण की बात होगी तो उसके लिए क्या प्रावधान है, इसे हम जरूर जानना चाहेंगे? हालांकि मैं अभी तक समाचार-पत्र देख रहा था, शायद यह बजट इसलिए पेश किया गया, क्योंकि हमारे रेल मंत्री जी को यह आश्वासन मिल गया है कि यदि बीच में रुपये कम

[श्री चन्द्र भूषण सिंह]

पड़ेंगे तो बीच में प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया है कि आपको रुपये दे देंगे। यह अच्छी बात है कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए।

एक बहुत छोटी सी बात है, मैं रेल मंत्री के संज्ञान में लाना चाहूंगा। कुली एक ऐसा बेचारा मेहनतकश इंसान है, जिसके लिए इस बजट में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। कुली का पास दो महीने के लिए बनता है, क्या ही अच्छा हो कि उनकी कितनी छोटी सी बात है कि उनका पास एक साल के लिए बनने लगे।

अपराह्न 4.00 बजे

उनको हर दो महीने में अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए आप कुली का लाइसेंस एक साल के लिए कर दीजिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि नये-नये जोन्स बनते जा रहे हैं। मैं जिस जोन में रहता हूं वह बरेली जोन में आता है। उसका विभाजन हो गया। अब हमारा जोन घाटे में क्यों हैं? वहां अधिकारी सौ के सौ ही हैं जबकि कर्मचारियों की संख्या जो पहले डेढ़ हजार की थी, वह कम हो गयी है। अगर वहां अधिकारी जितने ही कर्मचारी होंगे तो वह जोन घाटे में नहीं होगा तो क्या फायदे में होगा? इस पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। मेरा निवेदन है कि इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि कर्मचारियों और अधिकारियों का जो संतुलन पहले था, उनके विभाजन के बाद भी वही संतुलन बना रहे।

मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो मेरी कांस्ट्रीटूएंसी और हमारे इलाके मध्य उत्तर से जुड़ी हुई हैं। कानपुर से फरूखाबाद का आमान परिवर्तन पिछले चार साल से हो रहा है। हर साल लालीपॉप दिखाकर हमें 26 करोड़ रुपये दे दिये जाते हैं जबकि यह योजना 330 करोड़ रुपये की है। आप देखिये कि 26 करोड़ रुपये देकर कितने दिन में वह योजना पूरी होगी। जब 300 करोड़ रुपये एक हजार करोड़ रुपये में पहुंच जायेगा तब वह योजना पूरी होगी। सारे रास्ते बंद हैं।

आज लखनऊ जाने के लिए हमें दो बार गाड़ी बदलनी पड़ती है तब मैं वहां पहुंच पाता हूं। मेरी रेल मंत्री जी से निवेदन है कि आप 26 करोड़ रुपये को कम से कम 50 करोड़ रुपये कर दीजिए। मैं ज्यादा मांग नहीं कर रहा हूं। जैसा कि अधिकारियों से बात हुई, यदि 50 करोड़ रुपेय दे दिये जायेंगे तो कानपुर से फरुखाबाद की रेल लाइन का आमान परिवर्तन अगले साल दिसम्बर, 2004 तक पूरा हो जाएगा।

दूसरा फरुखाबाद से दिल्ली के लिए एक ही एक्सप्रैस गाड़ी चलती है जिसका नाम कालंधरी है। उसमें खटमल, मच्छर वगैरह बहुत होते हैं क्योंकि उसमें कोई ए०सी० या फर्स्ट क्लास का डिब्बा नहीं है। चलिये उन्होंने हमें इस काबिल तो समझा कि पांच-छह डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाते हैं। यदि आप उसमें मालगाड़ी के डिब्बे भी लगा दें तब भी हम आयेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है। मैं आपसे कह-कहकर हार गया हूं, आप उसमें अच्छे डिब्बे नहीं लगायेंगे। आप देखिये कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। जब मिलिटरी का मूवमैंट होता है तब कालंधरी एक्प्रैस को बंद कर दिया गया। कोई भी संकट आया जैसे यमुना पर बाढ़ आई, जैसे कालंधरी एक्सप्रैस के गुजरने से ही वह पुल गिर जायेगा, सबसे पहले वही बंद कर दी जाती है क्योंकि वह लावारिस गाड़ी है। उसके बारे में कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मात्र एक गाड़ी है। इसके अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। मेरा आग्रह है कि मात्र एक गाड़ी उन आठ जिलों के बीच में है। जब कोई विशेष परिस्थिति हो तब आप जरूर उस गाड़ी को बंद कर सकते हैं। लेकिन यदि विशेष परिस्थिति न हो तो कृपया उस गाड़ी को बंद न किया जाये।

सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि पहले यह गाड़ी उधर से रात 10 बजे चलती है जबकि सुबह छह बजे दिल्ली आती है। अब आपने उधर से टाइम में परिवर्तन करके उसे दो घंटे लेट कर दिया है। अब वह गाड़ी रात साढ़े ग्यारह बजे चलती है और सुबह दस बजे तक पहुंचती है। इससे वहां के व्यवसायियों को बहुत दिक्कत होती है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि मात्र एक गाड़ी है। इसका आप दिल्ली से फरुखाबाद जाने का टाइम जो पहले 10.55 मिनट का था उसी को पुन: कर दिया जाये तो वह वहां सुबह सात बजे पहुंच जायेंगे।

मैं एक निवेदन और कहना चाहता हूं कि शिकोहाबाद और फरुखाबाद के बीच में ब्राडगेज का काम बाकी है। वह कम से कम 150 वर्ष पुराना है। आज उसमें 35 किलोमीटर से ज्यादा तेज गति में गाड़ी नहीं चलती। आप अंदाजा लगाइये कि 300 किलोमीटर की दूरी कालंधरी तय करती है, उतनी ही दूरी में वह मात्र 95 किलोमीटर की दूरी शिकोहाबाद से फरुखाबाद के लिए तय करती है। हालांकि उसमें काम शुरू हुआ है। उसमें स्लीपर और रेल लाइन बदलना शुरू हुआ है। मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप थोड़ी सी जल्दी कर देंगे तो वहां के यात्रियों को इसका लाभ हो जायेगा।

पिछले बजट में सुश्री ममता जी ने हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव के ऊपर बड़ी कृपा की थी। उन्होंने इटावा से मैनपुरी तक के लिए एक नयी रेल लाइन स्वीकृत की। मैनपुरी से शिकोहाबाद डबल लाइन की स्वीकृति प्रदान की थी। मुझे जानकारी है कि उसका सर्वे हो गया है और उसके एस्टीमेंट्स भी सबमिट हो गये हैं। मैं सरकार

से चाहूंगा कि उस काम को जल्दी से जल्दी करवाने के लिए आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और जल्दी बनवाने का आदेश दें।

[अनुवाद]

***डा० रंजीत कुमार पांजा** (बारासाट) : मैं माननीय रेल मंत्री का हब्ड़ा-चांदपाड़ा रेल लाईन के दोहरीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए और चांदपाड़ा-बोंगाटन रेल लाईन के दोहरीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए धन्यवाद करता हूं – यद्यपि अपेक्षित समयावधि में इस परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक धन से यह बहुत कम है।

मैं किसी परियोजना विशेष के लिए बजट में निधियों के आबंटन के संबंध में एक सूत्र का सुझाव देना चाहता हूं कि उस परियोजना के कुल अनुमानित बजट को अपेक्षित समयावधि से विभाजित कर दिया जाए। इससे परियोजना का निर्धारित समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित हो सकेगा, अन्यथा परियोजना के काफी लम्बे समय तक अधूरी पड़े रहने की सम्भावना रहती है, और उन परियोजनाओं को बंद करना पड़ता है जैसा कि पिछली बहुत सी अधूरी परियोजनाओं के बारे में करना पड़ा है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मध्यमग्राम में रेलेवे के ऊपरि पुल के लिए बजट में निधियों को स्वीकृति के लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला इतना ही अनुदान देने के लिए राज्य सरकार को कहा जाए। मुझे यह बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि मध्यमग्राम स्टेशन पर इस परियोजना की जो आधारशिला दो वर्ष पूर्व रखी गयी थी, कुछ समय से वह गायब है। इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की जांच की जानी चाहिए, दोषी व्यक्ति को ढूंढकर आधारशिला का पत्थर उचित जगह पर स्थापित किया जाना चाहिए।

जैसा कि पहले भी कई अवसरों पर मैंने यह बात कही है कि बोंगांव के बांगलादेश की सीमा पर स्थित होने को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का उन्नयन किया जाना चाहिए और इसे एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के लिए अनुपूरक बजट में अनुदान देने की व्यवस्था करें।

[हिन्दी]

***श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल** (दमन और दीव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री ने चुनावों की अंक गणित के अनुसार एक लुभावना परन्तु दिशाहीन बजट प्रस्तुत किया है। रेल किराए और माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जो कि निश्चय ही प्रशंसायोग्य है, अगर रेल मंत्री महोदय की मंशा सचमुच रेलयात्रियों को राहत पहुंचाने की है। परन्तु वर्ष 2001-2001 के बजट में भी रेल किराए में वृद्धि नहीं की गई थी; परन्तु कुछ ही महीनों बाद रेल किराए में वृद्धि कर दी गई थी। आशा करता हूं कि इस बार ऐसा नहीं होगा और रेल बजट को एक औपचारिकता की तरह ही नहीं लिया जायेगा।

इस बजट में रेलवे के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं अपने चुनाव क्षेत्र दमन और दीव का उल्लेख करना चाहूंगा। दमन, दीव तथा दादरा, नगर, हवेली, संघ शासित क्षेत्र सीधे केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं तथा दोनों क्षेत्र भारत के प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में आते हैं, जहां अन्य राज्यों से लाखों कामगार रोजगार के लिए आते हैं। परन्तु सबसे निराशा की बात यह है कि आज भी रेल सम्पर्क की दृष्टि से दमन दीव संघ शासित क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यह क्षेत्र रेल सम्पर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। दमन, दीव तथा दादरा, नगर हवेली संघ शासित क्षेत्रों के लिए वापी सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन है। वापी दक्षिण गुजरात का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। आय के मामले में सूरत के पश्चात यह सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन की प्रतिदिन की राजस्व प्राप्ति सात लाख रुपये के लगभग है। इसी कारण इस स्टेशन को ए ग्रेड सुपर स्टेशन घोषित किया गया है परन्तु जहां तक एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव का संबंध है, इस स्टेशन की स्थिति काफी खराब है यद्यपि यह स्टेशन महत्वपूर्ण स्थानों की समीपता के कारण काफी अहम स्थिति रखता है। इस स्टेशन से दमन 7 किलोमीटर, सिलवासा 11 किलोमीटर, महाराष्ट्र सीमा केवल 10 किलोमीटर है। इसके साथ-साथ यह चार संसदीय क्षेत्रों (बलसाड, दानू, सिलवास, दमन) से घिरा हुआ है। इन चारों संसदीय क्षेत्रों के उद्योगों में काम करने वाले लाखों कामगारों की सुविधा के लिए मैंने अनेक बार माननीय रेल मंत्री से कुछ गाड़ियों के वापी में ठहराव के लिए अनुरोध किया है, परंतु मेरे अनुरोध को आंशिक रूप से ही माना गया है, जिससे इन कामगारों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों के कामगारों की समस्या उसी प्रकार बनी हुई है। मैंने कुछ महीने पहले माननीय रेल मंत्री से दमन, दीव तथा दादरा, नगर हवेली में रहने वाले दक्षिण भारतीय लोगों की सुविधा के लिए दक्षिण की ओर जाने वाली (एक) नागरकॉयल-गांधीधाम एक्सप्रेस (6335 अप तथा 6336 डाऊन) (दो) त्रिवेन्द्रम-हप्पा एक्सप्रेस (6333 अप तथा 6334 डाऊन) (तीन) एरनाकुलम-आरेडा एक्सप्रेस (6337 अप तथा 6338 डाऊन) (चार) एरनाकुलम-जयपुर (भरूसागर) एक्सप्रेस (2977 अप तथा 2978 डाऊन) को वापी में ठहराव देने के लिए अनुरोध किया था। इनमें से केवल इरनाकुलम-जयपुर एक्सप्रेस (2977 अप तथा 2978 डाऊन) का ठहराव वापी में बनाया गया है, जिससे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल]

दक्षिणी राज्यों के लोगों की समस्या पूर्ववत बनी हुई है, क्योंकि यह गाड़ी केवल कोचीन तक जाती है और वापी में यात्रि 11.00 बजे पहुंचती है। इसके अतिरिक्त ये सभी गाड़ियां सप्ताह में केवल एक ही बार चलती हैं और इनका वापी में 3-4 मिनट का ठहराव इनके प्रचालन में कोई समस्या पैदा नहीं करेगा जबकि दूसरी ओर इससे दक्षिणी राज्यों के लाखों यात्रियों को होने वाली कठिनाई का निवारण हो सकेगा। इसी प्रकार कुछ गाड़ियां अप रूट पर रूकती है, पर डाऊन रूट पर नहीं रूकती। इससे यात्रियों को असुविधा होती है। इसलिए (5 डाऊन 6 अप) सौराष्ट्र मेल तथा (17 डाऊन 18 अप) सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस को अप तथा डाऊन दोनों रूटों पर वापी में ठहराव दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों को भी वापी स्टेशन से रेल यात्रा में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए मुम्बई (बान्द्रा) और लखनऊ (फैजाबाद) के बीच चलने वाली 5064 अवध एक्सप्रेस को वापी में ठहराव दिया जाना चाहिए। बलासाड-अहमदाबाद के बीच चलने वाली गुजरात क्वीन और इंटर सिटी को वापी तक बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने आरम्भ में कहा था, इस बजट में रेलवे के संतुलित विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। रेल नेटवर्क की दृष्टि से पिछड़े राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। दमन, दीव एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र होने के बावजूद रेल सम्पर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए वापी और दमन के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण करवाने का अनुरोध मैं माननीय रेल मंत्री से करता हूं।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री महोदय पूर्व की भांति मेरे निवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, ताकि लाखों लोगों, विशेषकर अन्य राज्यों से आये हुए कामगारों की तकलीफ दूर हो सके।

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : सभापति जी, मुझे रेलवे बजट पर वक्तव्य देने के लिए शिव सेना की ओर से मौका दिया गया है, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं और रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों का हित सामने रखकर अच्छी तरह से यह बजट रखा है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं यह कहूंगा कि बजट में क्या खामियां हैं। यह बजट आम आदमी के लिए कितना हितकारक है, इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। मैं ऐसा समझने वाला आदमी हूं कि जिस स्टेट का लाभ हुआ, वहां के लोग खुश रहेंगे और जिस सांसद को लाभ हुआ है, वह खुश रहेंगे लेकिन जिसका लाभ नहीं हुआ, वह नाखुश रहेगा। लेकिन मैं इस बजट से खुश भी नहीं हूं और नाखुश भी नहीं हूं लेकिन रेल के बारे में मैं चिंतित हूं। उसका कारण यह है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, वह नासिक शहर है। यह नासिक शहर देश में पहले नम्बर का शहर है जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में यह शहर सैन्ट्रली सिचुएटेड शहर है और मुम्बई से 200 कि०मी०, पूना से 200 कि०मी० और गुजरात से 100 कि०मी० दूर है। इसीलिए इसे पुरातन में दक्षिण काशी कहा करते थे और आज यह इंडस्ट्रियल शहर के रूप में मशहूर हो रहा है। इतना ही नहीं, वहां राम मन्दिर है और तपोवन है। इस शहर में अभी 31 जुलाई 2003 से 27 अगस्त, 2004 तक कुम्भ मेला होने जा रहा है। उसमें लाखों की तादाद में साधु-संत आने वाले हैं। ढ़ाई करोड़ से तीन करोड़ तक यात्री आने वाले हैं। इसीलिए मैं इस पर चिंता व्यक्त करने वाला हूं। नासिक शहर में जितने रेलवे स्थान हैं, मैंने उनका परीक्षण किया और वहां के लोगों से बात की और उनसे पूछा कि वहां क्या खामियां हैं लेकिन जिस नासिक रोड के बारे में मैंने बात की, उसमें मैंने यह पाया कि उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है। इस शहर का 35 साल पहले मैं कॉरपोरेटर था। उसके बाद 27 साल का जब मैं था तब मैं उस नगरी का महापौर था। मैंने कई खत लिखे पर निराशा ही निराशा मेरे मन में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि मेरी पहली मांग यह है कि जो नासिक रोड वाला स्थान है, उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। उसके नजदीक चार कि०मी० पर एक स्थान ओढ़ा है, उसमें भी बदलाव करना चाहिए। उसकी मरम्मत करनी चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि नासिक शहर जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र में चौथे स्थान पर है और पूरे देश के अनुसार 26वें स्थान पर है। इस शहर की आबादी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए कुम्भ मेले को ध्यान में रखते हुए नासिक रोड, ओढ़ा, निफाड़ और लासल गांव आदि स्थानों पर रेलवे विभाग को सुविधाओं के बारे में ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात, नासिक से मुम्बई लोगों को व्यापार और नौकरी आदि के लिए सफर करना पड़ता है। मैं फर्स्ट क्लास में सफर न करके सैकेंड क्लास में सफर करता हूं, जिससे वहां के लोगों की परेशानियों को समझ सकूं। चर्चा के दौरान उनकी कठिनाइयों के बारे में भी पता चलता है। वे कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन उनकी उनके बच्चों से बातचीत होती है। कारण यह कि वे सुबह छः बजे रोजगार के लिए निकलते हैं और रात 11-12 बजे वापिस आते हैं। सुबह आते हुए बच्चे सो रहे होते हैं और रात को जब वे वापिस आते हैं, तो भी बच्चे सो रहे होते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि नासिक से मुम्बई तक एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिल सके।

तीसरी बात-पूना से नासिक और नासिक से सूरत तक विभाग द्वारा सर्वे किया गया है। मैं चाहता हूं कि उस लाइन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा बजट का प्रावधान किया जाए। यदि यह व्यवस्था की

जाती है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा। ऐसा मेरा दावा है। महोदय, नासिक को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में शुगरकेन, अंगूर, प्याज आदि चीजें अधिकता से पैदा होती हैं। किसानों की समस्या यह है कि उनको उत्पादन को भेजने के लिए रेल बोगियां उपलब्ध नहीं होती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने रेल भाड़े में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि प्याज के उत्पादन की अधिकता को देखते हुए, सुविधायें देने के बारे में आपको विचार करना चाहिए। किसान ऐसा महसूस करते हैं कि जितना किराया रेल द्वारा देना पड़ता है, उससे अच्छा यह है कि ट्रक के द्वारा सामान भेजा जाए। इस ओर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक जनता शताब्दी का प्रश्न है, मेरा सुझाव है कि औरंगाबाद, धुलिया और अहमदनगर आदि स्थानों के लिए सरकार के जनता एक्सेप्रैस गाड़ियां चलाने के बारे में ध्यान देना चाहिए।

महाराष्ट्र के सांसदों ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर जो मांगे रखी हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं। उनकी मांग है कि मनमाड़-धुलिया, शिवपुर-इंदौर, दाहनुनासिक-मुद्खेड, निजामाबाद-पूर्णा और खांडवा-नांदेड़ डिविजन्स को सैंट्रल रेलवे से कनैक्ट किया जाए। सांसदों की इस मांग पर विचार होना जरूरी है।

32 लम्बी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां नासिक से जाती है। वे भुसावल मनमाड़ से आती हैं लेकिन इन 32 गाड़ियों में से केवल 10 गाड़ियां नासिक में रुकती हैं। 22 गाड़ियां वहां रुकती नहीं हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि गीतांजलि और मंगला एक्सप्रेस गाड़ियों को आपने नासिक में स्टॉपेज दिया लेनिक वहां आरक्षण की कोई सुविधा नहीं दी। इसके लिए यात्रियों को दिल्ली और मुम्बई जाना पड़ता है। आरक्षण की सुविधा नासिक में होनी चाहिए। मैंने जो मांगें आपके सामने रखी हैं, वे तुरन्त पूरी होनी चाहिए।

अंत में आपने बोलने का जो अवसर दिया, उस के लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि माननीय रेलमंत्री जी यहां उपस्थित क्यों नहीं है? यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है, कैबिनेट मंत्री महोदय को यहां उपस्थित होना चाहिए *(व्यवधान)*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : मैं नोट्स ले रहा हूं, वह राज्यसभा में है।

श्रीमती श्यामा सिंह : ठीक है, आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय : वे नोट्स ले रहे हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदया, आपका धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी मेरे राज्य से ही आते हैं और मैं चाहती थी कि वे यहां उपस्थित होते तो अच्छा होता। क्योंकि मैं उन्हें बेहतरतरीके से कह पाती उनकी प्रशंसा या अस्वीकृति, जो भी हो, के लिए सभी मुद्दे उनके सामने रख दिये गए थे।

रेलवे एक विस्तृत और व्यापक विषय है तथा 10 या 20 मिनट की अवधि में रेलवे बजट पर संक्षिप्त में विचार रखना न तो इस विषय के साथ ही न्याय कर पाने न ही रेलवे की मूल समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने के लिए पर्याप्त होगा।

प्रारम्भ में ही मैं कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि यह बजट चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पिछले सप्ताह ही कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं और इस वर्ष के अंत में भी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अतः मैं इसे जनता को लुभाने वाला बजट कहूंगी। इसमें कुछ भी महान या बड़ी बात नहीं है और यह सदन में बजट प्रस्तुत करने का एक पुराना तरीका है। मैं महसूस करती हूं कि रेलवे की उपलब्धियों का वर्ष-दर-वर्ष ब्यौरा देने, और रेलवे की गहन संवीक्षा करने के बजाए यह अच्छा होता यदि रेल मंत्रालय हमें रेलवे की कतिपय समस्याओं के समाधान के बारे में बताता और इन समस्याओं से दीर्घावधि में निपटाने के उपायों के बारे में बताता। एक तरफ तो नीतीश जी हमें बताते हैं — नहीं हमें बताया नहीं जाता बल्कि हमें पता चलता है कि यात्री किराये और मालभाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

शुल्क में वृद्धि न करने के इस मुद्दे पर उनकी प्रशंसा करते हुए मैं मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि दसवीं योजना, जोकि 2002-2007 तक है की विकास परियोजनाओं के लिए वे आन्तरिक संसाधन कहां से जुटाएंगे। उन्हें हमें इसका ब्यौरा और इस समस्या का विश्लेषण व दीर्घावधि हल भी बताना चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी इसे व्यक्त करें।

वर्ष 1985 के दौरान, जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और श्री माधवराव सिंधिया रेल मंत्रालय संभाल रहे थे तो हमें किसी निगम योजना के बारे में पता लगा था जिसमें रेलवे के लिए अगले 15 वर्षों की योजना बनाई गई थी। यह अवधि उनके कार्यकाल 1985 से आरंभ होकर अगले 15 वर्षों तक चलनी थी। क्या सरकार रेलवे को एक बेहतर दिशा देने के लिए उस निगम योजना को पुर्नरूज्जीवित करने पर विचार करेगी।

हम 'यात्री सुविधा वर्ष' की सुन्दर घोषणाएं सुनते आ रहे हैं। क्या इस कार्यक्रम के लिए योजना बनाई गई है? यदि बनाई गई है तो वह योजना क्या है? क्या संसद को भी उसकी जानकारी मिलेगी? क्या वे पत्र सभा पटल पर रखे जा सकते हैं जिससे कि हम भी

[श्रीमती श्यामा सिंह]

उन सुविधाओं के बारे में जान सकें जो एक आम आदमी को मिलने जा रही हैं? या फिर ऐसा है कि सरकार इस घोषणा को करने के बाद एक योजना बनाने वाली है? क्या यह बीते हुए 11 महीनों की है या आने वाले 11 महीनों की? यह एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

मैं इस बजट के वित्तीय संसाधनों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह निश्चित रूप से खतरे में हैं। रेलवे को अब जोखिम की श्रेणी में रख दिया गया है। उदाहरणार्थ, यात्री भाड़ें को बनाए रखने का उल्लेख है और माल भाड़ा दरों में अत्यधिक वृद्धि की गई है और अन्य बातें भी हैं। दो बातें कैसे समानार्थी हो सकती हैं? वस्तुत: श्री नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में यह बहुत ही अपमानजनक बात कही है कि यात्री भाड़े की पूर्ति मालभाड़े से की जा रही है। आरंभ में यह आंकड़ा 515 मिलियन टन का था और इसमें 540 मिलियन टन तक की वृद्धि की उम्मीद थी। आप इस भारी अंतर को एक कलैन्डर वर्ष में कैसे पूरा करने जा रहे हैं?

महोदय, मेरे पास मंत्री जी को देने के लिए बहुत से अच्छे सुझाव हैं और मुझे उन्हें बताकर बहुत अच्छा लगता परंतु समय की कमी के कारण मैं केवल एक विशेष प्रश्न ही पूछुंगा। मूल्यह्रास रक्षित कोष नाम की एक चीज है। मुझे विश्वास था कि यह निधि पुरानी परियोजनाओं या संकट की स्थिति में उपयोग करने हेतु बना है लेकिन मुझे बताया गया है कि इस मूल्यह्रास निधि से रेल बजट के घाटे को पूरा किया जा रहा है। यह ठीक बात नहीं है। यह निधि पूर्णतया पुरानी हो रही परियोजनाओं के लिए है और यदि हम इस क्षेत्र की उपेक्षा करेंगे तो हम यात्रियों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे करेंगे? दोनों चीजें एक दूसरे से सम्बद्ध हैं।

अब मैं कुछ सुझावों पर आऊंगा मैं सरकार को प्रत्येक बात के लिए दोष नहीं देना चाहता। वस्तुत: मैं माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करना और उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि वे अन्तत: बिहार को ताप विद्युत के क्षेत्र में समृद्ध करने के बार-बार दिए गए सुझाव से सहमत हुए वर्ष 1989 से लंबित परियोजना, जोकि वहां श्री राजीव गांधी के समय से थी, को आखिकार कार्यान्वित किया गया। रेलवे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बनने वाले सुपर ताप विद्युत स्टेशन से 1000 मेगा वाट विद्युत खरीदने का अनुग्रह किया है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और मंत्रालय को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

अन्तत: मेरे कुछ सकारात्मक सुझाव हैं और यदि माननीय मंत्री जी उनपर ध्यान देंगे तो उन्हें लाभ होगा। रेलवे को सस्ती शाखा लाइनें चलाने, उपनगरीय सेवाओं, रेल विभाग के लोगों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां चलाने आदि के सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने पर कुछ व्यय करना पड़ता है। यह वर्ष 1993-94 के 2800 करोड़ रुपये से लगातार बढ़ते हुए 2000-01 में लगभग 5120 करोड़ रुपये हो चुका है। इसके अलावा यात्री भाड़े को कम रखने के कारण लागत आगम गत आठ वर्षों में 15 प्रतिशत बढ़ गया है जबकि भाड़े में केवल नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अत: रेलवे लगातार किराया बढ़ा रहा है। इसके परिणामस्वरूप निकट भविष्य में जर्मनी से मुम्बई तक इस्पात आयात करना टाटा नगर से इस्पात मंगाने से नहीं सस्ता पड़ेगा। अत: लोग मालभाड़े के लिए रेल लाइनों का उपयोग नहीं करे रहे हैं। वे शायद स्वर्ण चतुर्भु का उपयोग करेंगे जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुग्रह पूर्वक स्थापित किया है। अब जिन छोटी और लंबी दूरियों के लिए रेलवे जो कार्य करना था उनके लिए यह स्वर्ण चतुर्भुज कार्य करेगा। अत: यह एक गंभीर मामला है। जब जब आप यात्री भाड़े में कमी करते हुए अपने माल भाड़े पर निर्भर होने का विचार कर रहे हैं तो आप इस अंतर को कैसे पूरा करेंगे? जैसा कि आपने कहा कि यात्रियां की संख्या भी सुरक्षा कारणों से कम होने जा रही है। यदि आपका भाड़ा भी कम हो रहा है तो फिर आप इन दोनों चीजों को कैसे चलाऐंगे? इसलिए यदि मंत्री जी और रेल विभाग इस देश में रेलवे को एक वैकल्पिक व्यवहार्य साधन के रूप में बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें कुछ गंभीर प्रयास लागू करने होंगे।

अपराह्न 4.26 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा भी वित्त पोषण में कमी आई है। पहले कुल बजट में योजना बजट के लिए लगभग 15 प्रतिशत आबंटन हुआ था जो कि अब दसवीं योजना में घटकर 8 प्रतिशत — एक अंक में — रह गया है। अत: सरकार को रेलवे को एक बेहतर समर्थन प्रणाली देने पर विचार करना चाहिए। हम सब इसकी मांग कर सकते हैं। हमारे पास अन्य ऐसे निजी सामान हें जो रेलवे की जीवन क्षमता को खा रहे हैं। अत: हम और बेहतर धन आवंटन की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं इस मुद्दे पर आपका समर्थन कर सकता हूं।

रेलवे को अपना राजस्व बढ़ाने हेतु कुछ गंभीर कदम उठाने पर विचार करना पड़ेगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है क्या सरकार रेलवे खान-पान विभाग, मेट्रो रेल डब्बे और इंजिन आदि के निर्माण कार्य जैसे मुख्य क्षेत्रों का निजीकरण करने का प्रयास करने पर विचार कर सकती है। वे निजी रेलें चलाने, भांडागारों का निर्माण और उपनगरीय सेवाओं के लिए निजी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकते हैं। इन क्षेत्रों का निजीकरण किया जा सकता है। यदि उनका निजीकरण किया जाता है तो वे बेहतर रूप से संचालित होंगे। श्री प्रभुनाथ सिंह मुझसे सहमत होंगे कि रसोई का जो सामान हमें मिल रहा है वह अच्छी किस्म

का नहीं है। भोजन, शुद्धजल और यहां तक कि शौचालय की जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं वे उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हम आशा करते हैं। यदि इसका निजीकरण कर दिया जाए तो हम एक बेहतर सौदे के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। वस्तुत: आम यात्रियों को लाभ होगा जैसा कि आप जानते हैं धनी लोग एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए हर हाल में वायु मार्ग का उपयोग करते हैं।

अब विश्व बैंक से ऋण लेना भी बहुत इच्छित वस्तु नहीं है क्योंकि आप पहले ही ऋण जाल में फंसे हुए हैं और विश्व बैंक भी अपने ब्याज के कारण उसमें अड़चन डालने जा रहा है। एक भारतीय रेल वित्त निगम है। अब उसमें से पैसा निकाला जा रहा है। लेकिन आप उसमें से कितना पैसा निकाल सकते हैं। यह त्रासदियों और मुआवजे आदि का भुगतान करने हेतु जैसी महत्वपूर्ण चीजों के लिए बनाया गया है। यह भी कोई व्यावहारिक तरीका नहीं है और मेरा सुझाव है कि निजीकरण पर एक बार विचार किया जा सकता है। उस सीमा तक वैगन योजना हेतु सुझाव दिए गए थे — बनाओ-रखो-लीज पर दो-हस्तांतरित करो — लेकिन रेलवे ने इन विदेशी कम्पनियों को उत्तर नहीं दिया। जब हम विनिवेश का विरोध करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि विनिवेश पूर्णतया बुरा है। जब हम सदन में विनिवेश पर बात करते हैं और कुछ विनिवेश प्रस्तावों को गिरा देते हैं, जो कि आप सभी ने किया है, तो हम भी उसे गिराने में भागीदार होते हैं, रेलवे के मामले में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विनवेश करना पड़ेगा।

महोदय, रेलवे के पास भारी संपत्ति है — यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद संसद में इसे उठाएं और इस पर एक पत्र भी प्रस्तुत करें — यह संपत्ति है देश भर में मूल्यवान भूमि। इस देश में रेलवे के पास लगभग 25,000 एकड़ भूमि है। अब, यदि रेलवे इस जमीन को दस वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दे दे तो उससे एक भारी धनराशि अर्जित होगी और उसका उपयोग रेल सेवाओं के आधुनिकीकरण में किया जा सकेगा। हमारे पास दिल्ली में ताज होटल के पीछे कुछ एकड़ भूमि बेकार पड़ी है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आस-पास कुछ एकड़ भूमि बेकार पड़ी है जिसपर कूड़े का ढेर लगा है। रेलवे इस भूमि का उपयोग वहां पर बहुमंजिली इमारतें बनाकर उन्हें ऐसे यात्रियों को किराए पर देने के लिए क्यों नहीं करता जो रात भर रूकना चाहते हैं या उसे कार्यालय के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाता। जिससे कि इस भूमि का उपयो हो सके। इस समय वे जमीनें उपयोगी होने के स्थान पर अनुपयोगी है। अत: मेरे विचार से यह एक अच्छा और व्यवहारिक सुझाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने छात्र होने के दिनों से ही रेलों में यात्रा करता रहा हूं और अभी भी मैं कभी-कभी रेलों से यात्रा करता रहता हूं और पाता हूं कि रेल की लाइनों का रख-रखाव नहीं हो रहा है और रेलवे इस भूमि का प्रभावी उपयोग नहीं कर रहा है। अत: मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि रेलवे को इस प्रतिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और विशेषकर दिल्ली में ताज होटल के सामने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में और उसके आस-पास उपलब्ध भूमि को उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत मूल्यवान भूमि है और रेलवे उनका उपयोग कर सकता है।

महोदय, रेलवे को विद्युत बोर्ड के कारण कुछ हजार करोड़ रुपये का घाटा होता रहा है। सरकार को इस विवाद में हस्तक्षेप करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनके द्वारा जिस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है वह रेलवे को वापस दिया जाए। मैं रेलवे और रेल बजट के लिए बोल रहा हूं। इसी प्रकार तेल और उर्जा की आवश्यकता है। रेलवे को जिस तेल की आवश्यकता है उसकी लागत लगभग 43 पैसे प्रति लीटर है, पर जो कुछ भी है, लेकिन सरकार रेलवे से उसे लिए 53 पैसे अधिक बसूलती है। अत: क्या यह संभव नहीं है कि रेलवे का अधिक विद्युत उत्पादन करने और अधिक विद्युत आपूर्ति पाने का अपना कोई तरीका या प्रणाली हो बजाय इसके कि वह इस तेल पर निर्भर रहे जो वह सरकार से दोगुने मूल्य पर खरीदती है और इसके कारण इसे घाटा होता है? रेलवे इस पहलू पर भी विचार कर सकती है।

महोदय, मेरा अगला बिन्दु रेलवे का आकार घटाने के बारे में है। रेलवे में लगभग 16 लाख कर्मचारी हैं और 12,000 करोड़ रुपये उनके वेतन पर व्यय किए जाते हैं। अब, इसकी संख्या घटाने का यह अर्थ है कि रेलवे-जैसा कि रेलवे की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है — अपने कर्मचारियों की संख्या 16 लाख से घटाकर 12 लाख करने जा रही है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने समूह 'घ' की श्रेणी में 20,000 नए लोगों को भर्ती करने का प्रस्ताव किया है, जैसा कि वे इसे कहते हैं। अब इन 16 लाख कर्मचारियों में से 40 प्रतिशत कोई उत्पादक कार्य नहीं कर रहे हैं। वे केवल बेकार बैठे हैं। रेलवे इन 40 प्रतिशत कर्मचारियों का उपयोग रेलवे द्वारा सात जोनों में सर्जित की गई रिक्तियों को भरने में कर सकती है। समूह 'घ' के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। रेलवे समूह 'ग' के कर्मचारियों का उपयोग विशेष प्रशिक्षकों के रूप में क्यों नहीं कर सकती और समूह 'घ' के इन कर्मचारियों को किन्ही अन्य कार्यों में क्यों नहीं लगा सकती जिससे कि उनका उत्पादक कार्यों में उपयोग हो सके व रेलवे जो धन व्यय कर रही है उसे किसी अन्य उत्पादक तरीके से व्यय किया जा सके?

महोदय, मैं अन्त में रेल सुरक्षा के अंतिम बिंदु पर आता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने बार-बार रेलवे की सुरक्षा के बारे में बात की है और यह बताया है कि वे किस प्रकार टक्कर-रोधी उपाय करने जा रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी अन्य देश में

[श्रीमती श्यामा सिंह]

इस सुरक्षा उपकरण ने काम किया है। यह बिल्कुल काम नहीं करता है। इसका पहले ही प्रयास हो चुका है। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि इस बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है वह वास्तविकता से दूर है क्योंकि वे एक वर्ष की छोटी सी अवधि में देश भर में 5,180 पुलों की मरम्मत कराने में सक्षम नहीं होंगे। अत: मंत्री जी हमें निश्चित रूप से यह बताएं कि वे इस कार्य योजना को कब पूरा करने जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है क्योंकि यात्री रोज-रोज नहीं मरते रह सकते। हमने आठ बड़ी दुर्घटनाएं सहन की हैं जिसमें 85 लोगों ने अपना जीवन और अपनी मूल्यवान सम्पत्ति खोई है। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि कृपया मंत्री जी हमें स्पष्ट रूप से यह बताएं कि वे देशभर में फैले इन पांच हजार से अधिक पुलों की मरम्मत का व्यय कैसे पूरा करेंगे। दूसरे कौन-से कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं? वे नए लोगों की भर्ती करने के स्थान पर रेलवे के पुराने 16 लाख कर्मचारियों में से ही यह कमी क्यों नहीं पूरी कर सकते?

तीसरे, पिछली बड़ी दुर्घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में औरंगाबाद नामक स्थान पर हुई थी। रात के बाहर बजे राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों के उन लोगों की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने रेलवे के कर्मचारियों द्वारा पीटे जाने और वहां से यह कहकर भगाए जाने के बावजूद कि वे यात्रियों के सामान की चोरी करने आए हैं, मृत व्यक्तियों के शवों को राजधानी एक्सप्रैस से बाहर निकालकर रखा और जीवित घायलों को अस्पतालों में भर्ती करने जैसा नेक कार्य किया। यह उस निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीणों की प्रशंसा है जो कि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। मैं माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि वे इन बहादुर ग्रामीणों की प्रशंसा में एक शब्द कहेंगे और जिसे वे रिकार्ड में रखेंगे। साथ ही यदि वे इतनी कृपा करें कि इन गांवों के लिए किसी विकास कार्य की घोषणा कर दें — उन्हें वेतन या काम देने की बात छोड़ भी दें, तो भी यदि वे यह घोषणा कर दें कि उनके गांवों को विकसित किया जाएगा तो मैं उनका बहुत आभारी हूंगा। मुझे यह अवसर देने हेतु आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा० जसवन्तसिंह यादव (अलवर) : धन्यवाद, अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरे एन०डी०ए० को और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 50 साल के अन्दर सबसे अच्छा बजटपेश किया, जो हर समाज को, विकास को और देश को आगे बढ़ाने वाला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को जोड़ने वाला है। *(व्यवधान)* यह पहली बार ऐतिहासिक काम होने जा रहा है।

यह बजट आम आदमी को राहत देने वाला, उद्योग को विकास देने वाला और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कुछ अच्छा बजट आता है और विपक्ष यह कहे कि यह चुनावी बजट है, यह चार-पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बनाया गया है तो इससे सिद्ध होता है कि विपक्ष ने यह माना है कि यह अति उत्तम बजट है, देश को राहत देने वाला बजट है, देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है और इस पर विपक्ष की भी मोहर लगती है। अभी भी जो चर्चा हो रही है *(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : हम लोग भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है, सराहनीय है, लेकिन जहां त्रुटियां हैं, उनको हम बता रहे हैं।

डा० जसवंतसिंह यादव : यह पहली बार किसी बजट पर चर्चा हो रही है और विपक्ष का सकारात्मक रुख है। विपक्ष यह तो कह रहा है कि बजट बहुत अच्छा है, पर उसमें अपनी राय दे रहा है कि कुछ और जोड़ दिया जाये। वह राय तो हम भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, पर अच्छा बजट मानते हैं, यह एक नया और अनूठा उदाहरण है कि विपक्ष ने सकारात्मक रुख अपनाया और सही को सही कहा, यह धन्यवाद की बात है। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके बाद मैं राजस्थान की जनता की तरफ से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आपने आमान-परिवर्तन के लिए पैसा दिया, नई रेलगाड़ियां शुरू कीं और रेलगाड़ियां बढ़ाई। मंत्री जी से मैं पूरी उम्मीद भी करता हूं कि निश्चित रूप से जो पैसा ब्रॉडगेज के लिए दिया है, वह अगले बजट से पहले-पहले मंत्री जी द्वारा उन सब का उद्घाटन कर दिया जायेगा और उन पर नई रेलगाड़ियां दौड़ने लगेंगी।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) अजमेर उदयपुर की लाइन कब पूरी होगी?

डा० जसवन्तसिंह यादव : मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि अगले बजट तक हम उनका उद्घाटन करवा लें। मंत्री जी को ले जाकर ढोल ढपारा बजा देंगे और अगली बार फिर कुछ ले लेंगे।

मंत्री जी ने आम जनता को आगे बढ़ाने के लिए पेट्रोल, रसाई गैस, सी०एन०जी०, इस्पात, सीमेंट, बिग आयरन जिससे निर्माण का कार्य बढ़ेगा, आम जनता को नया मकान बनाने का मौका मिलेगा और देश के अंदर निर्माण होंगे, रेल बजट से जब सब चीजें सस्ती होंगी, बहुत भार नहीं पड़ेगा तो निश्चित रूप से मूल्य वृद्धि नहीं होगी और लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने रेल में सुधार करने के लिए नये-नये डिवीजन और जोन्स बनाये।

रेल मंत्री जी ने अपने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। उन्होंने अपने बजट में पत्रकारों रोगियों और बुजुर्गों का ध्यान रखा। यह बहुत

प्रशंसनीय काम है लेकिन मैं भी इसमें अपनी एक सलाह देना चाहता हूं। जो रोगी बहुत पीड़ित होते हैं, वह कम किराये में सफर कर सकें, यह उनकी मजबूरी होती है परन्तु इसके अंदर कुछ रोगी जैसे एड्स, कुष्ठ ट्यूबरक्लासिस के हैं, उनको भी जीवन में बहुत कष्ट होते हैं। मेरा कहना है कि उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाये तो अच्छा होगा।

आजकल क्लर्क और चपरासी की नौकारी करने के लिए बहुत गरीब घर के लोग जाते हैं। यदि उनके पास साक्षात्कार के लिए लैटर आये तो उनको भी इसमें थोड़ा राहत दे दी जाये तो इससे उनको कुछ सहारा मिल जायेगा। वह साक्षात्कार देने के लिए जा सकते हैं। कई बार लोगों के पस टिकट के पैसे नहीं होते, वह बिना टिकट यात्रा करते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आज भी ऐसी ही स्थिति है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जिन लोगों को नौकरी के लिए बुलाते हैं, क्या उनको भी रेलवे टिकट में कन्सेशन दिया जाता है? क्या मंत्री जी मुझे बता सकेंगे कि जिन लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं उन्हें किस प्रकार की रियायत दी जाती है?

(व्यवधान)

डा० जसवन्तसिंह यादव : वह नहीं दिया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या रेल मंत्री मुझे बताएंगे कि अभी कैसी प्रथा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ कम्पनियां दे रही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० जसवन्तसिंह यादव : बुजुर्गों को जो मान और सम्मान दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, कैबिनेट मंत्री जी, कहां हैं? वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : रेल राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री के० मुरलीधरन : लेकिन वे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कैबिनेट मिनिस्टर आ जायेंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगा।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : आपने उनसे कुछ जानकारी चाही है इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जवाब माननीय मंत्री जी दें। *(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्पीकर साहब की तरफ से रेल मंत्री जी को डायरेक्शन जाना चाहिए कि जो भी साक्षात्कार के लिए लोग जाते हैं उन्हें रेल टिकट फ्री में देनी चाहिए। यदि माननीय स्पीकर साहब डायरेक्शन देंगे तो यह हो जायेगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब नीतीश कुमार जी आयेंगे तब मैं पूछूंगा। आप जारी रखें, श्री यादव।

(व्यवधान)

डा० जसवन्तसिंह यादव : अध्यक्ष जी, 60 साल के व्यक्तियों को रेल टिकट में राहत दी गयी है। मैं सलाह के रूप में लेना चाहूंगा कि जो व्यक्ति टिकट लेने जायेगा, तो वह क्या कहेगा कि मैं 60 साल का हो गया हूं? इस तरह तो 55 साल की उम्र वाला व्यक्ति भी 60 साल का बोलेगा। इनके पास इसका क्या मापदंड रहेगा? यह बात भी क्लीयर करनी पड़ेगी कि जो लोग थैलीसीमिया, कैंसर और किडनी के पैशेंट हैं, वह किन डाक्टर्स का सर्टीफिकेट लायेंगे जो वैलिड रहेगा और उनको टिकट के अंदर कन्सेशन मिलेगा। मेरा कहना है कि टिकट के जो रैकेट्स चल रहे हैं, जो लोग इधर उधर की टिकटें खरीदकर व्यापार करते हैं, वह सारा फायदा उठा जायेंगे। मेरा कहना है कि इसमें इस तरह का मापदंड किया जाये जिससे जो टिकट की ब्लैकमैलिंग करने वाले लोग हैं, वे इसका फायदा न उठा सकें।

मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पचास नई रेलगाड़ियां चलाने की जो उनकी योजना है, यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, समय की जरूरत है और मंत्री जी की इच्छा-शक्ति इससे जाहिर होती है कि उन्होंने यह महसूस किया कि इस देश की प्रगति के लिए इन रेलगाड़ियों का चलाना बहुत जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पूरे देश में पचास गाड़ियां चलें। राजस्थान में काफी गाड़ियां चलाई लेकिन जयपुर पूरी दुनिया के मानचित्र पर है और वहां सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी जयपुर में आते हैं। दिल्ली

[डा० जसवन्तसिंह यादव]

से जयपुर के बीच में दिन में कोई रेलगाड़ी नहीं है। यदि कोई विदेशी पर्यटक दिन में दिल्ली से जयपुर जाना चाहे तो वहां जाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए देशी और विदेशी दोनों तरह के सैलानियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से वाँया अलवर होते हुए, जयपुर के लिए गाड़ियां चलाने का कष्ट करें। इसी तरह से जयपुर-दिल्ली सुपर फास्ट गाड़ियां बहुत हैं लेकिन पैसेंजर गाड़िया जयपुर से वाँया अलवर होते हुए नहीं हैं। गरीब लोगों को भी दिल्ली से जयपुर जाने का हक है, उनको भी यात्रा करने का हक है। उनके लिए भी इस तरह की कोई गाड़िया चलाई जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस लोक सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वह राष्ट्रीय राजधानी परियोजना का एक हिस्सा है। वहां पूरे कायदे-कानून हैं जो दिल्ली में लागू होते हैं, वे अलवर में भी लागू होते हैं। जैसे कोई मकान बनाता है तो सारे कानून लागू होते हैं। सारे आसपास के जिले राष्ट्रीय राजधानी परियोजना में लिये थे तो एक बात कही थी कि लोकल ट्रेन्स चलेंगी तो इनकी सुविधाएं बढ़ेंगी पर आज तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर आ गया है लेकिन उसके लिए रेल विभाग से कोई नयी परियोजना जो उसे दी जानी चाहिए थी लेकिन वह आज तक नहीं दी गई है। इसलिए उस तरफ रेल विभाग ध्यान दे।

मंत्री जी के ध्यान में बहुत जबर्दस्त क्रांति है और वह महसूस करते हैं कि रेल देश की विकास की रीढ़ की हड्डी है। रेल दौड़गी तो यह देश दौड़ेगा। इस देश का विकास होगा। इसलिए मै निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह पूरा देश विकास की ओर अग्रसर है, पूरी एनडीए सरकार विकास की ओर दौड़ रही है तो जयपुर का जो रास्ता है, वह इलैक्ट्रीफाइड हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है।

कुछ छोटी-छोटी विसंगतियों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मंत्री जी ने घोषणा की कि रत्नज्योति का पौधा रेलवे-लाइन के दोनों तरफ लगाया जाएगा तो इससे रेलवे की इंकम बढ़ेगी। इसमें जरा सा संशोधन कर दिया जाए। जिस किसान का खेत जिस रेलवे लाइन के साथ-साथ है और वह किसान अगर मंथली या साल का किराया देकर लेना चाहे तो उसे तुंरत प्रभाव से दे दिया जाए। जो मंत्री जी की कल्पना है कि रेल की इंकम बढ़ेगी, जब किसान उसे लेने के लिए तैयार है, जैसे किसी किसान की जमीन है वह किराया देने के लिए तैयार है तो इससे रेलवे की इंकम बढ़ेगी और किसान की भी इंकम बढ़ेगी।

एक और विसंगति की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वह एम०एस०टी० के बारे में है। आपके यहां सैन्ट्रल मुम्बई के अंदर पूना से टिकट दिया जाए तो मासिक टिकट पूरा बन जाता है इसी तरह चर्चगेट से लेकर सूरत जो 263 कि०मी० की दूरी पर है, उसकी भी टिकट बना देते हैं। हमारे यहां लोगों के सामने। *(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढे : कलकत्ता नहीं बदला, मुम्बई बदल गया। हमारे एक मुख्य मंत्री बडौदा से थे, उन्होंने बदला। *(व्यवधान)*

डा० जसवन्तसिंह यादव : मैं उस समय के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं। एम०एस०टी० टिकट अलवर से दिल्ली तक जो 161 कि०मी० पड़ता है पर 150 कि०मी० का अलवर से दिल्ली कैंट तक देते हैं। जो यात्री मासिक टिकट लेता है और उसे दिल्ली आना होता है तो कैंट से दिल्ली स्टेशन तक वह बिना टिकट आता है। इससे रेलवे को भी नुकसान होता है। कैंट तक वह टिकट लेकर आता है लेकिन दिल्ली कैंट से दिल्ली स्टेशन तक वह विदआउट टिकट चलता है। इसी तरह से अलवर से अगर कोई यात्री जयपुर आता है तो मासिक टिकट गांधी नगर तक मिलता है। वहां से जयपुर तक वह बिना टिकट के आता है। इस तरह से रेलवे को नुकसान होता है। एक ही देश में दो तरह के मापदंड नहीं होना चाहिए।

आप रेल में सुरक्षा दे रहे हैं और 20 हजार लोगों को नौकरियां देकर आपने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। रेलवे में सफाई की तरफ ध्यान दिया गया है। जो गांव रेल लाइन के साथ-साथ होते हैं, वहां क्रॉसिंग पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि क्रॉसिंग पर एक चौकीदार होता है, वह रेल के फाटक को बंद करके चला जाता है। रात को माताएं-बहनें प्रसव के कारण पीड़ित रहती हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है, या हार्ट-अटैक हो जाता है तो रेल उनके लिए अभिशाप बन जाती है। रेल जब गुजरती है तो वे कहते हैं कि रेल हमारे लिए कैसा अभिशाप बनकर आई है। इसलिए इधर भी आपको कोई क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए। आज सारी जनता आपको और आपकी सरकार को धन्यवाद दे रही है। छोटे-छोटे स्टेशनों पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, वैटिंग रूम की व्यवस्था, ठहरने और पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो गांव के गरीब लोगों को काफी राहत मिलेगी। मैं आपको, एनडीए सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं तथा विनती करता हूं कि आप इन कार्यों के लिए और पैसा दें और इन्हें अगले साल तक पूरा करा दें।

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : अजमेर से चित्तौड़गढ़ को भी बड़ी लाइन में बदलवाने पर भी बोलें।

डा० जसवन्तसिंह यादव : अब आपकी सीट रही नहीं है, इसलिए कृपया करके आप मत बोलिये।

श्री राम सजीवन (बांदा) : अध्यक्ष जी, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसे सभी लोग ठीक कहते हैं, मैं भी ठीक कहता हूं। रेल मंत्री जी जिस स्थिति में फंसे हुए हैं, उस स्थिति में उनके लिए ऐसा रेल बजट प्रस्तुत करना बड़ी भारी मजबूरी रही। 5-6 साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री जी ने रेलवे को कई जोन्स में, कई डिविजन्स में विभाजित

करने का निर्णय लिया था। बहुत बड़ा व्यय-भार रेलवे के ऊपर पड़ने वाला निर्णय किया गया था। यह निर्णय वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के बगैर किया गया था। मैंने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी को पत्र भी लिखा था कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह जो घोषणा की गयी है, इससे आने वाले कई वर्षों तक रेल-बजट, रेलवे विभाग बड़ी दुर्दशा में पड़ जाएंगे। रेल-अधिकारियों ने मंत्री जी को जो सुझाव दिया होगा, मंत्री जी ने जो निणर्य किया होगा, उसके दुष्परिणाम आज दिखाई पड़ रहे हैं और आगे भी कई सालों तक दिखाई पड़ते रहेंगे। रेलवे व्यवस्था के सारे सुधारों को जितनी तेजी से गति पकड़नी चाहिए थी, वह यथास्थिति में पड़ गये हैं।

कई मामलों में तो रेलवे पीछे की ओर जा रही है और संसाधनों की कमी मुख्य रूप से आड़े आ रही है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि रेलवे से संबंधित झगड़े सदन में भी उठने लगे हैं और जनता के बीच में उठ रहे हैं। ये झगड़े जोन्स की संख्या में बढ़ोतरी करने के कारण पैदा हो रहे हैं। इसका फायदा, वास्तव में देखा जाए, तो जहां हैडक्वार्टर बनता है, वहां कुछ हो सकता है, अन्यथा इसका फायदा रेलवे के अधिकारियों को होता है और यही वजह है कि रेल के विकास के काम, प्रगति के काम ठप्प पड़े हुए हैं। मैं आपका ध्यान अमान परिवर्तन की योजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चार-पांच सालों से लगातार अमान परिवर्तन की योजनायें कागज पर तो ली गई, लेकिन उन योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है और वे अधूरी पड़ी हुई हैं। मैं आपको बताना चहता हूं कि कानपुर से फरुर्खाबाद आमान परिवर्तन के लिए पांच-छ: साल पहले योजना स्वीकृत हुई, लेकिन धन उपलब्ध न होने के कारण काम धीमी गति से चल रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि समय के अनुसार कास्ट बढ़ती जा रही है। इस तरह की अनेक घटनायें हैं। यही स्थिति इलैक्ट्रीफिकेशन और दोहरी करण के अन्दर भी है। धन की कमी की वजह से योजनायें जहां की तहां ठप्प पड़ी हुई हैं। इसमें एक समस्या यह भी है कि नए रेल मंत्री की नियुक्ति बाधा उत्पन्न करती है। देश और सदन में लोकप्रियता हासिल करने की उनकी इच्छा होती है। वैसे रेल मंत्री जी ने जो घोषणायें की हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। पचास नई रेल गाड़िया चलाई जायेंगी, लेकिन रेल विभाग के अधिकारियों ने यह सुझाव मंत्री जी को नहीं दिया कि जो पुरानी ट्रेन्स चल रही हैं, उनमें भी कुछ सुधार होना चाहिए। रामायण के रचयिता तुलसीदास जी के नाम पर तुलसी एक्सप्रैस मुम्बई से इलाहाबाद के बीच तत्कालीन कांग्रेस के रेल मंत्री के द्वारा चलाई गई थी। यह गाड़ी सप्ताह में दो दिन चलाई गई थी, यह सोचकर कि इसको सप्ताह में प्रतिदिन किया जाएगा। मुम्बई से भोपाल, झांसी, बांदा, चित्रकुट होते हुए इलाहाबाद के बीच यह गाड़ी चलाई गई थी। आजतक यह गाड़ी सप्ताह में दो दिन ही चल रही है। *(व्यवधान)* में कांग्रेस या बेजेपी की बात नहीं कह रहा हूं, सवाल यह है कि हर मंत्री अपना नाम कमाना चाहता है और अपना नाम कमाने के पीछे पुरानी गाड़ियों की उपेक्षा करता जाता है। इस संबंध में हमने पत्र लिखे कि इसको सप्ताह में प्रतिदिन किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। महोदय, मैं बुन्देलखड क्षेत्र से आता हूं। वहां की जनता रोज आन्दोलन करती है। मैं पांच साल से लगातार मंत्री जी को लिख रहा हूं। न सासंद की सुनी जाए, न जनता की सुनी जाए और पुरानी ट्रेन भाड़ में जायें।

अपराह्न 5.00 बजे

यह नीति बहुत खतरनाक और खराब है।

एक और ट्रेन जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे, उस समय उन्होंने चम्बल एक्सप्रेस हावड़ा, आगरा और ग्वालियर के बीच 5-6 साल पहले चलायी थी। वह वाया मानिकपुर, चित्रकूट और झांसी जाती थी। यह ट्रेन पहले हफ्ते में तीन दिन चलायी गई। बाद में किसी मंत्री ने इसे बढ़ा कर चार दिन कर दिया। वह ट्रेन 5-6 साल से चार दिन ही चल रही है। उसे प्रतिदिन करने की मांग हो रही है। कोई सुनता ही नहीं। अधिकारियों के पास मेरा लैटर चला जाता है और वह उसका बढ़िया जवाब बना देते हैं। कहा जाता है कि इस लाइन में बहुत सी ट्रेनें चल रही हैं इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी को फुरसत नहीं है। उन्होंने नई ट्रेन चला दी और सदस्यों ने कह दिया बहुत अच्छा मंत्री। पुराना बिगड़ा काम ठीक से नहीं करोंगे तो रेल विभाग कैसे प्रगति करेगा? चम्बल एक्सप्रेस चार दिन चलती है और वह दो दिन आगरा और दो दिन ग्वालियर तक आती है। हम मांग कर रहे हैं कि उसे आगरा से बढ़ा कर निजामुद्दीन तक लाइए। इससे आगरा और ग्वालियर के साथ-साथ दिल्ली आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। 50-100 किलोमीटर का अन्तर आएगा। हम इस बारे में बहुत लिख रहे हैं, रोज मंत्री जी को बोल रहे हैं, मिलते हैं और कहते हैं लेकिन वह उसे रेलवे बोर्ड के अफसर को दे देते हैं वह साफ लिख देते हैं कि सम्भव नहीं है। क्यों सम्भव नहीं है? इसलिए कि मथुरा जंक्शन और निजामुद्दीन के बीच ट्रैक और प्लेटफार्म की कमी है। 50 किलोमीटर पर नई रेल लाइन नहीं डाल सकते न ही प्लेटफार्म बना सकते हैं तो जोन्स और डिविजन्स बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई?

अभी मंत्री जी ने बड़ी वाह-वाही लूटी। मैं भी वाह-वाही देता हूं। मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखंड के प्रसिद्ध स्थान रीवा से दिल्ली के बीच एक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया और इसी सदन में रेल बजट के दौरान घोषणा की गई। वह ट्रेन पता नहीं, मंत्री जी ने अपनी बुद्धि से की है या अफसरों की बुद्धि से की है। कहा गया कि वह ट्रेन रीवा से चलेगी तो सतना आएगी और सतना से इलाहाबाद जाएगी। *(व्यवधान)* लेकिन बुन्देलखंड की धरती का क्या होगा? यदि कोई रीवा, इलाहाबाद जाना चाहता है तो पच्चीसों

[श्री राम सजीवन]

गाड़ियां हैं। इसलिए बुन्देलखंड से वह ट्रेन चलनी चाहिए। *(व्यवधान)* आपका जब नम्बर आएगा। उस समय बोलना। आप अपना स्वार्थ देख कर पूरे बुन्देलखंड की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। वह ट्रेन सतना, मानिकपुर होते हुए बुन्देलखंड से पास होनी चाहिए। सतना, मानिकपुर, चित्रकूट, बांदा, महोना, खजुराहो और झांसी के रास्ते यहां आनी चाहिए। आपने उसे इलाहाबाद भेज दिया। पचासों गाड़ियां इलाहाबाद में मौजूद हैं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : इनके लिए नई ट्रेन चला दी जाए तो उचित होगा लेकिन वह रीवा वाया इलाहाबाद होते हुए दिल्ली आना एक उचित रास्ता है। ऐसा करके सही निर्णय लिया गया है।

श्री राम सजीवन : इलाहाबाद से दिल्ली के लिए पचासों गाड़ियां हैं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : रीवा से इलाहाबाद होते हुए दिल्ली के लिए वह गाड़ी चलायी गई है। पहले इलाहाबाद के लिए कोई ट्रेन नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : आपका जब समय आएगा, उस समय अपनी बात कहना।

श्री राम सजीवन : इनके पिताजी स्पीकर हैं। लगता है इनके और इनके पिताजी के दबाव में मंत्री जी ने यह बात स्वीकार कर ली है जो बिल्कुल गलत है। बुंदेलखंड की जनता के साथ घोर अन्याय है। मैं कहना चाहता हूं *(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : अध्यक्ष जी, इतनी छोटी बात इन्हें नहीं करनी चाहिये। ये माननीय सदस्य हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको आपस में विचार करने की क्या जरूरत है? राम सजीवन जी, आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री राम सजीवन : अध्यक्ष जी, मेरा समय इन्होंने नष्ट किया हैं आप मेरा समय बढ़ा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं सब को 10 मिनट दे रहा हूं। आपको भी उतना ही समय दे रहा हूं, जितना औरों को दिया है।

श्री राम सजीवन : आप मेरा समय बढ़ा दीजिये और इनका काट दें। अध्यक्ष जी, बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी ने जो ट्रेन चलाई है, वह बुंदेलखंड से होकर चलानी चाहिये थी। कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र के लिये एक ट्रेन दी थी लेकिन बी०जे०पी० सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र के लिये कोई ट्रेन नहीं चलाती। यह आलोचना नहीं, मैं तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवदेन करना चाहता हूं कि इस ट्रेन को हमारे क्षेत्र से होकर चलाया जाये अन्यथा जनता आंदोलन करेगी और हम देखते हैं कि यह ट्रेन कैसे जाती है। इस ट्रेन के न चलने से बुंदेलखंड क्षेत्र की निश्चित रूप से उपेक्षा होगी। यह ट्रेन मानिकपुर-चित्रकूट-महोबा के रास्ते से निकाली जाये। इलाहाबाद होकर जाने की कोई जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बहुत अच्छी ट्रेन चलाई है रीवा-इलाहाबाद-दिल्ली रास्ता चुना गया अच्छा रास्ता है। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। इस रूट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

श्री राम सजीवन : माननीय मंत्री जी, आप इनके पिता के दबाव में मत आइये, जनता के दबाव का ध्यान रखिये। *(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष जी, यदि एक मिनट और दे देंगे तो मेहरबानी होगी।

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी आ गये हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म, विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन, प्लेटफॉर्म बढ़ाना, पटरी बढ़ाना में अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है क्योंकि इन कामों की ओर कम ध्यान दिया गया है। बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस क्षेत्र की समस्यायें अलग हैं इसलिये बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिये कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, माननीय रेल मंत्री जी कुछ करिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ए० कृष्णास्वामी (श्रीपेरम्बुदूर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, मैं माननीय रेलमंत्री को इस वर्ष तमिलनाडु के लिए बढ़िया परियोजनाओं की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद देता हूं। हालांकि उन्होंने अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, फिर भी हमें संतोष नहीं है और माननीय मंत्री जी से हमें और अधिक चाहिए। माननीय रेलमंत्री जी ने रेल भर्ती परीक्षाओं के सिलसिले में ग्रुप 'घ' कर्मचारियों को क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की है, मैं इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही हम हिन्दी या अंग्रेजी में परीक्षाएं देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उन लोगों को भी एक अच्छा अवसर दिया है जिन्हें हिन्दी या अंग्रेजी नहीं आती। इस घोषणा से हमें बहुत खुशी है।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में पट्टूबीरम और तिरूवलूर के बीच चौथी लाइन डालने और तिरूवलयूर व अरक्कोणम के बीच तीसरी लाइन डालने के लिए 35 करोड़ रु० की धनराशि स्वीकृत करने और अतियापट्टू-बीच

तथा बीच-कोरूक्कुपेट के बीच अतिरिक्त लाइन डालने के लिए 30 करोड़ रु० स्वीकृत करने के लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आज अलग से भी उन्हें धन्यवाद देना है, क्योंकि उनका यह रेल बजट बहुत ही अच्छा रेल-बजट है, जिसमें किराए और मालभाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक यात्री-सुविधाओं का सवाल है, इस वर्ष को 'बुनियादी यात्री सुविधा वर्ष' के रूप में लिया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि कई रेल-स्टेशनों में कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं।

ये सुविधाएं केवल महत्वपूर्ण रेलवे-स्टेशनों और रेलवे-जंक्शनों में ही हैं। पेजयल, शौचालय, प्लेटफार्म स्टाल्स, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और समयसारणी-पटलों जैसी सुविधाओं का अभाव है। रैकों को ठीक से साफ नहीं किया जाता। इन बुनियादी सुविधाओं के बिना यात्रियों को दिक्कत हो रही है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार को और अधिक राशि मुहैया करानी होगी।

महोदय, मैंने रेल मंत्री जी का बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा है कि वे आर०वी०एन०एल० परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जिस पर लगभग 50,000 करोड़ रु० की लागत आएगी, शुरू करेंगे; अन्य प्रमुख रेल-परियोजनाएं और बृहत्तर परियोजनाएं भी शुरू करेंगे। वे विश्व बैंक से ऋण लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि सड़क-उपरीपुल और सड़क-निचला पुल जैसी परियोजनाएं लम्बे समय से लम्बित पड़ी हैं। ऐसे अनेक पुल तमिलनाडु में बनाए जाने हैं। क्या मंत्री जी इन पुलों के निर्माण के लिए कोई अलग निकाय बनाएंगे? वर्ष 2001-02 में तत्कालीन रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि तमिलनाडु की डा० कलैनार करूणानिधि की नेतृत्वाधीन सरकार ने पुलों के निर्माण में भारत-सरकार का सहयोग किया था और भारत सरकार के साथ इसके खर्च में भी हिस्सेदारी की थी।

लेकिन अभी परसों की ही बात है, मैंने रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री ए०के० मूर्ति का वह भाषण पढ़ा जो उन्होंने सैंट्रल स्टेशन से अवाडी तक ए०सी०डी०सी०-रेलगाड़ी चलने के समारोह के मौके पर दिया; इस शुरूआत से मेरे निर्वाचन क्षेत्र और उत्तरी मद्रास के संसद-सदस्य के क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। यद्यपि उन्होंने हमें इस मौके पर आमंत्रित नहीं किया, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने यह नई रेलगाड़ी शुरू की। उस भाषण में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सड़क उपरिपुलों और सड़क-निचला पुलों का कार्य राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में लम्बित पड़ा है और राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का अधिकांश भाग राज्य सरकार के असहयोगपूर्ण रवैया के कारण वापस भारत सरकार को लौटा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सड़क-उपरिपुलों और सड़क-निचले पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि में से कितनी राशि भारत सरकार को लौटाई गई है। सरकार को इन पुलों के निर्माण के लिए नये सिरे से सोचना पड़ेगा। *(व्यवधान)*

श्री टी०एम० सेल्वागनपति (सेलम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी यहां हैं। उन्हें स्पष्ट करने दीजिए कि क्या उन्होंने ऐसा कोई भाषण दिया भी है? मैंने भी रिपोर्ट देखी है। मैंने भी मंत्री जी का भाषण पढ़ा है। रिकार्ड में यह उपलब्ध है। *(व्यवधान)* माननीय मंत्री यहां हैं। वे स्पष्ट करें कि क्या उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है कि राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह नहीं कर सकते। बिना प्रमाण वे राज्य सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग रहा है। हमारी चिंता तो अभी यह है कि इस-रेल बजट में तमिलनाडु की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। तमिलनाडु से एक मंत्री भी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। जब आपकी बारी आए, तब आप अपनी बात कहें।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, मंत्री जी यहीं बैठे हैं। माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री जी ने कभी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है। मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है *(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, यदि मंत्री जी कह दें कि माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं तो हम अपनी गलती सुधार लेंगे *(व्यवधान)*

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, मेरा संबंधित मंत्री से अनुरोध है कि वे स्थिति स्पष्ट करें। वे चुप बैठे हैं *(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : महोदय, मैं भी संबंधित मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात के बारे में स्थिति स्पष्ट करें। मंत्री जी को ही स्पष्ट करने दें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि वे चाहें, तो कर सकते हैं।

श्री ए० कृष्णास्वामी, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री ए० कृष्णास्वामी : महोदय, जहां तक वाणिज्यिक प्रयोजन की उस भूमिका सवाल है, जो कि रेल स्टेशनों के समीप स्थित होती है, उसमें से अधिकांश का कोई उपयोग नहीं हुआ है और उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से

[श्री ए० कृष्णास्वामी]

अनुरोध करूंगा कि इस भूमि का उपयोग कर रेल विभाग को राजस्व की आय प्रदान की जाए। तत्कालीन रेल मंत्री कुमारी मामता बनर्जी ने घोषणा की थी कि रेल-स्टेशनों के निकट स्थित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा और इस तरह से प्राप्त राजस्व रेलवे के लिए उपयोगी रहेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तत्कालीन रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी द्वारा दिए गए उस भाषण के बाद से इस सम्बन्ध में अभी तक क्या हुआ है? क्या इस भूमि का वणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने का कोई विचार है?

महोदय, अपने राज्य को लेकर मेरी कई शिकायतें हैं। अत्तिपट्टू और मींजुर के बीच रेल मार्ग को चार ट्रैक वाला करने की मंजूरी दी गई थी। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसे गुम्मिडिपुंडि तक बढ़ा दिया जाए। वहां एक्सप्रैस ट्रेन का एक ठहराव भी है, तत्कालीन माननीय रेल मंत्री श्री ओ० राजगोपाल ने इसकी घोषणा भी की थी; यह अवाडी में है। लेकिन अभी तक वहां रेलगाड़ियों का रुकना शुरू नहीं हुआ है। यह ठहराव तिरूवल्लूर में हो जो जिला मुख्यालय है, तिरूट्टनी में हो जो एक तीर्थ स्थान है और गुम्मिडिपुंडि में भी हो जो तालुका मुख्यालय है। मैं सरकार से तमिलनाडु में विलीवक्कम, कदम्बत्तूर, अहिपट्टू, मींजूर और गुम्मिडिपुडि में नये सड़क-उपरिपुलों की मंजूरी देने का भी अनुरोध करता हूं। तिरुवल्लूर, तिरुनिनरावूर, पट्टबीरम और जोलारपट में सड़क-उपरिपुल बनाने का मंजूरी-आदेश भी था। लेकिन अभी तक ये बने नहीं हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, कि अंबत्तूर, अवाडी, दिलौवक्कम में और स्टेनली हॉस्पिटल के समीप सड़क ड०-निचला पुल बनाए जाएं।

आवडि-पूनामल्लै-श्रीपेरम्बुदूर-कांचीपुरम के बीच, पी०टी०एम०एस० से गुम्मुडीपूंडी तिरूकोइलूर से सेलम, कुंभकोणम् से नामक्कल, वंडालूर से मिंजर, तिरूवल्लुर, श्रीपेरम्बुदूर और मींजुर से अत्तीपट्टू के बीच नई लाइनें डालने का सर्वेक्षण कराने की मंजूरी दी गई थी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह कार्य कब तक शुरू होगा। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि तिरूमलै-एम०आर०टी०एस० नेटवर्क को वेलाचेरी से महाबलीपुरम् तक बढ़ा दिया जाए। यह पर्यटन को भी संरक्षित करेगा और रेलवे का राजस्व भी बढ़ाएगा।

रेलवे को बेसिन ब्रिज और चेन्नै-मूर मार्केट कॉम्प्लेक्स के बीच उपनगरीय रेलमार्ग को भी विलगित करना होगा ताकि ई०एम०यू० गाड़ियां वहां फंसी न रहें। रेलवे को एक नयी उपनगरीय रेल-सेवा समय-सारणी भी कार्यान्वित करनी चाहिए जिसमें तिरूट्टनी और सुलुर पेटै जैसे दूरवर्ती स्थानों के लिए क्रमशः अरक्कोणम और गुम्मुडीपूंडी से शटल-सेवा शुरू करके सीधी रेल सेवा के स्थान पर चेन्नै से तिरूवल्लूर, अरक्कोणम और गुम्मिडिपूंडी के लिए वैकल्पिक सेवा हो; चेन्नई में प्रतिदिन 1000 उपनगरीय सेवाओं के नियोजन और निगरानी के लिए रेलवे को चेन्नई मुख्यालय में अलग से एक प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहिए।

दोतरफा यातायात हेतु चेन्नई सेंट्रल और एग्मोर स्टेशन को जोड़ने के लिए रेलवे को निधियों का आबंटन करना चाहिए। इस कार्य की घोषणा माननीय रेलवे मंत्री द्वारा स्वयं की गयी, जिसके लिए हम आभारी हैं। इस कार्य को शीघ्रतापूर्वक किया जाना चाहिए।

चेन्नई-अरक्कोणम-गुमुडीपोण्डी खंड, चेन्नई बीच-तम्बारम-चेंगलपटटू-कांचीपुरम खंड और एम०आर०टी०एस० इस खंड में यात्री सुविधाओं हेतु रेलवे को पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से रेलवे में खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें और अधिक खिलाड़ियों की नियुक्ति और इसके अतिरिक्त रेलवे में ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने और एक्ट अप्रेंटिस, जिन्होंने दक्षिण रेलवे में आई०सी०एफ० में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, की नियुक्ति करने की अपील करूंगा। कुल 20,000 नौकरियों में उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अनुकम्पा के आधार पर आये हैं और जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं।

चेन्नई-गिंडी-पूनामलै और श्रीपेरूम्बुदुर के बीच रेल यातायात हेतु अत्यधिक व्यस्त चेन्नई-अन्नासलाई के अलावा एक नयी एम०आर० टी०एस० परियोजना हेतु सर्वे के लिए, रेलवे को स्वीकृति देनी चाहिए।

रेलवे को एस०आर०यू०सी०सी०/डी०आर०यू०सी०सी०/जेड० आर०यू०सी०सी० और सांसदों की बैठक हर तीन महीने पर आयोजित करनी चाहिए।

महोदय, मैं आई०सी०एम० में निर्मित डिब्बों के संबंध में माननीय रेल मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आई०सी०एफ० कोच फैक्टरी सबसे पुरानी कोच फैक्टरी है। यह कई प्रकार के डिब्बे तैयार करती है जिन्हें देश भर में भेजा जाता है। लगभग दो या तीन महीने पहले आई०सी०एफ० में निर्मित कुछ डिब्बे आंध्र प्रदेश में भेजे गये। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों ने इन डिब्बों का परीक्षण किया और इनकी निम्न गुणवत्ता के कारण इन्हें वापिस कर दिया। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा की दोष निर्मित डिब्बों में था या परीक्षण का था।

त्रिची-तंजोर-नागोर को बड़ी लाईन में बदलने संबंधी घोषणा तत्कालीन रेलवे मंत्री श्री जाफर शरीफ द्वारा वर्ष 1993 में की गयी थी। लेकिन अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, इस वर्ष भी 12 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है, जो पर्याप्त नहीं है। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस कार्य में तेजी लायी जाए और इस वर्ष 50 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय रेलवे मंत्री ने चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने की कोशिश की है, लेकिन अपने कार्य में वे पूरी तरह सफल नहीं रहे।

वर्ष 2003-2004 के लिए माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट एक प्रगतिशील और विकासोनमुखी बजट नहीं है क्योंकि इसमें नयी लाइनों और आमान-परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं है। बजट में रेलवे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गयी है और कई चालू परियोजनाओं को आबंटन न देकर इनकी पूर्ण उपेक्षा की गयी है।

बजट में उत्साह लाने संबंधी कोई भी तत्व नहीं है और यह विश्व में सबसे बड़ी यातायात व्यवस्था में यथास्थिति बनाये रखने की सरकार की कोशिश साबित हो गयी है।

भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और यह मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र की तरह है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या का 75 प्रतिशत रेलवे से लाभान्वित होता है। चाहे युद्ध का समय हो या शांति का, चाहे वर्षा, सूखा, शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु हो रेलवे राष्ट्र की सेवा में लगी रहती है। इसीलिए एक सुरक्षित रेलवे नेटवर्क का विकास करना हमारा मुख्य विचार बिन्दु होना चाहिए।

कर्नाटक के लिए माननीय मंत्री ने कुछ नई रेलगाड़ियां चलाई है। आमान-परिवर्तन, दोहरीकरण और नई लाईनों के निर्माण के संबंध में भी उन्होंने कुछ परियोजनाएं दी हैं, लेकिन उनके द्वारा आवंटित राशि बहुत कम है उदाहरण के लिए जहां 62 करोड़ रुपये की आवश्कयता थी वहां उन्होंने मात्र 35 करोड़ रुपये दिये हैं यशवन्त पुर, तुमकूर लाईन के लिए 62 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, जबकि उन्होंने सिर्फ 19 करोड़ रुपये दिये हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया है और यह भी कि निधियों की समस्या है लेकिन आप कम राशि आवंटित करके आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे नहीं पता की माननीय मंत्री इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। यदि वे इसी तरह कम राशि देते रहे तो परियोजनाओं को पूरा करने में दस वर्ष और लगेंगे। मुझे आशा है कि वाद-विवाद का उत्तर देने से पहले माननीय मंत्री इस पक्ष पर विचार करेंगे। उन्हें यह सोचना होगा कि समस्या का कैसे समाधान किया जाये और रेलवे को नई गति कैसे दी जाये।

मेरे पास कई महत्वपूर्ण विषय हैं लेकिन मैं केवल कुछ ही विषयों पर बोलूंगा बाकि के भाषण को सभा पटल पर रखूंगा, क्योंकि मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। भारत अर्थ मूवरस लिमिटेड अपनी स्थापना से ही डिब्बों का निर्माण कर रहा है। बी०ई०एम०एल० की एक इकाई बैंगलौर में है और इसमें 5,000 कुशल कारीगर हैं। शुरू से ही वे डिब्बों के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन निर्माण का कार्य अब बंद कर दिया गया है क्योंकि अब कपूरथला इकाई तथा चेन्नई स्थित इंटिगरल कोच फैक्ट्री को आर्डर दिये गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि इन इकाईयों को काम नहीं दिया जाना चाहिए। वे रेलवे की अपनी इकाईयां हैं। बैंगलोर स्थित बी०ई०एम०एल० इकाई को रेलवे ने इसकी स्थापना से ही इसका उपयोग डिब्बों के निर्माण के लिए किया है, लेकिन अब उन्हें आर्डर देना बंद कर दिया गया है और इसके फलस्वरूप श्रमिक परेशान हैं। लाभ अर्जित करने वाली इकाई के श्रमिकों को केवल वेतन दिया जा रहा है जो रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रही हैं। पिछली बार श्री सी०के० जाफर शरीफ तथा मैंने कहा था कि रेल मंत्रालय को कम-से-कम 250 डिब्बों के निर्माण का आर्डर इस इकाई को बचाने के लिए दिया जाना चाहिए, जो पिछले 50 वर्षों से विशेषकर अपनी स्थापना से ही डिब्बों के निर्माण में लगी हुयी है। यह पिछले दो वर्षों से बंद पड़ी हैं और अब इसे चालू किया जाना चाहिए।

श्री आर०एल० जालप्पा और मैं कोलार जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमान-परिवर्तन परियोजना के संबंध में श्री नीतीश कुमार का पूर्व मंत्री ने दो तीन बार अभ्यावेदन दिया था। रेलवे ने 50 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने 80 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं तथा 90 करोड़ रुपये खर्च करने बाकी हैं। अगर आप आधी राशि लगाते हैं और कार्य अधूरा छोड़ देते हैं तो जो राशि आप पहले लगा चुके हैं वह किसी काम की नहीं, वह बेकार है। इस बजट में 90 करोड़ रुपये की आवश्यक राशि शामिल नहीं की गयी और इस कार्य के लिए केवल 1 करोड़ रुपये का ही आवंटन हुआ है। पूर्व में भी, जब भी आपने बजट प्रस्तुत किया है, मैंने मदनापल्ली तथा भुवनेश्वर, कोलकाता, और गुवाहाटी तक के तटीय क्षेत्रों को जोड़ने की बात कही है। हम हजारों टन की सब्जी तथा फलों का उत्पादन करते हैं। कर्नाटक में उत्पादित कुल आमों की संख्या का एक तिहाई भाग हम पैदा करते हैं। ये सभी उत्पाद पूर्वोत्तर, मुम्बई, नागपुर, भुवनेश्वर और कोलकाता जाते हैं। जोड़ने वाली रेल लाईन के अभाव में हम इन सब उत्पादों को बाजार में नहीं पहुंचा पाते। किसानों को अधिक लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि माल-ढुलाई का शुल्क बहुत ज्यादा है। इन क्षेत्रों से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए तत्कालीन सरकार ने इसे 1994 के बजट में शामिल किया था। उसमें से सरकार ने 90 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं।

जहां तक बाकी बचे 90 करोड़ रुपये का प्रश्न है, अगर आप इस राशि को स्वीकृति दे देते हैं तो वह अत्यधिक उपयोगी होगी।

[श्री के०एच० मुनियप्पा]

इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। इन्हीं दो विषयों को मैं सभा के समक्ष लाना चाहता था।

महोदय, बाकी के भाषण को मैं सभा पटल पर रखना चाहता हूं क्योंकि मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं अपने अन्य साथियों को भी अवसर देना चाहता हूं।

माननीय रेल मंत्री जी ने पूरी कोशिश की है। उन्होंने अनेक प्रस्ताव शामिल भी किये हैं। इस संबंध में हमारे माननीय मुख्य मंत्री भी उनसे दो बार मिले हैं। इस मामले में श्री अन्नत कुमार, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री जी ने भी प्रतिनिधित्व किया है। माननीय रेल मंत्री ने कुछ प्रस्ताव दिय हैं, लेकिन इन प्रस्तावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि प्रदान नहीं की गई। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ और धनराशि स्वीकृत करेंगे ताकि इन परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

*रेलवे का इतिहास 100 वर्षों से भी पुराना है तथा इस अवधि में इसने उतार-चढ़ाव देखे हैं। सरकार की भूमिका में हमारे माननीय रेल मंत्री ने भारतीय रेल को मजबूत करने की कोशिश की है और 1991 से 1996 तक वे इसमें सफल भी रहे। सरकार ने व्यापक स्तर पर आमान-परिवर्तन का कार्य किया और 10,000 किलोमीटर से ज्यादा छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित किया। लगभग 5000 किलोमीटर की नयी रेल लाइनें बिछाई गयी तथा इस दुर्घटनाएं हुयी, लेनिक आजकल बहुत दुर्घटनाएं हुयी। लेकिन आजकल बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं और बड़ी तादाद में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय रेल मंत्री जी अपनी विफलता को स्वीकार नहीं कर रहें हैं।

पूरे भारत में कांग्रेस सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण आमान-परिवर्तन परियोजनाओं का कार्य किया और 7-8 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी मजबूत स्थिति में है। दक्षिण रेलवे के एक महत्वपूर्ण सेक्टर की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि बैंगलोर-जवालारपेट का यातायात बढ़ने की कल्पना की गयी थी और इस आमान-परिवर्तन को प्राथमिकता दी जानी थी, लेकिन वर्तमान बजट दक्षिण रेलवे के इस महत्त्वपूर्ण सेक्टर पर किसी भी आवंटन करने पर चुप है। मेलानका-चिक्काबालापुर तथा कोलार-बंगारपट के बीच आमान परिवर्तन की परियोजना को माननीय रेल मंत्री ने 1994 में स्वीकृती प्रदान की थी तथा कार्य भी पूरा किया गया और उस पर रेलगाड़ियां भी चल रही हैं। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बैंगलोर-बंगारपेट से जवलारपेट तक विस्तार किया।

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

चूंकि रेलवे भारी संकट से गुजर रही है, प्रणाली में सुधार लाने के लिए माननीय मंत्री जी को गम्भीरता से विचार करना होगा और उसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

मैं कर्नाटक सरकार की विशेषकर रेलवे के विकास के संबंध में प्रशंसा करना चाहूंगा। कर्नाटक सरकार ने ''कर्नाटक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड'' (के-राइड) के माध्यम से रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; 'के-राइड' की इक्विटी में इन पार्टियों का अंशदान इस प्रकार है : कर्नाटक सरकार-26%, भारत सरकार-26% और वित्तीय संस्थाएं-48%। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। इस कदम के कारण स्थानीय जनता की जवाबदारी और प्रतिभागिता अब बढ़ेगी और रेल मंत्रालय के साथ वे सहयोग करेंगे।

महोदय, जहां कहीं भी निधियों की उपयोगिता व्यवहार्य हो वहां रेलवे की अनुपयुक्त पड़ी भूमिका वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया जाए।

रेलवे की मालवहन क्षमता अत्यधिक है किन्तु इसकी जटिल प्रक्रिया और रेल-स्टाफ के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण यह माल ट्रकों के जरिए जाता है। अतः, इस प्रयोजन के लिए फील्ड-स्टॉफ की पहचान करके प्रयोग के तौर पर निजी अभिकर्ताओं को कमीशन आधार पर इसके 'फ्रेंचाइज' दिये जाएं। रेलवे को शीघ्र खराब हो जाने वाली सामग्री के परिवहन का कार्य भी हाथ भी लेने का प्रयास करना चाहिए। अधिक उत्पादन परन्तु निम्न परिवहन-सुविधा के कारण किसानों को काफी दिक्कत आ रही है। इस ओर प्रयास किया जा सकता है, यह कोई असम्भव कार्य नहीं है। तत्कालीन रेल मंत्री कु० ममता बनर्जी ने बिसानत्तम से मरिकुप्पम तक नयी बड़ी लाइन डालने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए थे। महोदय, 12.5 कि०मी० की 31.71 करोड़ रु० लागत (सर्वेक्षण के अनुसार) वाली उक्त परियोजना को निर्माण करने की माननीय रेल मंत्री ने बात की है। मैं बिसानत्तम से मरिकुप्पम तक इस नयी बड़ी लाइन के निर्माण कार्य को शुरू करने का सरकार से आग्रह करूंगा। मद्रास-कोलार-बंगलौर खंड राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर पहुंच मार्ग-सहित-केबल आधार वाले सेतु (के०आर० पुरम के निकट, 321 कि०मी० की लम्बाई) की संशोधित संयुक्त लागत 47.42 करोड़ रु० है। अभी तक रेलवे को उसके हिस्से के रूप में 22 करोड़ रु० का भुगतान हुआ हैं यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संयोजन है और देखा जा रहा है कि के०आर० पुरम में यातायात-सघनता काफी अधिक है तथा तमिलनाडु के अन्य राज्यों की ओर जाने वाले अन्य मार्ग भी इस मार्ग से मिलते हैं, अतः सड़कों पर भारी भीड़ होती है, यातायात बहुत बढ़ जाता है और इस मार्ग पर दुर्घटनाएं भी काफी होती हैं। पिछले दो दशकों से इस क्षेत्र की जनता इस काम

को पूरा कर देने की मांग कर रही है। अतः, इस परियोजना की आवश्यकता समझी जाए और मैं माननीय मंत्री जी से यह विनम्र आग्रह भी करूंगा कि इस परियोजना के हिस्से की शेष राशि के रूप में 21 करोड़ रु० की धनराशि को शीघ्र आबंटित व जारी किया जाए।

महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बंगारपेट-येलाहांका रेलमार्ग एक सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से है, इसकी आधारशिला 100 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने रखी थी। उस समय यह छोटी लाइन वाला रेलमार्ग था। यह मार्ग दक्षिण भारत को उत्तर और देश के पूर्वी हिस्सों से जोड़ता है। मुझे खुशी है कि कुल 147 कि०मी० लम्बाई के संस्वीकृत निर्माण-कार्य में से आधे से अधिक कार्य हो चुका है। मैं इस सम्मानित सदन में पहले भी कई बार यह मुद्दा उठा चुका हूं। यदि यह परियोजना पहले ही पूरी न होती, तो अब तक जो 50 करोड़ रु० का निवेश हुआ है, वह व्यर्थ हो जाता। इस क्षेत्र में साग-सब्जी, फल और अन्य कृषि उपजों की काफी पैदावार है, जिसे परिवाहित करके मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों को इनका निर्यात किया जा सकता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे और अधिक धनराशि जारी करें और इस परियोजना के शेष कार्य में यथा शीघ्र पूरा कराएं।

महोदय, मेरी अगली बात मै० भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी०ई०एम०एल०) के बारे में है। इस कम्पनी को 1947 से ही रेल-डिब्बे बनाने के आर्डर मिलते रहे हैं। लेकिन अब इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को रेलवे की ओर से आर्डर मिलना बंद हो गए हैं। रेल मंत्रालय के निर्देश से इस उपक्रम ने अपने कार्यों को विविधीकृत कर लिया है। अब वह रेल डिब्बे बनाने के लिए तैयार है। लेकिन एक डिब्बे का भी आर्डर नहीं मिल रहा। यह भी रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला और इंट्रीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, चैन्नै, की तरह ही केंद्र सरकार का एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। रेल-डिब्बों के निर्माण के आर्डर, इन तीनों ही कम्पनियों के बीच दिए जाएं। उसने केवल 250 डिब्बों के निर्माण के आर्डर देने का ही अनुरोध किया है। ऐसा नहीं होगा तो न केवल इस कम्पनी के 5000 कामगार दिक्कत में आ जाएंगे, बल्कि उसे 70 करोड़ रु० सलाना का नुकसान भी होगा।

महोदय, रेल मंत्रालय के पास लम्बित परियोजनाओं को रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार ही विचारित किया जाए। उन परियोजनाओं के लिए धनराशि की उपलब्धता और अन्य अवरोधों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी राज्य सरकार से बात करें। इस अवसर पर मैं माननीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार को कर्नाटक में रेल-आधार संरचना के विकास हेतु सन्नद्ध भाव से प्रयास करने के लिए बधाई दूंगा और उनसे लम्बित परियोजनाओं के लिए उचित मात्रा में धनराशि मुहैया कराके उनका कार्य तेज करने का अनुरोध करूंगा। अंत में, अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करने जा रहा हूं।

महोदय, हमारे मुख्यमंत्री श्री एस०एम० कृष्णा ने वर्ष 203-04 के रेल-बजट पर आश्चर्य व्यक्त किया है। चुनावों में अपना हित समाधान करने के उद्देश्य को लेकर तैयार किए गए इस बजट में कर्नाटक की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गई है। केंद्र ने इस राज्य की अविलम्बनीय रेलगत-आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जिन कुछ लम्बित परियोजनाओं की केन्द्र ने उपेक्षा की है, उनमें से कुछ हैं :— (i) कोत्तूर-हरिहर (ii) बीदर-गुलबर्गा (iii) बलगुप्पा-शिवमोगा (iv) हुबली-अंकोला (v) येलाहांका-बंगारपेट; और ऐसी अन्य कई परियोजनाएं।

श्री बसवनागौंड सहित कई माननीय सदस्यों ने यह कहते हुए रेल-बजट की आलोचना की है कि इसने कर्नाटक की जनता को निराश किया है।

आमान-परिवर्तन कार्य के लिए हमें कम से कम 2518 करोड़ रु० की आवश्यकता है और हमें 252 करोड़ रु० की अल्प राशि ही मिली है। इससे एक दर्जन से अधिक चालू योजनाएं ठप्प पड़ गई हैं। अतः, माननीय रेल मंत्री के पास और कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि इसके लिए तत्काल आबंटन बढ़ाएं। अन्यथा, कर्नाटक भर में 'रेल रोको' आंदोलन और प्रदर्शन होने लगेंगे।

हमने रेल मंत्रालय से और भी उचित मांगें की हैं। इनमें से कुछ हैं : (I) बंगलौर और नई दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रैस की शुरूआत, (ii) बंगलौर और नई दिल्ली के बीच एक नई दैनिक रेलगाड़ी की शुरूआत, (iii) निजामुद्दीन और बंगलौर के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रैस को हफ्ते में चार दिन के स्थान पर दैनिक किया जाए। मेरे पास रेल मंत्री के समक्ष रखने वाली मांगों की एक लम्बी फेहरिस्त है।

मैं माननीय रेल मंत्री से सजग होकर कर्नाटक में रोज-विकास के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं, अन्यथा कहीं देर न हो जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, जब भी सत्र चलता है तो सदन में दो बजट प्रस्तुत किये जाते हैं। एक रेल बजट और दूसरा जनरल बजट होता है। दोनों बजट इस सदन में प्रस्तुत हो चुके हैं। रेल बजट और जनरल बजट जिस दिन सदन में प्रस्तुत हुए, उसी दिन मीडिया के माध्यम से सत्ता और विपक्ष के लोगों की क्रिया-प्रतिक्रिया दिखाई गयी। लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया में

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

अंतर था। रेल बजट के दिन विपक्ष के सदस्यों की प्रतिक्रिया थी कि यह चुनावी बजट है। विपक्ष के सदस्यों की इस प्रतिक्रिया से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि रेल बजट इतना अच्छा बजट है कि उनके पास उसका विरोध करने के लिए कोई शब्द नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे चुनावी बजट कहकर आत्म संतोष प्राप्त किया।

इस बजट को बनाने वाले रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं। इस बजट के माध्यम से उन्होंने देश में एक नया संदेश दिया। उन्होंने विकास की गति को इस बजट में दर्शाया है। इसके साथ-साथ उन्होंने उसमें प्रशासनिक क्षमता का भी परिचय दिया है। रेल में कहीं घटनायें, दुर्घटनायें या रेल में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न जो बरसों से बना हुआ है, उसमें भी सुधार करने के लिए एक नया रास्ता निकाला है। वैसे कुछ साथियों को इस बात की चिन्ता बनी हुई है कि रेल मंत्री पैसा कहां से लायेंगे और विकास की गति कहां तक चलेगी। कई साथी बोल रहे थे तो बोलने के क्रम में वह अपने को परेशान महसूस कर रहे थे कि पैसे के अभाव में विकास का काम नहीं हो पायेगा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि इस देश को आजाद हुए 55 वर्षों से ज्यादा हो गये हैं। विकास की गति चलती रहती है और किसी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है तो कभी कम और कभी ज्यादा कम होता है। लेकिन इन चार-पांच वर्षों में रेल में विकास की जो गति चली है, उस गति की जितनी प्रशंसा की जाये, वह कम ही होगी।

देश के विभिन्न हिस्सों को देखकर और एक प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाकर जनता की मांग और रेल के प्रशासन को दुरस्त करने के दृष्टिकोण से नये सात जोन्स बनाये गये। इसके लिए देश की जनता ने रेल मंत्री जी को बधाई दी। हालांकि एक ऐसा भी जोन हुआ जो थोड़ा विवाद में आया। उस पर पक्ष और विपक्ष की चर्चाएं चली। पक्ष और विपक्ष की चर्चाएं कहीं दूर नहीं बल्कि घर में चल रही थीं। वह मामला उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी रेल मंत्री के उस निर्णय पर मुहर लगाई गयी। उस दिन यह बात प्रमाणित हुई कि रेल में प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो जोन बनाने, डिवीजन बनाने के लिए कदम उठाये गये, वह रेल मंत्री जी का कदम प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत उचित था। रेल मंत्री जी द्वारा रेल बजट में जहां रेल लाइन के विस्तार, नयी लाइन बिछाने तथा कई नयी रेल ट्रेन जो देश के सुदूर इलाके से राजधानी तक जोड़ती है, आज सदन में किसी भी प्रांत का प्रतिनिधि यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारे राज्य में नयी रेलगाड़ियां नहीं चलीं। चारों तरफ से रेल मंत्री जी को प्रशंसा मिल रही है, प्रधान मंत्री जी को प्रशंसा मिल रही है, एनडीए की सरकार को प्रशंसा मिल रही है और चाहे वह सदन में रहने वाले प्रतिनिधि हों या गांव में रहने वाले कोई साधारण लोग हों, सारे लोग रेल बजट की प्रशंसा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको भाषण करने के लिए अब क्या बाकी है?

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम भाषण नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रशंसा कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब भाषण के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यही बताना चाहता हूं कि खासकर बिहार जहां से प्रतिनिधि बनकर मैं आया हूं, *(व्यवधान)* मंत्री जी को खुश करने की जरूरत आपको पड़ेगी। हमें जरूरत हुई तो हम आदेश भी दे सकते हैं। उसके लिए परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि वह बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य है, *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उनका आप अभिनंदन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : तुमको हम आपको रांची भिजवा देंगे, वहां हमारे यहां अस्पताल में जगह भी खाली है। *(व्यवधान)* बैठो।

श्री रामदास आठवले : आप अभिनंदन करो, अच्छी बात है। *(व्यवधान)* हमें वहां भेजेंगे तो हम अपको भी वहां ले जाएंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आगे आपको मौका मिलने की संभावना है नहीं तो वह संभावना भी दूर हो जाएगी। इसलिए आप अभी बैठिए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : बिहार जो इस देश का सबसे पिछड़ा प्रांत है, जहां विकास की गति बिल्कुल अवरुद्ध हो चुकी है। राज्य के माध्यम से हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं। वैसी स्थिति में बिहार में भी विकास की गति रेल के मामलों में तेज हुई है और खासकर चार ऐसी योजनाएं, जो बिहार के रेल मंत्री के कार्यालय में बैठने पर बनी हैं और जब हमें रेल मंत्रियों की पूर्व की सूची देखने को मिलती है, तो हम देखते हैं कि उसमें क्रमवार बिहार की संख्या हर प्रांत से ज्यादा है। तरह-तरह के रेल मंत्री आए और उनमें एक स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी जो कांग्रेस के जमाने में रेल मंत्री हुआ करते थे। हम लोग उस समय कम उम्र के थे। तब हम सुना करते थे कि वह बिहार के विकास के लिए दिल्ली में बैठकर बिहार के विकास के लिए पुरजोर लड़ाई करते हैं और बिहार के विकास में वह बहुत रुचि लेते हैं लेकिन उसके बाद जो मंत्री आए तो उनमें से कुछ तो

अखबार तक सीमित रह गये और कुछ रेल मंत्रियों के जमाने में सुनते थे कि बड़े-बड़े होटलों में बैठकर उनके एक हाथ में रुपया होता था और दूसरे हाथ में नौकरी की पर्ची हुआ करती थी लेकिन बिहार के लोगों को आज इस बात का गर्व है कि आज रेल में नौकरी वही पाता है जिसका मैरिट होता है पैसा वाले तथा पैरवी वाले लोग सड़क पर घूमने का काम करते हैं।

मैं एक और बात की ओर रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आये दिन रेल में कुछ घटनाएं घटती हैं और अभी एक अनोखी घटना बिहार में घटी है और मंत्री जी, हमें लगता है कि वह आपके ही क्षेत्र में घटी है। ट्रेन से यात्री जा रहे थे और जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में प्रवेश किया। हमें लगता है कि पुलिस वाले सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रेन में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब उस ट्रेन में पुलिस घुसी तो यात्रियों से कहने लगे कि अपने प्रमाण-पत्र दिखाइए। उन्होंने कहा कि प्रमाण-पत्र कैसा, हम तो टिकट लेकर चले हैं इस पर उन्होंने कहा कि प्रमाण-पत्र तो नहीं है तो फिर तीन हजार रुपया दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रमाण-पत्र कैसा, जरा बताइए। फिर पुलिस वालों ने कहा कि जोर से बोलोंगे तो रेट दुगुना हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा। इसके बाद आपस में तू-तू-मैं-मैं हुई। एक महिला बैठी हुई थी, तो उन्होंने उसके ब्लाउज में हाथ डाला जिसके बाद ट्रेन में काफी हंगामा हुआ। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद वे सारे पुलिसकर्मी अभी जेल में गये हुए हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर पुलिस से इस तरह की उम्मीद ट्रेन में की जाएगी तो हमें नहीं लगता है कि किसी की इज्जत, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा सुरक्षित रह पाएगी। मंत्री जी, आपके पास रेल की पुलिस है और आप देश भर में राज्य की पुलिस को चलाते हैं तो चलवाइए लेकिन बिहार से पुलिस से यात्रियों की जान छुड़वा दीजिएगा नहीं तो बिहार की पुलिस ट्रेन में जो हरकत कर रही है और हम तो यह मानकर चलते हैं कि इस हरकत में तो हम नहीं मानते हैं कि राज्य सरकार की इसमें कोई साजिश हो सकती है लेकिन बहुत सी हरकतें जो ट्रेन में हो रही है, वे राज्य सरकार की वजह से हो रही हैं। ट्रेन में जो चोरी और लूट की घटना घटती हैं, वे राज्य सरकार की साजिश की वजह से बिहार में घटती हैं। तो आप रेल पुलिस को मजबूत कीजिए। आपके पास पुलिस बल की कमी हो तो आप उसकी बहाली करवाइए। ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी जीआरपी पर न सौंपकर आप उसे रेल पुलिस पर ही सौंपिये। हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, चार कामों के लिए रेल मंत्री जी को बिहार याद रखेगा। आपको रेल मंत्री के रूप में याद रखेगा, आप रेल मंत्री न भी रहें तो भी याद रखेगा। चाहे आप हाजीपुर के जोन की चर्चा करें या पटना में गंगा नदी पर पुल की चर्चा करें, मुंगेर में गंगा पर पुल की चर्चा करें या अभी जो मधुबनी में आपने पुल की स्वीकृति दी है उसकी चर्चा करें। इन चार कामों के लिए आपकी प्रशंसा होगी।

20 हजार लोगों को रोजगार देने की घोषणा जो रेल मंत्री जी आपने की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है। आज कहीं पर जब 10 प्रतिशत लोग घटाए जा रहे हैं ऐसी परिस्थिति में 20 हजार बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषण करके रेल मंत्री जी आपने बहुत बड़ी बधाई का काम किया है। लेकिन मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जल्दी से आप वैकेन्सीज निकलवाइये, कहीं यह रेल बजट की खाली घोषणा में ही न रह जाए। इसकी बहाली भी जल्दी करवाइये और थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सके तो हमारी भी सुनिये।

अध्यक्ष जी, हम मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आपकी रेल में कमांडो-पुलिस चलती है। उनका यह कहना था कि जो कमांडोज रेल में चलते हैं उनका टी०ए०डी०ए० रेल के पदाधिकारी काटते रहते हैं माननीय रेल मंत्री जी, इस संबंध में हमने एक पत्र भी आपको लिखा था। राजधानी या दूसरी जो अच्छी रेलगाड़ियां हैं उनमें सुरक्षा का भार आपने उन्हें दिया हुआ है। उनकी जो समस्या है उसको भी आप देखें।

इसके साथ ही कुछ डाक्टर्स भी आपके यहां बहाल हैं। बहुत लम्बे अर्से से वे 2000 रुपया मासिक पर काम करने को विवश हैं। रेल की स्थाई समिति ने भी आपको इस बारे में प्रतिवेदन दिया है। ऐसे डाक्टर्स की संख्या 150 के करीब है। जब वे इतने लम्बे अर्से से आपके यहां काम कर रहे हैं तो उनको आप स्थाई करें और दूसरे चिकित्सकों के बराबर उनको भी सुविधा प्रदान करें।

इसके साथ ही हम अपनी कमिश्नरी की समस्या का भी जिक्र करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, यह सवाल आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। यानि महाराष्ट्र और बिहार से जुड़ा प्रश्न है। बिहार से लोग महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए आते हैं। उनको आने-जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों की बहुत कमी है। छपरा से गोदान एक्सप्रेस हफ्ते में एक बारे चलती है।

अध्यक्ष महोदय : रांची से मुम्बई के लिए एक गाड़ी शुरू हुई है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जिसकी आप बात कर रहे हैं वह छपरा-मुम्बई दूसरा रूट हो जाएगा। समता ट्रेन बिहार में बहुत पहले से चलती है। अध्यक्ष जी, आप छपरा से मुम्बई तक के लिए एक नयी समता ट्रेन चलवा दीजिए, जिससे आपका और हमारा संबंध बना रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन यह आदेश नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आसन से समर्थन हो गया तो माननीय रेल मंत्री जी इसकी घोषणा भी कर देंगे। अध्यक्ष जी, इस देश में प्लानिंग कमीशन कौन होता है, जिसे हिंदी में योजना आयोग कहते हैं, अगर इसे योजना-अवरुद्ध आयोग कहा जाता तो अच्छा होता। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र का काम इससे अवरुद्ध होता है। आप हमारे क्षेत्र का काम देखिये। वे कहते हैं कि फाइल योजना आयोग में भेजी हुई है। हम लोग जब राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित मंत्री जी के पास किसी सड़के के बारे में निवेदन करते हैं, तो वे भी कहते हैं कि योजना आयोग ने मना किया है कि इस साल कोई नई सड़क नहीं ली जाएगी। योजना आयोग में वे लोग हैं, जो राजनीति से रिटायर हो जाते हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता है, लेकिन वे मालिक बन जाते हैं। ऐसे ब्युरोक्रेट्स हैं, रोजी-रोटी की वजह से उनको एक्सटैंशन दे दीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि योजना आयोग का काम सिर्फ योजना को अवरुद्ध करने के लिए रह गया है। इसलिए इस देश में योजना आयोग की जरूरत नहीं है। हमने रेल मंत्री जी से निवेदन किया है कि महाराजगंज से मसरक तक रेल लाइन का विस्तार कर दीजिए। कोई नई रेल लाइन को नहीं बिछाना है। यह दूरी सिर्फ 30-32 किलोमीटर है, लेकिन पिछले छः-आठ महीने से योजना आयोग के अधिकार उस फाइल पर आराम से सोए हुए हैं। इस संबंध में योजना आयोग से मिले, तो वे कहते हैं कि वे रेल मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि वे पैसा कहां से खर्च करेंगे। लगता है कि योजना आयोग का सदस्य सारा पैसा खर्च करता है, जबकि पैसा वित्त मंत्रालय से आता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सदन में सहमति बनाकर योजना आयोग को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि विकास के काम में अवरोध न आ सके।

महोदय, मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके पास भी 50 करोड़ रुपए का पावर है। आप उस पावर का उपयोग करते हुए हमारे क्षेत्र में चलकर शिलान्यास कर दीजिए। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, जिस तरह से आपने रेल बजट बनाया है, उससे दूसरे विभाग के लोगों को आपका अनुसरण करने की सीख मिलेगी और देश को चलाने के लिए अच्छा सन्देश देने के लिए रेल मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी से कुछ सीखेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री जी को अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए, आपकी आज्ञा से अपना भाषण सभा पटल पर रखता हूं।

*महोदय, रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2003-2004 का रेल बजट एक सुविचारित संतुलित एवं सुनियोजित बजट है। बजट अत्यंत व्यावहारिक तथा जन सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से बजट में उन समस्त बातों का ध्यान रखा गया है जो जनसामान्य की यात्रा सुविधा की दृष्टि से आवश्यक है। यात्री सुविधा वर्ष की परिकल्पना के साथ जहां कतिपय नयी रेलगड़ियों के परिचालन की घोषणा की है वहीं कुछ परिचालित गाड़ियों के गंतव्य को आगे बढ़ाया गया है। गत वर्ष के बजट में कुछ मार्गों पर जनशताब्दि एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की गयी थी उसे पूरा करते हुए उसमें वृद्धि की घोषणा स्वागत योग्य हैं। यातायात की दृष्टि से रेल एक विश्वस्त अधिकाधिक सुविधा देने वाला तंत्र है इसमें जहां लाखों कर्मचारी व अधिकारी सेवारत है, वहीं इसे और उपादेय व सुविधायुक्त बनाने की दृष्टि से रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी यत्नशील है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण यातायात के साधन को सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वरदहरत है। पूर्व में प्रधानमंत्री जी द्वारा रेलवे संरक्षा की दृष्टि से 17 हजार करोड़ की राशि की घोषणा इसका ज्वलंत प्रमाण है।

रेल बजट पर विशेषज्ञों एवं पत्रकार जगत से जो प्रशंसायें मिली हैं उससे भी स्पष्ट है कि बजट अत्यंत व्यावहारिक है। बजट में यात्री भाड़े में वृद्धि न होना, जहां जनमन भावन है वहीं मालभाड़े में भी वृद्धि न होना, उद्यमियों, व्यापारियों या उद्योगपतियों द्वारा देश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखा गया है। कहीं कहीं विसंगतियों को युक्तियुक्त किया गया है और कहीं कहीं उन्हें दूर किया गया है।

प्रादेशिक विकास व संतुलन को दृष्टि में रखकर प्रायः सभी प्रदेशों को बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

देश में एक सी गेज प्रणाली (यूनीगेज) हो इसे ध्यान में रखकर वर्तमान में जहां-जहां अमान परिवर्तन (गेज परिवर्तन) हो रहा है उन्हें शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से प्राथमिकताएं तय करते हुए धनराशि का आबंटन किया गया है। जिन क्षेत्रों में नई रेल लाइनों की आवश्यकता है तथा जहां सर्वेक्षण हुआ है उन्हें स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ करने की बात कही गयी है। जहां पत्रकारों को कन्सेशन देकर यात्रा सुविधा दी गयी है वहीं वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों एवं असाध्य रोग के रोगियों को उनके परिचारक सहित यात्रा की सुविधा रेल मंत्री के मानवीय दृष्टिकोण का उदाहरण है।

आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में जहां रेल विस्तार को ध्यान में रखा गया है वहीं मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। मेरे अपने मंदसौर, नीमच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नीमच रतलाम के मध्य अमान परिवर्तन के लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृत की है। मैं उस हेतु धन्यवाद करना चाहूंगा, किन्तु निवेदन है कि यह कार्य 2002-2003 में पूरा होना था। प्राथमिकता

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में लिया गया है मैं चाहूंगा कि इस हेतु 75 करोड़ रुपये की राशि और स्वीकृत करें जिससे यह कार्य पूरा हो सके और मुम्बई-दिल्ली के मध्य नीमच-चित्तौड़ कोटा होकर एक वैकल्पिक रेलमार्ग बने। इससे रेल राजस्व की वृद्धि होगी, यातायात सुविधा होगी एवं इससे संबंधित क्षेत्र का विकास भी होगा। यद्यपि देहरादून एक्सप्रेस में कोटा से लगने वाली देहरादून हरिद्वार की दो यात्री बोगियों को नीमच से लगाया जाकर दिल्ली तक की सीधी यात्रा सुविधा देते हुए देहरादून तक की सुविधा दी है तथापित कोटा-रतलाम के मध्य एक यात्री गाड़ी की मांग जो सालों से चली आ रही है, उसको पूरा नहीं किया गया है। अत: एक अतिरिक्त लोकल यात्री गाड़ी या मेमू कोटा-रतलाम के मध्य चलायी जाये। इसी प्रकार जब तक नीमच रतलाम का अमान परिवर्तन नहीं होता है उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगने वाला है, जहां लाखों दर्शनार्थी यात्री आयेंगे उस यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से मीटर गेज पर उज्जैन से फतेहाबाद-रतलाम होकर मंदसौर से चित्तौड़ होकर उदयपुर तक एक गाड़ी चलायी जावे और इसका नाम पशुपतिनाथ एक्सप्रेस रखा जावे। मैं कतिपय गाड़ियों के ठहराव की भी चर्चा करूंगा। पश्चिम रेलवे के शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर दुर्ग-जयपुर यात्री गाड़ी तथा सुपरफास्ट जम्मुतवी के ठहराव की भी आवश्यकता है। दुर्ग-जयपुर के ठहराव सुवासरा में देना भी वांछित हैं इंटरसिटी (इंदौर-निजामुद्दीन) का ठहराव गरोठ में तथा देहरादून एक्सप्रेस का ठहराव कुरलासी में जरूरी है।

स्टेशनों के प्लेटफार्मों को बढ़ाना, गाड़ियों में बोगीज की संख्या की दृष्टि से जरूरी है अन्यथा प्रतिदिन ही दुर्घटनायें होती हैं। स्टेशनों के निकट सड़कों को अच्छा बनाना व कई स्टेशनों पर जिनमें जावरा, मंदसौर नीमच हैं, प्लेटफार्म शेड बढ़ाना जरूरी है। नीमच, मंदसौर व जावरा में ओवर ब्रिजेज भी आवश्यक हैं।

रेल कर्मचारियों की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है तथापि मैं चाहूंगा कि उनकी चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार हो। शैक्षणिक दृष्टि से बालकों के लिए कतिपय स्थानों पर उच्च शिक्षा वांछित है। पेंशन प्राप्त रेलवे कर्मचारियों को भी यद्यपि कुछ चिकित्सा व यात्रा सुविधायें प्राप्त हैं तथापि इनमें भी वृद्धि आवश्यक हो।

मैंने संक्षेप में अपने विचार रखे हैं। मेरा ऐसा मानना है। कि मा० रेल मंत्री जी रेलों के विस्तार व विकास के लिए जहां यत्नशील है वहीं अपने कर्मचारियों व अधिकारियों की सुविधा की ओर भी उनका पूरा ध्यान हैं, जिसे जहां-जहां आवश्यक है, पूरा कर रहे हैं। मंदसौर व जावरा में फुट ओवर ब्रिज की आवश्कता है इसे शीघ्र बनाया जावे। मा० रेल राजमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी जब मंदसौर पधारे थे उन्होंने घोषणा भी की थी।

रेलवे एक सबसे बड़ा उद्यम है जहां अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं और इस दृष्टि से रेलवे प्रतिवर्ष हजारों लोगों को रोजगार उलब्ध करा रही है। इस बारे में मा० रेल मंत्री जी ने अगले साल पुन: हजारों की संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने की बात कह कर इस बात की पुष्टि की है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की दृष्टि से भी रेलवे जहां होनहार खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं वहीं उनको पदोन्नति देकर प्रोत्साहित भी करती है, ऐसी सुविधाओं को और बढ़ाना चाहिए ताकि युवक खिलाड़ी प्रोत्साहित हो। रेलवे के खिलाड़ियों ने इस दृष्टि से प्रशंसनीय भागीदारी की है तथा कई पदक आदि भी जीते हैं। उन्हें निरंतर प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से रेलवे द्वारा बनायी गयी कतिपय समितियों के प्रतिवेदना के परिप्रेक्ष्य में अनेक कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जाने वाले हैं। अत: मेरा ऐसा मानना है कि रेल यात्रा अधिक सुरक्षित होगी यात्री निश्चिंत होकर अपने आपको सुरक्षित मानते हुए यात्रा का आनन्द उठा सकेंगे। इस रेल यात्रा को और आनंदमय और मंगलमय बनाने के लिए रेलवे में मनोरंजन की व्यवस्था, उत्तम खानपान की व्यवस्था सामान्य श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी तक शयन आदि की व्यवस्था तथा अन्यान्य पत्र पत्रिकायें या समाचार पत्र के साथ कतिपय रेलगाड़ियों में संचार सुविधायें भी उपलब्ध कराकर रेल यात्रा को हर प्रकार से उत्तम बनाने का भरसक प्रयास किया गया है। मैं जहां रेल मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा वहीं रेलवे के अधिकारी/कर्मचारियों को भी इस हेतु धन्यवाद दूंगा।

अंत में इस अनुरोध के साथ कि मा० रेल मंत्री महोदय ने जहां देश भर के विभिन्न भागों में रेल सुविधायें प्रदान की हैं वहीं मध्य प्रदेश और मेरे निर्वाचन क्षेत्र को भी न भूल और निरंतर वांछित सुविधायें देकर जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। समयाभाव के कारण मैं संक्षेप में ही विचार रख सका हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं, चूंकि माननीय रेल मंत्री जी ने वर्ष 2003-2004 के लिए जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, वह देशवासियों के लिए जन-भावनाओं के अनुरूप बनाकर जनतान्त्रिक गंठबंधन की सरकार में आस्था व्यक्त करायी है।

मैं पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा बजट रेल बजट मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर देश की जनता उनको बधाई और धन्यवाद दे रही है। प्रस्तुत रेल बजट में रेल मंत्री जी ने कई प्रकार के राहतों को देकर रेल यात्रियों को सरल, सुलभ और सस्ती रेल यात्री की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जैसे यात्री भाड़ा, रेल भाड़ा का नहीं बढ़ाया जाना, 60 वर्ष के पुरुष यात्रियों की रियायत का दिया जाना, शताब्दी एक्सप्रैस में किराया में कटौती, मरीजों की वातानुकूलित श्रेणी में रियायत

[श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय]

का दिया जाना, कई नई ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा, कई नई ट्रेनों का विस्तार की घोषणा और 1000 मेगावाट के ताप बिजली घर की स्थापना के लिए नवीनगर की अनुशंसा के साथ-साथ कई अमान परिवर्तन करने आदि कार्य अत्यन्त सराहनीय एवं व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि बजट में रेलवे का योजना व्यय के लिए 2630 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने का प्रस्ताव है, योजना की शेष आवश्यकता बजट स्तर स्रोतों से साधन जुटाकर पूरी की जाएगी, जिसमें 2970 करोड़ भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से उधार लेकर और 30 करोड़ रुपए अन्य माध्यम से प्राप्त किए जायेंगे। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माल ढुलाई में रेल के अधिकारी एवं रेलवे बोर्ड सिर्फ आंकड़ा देकर अपने दायित्वों की इति कर देते हैं। इसमें हमारा यह सुझाव है कि यात्री सुरक्षा को देखते हुए इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएं क्योंकि ट्रेनों में अपराधों की संख्या बढ़ रही है। रेलवे यह कह कर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि फलां जगह केस लौज किया जाए। मामला बिगड़ने पर रेलवे कहती है कि यह राज्य सरकार का मामला है। सांसदगण जो पत्र लिखते हैं उनका 6-6 महीने तक जवाब नहीं आता है। मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि उनका जवाब समय पर दिया जाए जिससे सांसदों को राहत मिल सके।

मैं झारखंड के गिरीडीह क्षेत्र से आता हूं। मेरे क्षेत्र कतरास में सिटी बुकिंग का ऑफिस खोलने का मामला वर्षों से लंबित पड़ा है। टेलीफोन बूथ और स्टॉल आवंटन के बड़ी मात्रा में आवेदन दिए गए, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और रेल को राजस्व की प्राप्ति होती है लेकिन मामला अभी तक लम्बित पड़ा है। रेलवे में खान-पान की जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। हम इस बारे में शिकायत भी करते हैं लेकिन उसका निष्पादन नहीं होता है। टिकट वापसी के बारे में मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा था कि तुरन्त टिकट का पैसा वापिस हो सकता है। हमें जानकारी है कि नॉर्दन रेलवे में एक वर्ष से अधिक समय के बाद भी टिकट वापसी का पैसा नहीं मिला है।

अपने क्षेत्र से संबंधित दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं। आजादी के बाद एक ट्रेन शक्तिपुंज अपने क्षेत्र से चली थी। यह आज से 8-9 साल पहले चली। 50 साल के दरम्यान कोई नई ट्रेन वहां नहीं चली। बोकारो जिले के अन्तर्गत बेरोम अनुमंडल में पावर प्लांट हैं। नई गाड़ी जो भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन चल रही है, उसका ठहराव फुसरो स्टेशन पर हो। धनबाद और बरखाखाना के बीच एक ईएमयू ट्रेन चलाने का हमने मंत्री जी से पहले निवेदन किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस रूट में कोई गाड़ी नहीं है। धनबाद से बरखाखाना के लिए कोई बस की सुविधा नहीं है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि हम उसे देखेंगे।

हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस जो हावड़ा से चलती है, उसमें अजमेर जाने के लिए अल्पसंख्यक लोग गोमो से चलते हैं। हज के दौरान उस गाड़ी का वहां ठहराव भी होता है। गोमों में उस ट्रेन का हमेशा ठहराव हो। मंत्री महोदय जब गोमों गए थे तो वहां के लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि हावड़ा-जोधपुर का ठहराव गोमो में होना चाहिए। गोमो जंक्शन है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वहां रुके थे। एल्लपी गाड़ी को धनबाद तक बढ़ाने की जो बात मंत्री जी ने की है, हम उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। उसका चन्द्रपुर में ठहराव हो। वहां थर्मल पावर स्टेशन है और वह एक जंक्शन भी है। साथ-साथ वहां शताब्दी गाड़ी जो रांची से चलती है, उस का भी ठहराव होना चाहिए। पहले भी हमने निवेदन किया था कि चन्द्रपुर ओर कतरास स्टेशन का कम्प्यूटरीकरण किया जाए। गंगा-दामोदर एक्सप्रेस जो धनबाद से पटना चलती है, उकसा विस्तार बक्सर तक किया जाए चूंकि बिहार के लोगों का वहां आना-जाना लगा रहता है। वह ट्रेन सुबह पांच बजे आकर खड़ी हो जाती है और रात को साढ़े दस बजे इन्द्रनगर से चलती है। बीच के समय में बढ़ोत्तरी हो जाए तो वहां के लोगों को राहत मिलेगी।

पुराने डिब्बों में सुधार होना चाहिए। इन सब समस्याओं पर अपनी तरफ से मंत्री जी कोई वक्तव्य दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके पूर्व कि मैं अगला नाम पुकारूं, श्री भुर्त्रहरि महताब सभा पटल पर अपना भाषण रखेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : *धन्यवाद, महोदय, आपने मुझे रेल-बजट पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। मैं बजट-प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

रेल बजट वर्ष 2003-04 में एक अच्छी बात यह है कि यह चालू वर्ष के परम्पराभिन्न बजट में रखे गये लक्ष्यों को हासिल करने के आधार पर तैयार किया गया है; इसमें व्यय के लिए रखी गई अर्जित धनराशि का अनुपात बजट गत 94.4 प्रतिशत की तुलना में 92.5 प्रतिशत रहा है और यह इसमें सुधार को इंगित कर रहा है। इससे रेलवे न केवल पूरी लाभांशगत देयता का भुगतान कर सकेगा, बल्कि 50 करोड़ रु० की अस्थगित लाभांशगत देयता को भी सीमांतत: कम कर सकेगा। अत:, 94.1 प्रतिशत के कार्यशील अनुपात सहित

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह बजट अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कहीं अधिक 'प्रभावोत्पादक' सिद्ध होगा।

रेलवे सही दिशा में है, निम्नलिखित बातें इसे सूचित करती हैं –

(क) मालभाड़ा-दरों के मान से श्रेणियों की संख्या समेकित करके कम कर दी गई है, अर्थात्, 37 से 27 कर दी गई है।

(ख) उच्चतम और निम्नतम श्रेणियों की माल भाड़ा दरों के अनुपात को 3.3 से कम करके 2.8 कर दिया गया है।

(ग) कतिपय वस्तुओं के लिए वर्गीकरणों को कम किया गया है।

(घ) कतिपय वस्तु-समूहों के लिए एकसमान वर्गीकरण किया गया है।

(ङ) 90 कि०मी० तक बुक यातायात के लिए स्तरीकृत राहत।

(च) कोयले के लिए 'टुपे' अधिभार को 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत और अन्य सामग्री के लिए 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया।

(छ) तेल कम्पनियों के साथ दीर्घावधि समझौते करने की मांग प्रदर्शित की गई है।

(ज) स्टेशन से स्टेशन तक की दरों में कमी करने के लिए जोनल मैनेजरों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करना।

यात्री सुविधा, सफाई, सुरक्षा आदि के बारे में बात पहले ही की जा चुकी है। इस कार्य को 'यात्री संतुष्टि वर्ष' घोषित किया गया है। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रैस गाड़ियों के बुनियादी किराए को सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों की संगत श्रेणियों के संगत किराए से केवल 15 प्रतिशत अधिक पर ही रखना, जन-शताब्दी एक्सप्रैस के मार्ग-अप को 10 प्रतिशत से कम करके 5% कर देना और राजधानी एक्सप्रैस में ए०सी०-I व ए०सी०-II श्रेणियों के किराये में 10 प्रतिशत कमी — जो प्रायोगिक तौर पर 15 जुलाई से 15 सितम्बर, 2003 के बीच की अवधि में इस इरादे से की गई है कि यातायात के अन्य साधनों, विशेषकर विमान सेवा क्षेत्र, की ओर से बढ़ती प्रति-स्पर्धा के क्षेत्र में रहा जा सके।

लेखा और लागत व्यवस्थापन में सुधार के वायदे का स्वागत है।

युक्ति संगतकारी प्रस्तावों से, 700 कि०मी० की दूरी श्रेणी के लिए पेट्रोल हेतु 10.7 प्रतिशत और क्लिंकर हेतु 3.7 प्रतिशत के बीच आने वाली मालभाड़ा-दरों में कमी आएगी। राजधानी एक्सप्रैस के किराए में अधिकतम 19 प्रतिशत की कमी त्रिवेन्द्रम और हजरत निजामुद्दीन के बीच और (निजामुद्दीन व जम्मू तवी के बीच) न्यूनतम 4 प्रतिशत की कमी की गई है।

शताब्दी एक्सप्रैस में, यह कमी 13 प्रतिशत से 6 पतिशत के बीच है और जन-शताब्दी एक्सप्रैस में 16 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच। समांतर-दरों में भी यह कमी 8 प्रतिशत से लेकर 64 प्रतिशत तक है।

इससे रेल यातायात भी बढ़ेगा और राजस्व भी बढने की आशा है। साफ कहा जा सकता कि नीतीश जी ने लोकलाभ की बात की है। इस वर्ष के रेल बजट में यात्री-यातयात और बढ़ाने की बात सोची गई है, जिसमें दिसम्बर, 2002 तक 3 प्रतिशत की कमी आई थी जिसका मुख्य कारण सड़क-निर्माण और विमान किराए में कमी रहा। पिछले कुछ महीनों के दौरान से अधिकतम यात्री वर्ग विमान-सेवा का उपयोग कर रहा है और इसीलिए यह एक सही निर्णय है कि किराया-संरचना को युक्ति संगत बनाकर इसे आम रेलगाड़ी शुल्क-संरचना के रूप में पेश किया जाए। कतिपय अन्य देशों में इस ओर प्राप्त सफलता को देखकर, अखिरकार भारतीय रेल भी सजग हुई है और और चुनिंदा रेलगाड़ियों में कम किराया-दरों की घोषणा करके उससे एक वैकल्पिक किराया-ढांचा दिया है।

मैं यहां प्रसन्नतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि कुछ आग्रणी औद्योगिक निकायों और वाणिज्य संघों ने न सिर्फ रेल बजट का स्वागत किया है बल्कि स्पष्ट तौर पर कहा है कि माल-भाड़े को तर्कसंगत बनाने भाड़े की दरों के पुनः वर्गीकरण और भुगतान किये जाने वाले अधिभार के कम किये जाने से रेलवे यातायात में वृद्धि होगी, ढुलाई राजस्व बढ़ेगा और रेलवे की मूल्य कुशलता में वृद्धि होगी।

फिक्की ने कहा है कि रेलवे को बाजार उन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया है।

सी०आई०आई० ने रेलवे बजट को संतुलित और समझदारी भरा बताया है, यह रचनात्मक है और कुछ दूरदर्शिता वाले कदम उठाये गये हैं जिनमें सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना और माल-भाड़ा संरचना को तर्कसंगत बनाना, श्रेणियों का पुनः वर्गीकरण और नई गाड़ियों का शुरू किया जाना शामिल हैं।

एसोचैम ने यद्यपि रोलिंग स्टाक में निवेश और और पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापना के लिए निधियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम से अधिक ऋण लेने के विरुद्ध सावधान किया है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि माल ढुलाई संबंधी श्रेणियों का पुनः वर्गीकरण उपभोक्ता सेवा, सुरक्षा पर अधिक ध्यान और नई गाड़ियों का शुरू किया जाना रचनात्म कदम हैं।

[श्री भर्तृहरि महताब]

इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स ने कहा है कि रेलवे बजट में माल भाड़े को तर्कसंगत बनाते हुए उचित ही सुरक्षा और क्षमता विस्तार पर ध्यान दिया गया है।

भारतीय लघु उद्योग संघों के महासंघ एफ०ए०एस०आई०आई० ने कहा है कि सामान भेजने के लिए बुकिंग प्रक्रिया सुपुर्दगी और राशि वापस लौटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है।

सड़क के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन की बढ़ती प्रवृति को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने किसी भी वस्तु के लिए माल-भाड़े में वृद्धि नहीं की है। वस्तुत: माल-भाड़ा संरचना को युक्तिपूर्ण बनाने से दरों में कमी आयेगी, इस कदम से रेलवे को आशा है कि माल-परिवहन इस वर्ष के 515 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2003-2004 में 540 मिलियन टन हो जायेगा जो 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2002-2003 के लिए लक्ष्य 510 मिलियन टन था।

यह कहा जा सकता है कि माल-परिवहन के लक्ष्य को पूरा करने के मामले में रेलवे का प्रदर्शन अच्छा रहा है लेकिन इसे दोहराया जा सकेगा या नहीं यह अस्पष्ट है। इस वर्ष के परिवहन में हुयी बढ़ोतरी का बड़ा भाग इस कारण से था कि निर्यात पर जोर देने के कारण खाद्यान्नों का परिवहन अधिक हुआ, लेकिन ऐसा हर वर्ष नहीं हो सकता। यद्यपि पेट्रोलियम के परिवहन के लिए भाड़े में कमी की गयी है लेकिन पाईपलाईन नेटवर्क विस्तार का यह मतलब है कि रेलवे को इससे घाटा होगा। लेकिन माल-परिवहन में आयी वर्तमान वृद्धि से रेलवे को अपने प्राचलन अनुपात (आय का वह प्रतिशत जो व्यय हो जाता है) 92.5 प्रतिशत करने में मदद मिली है, जो बजट प्राक्कलन में प्रक्षेपित 94.4 प्रतिशत से बहुत बेहतर है। आर्थिक खुशहाली के संकेतों को देखते हुए नीतीश जी ने आने वाले वर्ष में माल परिवहन की मात्रा और आय, दोनों में होने वाली वृद्धि को प्रक्षेपित किया है। यदि भाग्य उनका और अर्थव्यवस्था दोनों का साथ देता है तो सभी प्रसन्न होंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो यात्रा-भाड़े में वृद्धि न करना एक गलती साबित होगी, क्योंकि अगले वर्ष आम-चुनाव के कारण यात्री-भाड़े में वृद्धि अपेक्षित नहीं हो सकती।

माननीय मंत्री स्वयं रेलवे की मूल अवस्था को ठीक न रखने के प्रयासों के परिणाम जानते हैं। उनके बजट में प्रचालन अनुपात इस वर्ष बेहतर होकर 92.5 प्रतिशत रहने के बाद अगले वर्ष 94.1 प्रतिशत हो जाना प्रक्षेपित किया गया है। निवेश के लिए प्रस्तावित धन जुटाने का तरीका भी परेशानी पैदा करने वाला है। अगले वर्ष के लिए योजना परिव्यय में 4.6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि प्रस्तावित है और आंतरिक संसाधनों से आवंटन भी समान स्तर पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश जी निवेश कार्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय रेल विकास योजना पर छोड़ना चाहते हैं, जिसके तहत स्वर्णिम चतुर्भज और अन्य महत्वकांशी योजनाएं हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए स्थापित रेल विकास निगम के लिए धन कहां से आयेगा। इसका उत्तर ऋण द्वारा राशि जुटाना हो सकता है, लेकिन उसपर ब्याज देना पड़ता है और ऐसा कठिन लगता है कि रेलवे ऋण ली· गयी राशि की कुल लागत से ज्यादा धन कमा पायेगा। ऋण वापिसी करना भविष्य में एक समस्या हो सकती है, जैसा कि कोंकण रेलवे निगम के ममाले में हो चुका है।

संयोग से नीतीश जी ने यह महसूस किया है कि उपलब्ध संसाधनों के तहत ही रेलवे के, मौजूदा कार्य करने हैं इसलिए उन्होंने कोई बड़ी परियोजना शामिल नहीं की। लेकिन फिर भी उन्होंने नौ खंडों की घोषणा की है जो कुल मिलाकर 225 किलोमीटर की नई लाइनें हैं

इसमें कोई संदेह नहीं कि रेलवे महत्वपूर्ण मोड पर है। अब इसके सामने अपनी एक कार्यक्षम व्यावसायिक पहचान बनाकर अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहने या अप्रासांगिक हो जाने के बीच चुनाव करेन का समय है।

भारत जैसे देश में जिसकी जनसंख्या अत्यधिक है तथा अर्थव्यवस्था विकासशील है, वहां रेलवे की प्रासांगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना वास्तव में विडम्बना ही है। तथ्यों के अनुसार 1 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन रेल से सफर करती है और रेलवे प्रतिदिन 1.5 मिलियन टन माल की ढुलाई करता है।

इसके अलावा, रेलवे की चिंता है: लाभ अर्जित करने वाली दर तथा रेलवे पर किये जाने वाले व्यय में अंतर का होना। रेलवे की अधिकांश इकाइयों में खर्च राजस्व से 3 प्रतिशत ज्यादा रहता है। यह खतरनाक स्थिति है।

अत: रेलवे को अपने-आप को पुन: क्रियाशील करना होगा। हो सकता है रेलवे को अधिक लदान न मिलें। लगता है बड़े लदानों के दिन अब नहीं रहे। अब हर किलोग्राम वस्तु के लिए भी भागदौड़ करनी पड़ेगी तथा उसपर कर लगाना होगा। इसलिए अब रेलवे को बदलाव लाना होगा। उसे कंटेनर परिवहन के व्यवसाय पर ध्यान देना होगा। इससे उसको लाभ होगा।

मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं खुश हूं। कि उड़ीसा के हितों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, हालांकि उड़ीसा सरकार ने 510 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया था, लेकिन उसे केवल 220 करोड़ रुपये

ही प्राप्त हुये हैं इसमें भी 118 करोड़ रुपये का आवंटन दायतरारी-बनासपाणी, खुरधा रोड-बोलंगीर, हरिदासपुर-पारादीप, लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ और अनुगुल-सुकिन्दा रोड जैसी नई लाइनों के लिए किया है।

कटक राज्य की व्यावसायिक राजधानी होने के कारण भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है और यहां से अनेक सुपरफास्ट गाड़ियां इससे हटकर गुजरती है। बिरूपा तथा महानदी पर दूसरा रेल पुल बनने से निरगुंडी-कट्टक लाइन पर यातायात कम हो जायेगा। लेकिन साथ ही कटक से बारंग तक दोहरी लाइन की आवश्यकता थी। नीतीश जी ने कटक-बारंग लाइन को डैबल के दोहरीकरण तथा काभाजोड़ी और काउरवाइ नदी पर दूसरा पुल बनाने के एिल निधियों का आबंटन किया है, इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देते हैं। कटक, एक फैलता हुआ शहर है। कटक स्टेशन को दूसरा प्रदेश देना आवश्यक हो गया था। मैं नीतीश जी का धन्यवाद करता हूं कि कटक रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूरे होने पर इस परियोजना के लिए उन्होंने ये निधियों का आवंटन किया है।

माननीय रेल मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि वे नराजमरभापुर स्टेशन के उन्नयन पर विचार करें। तथा एक्सप्रैस और सुपरफास्ट एक्सप्रैस गाड़ियों के लिए यहां से टिकट सुविधा प्रदान कराने पर भी विचार करें। इस स्टेशन से कटक के उन यात्रियों की जरूरत पूरी हो सकेगी। जो बारंग-राज अभागढ़ लाईन से सफर करते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर अनेक सुपरफास्ट गाड़ियां चलती है।

मैं अप्रैल के उस दिन के इंतजार में हूं जिस दिन ईस्ट कोस्ट जोन पूरी तरह परिचालन में आ जायेगा। एक उच्च स्तरीय अधिकारी को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। हालांकि ईस्ट कोस्ट जोन का संचालन अभी तीन मण्डलों खुरधा रोड, वाल्टेयर और सम्बलपुर के साथ किया जायेगा। राउरकेला-क्षेत्र भी इस जोन का हिस्सा होना चाहिए तथा रेल यातायात की उचित व्यवस्था के लिए इसे नया मण्डल बनाया जाना चाहिए। मैं पुराने जोनों के विभाजन का स्वागत करता हूं। छोटे नये जोन वास्तव में अधिक क्रियाशील तथा वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक नवीन होंगे। जो लोग अभी भी उपानवेशिक विचाराधारा से ग्रस्त हैं वे अदूरदर्शिता रखते हैं, और आज भी नये जोनों के गठन के विरूद्ध बोलते हैं।

नीतीश जी की पृष्ठभूमि साधारण है, वे एक सीधे-साधे इंसान है। वे प्रर्वतक, कल्पनाशील तथा शाहसी व्यक्ति हैं। इसलिए विपक्ष के सदस्यों के पास इस रेल बजट की आलोचना के लिए शब्द नहीं थे वे यही कह सके कि चुनाव निकट हैं। लोगों के हितों वाले बजट का समर्थन किया जाना चाहिए। मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रेल बजट पेश किया है। यह बजट थोड़ा ठीक है लेकिन रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है। खान-पान चाय की पूरी व्यवस्था नहीं है। अगर रेल मंत्री जी अच्छे हैं तो रेल में सुधार करने के बारे में इम्पलीमेंटेशन करने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

नीतीश कुमार जी अगर देश चलाना होगा,
कभी-कभी आपको हमें रेल में बुलाना होगा,
रेल पैंसेंजर्स को अच्छी-अच्छी चाय पिलाना होगा,
जो अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपनी जगह से हिलाना होगा।

अगर रेल अधिकारियों को नहीं हिलायेंगे तो रेल अच्छी तरह से नहीं चलेगी। यह सही है कि रेल प्रशासन गरीबों की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। रेल विभाग को सुपर फास्ट ट्रेन्स चलाने की आवश्यकता है। मुम्बई राजधानी 17 घंटे में दिल्ली से मुम्बई पहुंचती है, इसे 12 घंटे में पहुंचाना चाहिये। माननीय रेल मंत्री जी ने मुम्बई के लिये अच्छा पैसा दिया है। मैं पिछली बार मुम्बई से चुनकर आया था। लोकल गाड़ियों के कारण जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, उनके लिये बड़ी प्राब्लम आती है। इसके लिए दो ट्रेक बनाये जाने के लिये लिखा था लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। कल्याण से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के लिये दो नये ट्रैक की आवश्यकता है। इसके अलावा मुम्बई में लोकल गाड़ियों में बहुत भीड़ रहती है। उनकी संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, जब हम विदेश जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन में कोई खड़ा दिखाई नहीं देता लेकिन मुम्बई में बैठे हुये लोग दिखाई नहीं देते। इसलिये इस ओर भी ध्यान दिया जाये।

अध्यक्ष जी, पंढरपुर मेरा लोकसभा क्षेत्र है। नैरो गेज में एक वर्कशॉप है लेकिन अब उसे ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है। इसलिये वह वर्कशॉप ब्राड गेज पर लाने की आवश्यकता है। लातूर-कुर्डुवाडी रेल लाइन के लिये 30 करोड़ रुपया दिया गया है जबकि 300 करोड़ रुपये की आवश्कयता है। यदि हर साल 100 करोड़ रुपया भी दिया जायेगा तो कार्य पूरा हो पायेगा। इसी प्रकार पंढरपुर से मुम्बई, नागरपुर और बनारस के लिये एक गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता है। मैंने बम्बई सैंट्रल स्टेशन का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम करने के लिये लिखा भी था और इसके लिये कुमारी ममता जी को जब वे रेल मंत्री थी, लिखा भी था। इस ओर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से हो। यह आपके विभाग के

[श्री रामदास आठवले]

अधिकार में है या स्टेट गवर्नमेंट को हैं। मैंने इस संबंध में चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र को भी लिखा है। यह आपके अधिकार में, इसलिये इसकी घोषणा कर दीजिये।

अध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री एक समाजवादी नेता है, अच्छे लीडर हैं, उधर बैठे हुये हैं लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। इसलिये उनको इस बात की घोषणा कर देनी चाहिये। मुम्बई में मैट्रो ट्रेन की आवश्यकता हैं। इस पर विचार किया जाये। मुम्बई से पुणे तक शताब्दी चलती है। इसी तरह की शताब्दी गोवा तक वाया शोलापुर-कोल्हापुर-अकोला चलनी चाहिये। इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। रेल को ज्यादा से ज्यादा सुधारने के लिए आपको अच्छा काम करना है। रेल बजट द्वारा नीतीश जी ने रेल को तो आगे बढ़ाया है मगर उससे एम०पीज० को आपस में लड़ाया है। एम०पीज कहते हैं कि रेल उधर से क्यों गई, इधर से आनी चाहिए थी। यह काम भी आपने अच्छा किया है। इसलिए हमारे सभी एम०पीज की जो मांग है, उसके लिए मैं भी कहना चाहूंगा कि अगले पौने दो साल में एक भी निर्वाचन क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जहां रेल नहीं हो, हर क्षेत्र में रेल जानी चाहिए। इसके बारे में भी आपको विचार करने की आवश्यकता है।

राजधानी एक्सप्रैस का एक्सीडेंट हुआ था। वह भी क्या आपने किया था? राजधानी एक्सप्रैस का एक्सीडेन्ट भी आपने किया और हम सब लोगों को और मामता बनर्जी को भी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था और जवाब देने में भी आप माहिर हैं। तब आपने कहा था कि उसमें आई०एस०आई० का हाथ है। हम सोच रहे थे कि आई०एस०आई० वाले इधर कैसे आ गए। रेल तो हमारे देश में है मगर वे आई०एस०आई० वाले हमारे देश में कैसे आएंगे। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मैंने मजाक में कहा लेकिन आई०एस०आई० का हाथ है, यह मैंने कभी नहीं कहा। मजाक भी कभी गंभीर रूप धारण कर लेता है।

श्री रामदास आठवले : पहला स्टेटमेंट आपका था या राणा जी का था जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। रेल एक्सीडेन्ट में किसी का भी हाथ हो, उस हाथ को तोड़ने के लिये हमें तैयारी रखनी है ताकि भविष्य में ऐसा नहीं हो। इसके लिए एक योजन बनाने की आवश्यकता है। अगर पटरी कहीं खराब है तो ड्राइवर को उसकी जानकारी हो, इस प्रकार की नई टैक्नोलॉजी को भी लाना चाहिए ताकि एक्सीडेन्ट नहीं हो। लोग समझते हैं कि रेल से जाना अच्छा है। अगर रोड से जाते हैं तो कब एक्सीडेन्ट होगा, मालूम नहीं है, कब ऊपर जाएंगे, पता नहीं है, मगर जब रेल से जाते हैं तो लोगों को सिक्यूरिटी लगती है। इसलिए रेल के बारे में जो हमारे देश के लोगों की भावना है, उसको मजबूत करने के लिए रेलों का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए रेल सुरक्षा की तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि इलेक्शन नजदीक आ गए हैं इसलिए इनका रेल बजट अच्छा है। कुछ भी हो लोगों का भला होना चाहिए, रेल का भला होना चाहिए। अगर इलैक्शन को सामने रखकर बजट लाया गया होगा तो इलैक्शन में क्या होने वाला है, वह ये देख लेंगे। आने वाले इलैक्शन में इनकी रेल नहीं चलेगी। रेल चलेगी तो हमारी चलेगी। इनकी ज्यादा चलेगी तो उसका एक्सीडेंट करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा होंगे और इनकी रेल का एक्सीडेन्ट करके हम रेल डिपार्टमेंट हाथ में लेंगे।

मंत्री जी का रेल बजट तो अच्छा है और उसका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा करिये, लेकिन मैं इसको स्पोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इधर बैठता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपने भाषण में साक्षात्कार के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क पास दिये जाने का उल्लेख किया था और रेल राज्य मंत्री को इसका उत्तर देने के लिए कहा था।

अब चूंकि माननीय रेल मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे जानकारी दे दी है इसे मैं सभा को देना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में बैठने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को द्वितीय श्रेणी के निःशुल्क पास दिये जाते हैं।

दूसरा उन्होंने कहा है कि बेरोजगार युवकों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों तथा सांविधिक बोर्डों में नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिए द्वितीय श्रेणी या शयनयान श्रेणी में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। यह सूचना सभा की जानकारी के लिए है।

अब सभा कल 5 मार्च 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 मार्च, 2003/14 फाल्गुन 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/32/12/2003 (एन०)

280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्र

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।